खण्ड-254, अंक-9
शुक्रवार, 14 फाल्गुन, शक संवत् 1886
(5 मार्च, 1965 ई0)

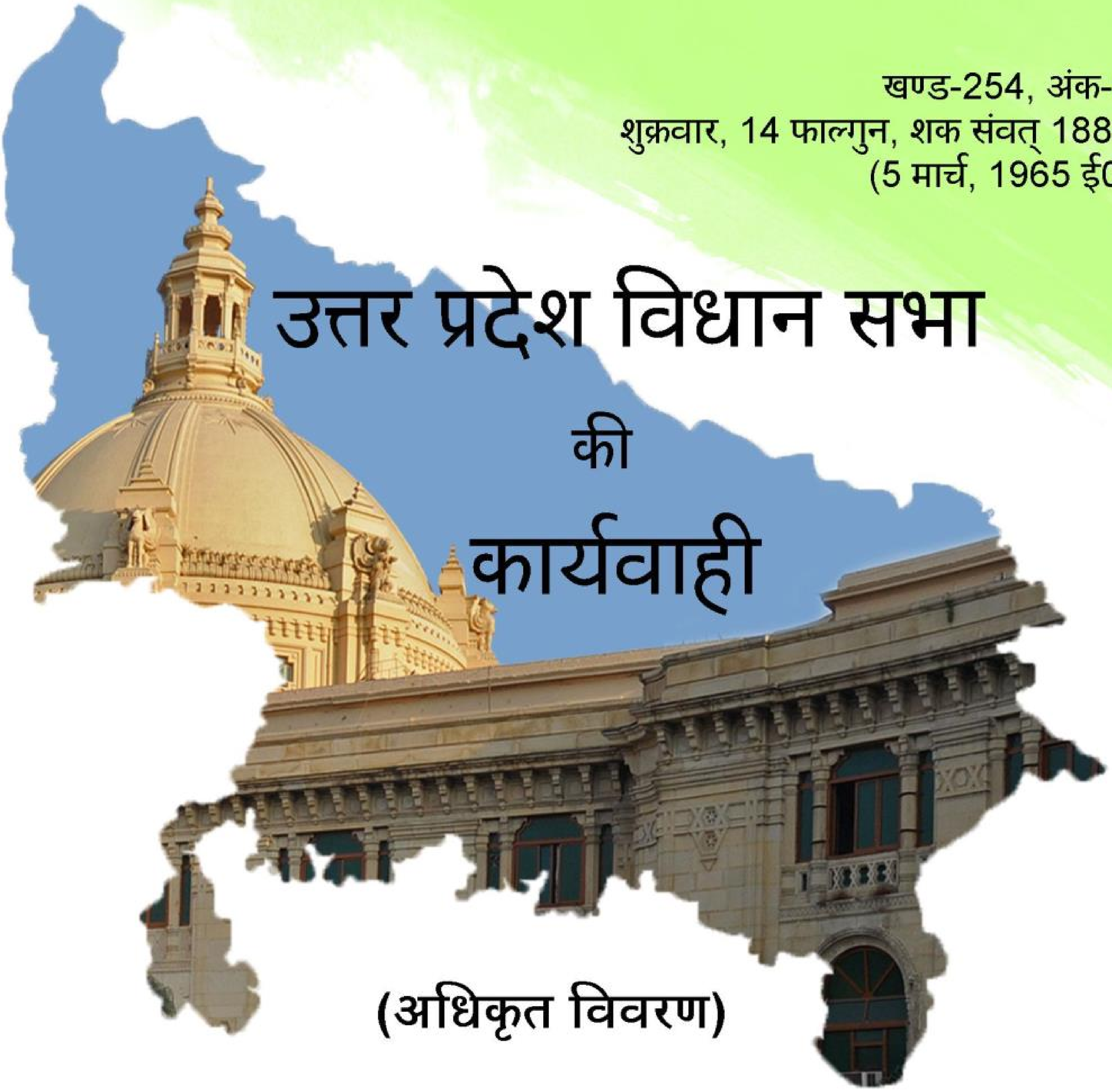

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 254 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	८३१–८३५
श्री चन्द्रबलीसिंह द्वारा जानकारी की मांग ..	८३५–८३६
प्रश्नोत्तर	८३६–८५९
विविध विषय	८५९
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानिपूर्ति की वसूली) (संशोधन) विधेयक, १९६५ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	८६०
उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान विधेयक, १९६५ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	८६०
उत्तर प्रदेश रोड साइड लैन्ड कन्ट्रोल (संशोधन) विधेयक, १९६५ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	८६०
उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६५ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	८६०
आश्वासन समिति का पच्चीसवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ..	८६०–८६१
बस्ती, गोरखपुर तथा देवरिया जिले की सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों पर गल्ला देना बन्द किये जाने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकृत)	८६१
सरोजनी नायडू अस्पताल, आगरा के डाक्टरों द्वारा हड़ताल किये जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना (केवल वक्तव्य के लिए स्वीकृत)	८६१–८६२
न्यू विक्टोरिया मिल, कानपुर के मजदूरों पर पुलिस द्वारा किये गये लाठी चार्ज के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	८६२–८७२
श्री राज्यपाल के पत्र के संबंध में सूचना	८७२
श्री कमलासिंह यादव द्वारा जानकारी की मांग	८७३
देवरिया जिले के कुछ गांवों में फसलों के चोरी से काटे जाने के संबंध में वक्तव्य	८७३–८७७
१९६५–६६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या २५––नियोजन और समन्वय तथा अनुदान संख्या ११––गांव सभायें और पंचायतें (स्वीकृत)..	८७७–९१८
प्रदेश के अध्यापकों द्वारा परीक्षाओं का बहिष्कार करने के निश्चय के संबंध में नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा	९१८–९४३
नत्थियां	९४४–९५०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ५ मार्च, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३७३

अक्षयवरसिंह, श्री
अखंडप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरू)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्दराय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री

मेरा प्रदेश मेरा सभा

गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जुल्फिकार अली खां, नवाबजादा सैयद
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रैपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला, अंसारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री

नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहिरवार, श्री
पितईराम, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बसंतलाल शर्मा, श्री
बसंतसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री

रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेंद्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुर सिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शकुंतला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शांतिचन्द्र शुक्ल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री

शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति मिश्र, श्री
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
संतसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराजसिंह, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--वित्त मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश, गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह; शिक्षा उपमंत्री, डाक्टर रामनारायण पांडेय तथा गृह उपमंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे।

श्री चन्द्रबलीसिंह द्वारा जानकारी की मांग

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। ११ नम्बर का जो कार्यक्रम है, इसमें यह किस नियम से लिया गया है, किस तारीख को लिया गया है। आखिर जिस व्यक्ति ने दिया है उसका नाम छोड़ने का क्या कारण है? मैं जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

यह आप लिखकर पूछ लीजियेगा।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, यह लिखकर पूछने का सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये, इस समय इसका कोई प्रश्न नहीं उठता है।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

श्रीमन्, मैं पूछना चाहता हूं कि यह किस नियम के अन्दर दिया है। दूसरे न देने का क्या कारण है?

श्री अध्यक्ष--

मैं कई मर्तबा कह चुका हूं कि आप इसे लिखकर दे सकते हैं। आप बैठ जाइये। मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है, आप बैठ जाइये।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

अध्यक्ष जी, आखिर यह किस नियम के अन्दर लिया गया है। किस कारण लिया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि आपने इसे किस नियम के अन्दर लिया है ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये । मैं इसका जबाब नहीं दे सकता । आप बैठ जाइये या बाहर जायं ।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, ५ मार्च, १९६५

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

अध्यापकों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की सिफारिश

**१--श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा), श्री ऊदल (जिला वाराणसी), श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)--

क्या राज्य सरकार का ध्यान केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री छागला के अभी हाल में दिये गये उस घोषणा की ओर ध्यान गया है जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अध्यापकों के लिये बढ़ाये जाने वाले मंहगाई भत्ते का आधा व्यय भार केन्द्रीय सरकार वहन करेगी ? यदि हां, तो सरकार ने उक्त घोषणा के अनुसार क्या कदम उठाया ?

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर रामनारायण पाण्डेय)--

समाचार पत्रों में इस संबंध में छपी सूचना देखी है। लेकिन इसके बाद केन्द्रीय सरकार से अधिकृत रूप में ऐसी कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है । इसलिये किसी प्रकार की कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बालोजी अग्रवाल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस घोषणा के पश्चात् केन्द्रीय सरकार से कोई बातचीत या लिखा-पढ़ी हुई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)--

जी हां, केन्द्रीय सरकार से कुछ लिखा पढ़ी हुई है और जो दो-तीन रोज तक हमारे पास उत्तर आये हैं उनसे यही पता चलता है कि केवल प्लान के अन्तर्गत वे सहायता देने को तैयार हैं । अभी प्लान के बाहर कोई सहायता की व्यवस्था नहीं है ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान उस ओर गया है कि जो टीचर्स का प्रतिनिधि मंडल भारत के प्रधान मंत्री से मिला है और उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि हम टीचर्स की मांगों को पूरा करने के लिये आवश्यक सहायता देने को तैयार हैं । तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखने के लिये इस प्रकार की सूरत निकालेंगे जिससे उस आश्वासन के आधार पर टीचर्स से मिल करके ऐसी वार्ता हो सके कि परीक्षाओं के पूर्व ही यह तय हो सके ?

श्री कैलाशप्रकाश--

समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचारों के आधार पर कोई कार्यवाही करना मुनासिब नहीं है और मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि समाचार-पत्रों में कभी-कभी ऐसा समाचार छप जाता है कि उससे परिस्थिति में भ्रम पैदा हो जाता है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

इस बात को देखते हुए कि पांच लाख विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में है और ४५ हजार के करीब अध्यापकगण परीक्षाओं से बहिष्कार कर रहे हैं और जैसे उनकी मांग है, आधा आप दे दें और आधा केन्द्रीय सरकार दे दे। पांच रुपया केन्द्रीय सरकार की तरफ से बढ़ा दिया जाय और पांच आप अपनी ओर से बढ़ा दें। क्या सरकार इस परिस्थिति को टालने के विषय में ऐसा विचार करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश--

ऐसी कोई बात नहीं सोची जा सकती है। शर्तिया कोई बात नहीं सोची जा सकती है।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)--

श्रीमन्, जैसा कि बताया गया है कि केन्द्र से यह उत्तर आया है कि प्लान से दे सकते हैं, नान-प्लान से नहीं दे सकते हैं। तो उसके बाद कोई ऐसी वार्ता की गई है कि यहां की कीमतों को देखते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा कहीं और से सहायता दी जाय ?

श्री कैलाशप्रकाश--

मैंने आपसे निवेदन किया है कि अभी दो-तीन रोज हुए चिट्ठी आई है। चिट्ठी-पत्री चलती रहती है और बातचीत भी चलती रहती है। बातचीत का जिक्र करने से कोई बात हल नहीं हो सकती है। विद्यार्थियों के परीक्षाओं के विषय में जो चिन्ता माननीय सदस्यों को है, उतनी ही चिन्ता शासन को भी है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)--

माननीय शिक्षा मंत्री सदन को और सदन के जरिये समस्त अध्यापकों को इस प्रकार का आश्वासन दे सकेंगे कि यदि वे इस वक्त परीक्षा का बहिष्कार न करें तो उनकी मांगों को पूरा करने में सरकार समर्थ हो सकेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश--

श्रीमन्, यह भी एक शर्तिया बात है। किसी शर्तिया बात पर कोई फैसला नहीं किया जा सकता है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--

क्या माननीय शिक्षा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि अगर वे किसी शर्तिया बात को मानने के लिये तैयार नहीं हैं तो क्या यह पत्र व्यवहार जो केन्द्र के शिक्षा मंत्री से हुआ है, उसमें आपने क्या केन्द्र के शिक्षा मंत्री को यह लिखा है कि आजकल की बढ़ती हुई महंगाई में अध्यापकों की मांग उचित है और केन्द्रीय सरकार प्लान के अन्तर्गत जो व्यवस्था करने को तैयार है तो क्या आपने इस बात को भी उन पर इम्प्रेस किया है कि वे नान-प्लान में भी कोई ऐसी व्यवस्था करें ताकि संकट का हल निकल सके ?

श्री कैलाशप्रकाश--

लिखने का प्रश्न तो पीछे उठता है। मेरी स्वयं बातचीत हुई है।

श्री अध्यक्ष—

आज शाम का समय भी है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

घाघरा पर बड़हलगंज में पीपे का पुल बनाने का आयोजन

*१—श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर-इलाहाबाद मार्ग पर बड़हलगंज में जो पीपे का पुल घाघरा पर बनने वाला था वह बना या नहीं? यदि नहीं बना, तो क्यों और उसके कब तक बन जाने की संभावना है?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—

जी नहीं, अभी इस पुल का निर्माण नहीं हुआ है। इसका आगणन तैयार किया जा रहा है। उसकी स्वीकृति के बाद निर्माण कार्य आरम्भ होगा। इस समय यह बताना संभव नहीं है कि पुल कब तक तैयार हो पायेगा।

श्री कल्पनार्थसिंह—

सार्वजनिक निर्माण मंत्री से मैं जानना चाहूंगा कि इस पीपे के पुल को तैयार करने केलिये सरकार के ध्यान में यह बात कब आई और अब तक उसकी क्या प्रगति है?

श्री जगनप्रसाद रावत—

१९६० में यह प्रश्न सरकार के सामने आया था और केन्द्रीय सरकार ने उस समय यह कहा था कि बर्डघाट का पुल जब राप्ती पर बन जावेगा तब उसके पीपे और गढ़मुक्तेश्वर के पीपे यहां आ सकेंगे। उन्हीं के अनुसार यह कार्यक्रम तैयार किया गया। लेकिन बाद में गढ़मुक्तेश्वर के पीपे तो दिल्ली कारपोरेशन को दे दिये गये और बर्डघाट के पुल बनने में देरी हुई। दूसरा कार्यक्रम तैयार किया है उसकी स्वीकृति नहीं मिली अब यह किया जा रहा है कि बर्डघाट पुल के पीपों को लेकर बाकी चीजों की भी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर यह कार्यक्रम तैयार हो रहा है। जब उसकी स्वीकृति केन्द्रीय सरकार से मिल जावेगी तो इस पुल का निर्माण-कार्य आरम्भ हो जावेगा।

श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बर्डघाट के पीपों के तैयार हो जाने के बाद उनको तुरन्त भेज दिया गया है? यदि नहीं, तो कब तक चले जावेंगे?

श्री जगनप्रसाद रावत—

वहां जो प्राक्कलन तैयार करने की बात हो रही है उसमें वहां बड़ी-बड़ी नावों को भी इस्तेमाल करके कुछ पीपों को लगाकर चालू किया जावेगा। यह सब बातें कम खर्च और जल्दी काम होने को ध्यान में रखकर ही की जावेंगी।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

क्या माननीय मंत्री जी हमारे इस सुझाव पर विचार करने के लिये तैयार हैं कि मानीराम तथा पीपीगंज में रोहित नदी पर जो इस समय पीपे का पुल बना हुआ है वहां पर पीपे बहुत अधिक संख्या में पड़े हुए हैं, तो क्या उन पीपों का उपयोग वहां पर वह उस पुल के लिये करेंगे जिससे उसको जल्दी कराने सुविधा प्राप्त हो सके?

श्री जगनप्रसाद रावत—

मैं इस संबंध में जांच करूंगा और अगर फालतू पीपे होंगे तो उनका उपयोग किया जायगा।

*२—३—श्री कल्पनाथसिंह—

[हटा दिये गये ।]

आजमगढ़ जिले में सड़कों में अध्याप्त भूमि का मुआवजा

*४—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की कोपागंज कसारा रोड एवं हाजीपुर पिढ़वल और घोसी मझवारा सड़क के निर्माण में ली गई भूमि का मुआवजा दिया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी नहीं ।

घोसी मझवारा सड़क नजूल भूमि में बनी है इसलिये मुआवजा देने का कोई प्रश्न नहीं उठता । कोपागंज कसारा तथा हाजीपुर पिढ़वल सड़कें श्रमदान द्वारा बनाई गई हैं । जिनके लिये संबंधित काश्तकारों ने अपनी अपनी भूमि का स्वेच्छापूर्वक दान दिया है। इसलिये मुआवजा देने का प्रश्न नहीं उठता है ।

*५—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त सड़कों के लिये गये खेतों की मालगुजारी किसान से न लेने के लिये संबंधित सरकारी विभाग को लिख दिया गया है अथवा नहीं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

घोसी मझवारा सड़क में ली गई भूमि की मालगुजारी किसी से नहीं ली जाती क्योंकि यह नजूल भूमि है। शेष दो सड़कों की भूमि के संबंध में जांच की जायेगी । और यदि कोई शिकायत होगी तो वह दूर की जायेगी ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें मैंने देखा तो मालूम हुआ कि इसमें दो सड़कों की चर्चा है लेकिन उत्तर में कहा है कि श्रमदान से नजूल की भूमि पर सड़क बनी है और शेष दो सड़कों के मुताल्लिक जांच करेंगे तो वे दो सड़कें कौन-सी हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

तीन सड़कों का इसमें जिक्र है । इनमें से एक तो नजूल की भूमि पर है और दो श्रम दान द्वारा बनी है । दो श्रमदान द्वारा बनी सड़कें जो सूची में दी गई हैं उनके संबंध में उनसे मालगुजारी ली जाती है उसके संबंध में जांच की जायगी । अगर ऐसी शिकायत होगी तो यह कायवाही की जायगी कि मालगुजारी न ली जाय ।

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन सड़कों का, जिनका उत्तर प्रश्न ४ में दिया है, मेन्टेन करने का कार्य सार्वजनिक विभाग करता है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी हां ।

बांदा तहसील में सड़क निर्माण योजना

*६—श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा) (अनुपस्थित)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिला के अन्तर्गत बांदा तहसील में तृतीय पंचवर्षीय योजना में किन-किन सड़कों के निर्माण करने की योजना बनी है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

बांदा तहसील में पिपरैंदा पैलानी, बांदा तिन्दवारी और बांदा हमीरपुर सड़कों के निर्माण कार्य को पूरा करने और पैलानी जसपुरा सुमेरपुर नई सड़क के निर्माण का प्राविधान तृतीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था।

*७—श्री बृजमोहनलाल गुप्त (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त निर्धारित योजनाओं में किन-किन सड़कों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इनमें से पिपरैन्दा पैलानी और बांदा तिन्दवारी सड़कों पर कार्य हो रहा है।

*८—श्री बृजमोहनलाल गुप्त (अनुपस्थित)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि शेष योजनाओं को कब शुरू करने की योजना है? उसमें क्या प्रगति चल रही है तथा कार्य शुरू न होने की क्या वजह है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

बांदा हमीरपुर सड़क का संरेखण बदलने के संबंध में कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिन पर विचार किया जा रहा है। इस सड़क के संरेखण के निश्चित होने पर सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया जायगा। पैलानी जसपुरा सुमेरपुर सड़क के निर्माण की अनुमानित लागत इसकी स्वीकृत लागत से बहुत अधिक हो गई है। अतः इस सड़क के निर्माण का कार्य तृतीय योजना से निकाल दिया गया है।

आजमगढ़ जिले में एस० डी० आई० की मुअत्तली

*९—श्री भीमाप्रसाद (जिला आजमगढ़)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के कितने एस० डी० आई० गत पांच वर्षों से किन-किन कारणों से मुअत्तल किये गये थे और कितने किस आधार पर पुनः रिइंस्टेट किये गये ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

केवल एक एस० डी० आई० को ही मुअत्तल किया गया। उनके विरुद्ध आरोप यह था कि वह अपनी पत्नी के नाम से बीमा की एजेन्सी लेकर स्वयं बीमा कार्य करते थे। इनको प्रशासनात्मक कार्यवाही के पश्चात् पुनः रिइन्स्टेट कर लिया गया, क्योंकि कार्यवाही में ऐसा पाया गया कि इन्हें केवल दो वेतन वृद्धियों से वंचित रखना ही उनके लिये पर्याप्त दण्ड होगा।

*१०—श्री भीमाप्रसाद—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष कितने एस० डी० आई० का स्थानान्तरण उक्त जिले से दूसरे जिले को हुआ और रद्द किया गया तथा क्यों रद्द किया गया ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इस वर्ष चार एस० डी० आईज० का स्थानान्तरण हुआ, जिसमें से केवल एक का स्थानान्तरण रद्द किया गया । इसका कारण यह था कि आजमगढ़ जिले के एक मुअत्तल एस० डी० आई० को रिइन्स्टेट करने के पश्चात् दूसरे जिले में उन्हें तैनात कर दिया गया जिससे उक्त जिले में एक स्थान रिक्त हो गया और उस स्थान की पूर्ति के लिये स्थानान्तरण आदेश रद्द करना आवश्यक हो गया ।

श्री भीमाप्रसाद—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिनका स्थानान्तरण रोका गया यह सज्जन कितने वर्षों से इस जिले में हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

केवल शत्रुघ्न मिश्र का रोका गया था जो १७-१-६४ से वहां पर थे ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या सरकार इस बात को स्पष्ट करेगी कि क्या उसकी यह नीति है कि सरकारी कर्मचारियों की पत्नी बीमे का कार्य न करें, यदि ऐसा है तो सरकार इस बात की जांच करेगी कि कितने कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी पत्नियां बीमे का कार्य करके पति के प्रभाव का अनुचित प्रयोग करती हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

यदि किसी माननीय सदस्य के नोटिस में कोई इस प्रकार का केस आये और वह बतलाने की कृपा करेंगे तो तुरन्त उस पर जांच करके कार्यवाही की जायगी ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन एस० डी० आई० को उनके अपने जिले में न रखकर गैर जिले में रखने की व्यवस्था करेंगे जिस तरह से कि ए० डी० ओ० पंचायत हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

ज्यादातर ऐसा है कि नहीं रखे जाते हैं लेकिन ऐसा कोई नियम भी नहीं है कि जिससे वह न रखे जा सकें ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन एस० डी० आई० के विरुद्ध जीवन बीमा की एजेन्सी का काम करने का आरोप लगाया गया है वह आरोप आजमगढ़, देवरिया और एक और जिले का था, वह आरोप क्या था और उसकी जांच किस अधिकारी ने की ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, यह चार जगह की शिकायत थी । देवरिया, बहराइच, पीलीभीत और आजमगढ़ में यह दोष लगाया गया था कि इस प्रकार का कार्य करते हैं । उस कर्मचारी की पत्नी ने यह चाहा था कि उनको यह कार्य करने की इजाजत मिल जाय लेकिन वह इजाजत फरवरी, १९६२ में नामन्जूर कर दी गई । इसके बाद जब उनकी इस प्रकार की हरकत बन्द नहीं हुई तो उनको ससपेन्ड करके यह कार्यवाही की गई ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि कितना कितना रुपया जीवन बीमा का था और इसकी इन्क्वायरी किसने की ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

इसकी इन्क्वायरी, श्रीमन्, उप-निदेशक, गोरखपुर ने की थी और रुपये के लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)---

क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जब एस० डी० आई० की बीबी जीवन बीमा का कार्य करती थी तो एस० डी० आई० को ट्रान्सफर क्यों किया गया ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

नार्मल स्कूल, सैदपुर में अधिगृहीत भूमि का मुआवजा

*११---श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार गाजीपुर जिले के सैदपुर तहसील में नार्मल ट्रेनिंग स्कूल के लिये जो भूमि ली गयी है उसके सम्बन्ध में एक तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी जिससे यह ज्ञात हो सके कि किन-किन लोगों की कितनी भूमि कितने रुपये मुआवजे पर ली गयी है और उसका मुआवजा किस तारीख को अदा किया गया तथा उनके पास कितनी भूमि जीविकोपार्जन के लिये बाकी है ?

श्री कैलाशप्रकाश---

वांछित तालिका संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९४४ पर)

बरेली जिले में शंखा नदी पर पुल की आवश्यकता

*१२---श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)---

यह देखते हुये कि बरेली में ढिरियां ठाकुरान व ग्राम गौतारा के बीच शंखा नदी पर पुल के निर्माण की अत्यन्त आवश्यकता है और जिला परिषद् ने उस स्थान पर पुल बनाने के लिये प्रस्ताव भी पास कर दिया है परन्तु धन न होने के कारण पुल नहीं बन सका ? क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इस पुल का निर्माण कराने की कृपा करेंगे जिससे ३०--४० ग्रामों के निवासियों को आवागमन की सुविधा मिल सके ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

जी नहीं । इस समय विभाग द्वारा इस पुल का निर्माण सम्भव नहीं है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि इस पुल के निर्माण न होने के कारण ३०, ४० ग्राम के निवासियों को अत्यन्त तकलीफ है क्योंकि कोई रास्ता आने जाने का ऐसा नहीं है जहां कोई पुल हो तो अगर इस समय नहीं करेंगे वह अगले वर्ष इसका निर्माण कराने की कृपा करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

मैं इस पर पूरी सहानुभूति के साथ विचार करूंगा ।

शिक्षा विभाग के अस्थायी डेपुटेशन पर तथा निलम्बित अधिकारी

*१३—श्री नवलकिशोर (जिला बरेली) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग में ऐसे कितने गजेटेड अफसर (नाम व पद सहित) हैं जिनको दिनांक १ दिसम्बर, १९६४ तक प्रदेश से बाहर डेपुटेशन या फारेन सर्विस पर लगातार कार्य करते हुये चार या उससे अधिक वर्ष पूरे हो गये हैं ?

*१४—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग में ऐसे कितने गजेटेड अफसर हैं जिनको अस्थायी तौर से दिनांक १ दिसम्बर, १९६४ तक कार्य करते हुये एक वर्ष से ऊपर हो गया है परन्तु नियमानुसार उनकी स्वीकृति लोक सेवा आयोग से अभी तक नहीं मांगी गई है ? यदि हां, तो वे कौन हैं (नाम व पद सहित) और कब से ?

*१५—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग में दिनांक १ दिसम्बर, १९६४ तक ऐसे कोई नान-गजेटेड कर्मचारी हैं जो ससपेंड कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो कौन (नाम व पद सहित) और कब से ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री उग्रसेन—

ये सारी सूचियां सचिवालय में मौजूद हैं फिर क्या कठिनाई है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

रामपुर में मदरसा आलिया के अध्यापकों का महंगाई भत्ता तथा राजकीय शिक्षा संस्थाएं

*१६—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला रामपुर भूतपूर्व स्टेट के बेसिक स्कूल और मदरसा आलिया के अध्यापकों को इस वक्त महंगाई भत्ता मिल रहा है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जी हां । महंगाई भत्ता मिल रहा है जिसकी तालिका संलग्न है ।

प्रश्न का अन्तिम भाग नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ९४५ पर)

*१७—श्री रियासत हुसैन—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वक्त राज्य में कितने गवर्नमेंट हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज और डिग्री कालेज सरकार चला रही है और डिग्री कालेज कहां-कहां है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

हाई स्कूल	६५
इन्टरमीडिएट कालेज	१०९
डिग्री कालेज	५

ज्ञानपुर, वाराणसी, नैनीताल, रामपुर, पिथौरागढ़ तथा श्रीनगर (गढ़वाल) ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब पूरा रामपुर स्टेट मर्ज हो गया है तो वहां पर दो तरह के स्कूल क्यों हैं ? जो मर्ज हो गये हैं उनमें भत्ता कुछ और मिलता है और जो नहीं किये गये हैं उनमें कुछ और भत्ता मिलता है तो ऐसा अभी तक रखने का क्या कारण है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, यह वास्तविकता है कि इनमें दो किस्में हैं । कुछ लोग ४९ के बाद मर्ज होने को तैयार हुये, कुछ नहीं, जो नहीं हुये थे उनके भी मर्जर की कार्यवाही अब पूरी हो चुकी है और अब उन सबको मिलने लगेगा ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन दो किस्म के स्कूल के मास्टरों की तनख्वाहों में भी अंतर है या वह एक ही है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जो मर्ज नहीं हुये उनकी तनख्वाहें दूसरी हैं, बाकी की दूसरी हैं ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि तीसरे प्लान में सरकार ने कितने हाई स्कूल खोले हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

मेरे पास पूरी लिस्ट है उसे सुना सकता हूं । इसके लिये तो अलग छांटना होगा ।

श्री रियासत हुसैन—

६५ हाई स्कूलों में कितने सरकार ने तीसरे प्लान में खोले हैं ?

श्री अध्यक्ष—

वह कहते हैं कि छांटें तो बतलायें ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या यह सही है कि जो सम्मिलित नहीं हुये उनका वेतन कम हो गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष—

वह तो कह रहे हैं कि जो सम्मिलित नहीं हुये उनका कम है ।

देवरिया में माध्यमिक शिक्षक संघ का अधिवेशन

*१८—श्री उग्रसेन—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि माध्यमिक शिक्षक संघ का वार्षिक अधिवेशन जो दिनांक २१-२२ दिसम्बर, को देवरिया में हुआ उसके द्वारा पारित प्रस्तावों की सूची उन्हें मिली है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जी नहीं । प्रश्न में उल्लिखित सूची नहीं प्राप्त हुई ।

*१९—श्री उग्रसेन—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई ?

*२०—क्या शिक्षा मंत्री उक्त प्रस्तावों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री उग्रसेन—

क्या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के जो प्रस्ताव पारित हुये वे शासन के पास आये हैं और उनकी ओर सरकार का ध्यान गया है ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जब उसकी जानकारी ही नहीं तो ध्यान क्या दिया जाय ।

श्री उग्रसेन—

उस शिक्षक संघ ने अपनी मांग रख कर परीक्षा का बहिष्कार करने का जो निश्चय किया है क्या उस ओर सरकार का ध्यान गया है ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

[५ मार्च, १९६५ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१–३—श्री रामसुन्दर पांडेय—

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*४—[हटा दिया गया ।]

डिग्री कालेज के अध्यापकों की मांगें

*५—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि डिग्री कालेजों के अध्यापकों को उनके प्रदर्शन की तिथि को दी गई मांग सूची के अनुसार अब तक कौन से कदम उठाये गये हैं और कौन-कौन सी बातें अभी सरकार के विचाराधीन हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

सूचना संलग्नक 'क' में दी है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९४६ पर)

श्री कल्पनाथसिंह—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जो दो अग्रिम वेतन वृद्धि देने की सुविधा मंत्री जी ने बतलायी है क्या वह दूसरे विश्वविद्यालय के लोगों को भी दी जायगी और खासकर गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबंधित कालेजों के लोगों को भी यह सुविधा दी जायगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

अभी तो ऐसा निश्चय नहीं हुआ ।

श्री कल्पनार्थसिंह—

जितनी सुविधायें डिग्री कालेजों के अध्यापकों को दी जा रही हैं इसमें अनुमानित व्यय सरकार का क्या पड़ेगा ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इसका निश्चय नहीं है ।

*६—श्री कल्पनार्थसिंह—

[हटा दिया गया ।]

घाघरा पर बड़हलगंज का पुल

*७—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बड़हलगंज-दोहरी घाट पर घाघरा नदी का जो पुल भारत सरकार की इमदाद से बनने वाला है उस पर कुल कितना रुपया व्यय करने का प्राक्कलन है और यह काम कब तक शुरू हो जायगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस पुल के निर्माण का १६५.०० लाख रुपये का आगणन भारत सरकार की स्वीकृति के लिये भेजा गया है । उनकी स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य आरम्भ किया जायगा ।

श्री कल्पनार्थसिंह—

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस पुल के निर्माण के लिये कितने बार प्राक्कलन बनाया गया और भारत सरकार को भेजा गया और वह प्राक्कलन कितने कितने रुपये का था ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

एक बार आगणन १,२६ लाख रुपये का भेजा गया था, दूसरा १,४५ लाख रुपये का भेजा गया है ।

श्री कल्पनार्थसिंह—

यह देखते हुए कि बड़हलगंज पुल का निर्माण तृतीय योजना में ही समाप्त होना था, अब चौथी योजना शुरू होने जा रही है, तो प्राक्कलन बनाने और स्वीकृति लेने में और एक-एक नुक्स रह जाने में जो देरी लगेगी इसकी तरफ मंत्री जी का ध्यान जा रहा है जिससे जल्दी से जल्दी इसको पूरा करा दिया जाय ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

१,६५ हजार लाख का आगणन १३ नवम्बर, १९६३ को भेजा गया था । कई बार लिखा भी गया और केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय से मैंने बात-चीत की, लेकिन वहां से स्वीकृति प्राप्त करने में हम सफल नहीं हो पाये हैं ।

श्री उग्रसेन—

इस बात को देखते हुये कि यह दोहरीघाट का पुल द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही स्वीकृत हो जाना चाहिये था, क्या मंत्री जी स्वयं जाकर इस समस्या को हल करेंगे, जबकि पटेल कमीशन ने भी इसकी संस्तुति भेजी है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

मैंने स्वयं भी जाकर कोशिश की है और हमने तो टेंडर्स भी मंगाकर रख लिये थे । अब भी हम कोशिश कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी काम शुरू कर दें ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

आम तौर से देखा जाता है कि आप के विभाग में सड़कें तो तैयार हो जाती हैं और पुल सड़कों के बाद तैयार होने के लिये दूसरे विभाग से उसका प्राक्कलन मांगते हैं और उसमें देरी होती है, तो इन कारणों पर आप सदन में कोई वक्तव्य देने के लिये तैयार हैं कि जब सड़क बने उसी समय पुल बन जाय ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

कोशिश यह होती है कि सड़क के साथ-साथ पुलों का भी आगणन तैयार हो और सड़क और पुल करीब-करीब एक ही साथ पूरे हो सकें, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं कि सड़क बननें में देरी हो जाय या पुल में देरी हो जाय, तो उस देरी को कम करने की कोशिश की जा सकती है कि समय कम हो ।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

१ करोड़ ६५ लाख रुपये में आपकी प्रदेशीय सरकार का भी हिस्सा होगा, तो जब तक आप केन्द्र की सरकार से बात-चीत कर रहे हैं तो क्या जितना रुपया स्टेट का है उसी से काम प्रारम्भ करने की कोशिश करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इसमें सभी केन्द्रीय सरकार का है । अगर ऐसी बात होती भी है जिसमें स्टेट का भाग हो तो पुल तो एक साथ बन सकता है । आधा हम बना दें, आधा बाद को बनता रहे, ऐसा संभव नहीं है ।

श्री उग्रसेन—

हाल में भारत सरकार से बात-चीत के दौरान में क्या उनके विभाग के अफसरान ने मांग की है कि बड़ा पुल तो बनता रहेगा, इस बीच में पीपे का ही पुल बन जाय ? क्या मंत्री जी की यही राय है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

मैं आज तक की बात कह सकता हूं कि हमारी यही कोशिश है कि यह पुल बन जाय ।

श्री कल्पनाथसिंह—

क्या मंत्री जी का ध्यान इस ओर गया है कि पुल के लिये जो सड़क बनाने का काम है उसके लिये जमीन ले ली गयी है और अलाइनमेंट जो पहले हुआ था वह बदलने की कोशिश की जा रही है और इसकी वहज से भी देर होने की संभावना है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

मैं समझ नहीं पाया कि उनका संकेत किस सड़क और किस पुल से है । अगर निश्चित बता दें तो मैं पता लगवा सकता हूं ।

श्री कल्पनाथसिंह—

जिस पुल के बारे में प्रश्न है कि गोरखपुर-इलाहाबाद मार्ग पर बड़हलगंज में जो पुल बनने वाला था, तो इसमें गोरखपुर से इलाहाबाद को सड़क जाती है उस पर पुल की तरफ नयी अप्रोच रोड बननी है पुरानी सड़क हटा कर । तो जो नयी जमीन लेनी पड़ेगी और जिसका अलाइनमेंट करा दिया था उसको बदल कर क्या कोई नयी जमीन लेने की कोशिश की जा रही है और इससे और भी देर हो जाने की संभावना हो सकती है, इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री मैनेजरसिंह—

दोहरीघाट पुल जिसके ऊपर पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास निर्भर करता है और पटेल आयोग ने भी प्राथमिकता दी है, उसको पूरा कराने में आप असमर्थ हैं तो आप कौनसा उपाय सोच रहे हैं कि केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित करें और उसे मजबूर करें कि वह जल्दी अपनी स्वीकृति भेजे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

हम उनसे निवेदन कर सकते हैं और उनके पास जितने काम हैं उससे देरी हो सकती हैं कि वह हमारे आगरण की स्वीकृति भेजें । इसमें समय लगना संभव है, फिर भी हमारी कोशिश बराबर जारी है ।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

इस बात को देखते हुये कि १२ वर्ष से इस पुल को बनाने के लिये प्रान्तीय सरकार ने प्राक्कलन भारत सरकार को भेजा है, लेकिन उनकी स्वीकृति नहीं आयी तो जब तक पुल का निर्माण न हो जाय उस वक्त तक एक पैंटून ब्रिज बनाने पर मंत्री जी विचार करेंगे ताकि नेशनल हाई वे पर यातायात हो सके ? क्या यह काम इस बरसात के पहले प्रारम्भ हो जायगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

उसका उत्तर तो दे चुका हूं कि पीपे के पुल के संबंध में भी प्रयत्न हो रहा था और काफी विस्तार से मैंने सूचना दे दी है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या मंत्री जी सदन को आश्वस्त करेंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम चरण और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रथम चरण में इस पुल का निर्माण प्रारम्भ हो जायगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

मुझे आशा तो जरूर है ।

*८—श्री कमलासिंह यादव—

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*९—श्री कमलासिंह यादव—

[सातवें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या १० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*१०-११—[हटा दिये गये ।]

*१२-१३—श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी)—

[६ठे शुक्रवार के लिय स्थगित किये गये ।]

रामपुर में पी० डब्ल्यू० डी० इन्स्पेक्शन हाउस तथा रंगमहल]

*१४—श्री रियासत हुसैन—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रामपुर का पी० डब्ल्यू० डी० इन्स्पेक्शन हाउस, राजमहल से हटाकर बंगला नं० ४ (वर्तमान निरीक्षण भवन) में क्यों बदला गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

रियासत रामपुर के उत्तर प्रदेश राज्य में सम्मिलित होने के पहले बंगला नं० ४ सर्किट हाउस था। रियासत के विलयन के समय रंग महल सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंप दिया गया। उस समय रंग महल को सार्वजनिक निर्माण विभाग का निरीक्षण भवन बनाया गया तथा बंगला नं० ४ का उपयोग आवासिक भवन के रूप में किया गया। सन् १९५३ में जब रामपुर राज्य के भवनों का सरकारी विभागों को वितरण किया गया तब रंग महल शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया। यह हस्तान्तरण इस शर्त पर किया गया था कि पुराना सर्किट हाउस सार्वजनिक निर्माण विभाग को निरीक्षण भवन बनाने के लिए मिल जाय। अतः जब पुराना सर्किट हाउस सार्वजनिक निर्माण विभाग को मिल गया तब उसे निरीक्षण भवन बना दिया गया।

*१५—श्री रियासत हुसैन—

पी० डब्ल्यू० डी० इन्स्पेक्शन हाउस को बंगला नं० ४ में लाने और इस पुरानी बिल्डिग को आधुनिक बनाने में कितनी धनराशि और किन-किन मदों में खर्च की गयी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

सूचना निम्न प्रकार है:—

		रुपये
(१)	गुसलखाने को ठीक करने में ..	२,१४३
(२)	बिल्डिग में परिवर्तन	११,३०५
(३)	पुरानी बिजली के तारों इत्यादि का नवीनीकरण	३६२
	.. योग	१३,८१०

*१६—श्री रियासत हुसैन—

राजमहल निरीक्षण भवन की जो सरकारी बिल्डिग है और जिसमें २५ वर्ग फुट के चार सूट, आधुनिक गुसलघर व फ्लश टट्टी कायम थे निरीक्षण भवन को हटाने के बाद इतनी बड़ी सरकारी बिल्डिग का इस समय क्या उपयोग हो रहा है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

रंग महल के तीन सूट शिक्षा विभाग उपयोग कर रहा है तथा १ सूट बीच के हाल को सार्वजनिक निर्माण विभाग उपयोग कर रहा है।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस महल का अब भी एक हिस्सा आप के कब्जे में है और क्या आप शिक्षा विभाग को कुछ उसका किराया देते हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस की कोई जानकारी मुझे इस समय नहीं है।

श्री मैनेजरसिंह—

क्या सरकार इस रंगमहल का नाम बदलने की कृपा करेगी ?

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया।)

*१७—श्री रामसुन्दर पांडेय—

[१०वें शुक्रवार के लिए प्रश्न संख्या १ के अन्तर्गत निर्धारित किया गया।]

सहायक तथा अधिशासी अभियन्ताओं की पदोन्नति

*१८—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि सहायक अभियन्ता व अधिशासी अभियन्ताओं की पदोन्नति व स्थायीकरण किस-किस आधार पर किया जाता है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ९४७ पर)

*१९—श्री रामचन्द्र विकल—

[हटा दिया गया।]

*२०—श्री रामचन्द्र विकल—

[६ठे शुक्रवार के लिए स्थगित किया गया।]

बोर्ड आफ रेवेन्यू का एकाउण्ट्स आर्गेनाइजेशन

*२१—श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

विधान सभा के द्वितीय सत्र, १९६४ के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित श्री रक्षपाल सिंह एवं श्री हरिनाथ तिवारी द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २७ के उत्तर-क्रम में क्या राजस्व मन्त्री इस बात को ध्यान में रखते हुये कि विभाग के १/३ आदमियों की इतने अधिक वर्षों से वेतन की बढ़ोत्तरी रुकी हुई है तथा अन्य विभागों के इसी प्रकार के कार्य पर लगे उस समान योग्यता के कर्मचारियों का वेतन-क्रम इससे कहीं अधिक है, तो क्या राजस्व मन्त्री लेखा अधिष्ठान के कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माल मन्त्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

राजस्व परिषद् के लेखा संगठन के लिपिकीय कर्मचारिवर्ग के वेतन क्रमों के पुनरीक्षण-सम्बन्धी मामला वेतन अभिनवीकरण समिति के विचारार्थ भेज दिया गया है। शासन द्वारा अन्तिम निर्णय समिति की रिपोर्ट मिलने पर लिया जायगा।

श्री रक्षपालसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो २३७ और नान-गजेटेड कर्मचारी हैं उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही सरकार कर रही है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

सभी कर्मचारियों का केस समिति के सुपुर्द कर दिया गया है।

श्री रक्षपालसिंह—

क्या यह सही है कि इनमें से आधे कर्मचारी ऐसे हैं जिन को १०—१२ साल से कोई वेतन-वृद्धि नहीं मिली है ? क्या सरकार जो वेतन-वृद्धि दूसरे कर्मचारियों को मिली है वह इनको भी दिलवायेगी ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

वह समिति विचार कर रही है, विचार के बाद ही कुछ कार्यवाही करना सम्भव होगा।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जो वेतन-वृद्धि अन्य कर्मचारियों को दी जाती है वह इनको क्यों नहीं दी गयी ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

उसका कारण आर्थिक संकट है। यह मामला समिति के सुपुर्द कर दिया गया है।

*२२–२३—श्री रामसुन्दर पांडेय—

[१०वें शुक्रवार के लिए प्रश्न संख्या २–३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

बेलसर-बेगमगंज सड़क

*२४—श्री शीतलप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिला में बेलसर-उमरी-बेगमगंज सड़क तथा ढकिया नाला पर पुल की महत्ता को देखते हुये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में उसे निर्माण करवाने का उसका विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अग्रिम कार्यवाही के लिए जो सड़कों तथा पुलों की सूची बनायी गयी है उसमें यह सड़क सम्मिलित है।

श्री शीतलप्रसाद—

क्या सरकार इस सड़क की महत्ता को देखते हुये इस बात का प्रयास करेगी कि यह सड़क सन् १९६६ तक अवश्य प्रारम्भ हो जाय ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जिस सड़क का जिक्र माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में किया है उसकी महत्ता को देखते हुये ही उस को सूची में अग्रिम कार्यवाही हेतु रखा गया है।

श्री शीतलप्रसाद—

क्या उसका सर्वे वगैरह भी हुआ है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जब अग्रिम कार्यवाही के हेतु उसे रखा है तो सर्वे, लैन्ड एक्वीजीशन, सभी चीजें होंगी।

श्री शीतलप्रसाद—

पहले ढकिया नाले पर पुल बना हुआ था और जमींदारी उन्मूलन के बाद वह ढह गया। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जो चीज पहले की बनी हुई है उसको वह मेन्टीनेन्स करे। फिर भी कहीं ऐसा न हो कि इस प्लान में भी यह काम छूट जाय, मैं यह आश्वासन चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी क्या इसे इसी प्लान में प्राथमिकता देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आप ने पूछा था कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में निर्माण करवाने का विचार है या नहीं। उन्होंने कह दिया कि विचार है। अब आप चाहते हैं कि उस को प्राथमिकता दी जाय।

श्री जगनप्रसाद रावत—

यह तो मैं नहीं कह सकता कि प्राथमिकता दी जायगी।

*२५—श्री हरीशकुमार गंगवार—

[६ठे शुक्रवार के लिए स्थगित किया गया।]

*२६—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

[६ठे शुक्रवार के लिए स्थगित किया गया।]

*२७—श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

[४थे गुरुवार के लिए प्रश्न संख्या ६६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

ऐंग्लो-इंडियन स्कूलों में लड़कियों की ट्यूशन फीस

*२८—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या राज्य सरकार ने यह निश्चय किया है कि हाई स्कूल तक लड़कियों की शिक्षा निःशुल्क कर दी जाय? यदि हां, तो सम्बन्धित आदेश कब तक लागू होंगे? क्या इंग्लिश पैटर्न पर जो स्कूल चलते हैं, उनमें भी लड़कियों को यह सुविधायें मिलेंगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जी हां। प्रदेश के समस्त मान्यता प्राप्त विद्यालयों में दसवीं कक्षा तक बालिकाओं की शिक्षा निःशुल्क हो गयी है। यह आदेश १ जनवरी, १९६५ से लागू हो गया है। किन्तु शासन को यह सूचना प्राप्त हुई है कि ऐंग्लो-इन्डियन स्कूलों में कहीं-कहीं यह लागू नहीं हुआ है। उन पर लागू करने का प्रश्न विचाराधीन है।

*२९—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार लड़कों की भी हाई स्कूल तक शिक्षा निःशुल्क करने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या इंगलिश पैटर्न पर जो स्कूल चलते हैं उन में क्लास ६ तक की जो फीस माफी की सुविधा है, वह नहीं मिलती, उसे सरकार दिलाने की कृपा करेगी?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

कक्षा ६ के बाद बालकों की शिक्षा निःशुल्क करने का कोई प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है। इसका कारण धनाभाव है। कक्षा ६ तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था सितम्बर, १९५७ से हुई है। परन्तु यह व्यवस्था उन विद्यालयों पर लागू नहीं है जो विशेष प्रकार के विद्यालय हैं और जहां ३ रु० की स्वीकृत फीस दर से अधिक फीस लेना मान्य है। ऐसे विशेष प्रकार के विद्यालयों की कक्षा ६ में निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसा उन्होंने बताया है कि ऐंग्लो-इन्डियन स्कूलों में अभी ऐसे भी कुछ स्कूल्स हैं, जहां पर फीस ली जाती है, और इस की शिकायतें मिली हैं, तथा यह सरकार के विचाराधीन है, तो क्या इन स्कूलों को भी शासन से आदेश दिये गये हैं, जिन का कि पालन नहीं हो रहा है या अभी तक कोई आदेश नहीं दिये गये, और वह विचाराधीन है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, इन्टरप्रिटेशन का प्रश्न था, और तय यह हुआ था कि ४.५० पैसे तक की ट्यूशन फीस माफी सब जगह लेना मान्य है, उस से अधिक फीस नहीं ले सकते। जो अधिक ले रहे हैं, उन को केवल ४.५० पैसे की छूट दी जाय अथवा पूरे की छूट दी जाय, यह मामला विचाराधीन है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

इंगलिश पैटर्न पर जो बच्चों के स्कूल चलते हैं, उस में समाज के सुविधा प्राप्त व्यक्ति ही अपने बच्चों को भेजते हैं, उन स्कूलों को कई बार तोड़ने की भी मांग की गयी, तो इस स्थिति को देखते हुये क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि जो स्कूल इंगलिश पैटर्न पर चल रहे हैं, उन को किसी प्रकार की छूट या इमदाद सरकारी खजाने से न दी जाय ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

श्रीमन्, किसी प्रकार की सहायता न दी जाय, यह कैसे हो सकता है ? समाज में उनकी भी आवश्यकता है, लोग चाहते हैं, तभी तो वह चल रहे हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

वह समाज के अछूत स्कूल हैं, जिसमें कि एक सैकड़ा से कम के बच्चे पढ़ते हैं।

श्री झारखण्डेराय—

क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की सूचना है कि खुद इसी लखनऊ नगर में कुछ ऐसी संस्थायें हैं, जहां अभी तक फीस ली जा रही है, जैसे बालिका विद्यालय, यहीं विधान भवन के करीब ही में है, जहां पर कि बहुत से विधायकों की बच्चियां पढ़ती हैं ? तो क्या सरकार जल्दी से विचार करके यह फैसला करेगी, ताकि इसके आदेश और उसके पालन में इतना अन्तर न रहे ?

श्री कैलाशप्रकाश—

श्रीमन्, मैं तो यह इस सदन में पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि यदि कोई ऐसी संस्थाएं या विद्यालय हैं, और माननीय सदस्य उसको लिखकर देंगे तो उस विद्यालय से पता लगा लिया जायगा। बात बिलकुल स्पष्ट है कि पहली जनवरी से शिक्षा बिलकुल निःशुल्क हुई है और किसी विद्यालय में अगर घोषणा के पश्चात्, क्योंकि घोषणा कुछ देर में हुई थी, जनवरी में फीस ले भी ली गई तो उस फीस को उन्हें वापिस करना होगा, और अब तो सभी जगह आदेश पहुंच चुके हैं, अब फीस लेने का कोई कारण नहीं है, यदि कोई विद्यालय ले रहा है और उसकी सूचना माननीय सदस्य देंगे, तो हम उसकी जांच करा लेंगे।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या शिक्षा मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि लड़कियों की फीस माफी के आदेश जारी होने के बाद कितनी लड़कियां इससे फायदा उठायेंगी, और सरकार पर कितने रुपये का बोझ पड़ेगा ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, ११ लाख का तो इन्हीं ३ महीनों के लिये है और बाकी ७५ लाख रुपये के लगभग प्राविधान आगे के लिये किया गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या शिक्षा मंत्री जी प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट की तरफ अपना ध्यान देने की कृपा करेंगे, जिसमें कहा गया है कि हायर सेकेन्डरी स्कूल तक की शिक्षा निःशुल्क करने के लिये आप हरिजन, पिछड़ी जाति और राजनैतिक पीड़ित तथा स्वर्णकार वगैरह को, जो विभिन्न प्रकार की सहायता छूट देते हैं, उसको ध्यान में रखते हुये अगर आप इसके ऊपर सोचें कि शिक्षा बिलकुल निःशुल्क कर दी जाय, तो कम पैसे में ही शिक्षा निःशुल्क की जा सकती है, इस ओर आपका ध्यान गया है, या नहीं ? यदि गया है, तो उसके ऊपर तखमीना क्यों नहीं लगाते हैं, जिससे कि हाई स्कूल तक शिक्षा निःशुल्क दी जा सके ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

श्रीमन्, जब फीस से पैसा आता ही है, और वह मैनेजर्स रिटर्न में रहता है, तो बिना पैसे खर्च किये हुये निःशुल्क शिक्षा कैसे हो सकती है, मेरी तो समझ में आता नहीं ।

श्री होरीलाल यादव---

क्या माननीय मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि जो बच्चियों की फीस माफ की गई है, वह ४.५० रुपये माफ की गई है, या पूरा शिक्षा शुल्क माफ किया गया है ?

श्री कैलाशप्रकाश---

ट्यूशन फीस जितनी है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

क्या माननीय मंत्रीजी को जानकारी है कि उनके इस आदेश से केवल शहर के रहने वालों को ही यह सुविधा प्राप्त होगी, क्योंकि गांवों में लड़कियों के स्कूल बहुत कम हैं, और शहर वाले फीस दे सकते हैं, और इधर सरकार पर दूसरी तरफ बोझ पड़ गया, जिससे कि नये कर लगाने की आवश्यकता होगी, तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुये क्या इस प्रश्न पर फिर से विचार किया जायगा कि लड़कियों की फीस माफ न करके, जो गरीब लोग हैं, उनके बच्चों की फीस माफ की जाय ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री हरीशकुमार गंगवार---

माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि धनाभाव के कारण हाई स्कूल तक लड़कों का शिक्षा शुल्क माफ नहीं कर सकते, तो क्या जिस प्रकार से एक एक दर्जा करके पहले फीस माफ करने की योजना थी, जिसके मुताबिक छठें की फीस माफ कर दी, केवल सातवें दर्जे की फीस अगले सत्र में माफ करने की कृपा करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश---

जी नहीं, सम्भव नहीं होगा ।

श्री मैनेजरसिंह---

माननीय मंत्री जी ने लड़कियों की शिक्षा की बढ़ोत्तरी के लिये निःशुल्क शिक्षा की घोषणा की और वह लागू हुई, सरकार की ओर से रुपया भी दे दिया गया । तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि जो अभिभावक गरीब हैं, जिनको प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने कदम उठाया, उनकी दशा को ध्यान में रखते हुये जो विशेष प्रकार के विद्यालय हैं, जहां ४ और साढ़े ४ से अधिक शुल्क लिया जाता है, जहां धनी अभिभावकों के बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे स्कूलों में शुल्क-मुक्ति न देने पर सरकार अडिग रहेगी ।

श्री कैलाश प्रकाश—

यह बात देखी जा सकती है।

*३०-३१—श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)—

[६ठवें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

मेंहदावल-बसुआं सड़क

*३२—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री जांच करा कर एक रपट सदन की मेज पर रखेंगे कि गोरखपुर तथा बस्ती जिले से मिलाने वाली सड़क जो सरहद तक जाती है, जिसका नाम धानी बाजार-कूड़ीबिसुआं-मेंहदावल सड़क है, उसका कुल कितने का प्राक्कलन होगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस समय इस सड़क का सर्वेक्षण कराने तथा प्राक्कलन तैयार कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है। किन्तु अनुमान यह है कि इसके निर्माण में लगभग ४८ लाख रुपये लगेंगे।

*३३—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि बस्ती जिले में मेंहदावल से बिसुआं तक जब सड़क तैयार हो रही है, तो उसे धानी बाजार तक मिलाने में क्यों देर है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

विभाग की जानकारी में मेहदावल से बसुआं तक सड़क निर्माण की कोई योजना इस समय नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मेंहदावल-बिसुआं सड़क जो माननीया सुचेताजी की कांस्टीट्एंसी में पड़ती है उसका निर्माण-कार्य पूरा होने को है, तो माननीय मंत्री जी ने किस अधिकारी से जांच कराई है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

यह विभाग की सूचना है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या मंत्रीजी उस सड़क को जिस पर निर्माण कार्य हो रहा है उसे धानी तक मिलाने के लिये, जिसको जिला परिषद् ने भी लिखा है, प्राथमिकता देने पर विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस समय मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता हूं।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

तीसरी योजना के अन्तिम चरण की सड़कों में क्या विशेष रूप से मंत्रियों के क्षेत्रों की सड़कें बन रहीं हैं ?

श्री अध्यक्ष—

जैसा कल मैंने संकेत किया था, हर प्रश्न को सार्वजनिक हित की दृष्टि से देखा जाय। अगर आप समझते हैं कि मंत्रियों के क्षेत्रों में अनुचित है तो आप उसका अनौचित्य जाहिर करें। सही बात यह देखना है कि वह काम ठीक हुआ है या गलत।

बरेली तहसील में दरियाबुर्द इलाके का बन्दोबस्त

*३४—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली में दरियाबुर्दी का पंचसाला बन्दोबस्त किन-किन ग्रामों का हो गया और किन ग्रामों का नहीं ? यदि अब तक दो वर्ष बीत जाने पर भी नहीं हो पाया, तो क्यों ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

रोस्टर के अनुसार वित्तीय वर्ष १९६३-६४ में ६६ गांवों का पंचसाला बन्दोबस्त प्रस्तावित था। राष्ट्रीय संकट उत्पन्न होने के कारण व्यय में कटौती करनी पड़ी और यह काम पूरा नहीं हो सका। इन गांवों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ९४८-९४९ पर)

श्री हरीशकुमार गंगवार—

इसमें केवल नवाबगंज, आंवला और बहेड़ी के नाम दिये हैं। तो बरेली तहसील के कितने गांवों में पंचसाला बन्दोबस्त नहीं हुआ है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

बरेली जिले में १५१ गांव हैं और उनका पूरा ब्योरा इस सूची में दे दिया गया है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मेरे पास ६० गांवों की सूची है, १५१ की नहीं दी।

श्री रामकुमार शास्त्री—

६ में पूरा हो गया। वे और ये ६० सब १५१ में शामिल हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या उन १५१ गांवों की लिस्ट देने की कृपा करेंगे ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

अवश्य दिला दी जायगी।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

बरेली में धनेटी, सूदनपुर, बिचरा, बालकिशनपुर, हरबतपुर और रौतापुर के लिये आपने कुछ रुपया मंजूर किया था लेकिन वहां काम नहीं हो पा रहा है। क्या उसे जल्दी कराने का बन्दोबस्त करने की कृपा करेंगे ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

हो सब गांव जावेंगे। डेट हम नहीं दे सकते हैं।

श्री रामकुमार शास्त्री—

१९६५-६६ तक यह समाप्त हो जायगा।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

दरियाबुर्दी के ६ गांव बहेड़ी तहसील में हैं, तो क्या वहां पहले इसलिये ध्यान दिया गया है कि वहां से एक विशेष मेम्बर जो मंत्री भी हैं वह चुनकर आते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

हमारा ध्यान सब पर बराबर रहता है।

*३५—श्री हरीशकुमार गंगवार—

[८वें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या २ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

शिक्षा विभाग से छात्रों के लिए स्वीकृत धन

*३६—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि उन्होंने शिक्षा विभाग के आदेश संख्या एस–४४९२/१५–ई, दिनांक ८ नवम्बर, १९६४ के द्वारा जिन-जिन विद्यार्थियों को जो-जो धनराशि स्वीकृत की थी वह उन्हें अभी तक नहीं मिली है? यदि हां, तो इस विलम्ब का क्या कारण है? और वे आगे इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं जिससे सम्बन्धित विद्यार्थियों को स्वीकृत धन शीघ्रातिशीघ्र मिल सके?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ९५० पर)

*३७–३८—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

[हटा दिये गये।]

सरकारी कर्मचारियों के बच्चों की फीस

*३९—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार अपने कर्मचारियों को वर्तमान भीषण महंगाई में सुविधा देने के लिए उनके बच्चों की फीस माफ करने पर विचार कर रही है?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी नहीं।

*४०–४१—श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

[६ठे शुक्रवार के लिए स्थगित किये गये।]

*४२—श्री ऊदल—

[६ठे शुक्रवार के लिए स्थगित किया गया।]

*४३—श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)—

[४थे सोमवार के लिए प्रश्न संख्या ७० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

मंझनपुर तहसील में अजाम भूमि

*४४—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद की तहसील मंझनपुर में कितनी भूमि रबी फसल में १३७१ फसली रबी अजाम बन कर पड़ी रह गई थी?

श्री रामकुमार शास्त्री—

कुछ नहीं।

*४५—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या राजस्व मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त भूमि के स्वामियों को सरकार द्वारा क्या सुविधायें दी गयीं ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री नाथूराम शिक्षक—

अगर कोई लिखित शिकायत दे कि फलां नम्बर के खेत में गल्ला पैदा नहीं हुआ, बिना पानी के पड़ा रह गया, तो क्या उस पर विचार करेंगे ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

हम जरूर जांच करवायेंगे।

अतारांकित प्रश्न

१—श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

[हटा दिया गया।]

आजमगढ़ जिले में लगान में छूट देने पर विचार

२—श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ के जिलाधीश ने गत खरीफ की फसल में क्षति होने के कारण लगान में छूट के लिए सिफारिश की है ? यदि हां, तो कितनी छूट की सिफारिश की है और यह छूट किसानों को कब तक प्राप्त हो जायेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां, ३,५८,३६७ रु० ५७ पैसे की मालगुजारी की छूट का प्रस्ताव जिलाधीश से प्राप्त हुआ है। इस मालगुजारी की वसूली, छूट स्वीकृत होने तक के लिए, स्थगित कर दी गई है। राजस्व परिषद् की संस्तुति प्राप्त हो जाने पर छूट की स्वीकृति शासन द्वारा दी जावेगी।

३—श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या राजस्व मन्त्री आजमगढ़ जिले के किसानों की दयनीय खाद्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए छोटे किसानों की लगान-तकावी माफ करने और इस समय वसूली स्थगित करने का आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इस समय ऐसी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

४—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

[हटा दिया गया।]

सिकन्दराराव तहसील में वर्षा पीड़ितों को सहायता

५—श्री नेकराम शर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिकन्दराराव, जिला अलीगढ़, क्षेत्र के ब्लाक हसायन और सिकन्दराराव में इस वर्ष अतिवृष्टि के कारण कितने गांव क्षतिग्रस्त हुये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इन ब्लाकों के कुल ९५ ग्राम १९६४ में अतिवृष्टि से प्रभावित हुये थे ।

६—श्री नेकराम शर्मा—

क्या सरकार प्रत्येक गांव की एक सूची विवरण सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

यह सूची कार्यालय में देखी जा सकती है ।

७—श्री नेकराम शर्मा—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इस क्षति के कारण प्रदेश में सरकार ने क्या-क्या सहायता उन क्षतिग्रस्त गांवों को प्रदान की है ? कितना धन तकावी के रूप में तथा कितना धन प्रेचुइटी के रूप में बांटा जा चुका है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इन ग्रामों में सहायता के लिये ३,५१० रु० अहेतुक सहायता, ३,२१० रु० गृह-निर्माण सहायता दी गई तथा ३५,६८० रु० चारे हेतु और २३,३२० रु० बीज हेतु तकावी ऋण के रूप में वितरित किया गया। इसके अतिरिक्त १,१३,३६९.५५ रु० की मालगुजारी की वसूली स्थगित की गई ।

विविध विषय

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

आज अजेंडे में नियम ५३ की टिप्पणी नहीं छपी है ?

श्री अध्यक्ष—

सचिव का कहना है कि शायद वह कभी नहीं छपती है । अगर गलती है तो उसका परिष्कार होगा ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि बरेली जिला परिषद् ने सितम्बर से मास्टरों की तनख्वाह नहीं दी है । मैंने इस सम्बन्ध में प्रश्न भी किया था जिसको सरकार बराबर टालती जा रही है। आज भी वह २५वें नम्बर पर था। आप कृपया माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिला दें।

श्री अध्यक्ष—

मैं, आपका और आदरणीय सदन के सदस्यों का, आभारी हूंगा यदि वे अनियमित कार्यवाहियों के लिये मेरे कार्यालय में मुझसे बातचीत कर लें, ताकि मैं उस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही कर सकूं और सरकार को मजबूर कर सकूं कि भविष्य में ऐसी अनियमित कार्यवाही न हो । आप कृपा करके मेरे कमरे में आ जायं ।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानिपूर्ति की वसूली) (संशोधन) विधेयक, १९६५

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह सूचना देता हूं कि—

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानिपूर्ति की वसूली) (संशोधन) विधेयक, १९६५, जो विधान सभा द्वारा १७ फरवरी, १९६५ को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से, बिना किसी संशोधन के, ४ मार्च, १९६५ को वापस प्राप्त हो गया है ।

उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान विधेयक, १९६५

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सदन को यह सूचना देता हूं कि—

उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान विधेयक, १९६५ जो विधान सभा द्वारा १८ फरवरी, १९६५ को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से, बिना किसी संशोधन के ४ मार्च, १९६५ को वापस प्राप्त हो गया है ।

उत्तर प्रदेश रोड साइड लैंड कन्ट्रोल (संशोधन) विधेयक, १९६५

सचिव, विधान सभा —

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सदन को यह सूचना देता हूं कि—

उत्तर प्रदेश रोड साइड लैन्ड कन्ट्रोल (संशोधन) विधेयक, १९६५, जो विधान सभा द्वारा १५ फरवरी, १९६५, को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से, बिना किसी संशोधन के, ४ मार्च, १९६५ को वापस प्राप्त हो गया है ।

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६५

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं सदन को यह सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६५, जो विधान सभा द्वारा १९ फरवरी, १९६५ को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से, बिना किसी सिफारिश के, ४ मार्च, १९६५ को वापस प्राप्त हो गया है।

आश्वासन समिति का पच्चीसवां प्रतिवेदन*

श्री कृष्णपालसिंह (जिला रायबरेली)—

श्रीमन्, मैं आश्वासन समिति के सभापति की हैसियत से समिति का २५वां प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं । इस प्रतिवेदन की प्रतियां छप कर आ गयी हैं, वे आपको वितरित कर दी जायंगी ।

इस प्रतिवेदन में कुल ३३९ आश्वासनों का समावेश है जो सदन में समय समय पर सन् १९६३ में दिये गये थे । इन ३३९ आश्वासनों में वह १४४ आश्वासन भी सम्मिलित हैं जिनकी पूर्ति समिति के २१वें प्रतिवेदन को प्रस्तुत करते समय तक नहीं हुई थी ।

---

*छापा नहीं गया ।

उपरोक्त आश्वासनों पर विचार करते समय समिति ने अवलोकित किया कि आश्वासन की पूर्ति की दिशा में हुई प्रगति के सम्बन्ध में विभागों ने समिति को समय समय पर प्रतिवेदन भेजने की ओर ध्यान नहीं दिया है। कुछ आश्वासनों के बारे में समिति के समक्ष १–१ वर्ष तक कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की गयी, इसके अतिरिक्त २५ आश्वासनों के सम्बन्ध में समिति को संबंधित विभागों से सन् १९६३ से अब तक कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

समिति को यह भी आभास हुआ कि समिति अपने प्रतिवेदनों में विभागों के कार्य के सम्बन्ध में जो टीका टिप्पणी करती है उस पर विभागीय अधिकारी यथोचित ध्यान नहीं देते, क्योंकि जिन कमियों की ओर प्रतिवेदनों में ध्यान आकृष्ट किया जाता है, वह कमियां अन्य आश्वासनों के सम्बन्ध में ज्यों की त्यों बनी रहती हैं।

समिति ने यह भी देखा कि शासनादेश के प्रसारित हो जाने पर भी कुछ विभाग समिति को उन कारणों से अवगत नहीं कराते जिनके फलस्वरूप आश्वासन निर्धारित समय के भीतर पूरे नहीं हो सके। इस प्रकार उक्त आदेशों का यथोचित रूप से पालन नहीं हो रहा है। समिति यह सिफारिश करती है कि शासन विभिन्न विभागों को सजग रखने के लिये पुनः निर्देश करे।

अन्त में मैं समिति से सम्बन्धित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके सहयोग, सहायता तथा कठिन परिश्रम के लिये धन्यवाद देता हूं।

बस्ती, गोरखपुर तथा देवरिया जिले की सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों पर गल्ला देना बन्द किए जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब श्री उग्रसेन, श्री चन्द्रबली सिंह, श्री कृष्णा और श्री बांकेलाल जी, इन चार सदस्यों का एक कामरोको प्रस्ताव आया है। उसको मैंने नियम ५२ में स्वीकार किया है।

वह इस प्रकार है—

"प्रदेशीय सरकार ने अपने एक विशेष आदेश से गत १ मार्च, १९६५ से बस्ती, गोरखपुर तथा देवरिया जिले की ७०० से अधिक सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों को गल्ला देना बन्द कर दिया है। उनके गल्ले के भंडार खाली हो गये हैं। सरकार ने समय के अन्दर गल्ले की व्यवस्था नहीं की। इसका प्रभाव लाखों लोगों पर पड़ा है और व्यापक भुखमरी की स्थिति पैदा हो गयी है। आगामी फसल भी अभी तैयार नहीं है।" खैर, यह तो अलग चीज है लेकिन विशेष रूप से अभी जो मैंने पढ़ कर सुनाया, इसके ऊपर माननीय खाद्य मंत्री कब वक्तव्य देंगे ?

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसी दास)—

सोमवार को वक्तव्य दे देंगे।

सरोजनी नायडू अस्पताल, आगरा के डाक्टरों द्वारा हड़ताल किये जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब केवल वक्तव्य के लिये मैंने माननीय बालो जी अग्रवाल का स्वीकार किया है। वह इस प्रकार से है—

"आगरा सरोजिनी नायडू अस्पताल के सभी हाउस सर्जन डाक्टरों ने गत २ मार्च से अनिश्चित काल के लिये हड़ताल कर दी है। हड़ताल के कारण इनडोर मरीजों को बेहद परेशानी हो गयी

[श्री अध्यक्ष]

है क्योंकि उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है और उनका जीवन खतरे में पड़ रहा है।"

तो इस सम्बन्ध में माननीय स्वास्थ्य मंत्री कब वक्तव्य देंगे ?

चिकित्सा मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—

श्रीमन्, इस पर सोमवार को वक्तव्य दे दूंगा।

न्यू विक्टोरिया मिल, कानपुर, के मजदूरों पर पुलिस द्वारा किये गये लाठी चार्ज के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

श्रीमन्, गत १ मार्च, सन् १९६५ को न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर, में हुए झगड़े के सम्बन्ध में मैं वक्तव्य दे रहा हूं।

१—१ मार्च, सन् १९६५ को न्यू विक्टोरिया मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर, में दिन के लगभग साढ़े दस बजे मार पीट हुई, जिसके फलस्वरूप मिल के श्रमिक सर्वश्री रामचन्द्र, राम रतन, चतुरी, मोहम्मद अब्बास एवं स्वयंबर घायल हुये। ११ बजे दिन से कारखाने में हड़ताल हो गई और पूर्ण अशांति का वातावरण पैदा हो गया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई।

२—श्रमिकों की ओर से कहा जाता है कि कारखाने के प्रबंधक आटो शेड में मध्यान्तर के समय भी श्रमिकों से फैक्टरीज ऐक्ट के प्राविधान के प्रतिकूल जबरदस्ती काम लेना चाहते थे। श्रमिक इसके लिये तैयार न थे। श्री सरीन ने, जो कारखाने के असिस्टेन्ट फैक्टरी मैनेजर हैं, श्री रामचन्द्र नामक श्रमिक को वीविंग सुपरिन्टेन्डेन्ट के कमरे में १० बज कर २० मिनट पर बुलाया और उसे मध्यान्तर के समय भी काम करने के लिये दबाव डाला। रामचन्द्र के इंकार करने पर उसके साथ बुरी तरह पेश आये और नौकरी से निकाल देने की धमकी दी तथा एक लोहे की छड़ से आक्रमण किया। उनके साथ प्रबंधक वर्ग के ३ स्वामिभक्त श्रमिक, सर्वश्री आनन्द कुमार, प्रीतम सिंह और दुर्गा प्रसाद, ने भी रामचन्द्र पर हमला किया और उसे घायल कर दिया। रामचन्द्र उस कमरे से निकल कर बाहर आया। उसके खून बह रहा था। उस वक्त तक मध्यान्तर, जो १० बज कर ३० मिनट पर होता है, हो गया था और श्रमिक अपने कमरों से निकल आये थे। श्रमिक रामचन्द्र के खून निकलता देख कर उत्तेजित हुये जिससे अशांति का वातावरण पैदा हो गया जिसमें चार अन्य श्रमिक, सर्वश्री राम रतन, चतुरी, मोहम्मद अब्बास एवं स्वयंबर को भी चोटें आईं।

३—प्रबंधकों की ओर से बताया जाता है कि उपरोक्त कथन असत्य है। श्री सरीन ने श्रमिक रामचन्द्र को वीविंग सुपरिन्टेन्डेन्ट के कमरे में अवश्य बुलाया था क्योंकि उसके खिलाफ दुर्व्यवहार तथा अनुशासनहीनता के आरोप थे। रामचन्द्र को न तो श्री सरीन ने मारा और न किसी अन्य श्रमिक ने। मध्यान्तर से पहले ही रामचन्द्र श्री सरीन के यहां से लौट कर अपने काम की जगह पर बगैर किसी चोट के पहुंच गये थे। वह स्वयं कारखाने में अशांति पैदा करना चाहते थे। इसलिये एक पिक स्टिक उठाकर अपने सर में चोट मार ली और यह अफवाह फैला दी कि उसे श्री सरीन तथा अन्य ३ श्रमिकों ने मारा है।

४—श्रमिकों की तरफ से रिपोर्ट मिलने पर पुलिस कथित मारने वालों को, यानी सर्वश्री सरीन, आनन्द कुमार, प्रीतम सिंह व दुर्गा प्रसाद को, हिरासत में ले जाने को तैयार हुई, परन्तु श्रमिकों ने इस बात पर जिद की कि इन चारों आदमियों को हथकड़ी बांध कर ले जाया जाय। श्रमिकों को यह समझाया गया कि चूंकि शिकायत केवल दफा ३२३/३२४ ताजीरात हिन्द की है, इसलिए हथकड़ी लगाना जरूरी नहीं है, तथा इस मामले में गिरफ्तार करने वाले

अधिकारी को हथकड़ी लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता । फिर भी अधिक से अधिक उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ श्री रामचन्द्र ने करौली मारने की शिकायत की थी, हथकड़ी लगाना मंजूर कर लिया गया । लेकिन श्रमिक अपनी इस मांग पर डटे रहे कि सभी को हथकड़ी लगाई जावे और फिर घोर अशांति का वातावरण पैदा कर दिया जिसमें ईंटें, पत्थर भी फेंके व पुलिस की पेट्रोल कार को भी नुकसान पहुंचाया । दो पुलिस सब-इंस्पेक्टरों व पांच कांस्टेबिलों को चोटें आईं । इसके अलावा श्रमिकों के एक झुंड ने उस कमरे के दरवाजे व खिड़की को तोड़ा जिसके अन्दर श्री सरीन व अन्य तीन व्यक्ति थे व श्री सरीन को घायल कर दिया । जब पुलिस अधिकारियों को यह महसूस हुआ कि अगर कोई सख्ती की कार्यवाही नहीं की गई तो उन व्यक्तियों की जान का तथा मिल संपत्ति के नाश का खतरा है तथा पुलिस के अधिकारियों व कर्मचारियों की भी जान खतरे में है तो मजबूरन श्रमिकों की भीड़ को गैर-कानूनी घोषित करके उसे तितर-बितर हो जाने के आदेश दिए गये । फिर भी श्रमिक नहीं हटे और ईंट-पत्थर फेंकते रहे व अशांतिपूर्ण वातावरण कायम रखा । इस पर आखिर में और कोई रास्ता शांति व व्यवस्था कायम करने का न होने से लाठी चार्ज का आदेश दिया गया जिसमें १० श्रमिकों को साधारण चोटें आईं । ४७ श्रमिक गैर कानूनी जमाव के संबंध में गिरफ्तार किए गये । इसके बाद श्रमिक चले गये व मिल में तालाबन्दी घोषित कर दी गई ।

५—पुलिस ने श्रमिकों की रिपोर्ट पर चार आदमियों की एवं प्रबंधकों की रिपोर्ट पर एक आदमी की दफा ३२३/३२४ आई० पी० सी० के अन्तर्गत गिरफ्तारियां कीं । इस तरह कुल ५२ गिरफ्तारियां हुईं । आपसी मारपीट में ५ श्रमिकों को और ६ प्रबन्धक वर्ग के आदमियों को चोटें लगीं । यह सभी चोटें साधारण किस्म की हैं । पुलिस की लाठी चार्ज से १० आदमी घायल हुए । उनको भी साधारण ही चोटें लगीं ।

६—मारपीट के वाकयात के संबंध में पुलिस जांच कर रही है तथा जिनके खिलाफ जुर्म साबित होगा उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जावेगा । इसलिए अभी यह कहना कठिन है कि इस संबंध में श्रमिकों का कथन सत्य है या प्रबंधकों का ।

७—जहां तक मध्यान्तर में श्रमिकों से काम कराने का प्रश्न है इस शिकायत की कि मध्यान्तर में इस मिल के आटो शेड में मध्यान्तर में काम लिया जाता है, उप-श्रमायुक्त के कार्यालय में २७ फरवरी को शाम के करीब ६ बजे टेलीफोन द्वारा सूचना मिली । उप-श्रमायुक्त ने मिल के चीफ फैक्ट्री मैनेजर, श्री चड्ढा को टेलीफोन से मध्यान्तर में शेड में काम करने को मना किया तथा श्री चड्ढा ने यह स्वीकार किया कि मध्यान्तर में श्रमिकों से काम नहीं लिया जावेगा । २८ फरवरी को मिल में इतवार की छुट्टी थी । १ मार्च को उप-श्रमायुक्त स्वयं दोपहर से मिल में जाने वाले थे क्योंकि उस के पूर्व उन्हें एक दूसरे मिल में जांच के सिलसिले में जाना था । जब वह दोपहर में न्यू विक्टोरिया मिल में पहुंचे तब तक मिल में काफी अशांति का वातावरण उत्पन्न हो चुका था और हड़ताल हो गई थी ।

८—प्रबन्धकों का कहना है कि उन्होंने कारखाना कानून का उल्लंघन नहीं किया । फिर भी श्रम विभाग छानबीन कर रहा है कि प्रबन्धकों का कथन इस विषय में कहां तक सत्य है और अगर यह साबित हुआ कि उन्होंने किसी नियम का उल्लंघन किया है तो उन के खिलाफ उचित कार्यवाही की जावेगी ।

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह काफी गंभीर प्रश्न है और इस में वर्कर्स की ओर से एक स्टेटमेंट दिया गया है जिस को मैनेजमेंट इन्कार करता है इसलिये मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वहां के एम० पीज० और तमाम पार्टीज की जो मांग है कि चूंकि यह काफी संगीन मामला है इसकी क्या वह जुडीशियल इन्क्वायरी करायेंगे ?

श्री बनारसीदास—

यह तो अभी मैंने कहा है कि इस की जांच जिलाधीश करा रहे हैं, उन की पूरी रिपोर्ट आने के बाद.....

श्री सन्तसिंह यूसुफ—

वहां पुलिस ने मैनेजमेंट के साथ मिलकर बेतहाशा लाठी चार्ज किया, पुलिस की तो गलती है, जिलाधीश करायेंगे तो उसमें पुलिस तो पार्टी है....

श्री अध्यक्ष—

पहले उत्तर तो सुन लें।

श्री बनारसीदास—

जिलाधीश न कोई पार्टी है और न कोई मैजिस्ट्रेट पार्टी है। दोनों तरफ की रिपोर्ट स थाने में दर्ज हैं, मामला इन्क्वायरी के लिये भेजा गया है, जांच रिपोर्ट आने पर ही तय किया जायगा कि जुडीशियल इन्क्वायरी की जरूरत है या नहीं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

जो सूचना दी गई थी जिसका कि जिक्र किया वह उसी व्यक्ति द्वारा दी गई थी कि यहां दोपहर को शेड में काम लिया जाता है ?

श्री बनारसीदास—

यह शिकायतें तो अक्सर आती रहती हैं और यह चीफ इंस्पेक्टर आफ फैक्टरीज का काम है कि वह जाकर मुआयना करें। इस फैक्ट्री के अन्दर, जैसा मैंने वक्तव्य में कहा है कि, २७ तारीख को श्रम कार्यालय के अन्दर सूचना दी गयी थी कि मध्यान्तर के समय काम लिया जाता है।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

एक बात श्रीमन्, जानना चाहता हूं कि कोई भी फायरिंग जब होती है तो बिना मैजिस्ट्रेट के आर्डर के नहीं होती.....

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

फायरिंग नहीं लाठी चार्ज हुआ।

श्री कमलासिंह यादव—

लाठी चार्ज भी बिना मैजिस्ट्रेट के आर्डर के नहीं होगा। इसलिये चाहे एस० डी० एम० या डी० एम० कोई भी रहा हो अगर उसके आदेश से लाठी चार्ज हुआ तो डी०एम० के द्वारा जांच इन्डिपेन्डेन्ट नहीं हो सकती। इससिये जैसा माननीय यूसुफ जी ने कहा है कि मैजिस्ट्रेट इसमें इनवाल्व्ड है तो इस मामले की जुडिशियल इन्क्वायरी होना जरूरी है।

श्री अध्यक्ष—

वह तो दूसरी चीज आ गयी।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि विशेष पुलिस फोर्स जो वहां गया लाठी जार्ज के लिये वह किसके आदेश से मिल एरिया में गया ?

श्री बनारसीदास--

जब मिल मैनेजमेंट की तरफ से सूचना दी गयी कि मिल के अन्दर अशान्ति होने का खतरा है तो पुलिस वहां पहुंची और पुलिस ने जब मैजिस्ट्रेट को इत्तला दी तो उस वक्त शहर के इन्चार्ज जो मैजिस्ट्रेट हैं वह वहां खुद गये ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

मंत्री जी के बयान के अनुसार श्रमिकों का जो कहना है कि आनन्द कुमार, प्रीतम सिंह और दुर्गा ने रामचन्द्र को मारा, तो मैं जानना चाहता हूं कि जब आनन्द कुमार, प्रीतम सिंह और दुर्गा रात की पाली में काम करते हैं तो मंत्री जी बतायेंगे कि सरीन साहब के साथ रामचन्द्र को आटोमेटिक मशीन पर दुर्गा वगैरह उसकी पाली में क्यों आये जब कि कानून के अन्तर्गत उनको नहीं आना चाहिये ?

श्री बनारसीदास--

रामचन्द्र सिंह वगैरह की पाली सोमवार को बदल गयी थी, यह रात को पहले काम करते थे, फिर सुबह की हो गयी तो ....

श्री उग्रसेन--

मंत्री जी पाली बदलती है महीने पर । अच्छा, तो मंत्री जी अब यह बता दें कि रामचन्द्र, प्रीतम और दुर्गा की पहली पाली कब बदली ?

श्री बनारसीदास--

एक तो रामचन्द्र सिंह वगैरह मजदूर हैं और जिन्हें मैनेजमेंट का वफादार कहा जाता है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

जवाब सुन लें पहले ।

श्री बनारसीदास--

तो असिस्टेन्ट फैक्ट्री मैनेजर ने वहां के सुपरवाइजर के कमरे में आनन्द कुमार वगैरह को बुलाया था उस पाली के संबंध में बातचीत करने के लिये, आटोमेटिक वहां काम होता है, तो उनसे बात कर रहे थे कि इसको बन्द न किया जाय, इसकी व्यवस्था की जाय, तो वह लोग पहले से मौजूद थे । इसी दौरान में रामचन्द्र सिंह को बुलाया, जब उन्होंने आने से इनकार किया तो भेज कर बुलाया गया जिस पर रामचन्द्र सिंह आ गये और आनन्द कुमार वगैरह पहले से मौजूद थे ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--

मंत्री जी बतायेंगे कि इस स्थिति के बाद जो लाक आउट हो गया है, जिससे हजारों मजदूर बेकार हो गये हैं तो इंडस्ट्रियल ट्रूस के मुताबिक और इमर्जेंसी को ध्यान में रखते हुये सरकार तत्काल आदेश देगी कि लाक आउट को खत्म किया जाय और मजदूर काम पर जाने लगें ?

श्री बनारसीदास--

यह तो बराबर श्रम कार्यालय की तरफ से प्रयास रहता है । लेकिन पहली तारीख की घटना की वजह से जो उत्तेजना है वह अभी तक शान्त नहीं हो पायी है अतः तब तक मिल खुलने में दिक्कत होगी । श्रम आयुक्त की तरफ से कोशिश है कि लाक आउट जल्दी खत्म हो और मजदूर काम करने लगें ।

श्री जयगोपाल (जिला सहारनपुर)—

मंत्री जी को मालूम होगा कि मजदूर और मिल मालिक ट्रूस रिजोल्यूशन के पाबन्द हैं, इसके बावजूद भी मिल मालिकों की तरफ से अक्सर ज्यादती होती रहती है और मजदूरों की भलाई का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की जाती है। तो मंत्री जी इस बात को महसूस करते हैं कि सिर्फ जुडिशियल इन्क्वायरी ही एक तरीका है जिसके जरिये मजदूरों को कानूनी इन्साफ मिल सकता है। इसलिये क्या माननीय मंत्री जी इस मामले में एक जुडिशियल इन्क्वायरी कराने की कृपा करेंगे ?

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, इसमें दो रिपोर्ट दर्ज हैं। एक रिपोर्ट प्रबन्धकों की तरफ से दर्ज है और दूसरी रामचन्द्र आदि की तरफ से दर्ज हैं। पुलिस के बाद में यह मामला श्रम अदालत के सामने जायेगा और वे फैसला देंगे कि ज्यादती किस की तरफ से हुई है। तो वही एक तरीका है, एक तरह से जुडिशियल इन्क्वायरी ही है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे जैसा उन्होंने कहा क्या उनको यकीन है कि उस श्रमिक ने अन्दर जाकर स्वतः ही चोट लगायी, क्या वह स्वतः ही अन्दर गया या उसको बुलाया गया ?

श्री बनारसीदास—

उसको स्वयं बुलाया गया था। मेरे यकीन की बात का कोई सवाल पैदा होता नहीं है।

श्री बलवान्तसिंह (जिला कानपुर)—

यह वाकया ११ बजे का है, लाक आउट हुआ १० बजे। माननीय मंत्री जी को मालूम है कि जब लाक आउट हो जाता है तब भी आने से रोक सकते हैं। तो मजदूर जब जाने के हक में थे तो उन को वहां क्यों रोका गया ?

श्री बनारसीदास—

१० बजे के बाद मध्यान्तर शुरू होता है। इस दर्मियान में जा कर ही पुलिस को रिपोर्ट पहुंचा दी। वहां पर १२ १ २ बजे पुलिस आई और १ ३ ४ बजे वहां पर मैजिस्ट्रेट पहुंचे। मजदूरों का वर्णन यह है कि वहां पर उनके चोट लगी। इसलिये बाहर जाने को वे तैयार नहीं थे। तब मैजिस्ट्रेट वहां पर पहुंचे और उन्होंने स्थिति को काबू में करने का प्रयास किया।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम-निर्देशित आंग्ल भारतीय)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वहां झगड़ा होने के पहले ही मजदूरों ने तार, लेबर कमिश्नर के पास, कलक्टर के पास, सुपरिन्टेन्डेन्ट के पास भेजे कि यहां पर गड़बड़ी हो रही है और मजदूरों के बीच में यहां पर झगड़ा होने वाला है, आप उसकी इन्क्वायरी करवावें, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब केस चल ही रहा है इन्डस्ट्रियल डिसप्यूट ऐक्ट के अन्दर तो फिर यह होते हुये भी लाक आउट कैसे हो गया और कैसे लाठी चार्ज हो गया ?

श्री अध्यक्ष—

इतना लम्बा सवाल न होना चाहिये नहीं तो मंत्री जी घबड़ा जायेंगे।

श्री ए० सी० ग्राइस—

श्रीमन्, मैं पूछ रहा था कि शनिवार के रोज मजदूरों ने लेबर कमिश्नर आदि को टेलीग्राम दिया कि मिल में सनसनी हो रही है और झगड़ा होने का शुबहा है, आप इसका इलाज करिये । क्या यह सही है ?

श्री बनारसीदास—

श्रम कार्यालय को रिपोर्ट दी कि मध्यान्तर के अन्दर मजदूरों से काम लिया जाता है । श्रम आयुक्त ने मैनेजमेंट से पूछा और उन्होंने आश्वासन दिया कि मध्यान्तर में किसी प्रकार का काम नहीं लिया जाता है । इस प्रकार की रिपोर्ट की कोई सूचना नहीं है कि वहां पर सनसनी थी ।

श्री ए० सी० ग्राइस—

जब रामचन्द्र को सुपरिन्टेन्डेन्ट के कार्यालय में बुलाया गया था तो क्या यह सच है कि उसे वहां मारा गया था ?

श्री बनारसीदास—

यह तो मैंने अपने वक्तव्य के अन्दर कहा है कि मजदूरों का कहना है कि उसको मारा । लेकिन मिल मालिकों का कहना यह है कि नहीं मारा गया ।

श्री नित्यानन्द पांडेय (जिला कानपुर)—

यूनियन की तरफ से संबंधित अधिकारियों को इस बात की खबर दी गयी थी कि मिल में अशान्ति पैदा की जा रही है और साथ ही उनसे इन्टरवेल में जबरदस्ती काम लिया जा रहा है तो इस सब की वजह से जो आतंक पैदा किया जा रहा था उसे दूर करने की कोशिश की गयी ?

श्री बनारसीदास—

उत्तर मैं दे चुका हूं । सवाल अशान्ति का नहीं । मिल मालिकों के खिलाफ यह शिकायत की गयी थी कि इन्टरवेल में काम लिया जाता है । इसके लिये डिप्टी लेबर कमिश्नर पहली तारीख को जाने वाले थे । दूसरी फैक्टरीज में जाने को थे, फिर यहां भी जाते । मैनेजमेंट ने यह एश्योरेंस दिया था कि इन्टरवेल के अन्दर काम नहीं लिया जायेगा ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

किस-किस के और कितनी-कितनी चोटें लगीं और कितनी पुलिस फोर्स का इस्तेमाल किया गया लाठी चार्ज करने के लिये ?

श्री बनारसीदास—

डाक्टरी रिपोर्ट मेरे पास नहीं है । इतना जरूर है कि अस्पताल में किसी को एडमिट नहीं किया गया । साधारण चोटें थीं । अस्पताल में देखने के बाद सब को छोड़ दिया गया । सीरियस चोट की खबर होती तो डिटेल में सूचना मंगाता ।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

प्रबन्धकों की तरफ से एक रपट है कि रामचन्द्र को कार्यालय इसलिये बुलाया गया कि उसके खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही थी । मैं जानना चाहता हूं कि जो शिकायत रामचन्द्र के खिलाफ थी वह लिखित थी ? क्या उसकी प्रतिलिपि माननीय मंत्री के पास है ?

श्री बनारसीदास—

अब आप समझ लें कि लाखों मजदूरों के मामले शिकायत के हुआ करते हैं। प्रतिलिपि की न आशा की जाती है और न मेरे पास आती हैं। रोज चार्ज-शीट्स दी जाती हैं लेकिन जब मामला डिस्प्यूट का होता है तो हम देखते हैं।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

इन्टरवेल में मजदूरों से काम लेने की शिकायत सर्वप्रथम लेबर कमिश्नर को किस दिन मिली और उसके अलावा और मिलों के खिलाफ भी ऐसी शिकायतें मिली हैं और यदि मिली हैं तो उन्होंने इस संबंध में क्या कार्यवाही की ?

श्री बनारसीदास—

इस संबंध में मैं स्वयं उत्तर दे चुका हूं। २७ तारीख को शनिवार के दिन ६ बजे यह सूचना मिली थी। जहां तक और मिलों का ताल्लुक है एक फैक्ट्री के बारे में और शिकायत इस प्रकार की मिली थी। जहां तक श्रम विभाग का सवाल है फैक्टरीज ऐक्ट के मातहत यह जुर्म होता है अगर इन्टरवेल में काम लिया जाता है। इसलिये यदि कहीं वायलेशन होता है तो फैक्ट्रीज इंस्पेक्टर उसका चालान करता है। यह झगड़ा न भी होता तो डिप्टी लेबर कमिश्नर स्वयं जाने वाले थे इसकी जांच करने को कि फैक्ट्रीज ऐक्ट का वायलेशन हुआ है अथवा नहीं। पहले उन्होंने चीफ इंस्पेक्टर आफ फैक्टरीज को आदेश दिया था कि वे उस शिकायत को जा कर देखें। २८ तारीख को इतवार था। जाने का सवाल नहीं था अगर यह मालूम होता कि इसमें फैक्ट्रीज ऐक्ट तोड़ा गया है तो अवश्य उस फैक्ट्री का प्रासिक्यूशन होता। यह रोज की बातें हैं और प्रासिक्यूशंस होते हैं। पहले भी एक आध दफा इस फैक्ट्री का चालान किया जा चुका है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि विक्टोरिया मिल्स का वह स्थान जहां पर मजदूर इकट्ठे बताये जाते हैं वहां पर ईंट पत्थर होने की कोई सम्भावना नहीं है। लेकिन आपके उत्तर में जिक्र है कि ईंट पत्थर चले तो क्या पुलिस ने उनको इकट्ठा कर दिया था या वे कहां से आ गये ?

श्री बनारसीदास—

यह तो बड़ी काल्पनिक बात है। लेकिन जहां तक इसका सवाल है मेरे पास फोटो भेजे गये हैं जिनमें ईंट पत्थर पड़े हुये हैं, गाड़ी टूटी हुई है और शीशे भी टूटे हैं।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, मैं मंत्री जी को बता दूं कि जब डाक्टर संपूर्णानन्द एवार्ड लागू हुआ तो मिल मालिकों ने १,१०० मजदूरों की छटनी कर दी। इस पर समाजवाद मजदूर सभा ने ४ मार्च को हड़ताल का नोटिस दे दिया। इसलिये मिलमालिकों ने सोचा कि हड़ताल से पहले मार पीट करा दें। मेरे कहने का मतलब यह है कि वातावरण क्षुब्ध था। इसी बीच क्या यह सही है कि झगड़ा कराने की नीयत से भी श्री सरीन जो मैनेजर हैं वह अपने साथ कुछ मजदूरों को लेकर रामचन्द्र की मशीन पर गया और कहा कि तुम नेता बनते हो या काम शुरू कर दोगे या नहीं, यह कह कर उसको मारा गया ?

श्री बनारसीदास—

यह सरीन के खिलाफ अभियोग था इसलिये उसको गिरफ्तार किया गया अभियोग के बारे में मैं जज नहीं कर सकता हूं, यह तो अदालत फैसला करेगी।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

श्रीमन्, मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया है उससे किसी का फायदा नहीं हुआ है। इतने मजदूर काम पर नहीं जा रहे हैं तो क्या सरकार माननीय बहुगुणा जी को या बंशीधर पांडेय जी को भेज कर पता लगवायेगी और समस्या को हल करने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, १२-१० पर मजदूरों की तरफ से रिपोर्ट की गई और ४ आदमियों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन झगड़ा इस बात पर हुआ कि उनको हथकड़ी डालकर ले जाया गया। उन्होंने कहा कि हमारे इस संबंध में कुछ नियम हैं कि किस समय किसी आदमी को हथकड़ी लगाई जाय। जो खतरनाक किस्म का मुलजिम हो, जिसके भाग जाने का खतरा हो उसके हथकड़ी लगाई जाती है। लेकिन फिर भी वे एक आदमी के हथकड़ी लगाने को तैयार थे। इसी पर झगड़ा हुआ। बाद में मजिस्ट्रेट आये, नहीं तो कोई विवाद नहीं हो सकता था। इसलिये हम स्वयं चिंतित हैं कि जल्द से जल्द हालत नार्मल हो और मजदूर काम पर जायं। लेकिन उत्तेजना पैदा हो चुकी है और इसमें मजदूर नेता भी मदद कर सकते हैं। मैं भी प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द नार्मल हालत पैदा हो और जो मामले अदालत में हों वे चलें, मजदूर काम पर जायं और मिल मालिक भी काम शुरू करें और किसी का विक्टिमाइजेशन न हो।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—

श्रीमन्, आप और लोगों को बराबर मौका दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप को भी मौका मिलेगा। आप क्यों घबरा रहे हैं। जिसने पहले सवाल किया उसको मौका मिला। उसके बाद मैं आप को मौका दूंगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या मंत्री जी को ऐसी सूचना है कि २१ सितम्बर, १९६४ को, सी० शिफ्ट के अन्दर मजदूरों से इंटरवेल में काम लिया जाता है, इस बात की शिकायत टैक्सटाइल मजदूर यूनियन ने की थी ? क्या यह सच है कि आज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट में केसेज चल रहे हैं और जब केसेज दायर होते हैं और कोर्ट में चलते हैं तो कोई लाक आउट नहीं किया जा सकता है। तो मंत्री जी इन दोनों बातों की जांच करायेंगे और लाक आउट इल्लीगल है और मिल खुले और जो पत्र टैक्सटाइल मजदूर यूनियन ने दिया है, उसके बारे में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बनारसीदास—

बात यह है कि जहां तक लाक-आउट का सवाल है कि लाक-आउट लीगल है या इल्लीगल इसके बारे में शीघ्र फैसला किया जायगा। लाक-आउट तो जैसा कि मैंने बतलाया इसलिये करना पड़ा कि स्थिति काबू से बाहर थी और वहां पर हिंसा हो रही थी। इसलिये वहां पर लाक-आउट डिक्लेयर किया गया। लीगल है या इल्लीगल इसका तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट के मातहत तय कर के फैसला देना होगा। जहां तक राष्ट्रीय टैक्सटाइल मजदूर यूनियन का सवाल है, एक स्थिति तो यह आ गई थी कि मिल बिलकुल बन्द हो जाये तो नया मैनेजमेंट आया और इससे भी हो सकता है कि प्रबन्धकों और मजदूरों में इमोशनलटेंशन रहा हो।

(श्री सन्तसिंह यूसुफ का नाम पुकारे जाने पर)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

इस तरह से तो अब हम भी प्रोटेस्ट करें, क्योंकि जनसंघ के लोगों ने प्रश्न दिये थे।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा-अच्छा, अब उन्हें प्रश्न करने दीजिये।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—

यह जो वहां पर झगड़ा हुआ, इसमें कई गैर-कानूनी बातें हुईं। मिल को छुट्टी में भी चलाना जुर्म है और इसकी शिकायत काफी पहले से हो चुकी थी, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। यह भी शिकायत है कि पुलिस ने मैनेजमेंट से मिलकर लाठी चार्ज निहत्थे मजदूरों पर किया। तो मैं चाहता हूं कि इन शिकायतों के लिये यदि आप जूडिशियल इन्क्वायरी कराने के लिये नहीं तैयार हैं तो क्या आप इसके लिये कृपा करेंगे कि सदन के ४—५ मेम्बरों की और इसमें आप भी रहें, एक इन्क्वायरी कमेटी बने जो इस बारे में पूरी इंक्वायरी करे, ताकि आइन्दा इस तरह की घटनायें न होने पावें?

श्री बनारसीदास—

सारी बातों में सिर्फ एक ही प्रश्न है, जिस पर खासकर इंक्वायरी करना है कि इन्टरवल में काम लिया गया है और रामचन्द्र वगैरह को क्या मारा पीटा गया? जहां तक डी० एम० की रिपोर्ट मेरे पास है उसके अनुसार पुलिस की मैनेजमेंट के साथ कोई साजिश नहीं थी और पुलिस का ऐक्शन विद्वेशपूर्ण नहीं था, क्योंकि इसमें पुलिस को भी काफी चोटें लगीं। यह लाठीचार्ज तो उस समय करना पड़ा जब उत्तेजित भीड़ को अनलाफुल डिक्लेयर कर दिया गया था और उस असेम्बली से अशान्ति की काफी आशंका थी। पुलिस ने असेम्बली को अनलाफुल ढाई बजे के करीब डिक्लेयर किया और साढ़े १० बजे से ढाई बजे के बीच में पुलिस ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। पुलिस ने मजबूर होकर ही माइल्ड लाठीचार्ज किया जिससे २० आदमियों को साधारण चोटें आईं। इससे मालूम पड़ता है कि प्रबन्धकों के साथ पुलिस की कोई सांठ-गांठ नहीं थी।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उनकी एक छोटी सी मांग थी कि मुलजिमों के हड़कड़ी न डाली जाये और उनके हैन्ड-कफ न करने से यह सारी इतनी बड़ी घटना न होती, तो क्या यह अधिकारियों की अदूरदर्शिता नहीं थी कि उनकी छोटी-सी बात को न मानकर इतना रक्तपात किया गया? मैं मंत्री जी की राय इस पर जानना चाहता हूं?

श्री अध्यक्ष—

राय जानने के सम्बन्ध में सवाल नहीं हो सकता।

श्री बनारसीदास—

मैं समझता हूं, मैं अर्ज कर दूं.....

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा कर के बैठ जाइये। अगर इस प्रकार से होने लगेगा तो हर एक की राय पूछी जाएगी और इस पर कुछ सदस्यों द्वारा एतराज होगा। इस लिये राय पर नहीं घटना पर प्रश्न होने चाहिये।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

किसी को जबरदस्ती कमरे में बन्द करना और मारना, यह धारा ३२३ में आता है या ३४२ में? इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने जानकर धारा ३४२ नहीं लगाई क्योंकि वह मुलजिमों के हथकड़ी नहीं लगाना चाहती थी?

श्री बनारसीदास—

रांगफुल कन्फाइनमेंट की बात तो स्वयं उसके भाई रामरतनसिंह की रिपोर्ट में भी नहीं है। कम्प्लेंट तो मारपीट के बारे में थी, रांगफुल कन्फाइनमेंट के बारे में नहीं थी। जिस समय यह बात हुई उस समय नारे लग रहे थे कि सरीन को मारा जाय। पुलिस को खतरा था कि अगर उन को इस तरह न ले जाया जायगा तो कहीं आगे कोई दुर्घटना न हो जाय।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

हथकड़ी लगाने की बात के विषय में प्रश्न पूछा था मैंने.....

श्री अध्यक्ष—

वह हो गया।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

क्या यह सही है कि मैनेजर सहगल ने रामचन्द्र सिंह को पहले घर पर बुला लिया था और वहां पहले से पुलिस एकत्र थी और वहां पर पुलिस के द्वारा उस को पिटवाया गया ?

श्री बनारसीदास—

यह तो स्वयं रिपोर्ट में दर्ज नहीं है। १० बजकर १० मिनट पर जब रामचन्द्र सिंह को फैक्टरी के अन्दर सुपरवाइजर के कमरे में बुलाया गया तो पहले से पुलिस वहां पर नहीं थी। पुलिस तो जब सूचना हुई उस के बाद पहुंची।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

क्या मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि जब मामला शांत हो गया उस के बाद भी जो मजदूर मिल गेट पर घूम रहे थे उनमें से कुछ को पुलिस ने पकड़ लिया और मिल मालिकों के इशारे पर, और मिल गेट के अन्दर ले जाकर उन को मारा गया और उनकी मूंछें उखाड़ी गयीं ? दूसरे, जिन लोगों ने जुल्म किया उनको गिरफ्तार न कर के मजदूरों को गिरफ्तार किया गया ? तीसरे, क्या मंत्री जी स्थिति को नारमल पर लाने के लिये विचार करेंगे कि जो मजदूर गिरफ्तार किये गये उनको छोड़ दिया जाय और उनको काम करने का मौक़ा दिया जाय ?

श्री बनारसीदास—

यह बात गलत है कि जब शान्ति हो गई थी तब बाहर खड़े मजदूरों को पकड़ा गया या उनकी मूंछें उखाड़ी गयीं या किसी को मारा पीटा गया। अशान्ति चलती रही लेकिन पुलिस शान्त रही और उसने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। जिस वक्त ढाई बजे असेम्बली अनलाफुल डिक्लेयर हो गयी और लोग नहीं हटे तो माइल्ड लाठी चार्ज किया। सरीन और दूसरे आदमियों को भी मजदूरों की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया। मिल मैनेजमेंट की शिकायत पर सिर्फ एक आदमी को गिरफ्तार किया गया और ४७ आदमी तो गैरकानूनी असेम्बली की वजह से गिरफ्तार हुये।

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

सरकार ने स्वीकार किया है कि वहां इमोशनल टेंशन की स्थिति है और इमोशनल टेंशन की स्थिति ऐसी चिनगारी है जो उत्तेजना से बढ़ सकती है तो क्या इस बात को देखते हुये कि ५ हजार मजदूर बेकार हैं और उनके परिवार के २० हजार लोग पीड़ित हैं स्वयं मंत्री महोदय, कानपुर, दूर भी नहीं है, जाकर वहां जांच करें और खोज निकालें कोई मार्ग जिससे वहां का इमोशनल फैक्टर गड़बड़ी न पैदा करे ?

श्री बनारसीदास—

मैं वहां कल ही जाऊंगा और प्रयास करूंगा।

श्री जयगोपाल—

क्या मन्त्री जी को मालूम है कि वहां पर मजदूरों ने कभी हड़ताल नहीं की और जो स्थिति पैदा हुई है वह तरीन साहब की इश्तेआल अंग्रेजी की वजह से हुई है?

श्री बनारसीदास—

इस का मैं क्या जवाब दे सकता हूं, यह मामला सबजुडिस है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि जो मजदूर मारे गये, उनके चोटें लग गईं, क्या उनका स्वास्थ्य आपसे अच्छा था या खराब था?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री उग्रसेन—

क्या माननीय मंत्री जी को सूचना है कि प्रबन्धकों ने अपनी मदद के लिये जो पहरेदार थे, उनकी फौज को बुलाया और वे जो ढेले लाये, वही ढेले पुलिस के लगे?

श्री बनारसीदास—

जो गार्ड मिल का था, उस ने न कोई लाठी चार्ज किया न पत्थर फेंके।

(अनेक सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

अब कोई सवाल पूछ सकता है तो सन्तसिंह यूसुफ ही पूछ सकते हैं।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानकारी चाहता हूं। ये जो तीनों मजदूर थे, इनको तो अरेस्ट किया। मजदूरों को हथकड़ी लगाकर ले गये। मैनेजमेंट के आदमियों को नहीं हथकड़ी लगाई गई। अगर इनको भी हथकड़ी लगा कर ले जाते तो उसके बाद यह पत्थर फेंको व झगड़ा नहीं होता। क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इसमें पुलिस का हाथ था या नहीं था ले जाने में?

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, इसका उत्तर मैं कई दफा दे चुका हूं। ये मजदूरों के अधिकार के बाहर था कि हथकड़ी लगाते। जो अरेस्ट करते हैं यह ये उनका ही काम है।

श्री राज्यपाल के पत्र के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

मैं सदन को एक सूचना दे दूं। माननीय राज्यपाल की एक सूचना है "म आपके पत्र दिनांक २४ फरवरी, १९६५ के लिये, जिसे आपने आकर भेंट किया, धन्यवाद देता हूं। विधान सभा के प्रस्ताव के लिये, जिसे ११ फरवरी की बठक में स्वीकार किया, आभारी हूं।"

श्री कमलासिंह यादव द्वारा जानकारी की मांग

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था और आप को कल दिया था।

श्री अध्यक्ष—

वह मैंने आफिस को भेजा है।

देवरिया जिले के कुछ गांवों में फसलों के चोरी से काटे जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

माननीय चन्द्रबली सिंह, नम्बर ११ के बारे में आप को क्या आपत्ति थी ?

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

मैं जानना चाहता हूं कि किस नियम के अन्दर लिया और कैसे लिया ?

श्री अध्यक्ष—

मेरा अधिकार है कि कोई सवाल मंजूर किया जावे या न किया जाय।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

अगर खारिज किया है तो नियम ५२ के अन्दर लाया जाय।

श्री अध्यक्ष—

यह मुझे अधिकार है।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

कहां अधिकार है, दिखाइये ?

श्री अध्यक्ष—

आप वक्तव्य न सुनना चाहें तो नहीं सुनाया जावेगा।

गृह उपमन्त्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)—

श्रीमन्, देवरिया जिले के कुछ गांवों में फसलों के चोरी से काटे जाने के सम्बन्ध में सूचना निम्न प्रकार है:— प्राप्त सूचना के अनुसार देवरिया जिले के रुद्रपुर थाने के अन्तर्गत निम्नलिखित गांवों में चोरी से फसल को काटकर हानि पहुंचाने की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं:—

१—डहरौली	२ सूचनाएं
२—पिपरा कछार	१ सूचनाएं
३—बनिया पार	१
४—बेलवा दुबौली	१

२—बेलवा दुबौली के सम्बन्ध में थाने पर रिपोर्ट धारा १४३/४२६ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत लिखाई गई। इसमें ५ अभियुक्त लिखाये गये हैं। इस मुकदमें की विवेचना पुलिस द्वारा हो रही है और पांचों अभियुक्त अदालत से जमानत पर छोड़ दिये गये

[श्री शिवप्रसाद गुप्त]

हैं। इन सूचनाओं के अतिरिक्त प्रस्ताव में लिखित और किसी गांव में फसल की चोरी तथा क्षति की सूचना थाने पर नहीं लिखाई गई और न ही इस सम्बन्ध में कोई और सूचना उपलब्ध है।

३—फसल की कटाई को रोकने के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :

(१) सर्किल इन्सपेक्टर ने दो दिन तक क्षेत्र में रहकर स्थिति का अवलोकन किया तथा थाना इंचार्ज व अफसर दोयम ने भी डहरौली बुजुर्ग, देवकली, जयराम आदि गांवों में फसल की कटाई पर या क्षति होने पर पुलिस में रिपोर्ट लिखाने के लिए लोगों से प्रस्ताव किया।

(२) प्रत्येक गांव के चौकीदारों को यह आदेश दिये गये हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में गांवों में फसल की चोरी को रोकने में ग्रामीणों की पूरी सहायता करें तथा थाने पर आकर इसकी सूचना दें।

(३) हल्के के सिपाहियों को फसल की चोरी रोकने के लिये ग्रामों में गश्त के लिये भेजा जा रहा है।

(४) हल्के के सिपाहियों को यह भी आदेश दिये गये हैं कि वे अपने क्षेत्रों में इस बात का पता लगावें कि किस ग्रामीण के पास कच्ची कटी हुई अनाज की फसल रुकी हुई है और इनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये थाने पर सूचना दें।

४—चोरी से फसल काट लेने के हर एक मामले में पुलिस द्वारा कार्यवाही सम्भव नहीं प्रतीत होती। ये रिपोर्ट अधिकतर धारा ४२६ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत आती हैं जो अपराध पुलिस के हस्तक्षेप योग्य नहीं है। फिर भी जो कुछ कार्यवाही सम्भव है वह की जा रही है।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

श्रीमन्, आपने अपनी मर्जी के मुताबिक बिना कानून के यह काम किया है जिसका नतीजा यह है कि २ हजार बीघे फसल काटी गई है। आपको भी इसकी सूचना है और दरख्वास्त के जरिये से उनको भी यह सूचना है लेकिन उसकी आज तक जांच नहीं हुई है। हमारे काश्तकार आये हुये हैं वह कहते हैं कि कोई जांच अभी तक नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष—

आप लिख कर दे दीजिये।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

३ वर्ष से इस सवाल को मैं नियम ५२ के अन्तर्गत ला रहा हूं.....

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जांय।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

अगर इस सूचना को आप नियम ५२ के अन्दर ले लेते तो हम इस पर सवाल कर सकते थे, लेकिन आप इस तरह की सदन में क्यों गलती कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—

आप इन शब्दों को वापस लीजिये।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

नहीं लूंगा।

श्री अध्यक्ष—

यदि आप वाकस नहीं लेते हैं तो सदन छोड़िये।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

सदन नहीं छोड़ूंगा।

श्री अध्यक्ष—

अगर आप सदन नहीं छोड़ते हैं तो मैं उपनेता सदन का ध्यान इनके आचरण की ओर आकर्षित करता हूं और इनको इंगित करता हूं।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह बिसेन)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय चन्द्रबली सिंह को बक़िया सत्र के लिये इस सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि माननीय चन्द्रबलीसिंह को शेष सत्र के लिये इस सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गई।)

श्री चन्द्रबलीसिंह—

आप इस तरह की ३ वर्ष से बेईमानी कर रहे हैं। हम बराबर नियम ५२ के अन्दर सूचना दे रहे हैं लेकिन आप उस को मंजूर नहीं करते हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जायं।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

आप हमारी सूचना को मंजूर नहीं करते हैं। यह बदमाशी आप कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

इस तरह के शब्दों का प्रयोग आपके लिये शोभा नहीं देता। जिस प्रकार की यहां पर इस समय बात हो रही है यह ठीक नहीं है।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

आपने हमारी सूचना को मंजूर नहीं किया.....

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, आप देखें, कि पूरे सत्र के लिये आप उनको निकाल रहे

श्री अध्यक्ष—

यह दूसरा सवाल है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

उनके यहां दो हजार बीघे फसल कट गयी है, पुलिस से रिपोर्ट आ नहीं रही है। माननीय सदस्य ३ साल से परेशान हैं। आखिर उनकी बात तो सुननी ही चाहिये। इसी लिये इस पूरे सत्र के निलंबन को कम किया जाना चाहिये। यह मामला चार गांवों का नहीं है। अगर किसी अफसर को वहां भेज दें तो मालूम हो जायगा। मैं अपनी बात नहीं कहता। वहां सरे आम फसल काटी जा रही है।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)---

श्रीमन्, मेरा एक निवेदन है.....

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मेरी प्रार्थना है कि यह बड़ी जबरदस्त सजा है।

श्री अध्यक्ष---

आप को उनको भी रोकना चाहिये था।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

मैं उनको भी रोकना चाहता हूं लेकिन वह मानते नहीं हैं। मैं स्थिति समझ रहा हूं। लेकिन उसके बाद भी यह सजा बड़ी जबरदस्त है।

श्री झारखण्डेराय---

श्रीमन्, एक मिनट मुझे दिया जाय। मैं यह कह रहा हूं कि घटना जिस प्रकार हुई उसे आप देखें अगर दो हजार बीघे फसल किसी क्षेत्र की कट जाय तो वहां के जन प्रतिनिधि के लिये वह एक चोट की बात होती है और उसके कारण अगर वह असंतोष व्यक्त करता है और उत्तेजित हो जाता है तो वह स्वाभाविक है। मैं चन्द्रबली सिंह जी का पूरा व्यवहार विशेषकर आप की ओर उचित नहीं समझता, लेकिन मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि सजा जुर्म के मुताबिक होनी चाहिये। इस लिये सजा की अवधि कम कर दी जाय। एक सप्ताह पर्याप्त होगा।

श्री हुकुमसिंह विसेन---

अगर वे अध्यक्ष महोदय से माफी मांग लें तो मुझे कोई उज्र न होगा।

श्री चन्द्रबली सिंह---

माफी मांगने का कोई सवाल नहीं है। अगर सदन की एक कमेटी जांच के लिये बना दी जाय और वह कहे तो मैं वापस ले लूंगा।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि माननीय चन्द्रबली सिंह को सत्र की शेष अवधि के लिये सदन की सेवाओं वे निलंबित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---

माननीय चन्द्रबलीसिंह, सदन छोड़ें।

श्री उग्रसेन---

माननीय सदस्य ने एक विभाजन की मांग की। हमको उसकी मांग करने का हक है। उसे आपको स्वीकार करना चाहिये। यह तो हमारे साथ अब क्या बतायें, इस तरह से कैसे हम लोग सदन की सेवा में रह पायेंगे ?

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

आपको गिनती करानी चाहिये। आप को सदस्यों के अधिकारों का खयाल करना चाहिये। आपके हां की संख्या अधिक है, कहने पर ही एतराज किया गया, विभाजन की मांग की गयी। उसके बाद आपको गिनती करानी चाहिये थी।

श्री अध्यक्ष—

(श्री चन्द्रबलीसिंह के सदन न छोड़ने पर) मार्शल।

(श्री अध्यक्ष की आज्ञा से मार्शल की प्रार्थना पर भी श्री चन्द्रबलीसिंह ने सदन त्याग नहीं किया। किन्तु बाद में वे सदन छोड़ कर बाहर चले गये।)

श्री उग्रसेन—

अगर इस तरह से होगा तो हम लोग सब नहीं जायेंगे। अगर ऐसे ही निकालने की बात है तो हम लोगों को आप १९६७ तक के लिये निकाल दीजिये। हम सब जाने के लिये तैयार हैं। हम क्या यहां नौकरी करने के लिये आये हैं?

एक सदस्य—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

अब यह सवाल खत्म हो गया। इस संबंध में अब कुछ नहीं होगा। यह प्रकरण समाप्त हुआ।

१९६५–६६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २५—नियोजन और समन्वय तथा अनुदान संख्या ११—गांव सभायें और पंचायतें

श्री अध्यक्ष—

आप के सम्मुख दो अनुदान हैं। इस संबंध में माननीय नेता विरोधी दल और नेता सदन में बात चीत के बाद यह तय हुआ है कि दोनों के लिये एक ही दिन, आज का आधा-आधा दिन रख दिया जाय। अतः आइटम १२ की मद नं० १ पर १ बजे से ३ बजे तक बहस होगी और मद नं० २ पर ३ बजे से ५ बजे तक बहस होगी।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

श्रीमन्, आप ने इस आदरणीय सदन में आश्वासन दिया था कि गांव सभा और पंचायतों पर एक दिन का समय बहस के लिये दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—

अब आधा दिन एक पर बहस होगी और आधा दिन दूसरे पर।

श्री मैनेजरसिंह—

किसी को भी दूसरे दिन के लिये रख दें। यह तो मजाक हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—

नियम यह है कि अनुदानों के संबंध में नेता सदन और नेता विरोधी दल दोनों मिल कर निश्चय करते हैं कि किस अनुदान पर कितनी देर बहस होगी। अब उन्होंने लिख कर मुझे दे

[श्री अध्यक्ष]

दिया है। यह हो सकता है कि आप बात-चीत कर लें। एक पर १ घंटे और एक पर ३ घंटे बहस हो जाय।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

इसकी सूचना तो हमको थी नहीं कि क्या क्या लिया जा रहा है और क्या नहीं लिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष---

यह तो एजेंडे पर पहले से है।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)---

गांव सभा के लिये तो आपने कहा था कि कैंसिल कर दिया गया, उसके बाद कोई सूचना नहीं आयी।

श्री अध्यक्ष---

मैंने सिर्फ यह कहा था कि क्या बात-चीत नेता विरोधी दल से हुई। उसके बाद माननीय केशरीप्रसाद ने कहा कि हम चाहते हैं कि इस पर भी बहस हो। तो यह सूचना दे दी गयी। अब आपका प्रस्ताव है कि दोनों को आप ही रखेंगे ?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशोधर पांडेय)---

मैं समझता हूं कि दोनों पर एक साथ ही डिस्कशन हो जाय तो उससे टाइम बचेगा।

श्री अध्यक्ष---

ठीक है, जिसको जो बोलना होगा वह बोल लेंगे।

श्री बंशीधर पांडेय---

अध्यक्ष जी, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २५-नियोजन और समन्वय के अन्तर्गत १६,४६,८५,७०० रुपये की मांग १९६५-६६ के लिये स्वीकार की जाय।

राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ११-गांव सभाएं और पंचायतें के अन्तर्गत १,६४,४० ८०० रुपये की मांग सन् १९६५-६६ के लिये स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, मैं पहले आपसे और इस माननीय सदन के सदस्यों से क्षमा चाहूंगा कि विकास मंत्री जी की बड़ी इच्छा थी कि स्वयं वह इस ग्रांट को मूव करते, लेकिन कल अचानक उनका स्वास्थ्य खराब हो गया।

यह जो नियोजन और एकीकरण की ग्रांट है, जैसा कि हमारे सभी माननीय सदस्य जानते हैं जब से पंचायती राज का उदय हमारे देश में हुआ है, उत्तर प्रदेश में खास तौर से अपना कार्यक्रम पंचायतीराज के संबंध में आगे बढ़ा है, बल्कि मैं कह सकता हूं कि कुछ मानों में यह हमारे पंचायती राज का नकशा भारत में सर्वोपरि है। हमारा पंचायतराज का सम्मेलन उत्तर प्रदेश का हुआ था जिसमें हमारे हर जिले से अध्यक्ष, ब्लाक प्रमुख और गांव सभाओं के प्रधान आये थे तीन दिन उसकी बहस हुई। उसमें प्लानिंग और सामुदायिक विकास योजनाओं पर बड़े ब्यौरे से विचार किया गया। मुझे खुशी है कि इस सम्मेलन में केन्द्रीय सामुदायिक विकास मंत्री, सुरेन्द्र कुमार डे और प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष, श्री अशोक मेहता ने भी भाग लिया था और इस प्रदेश की त्रिस्तरीय जो संस्थाएं हैं उनके सामुदायिक और नियोजन के कार्यक्रम

की रूपरेखा के संबंध में चर्चा में भी उन्होंने भाग लिया। जाते समय और वहां जाकर भी उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री से, केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों से और पार्लियामेंट के बहुत से सदस्यों से भी चर्चा की कि उत्तर प्रदेश में इस तीसरी पंचवर्षीय योजना के साथ-साथ प्लानिंग और सामुदायिक विकास योजना के कार्य-क्रम में और खास कर सत्ता के विकेन्द्रीयकरण के क्षेत्र में कार्यक्रम को बहुत तेजी से आगे को बढ़ाया गया है।

इस योजना के पूरे इतिहास को दोहराने की मुझे आवश्यकता नहीं है, सभी माननीय सदस्य जानते हैं। आजादी के बाद राजनीतिक, सामाजिक, और आर्थिक आजादी के संबंध में क्रान्तिकारी परिवर्तन इस सामुदायिक विकास के साथ हुआ है। हमारे ५४ जिलों में ८७५ ब्लाक कायम किये गये जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत जितनी विकास की योजनाएं थीं उनको संचालित किया गया।

(इस समय १ बजकर ६ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कमलासिंह यादव पीठासीन हुए।)

पहले ब्लाक कमेटी सलाहकार समिति के रूप में कार्य करती थी आज जिला परिषद् और क्षेत्र समिति अधिनियम लागू होने के पश्चात् जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, ये केवल इंस्टीट्यूशन ही नहीं रहे बल्कि कालान्तर में यही त्रिस्तरीय सरकारें बनेंगी? जिला परिषद् का फंक्शन जिला बोर्ड जैसा नहीं है। उनसे प्लानिंग के संबंध में और सामुदायिक योजना के कार्य-क्रम में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं। काशीनाथ जी आप के सम्बन्ध में....

श्री अधिष्ठाता—

डायरेक्ट बात न करें।

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, इस योजना के संबंध में सबको बहुत भारी भ्रम होता है कि उत्तर प्रदेश का पर कैपिटा आउटले, इनवेस्टमेंट और ग्रांट जो सेंटर से मिलता है वह बहुत कम है। सही बात है। जिन्होंने सारे आंकड़े प्रथम, द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजना के देखे हैं, उनको पता है कि यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश को उसकी आबादी के अनुपात में केन्द्रीय सहायता कम है और प्लान में इनवेस्टमेंट भी कम है। लेकिन वहीं दूसरा पहलू भी है। अमरीका को देख लीजिये। जो दशा वहां की ५०–६० वर्ष पहले थी ठीक वही स्टेटिस्टिक्स हमारे भी हैं हर एक क्षेत्र में। १७७४ की अजादी के बाद बरसों तक वह भी उसी इकोनामी पर घूमता रहा जिस स्टेंडर्ड पर भारत का देश है। बहुतसी हमारी हैवी इंडस्ट्रीज हैं, कल–कारखाने हैं–भिलाई और राऊरकेला का है जो कि राष्ट्रीय आय में बढ़ोत्तरी का कारण बनते हैं, लेकिन उनसे प्रति व्यक्ति आय प्रान्त के स्तर पर, जिले, रीजन के स्तर पर कितनी होती है उस दृष्टि से भी हर प्रदेश में केन्द्र और प्रदेशीय सरकारों द्वारा जो योजनाएं चालू की गयी हैं उनमें हम देखेंगे, तो उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, कुछ मानी में तो हम आगे भी जा रहे हैं।

इसके अलावा मान्यवर, कृषि उत्पादन कार्यक्रमों को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिये हमने भी रामसुमग सिंह समिति की सिफारिशों के अनुसार विकास आयुक्त के संगठन को पुनः संगठित किया है और एक आयुक्त एवं सचिव कृषि उत्पादन एवं ग्राम विकास की नियुक्ति की है। और भी तरह-तरह की सिफारिशें थीं जिनको हमने माना है। उनको पुराने डेवलपमेंन्ट कमिश्नर होने के नाते जो अधिकार थे, उसके अलावा और भी अधिकार दिये हैं ताकि वे कृषि से संबंधित अन्य विभागों की भी देखरेख कर सकें।

हमारे प्रदेश में इस समय ८७५ ब्लाक्स है जिनमें से २१ उत्तराखंड में हैं। कृषि के संबंध में काफी चर्चा माननीय कृषि मंत्री कर चुके हैं, कुछ ही बातों की ओर में माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मान्यवर, पिछले दो तीन सालों में हमारा कृषि उत्पादन घटा है और उसका मुख्य कारण प्रकृति प्रकोप ही रहा है। मैं यह भी निवेदन कर दूं कि आज के समय में

[श्री बंशीधर पाण्डेय]

मालथस की थ्योरी भी आऊट आफ डेट हो चुकी है। तृतीय योजना में हमने खाद्यान्न का लक्ष्य १८४ लाख टन रखा था। इसको बाद में संशोधित करके १६९ लाख टन कर दिया है। २-३ सालों में जो घटोत्तरी हुई उससे बड़ी निराशा हुई है। लेकिन इस साल खरीफ की फसल जो करीब ५८ लाख टन के हुई है और रबी की फसल भी अच्छी होने का अनुमान है, इस प्रकार मिला कर वह करीब १४३ लाख टन तक पहुंच सकती है, अगर यह होती है तो हम अपने अंतिम लक्ष्य तक भी पहुंच जायेंगे।

मान्यवर, पंचायत राज्य का जो सम्मेलन हुआ था उसकी बड़ी चर्चा हुई। यह भी बात कही गयी कि हम खाद के जो दाम लेते हैं वह बहुत ज्यादा लेते हैं। आपको यह जानकर खुशी होगी कि सरकार ने अप्रैल, १९६५ से खाद के मूल्य में एक रुपये की कमी कर दी है। जो साढ़े २० में मिलती थी अब वह साढ़े १९ रुपये में मिलेगी। इस प्रकार आप देखेंगे कि उसमें हमने कमी कर दी है।

दूसरी बात श्रीमन्, यह है कि जनता में चांद मार्का खाद का काफी प्रचार है, उसकी काफी मांग है। किसानों में उसी का ज्यादा प्रचार है। उसकी कुछ कमी है। इस कारण जितनी मांग है उस खाद की उतनी हम नहीं देपाते हैं। लेकिन उसके अलावा भी हमारे जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी-अच्छी खादों का रेकमेन्डेशन दिया है और यह भी कहा है कि इसमें यूरिया ज्यादा है, वह १० परसेन्ट होना चाहिये, लेकिन २५ परसेन्ट है, उसको घटाने की रेकमेन्डेशन उन्होंने की है।

कृषि की व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिये सिंचाई के कार्यक्रम को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। अभी हमारे प्रदेश में सिंचाई का प्रतिशत करीब करीब ३२,३३,३४ के आता है, जिसे हम सोचते थे कि अगर साधन उपलब्ध होते तो जैसा कि सरकार का प्रयास बराबर रहता है, अगली चौथी पंचवर्षीय योजना तक पटेल आयोग की सिफारिशें जो हैं, उस स्तर तक पहुंचाने की कोशिश हम करते, लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारे साधन की है। उसके बावजूद भी सिंचाई के क्षेत्र में सरकार ने बहुत क्रान्तिकारी परिवर्तन किये हैं। पटेल आयोग की सिफारिशों के आधार पर पूरे उत्तर प्रदेश के चार जिलों में हमने क्रैश का प्रोग्राम चालू किया और आठ जिलों के दो दो ब्लाक्स में भी वह क्रैश प्रोग्राम चालू किया है। राज्य के और भी जिलों में सिंचाई के क्षेत्र में बड़े भारी परिवर्तन करने की बात की गई है और उसमें हमें उपलब्धि भी अच्छी हुई है। पशुपालन के क्षेत्र में नस्ल सुधार के कार्यक्रम अपनाए गये हैं। बहुत से कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापित किये गये हैं। ८७,००० पशुओं को इसमें कृत्रिम रूप से गर्भित किया गया है। २७ पशु चिकित्सालय खोले गये हैं और ७५ नये पशु सेवा केन्द्र स्थापित किये गये हैं। १४ लाख से अधिक पशुओं की चिकित्सा की गई। इसके अतिरिक्त विभिन्न बीमारियों की रोकथाम के लिये पशुओं के टीके भी सरकार की ओर से लगाये गये।

चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितने भी हमारे विकास क्षेत्र हैं, उन सब में प्राइमरी हेल्थ सेन्टर कायम करने की योजना है, इस प्रकार ८७५ ब्लाकों में ८७५ प्राइमरी हेल्थ सेन्टर होने चाहिए। अभी तक करीब ३६९ तो बन चुके हैं, और १५ और बन चुके हैं, इस तरह ३७४ प्राइमरी हेल्थ सेन्टर की इमारतें बन करके तैयार हैं। वहां पर डाक्टर वगैरह सब हैं। दूसरे स्टाफ भी हैं, और उनकी इमारतें भी बनकर तैयार हैं। करीब २०९ अभी इमारतें बनने की अवस्था में हैं और करीब २७१ प्राइमरी हेल्थ सेन्टरों के ब्लाक और हेडक्वार्टर्स तय करने और भूमि अभ्यर्पित करने की कार्यवाही की जारही है, जैसा कि गवर्नर महोदय ने अपने भाषण में कहा है, कि इस वर्ष के अन्त तक हम कोशिश करेंगे कि इमारतें भी बन जांय और अस्पताल खोलने की भी पूरी कोशिश हो जायगी। अल्प सिंचाई के संबंध में जो सबसे बड़ा कार्यक्रम हमारे कृषि उत्पादन का है, और जिसके लिए यह सामुदायिक विभाग का मंत्रालय एक मशीनरी के रूप में कार्य करता है, उस क्षेत्र में बड़े व्यापक और क्रान्तिकारी परिवर्तन किये गये हैं। हम

२०,००० रुपये तक प्रत्येक गांव सभा की सामुदायिक विकास की निधि से बंधी बनाने के लिए ऋण देते हैं और वह समय से बन जाती है, तो २५ प्रतिशत उनको छूट मिल जाती है । बुन्देलखंड के इलाके, मिर्जापुर के जिले तथा अन्य और जिलों में भी बंधी बनाने के लिए क्रैश प्रोग्राम चल रहा है । क्रैश प्रोग्राम के माने होते हैं, जिसमें और जगहों से ज्यादा प्राथमिकता दी जाय । सन् १९६४–६५ में करीब ११ करोड़ ५७ लाख ४५ हजार रूपया हमने इस योजना पर रखा था इसके अन्तर्गत दिसम्बर सन् १९६४ तक जो कार्य पूरे हुए हैं, वह इस प्रकार है:—पक्के सिंचाई कूप—४०,८५७, सिंचाई कूप मरम्मत–११,५१०, बोरिंग–१५,८२२, रहट–२२,८४६, पम्पिंग प्लान्ट–३,३०६, निजी नलकूप–२,८९०, निजीबंधी–१०,४३७, पुरानी बंधियों की मरम्मत–८,६[illegible]३, गूल निर्माण–१०[illegible] किलोमीटर, और हौज निर्माण–२०६ । ये १९६४–६५ के वित्तीय वर्ष में दिसम्बर सन् १९६४ तक का मैंने बताया । १९६५–६६ में जो लक्ष रखा है, वह इस प्रकार है—सिंचाई कूप निर्माण–१ लाख, पुराने कुओं की मरम्मत–५०,०००, बोरिंग–४८,०००, रहट–३५,०००, पम्पिंग सेट–२०,०००, व्यक्तिगत कूप–५,०००, व्यक्तिगत बंधी–२२,४८४, बंधियों की मरम्मत–१२,२५९, गूल पहाड़ी क्षेत्र में–३३४ किलोमीटर, और पहाड़ी क्षेत्रों में हौज–४०७ ।

श्रीमन्, इसमें पहाड़ी क्षेत्रों में जो हौज और गूल का निर्माण हम माइनर इरीगेशन में करते हैं उसमें ५० प्रतिशत तक छूट भी दी जाती है । सरकार यह चाहती है, कि प्रदेश के हर जिले में सिंचाई का कार्यक्रम जितनी तेजी से बढ़ाया जा सके, बढ़ाया जाय, ताकि कृषि के लिए सिंचाई के साधन अधिक उपलब्ध हों । कृषि कार्यक्रम के लिए गांव पंचायत ऐक्ट में संशोधन करने की बात भी हम सोच रहे हैं, ताकि गांव पंचायतें भी छोटे मोटे सिंचाई के साधनों को बना सके ।

ग्रामीण जनशक्ति योजना (रूरल मैन पावर मोबिलाइजेशन स्कीम) भारत सरकार की हमारे इस प्रदेश को बहुत बड़ी देन मिली है । यह योजना उत्तर प्रदेश के २३ जिलों के १६९ ब्लाक्स में अभी चालू की गई है । इसके अलावा अमेरिकन ह्वीट प्रोग्राम भी चालू किया गया है । इसके अन्तर्गत आधा गेहूं भी मिलेगा । यह योजना इन २३ जिलों में से १५ जिलों में सभी विकास खंडों में लागू की जा रही है । उसके लिये मैं माननीय सदस्यों को सूचित करूं कि लगभग १० करोड़ के तो पहले कार्यक्रम स्वीकृत हो चुके हैं, और अपने अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं, वह चाहते हैं, कि अगर साधन मिल जांय, जिसमें कि सबसे बड़ी कठिनाई इन्जीनियर, ओवरसियर और टेक्निशियन वगैरह की है, वह अगर अधिक से अधिक मिल जांय तो ५–६ करोड़ रुपये तक और बढ़ा करके १५ करोड़ की योजना को बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यह हमारी ग्रामीण जन शक्ति योजना और ह्वीट प्रोग्राम, इस तरह से २३ जिलों में और १५ जिलों में चालू हो जाय ।

श्री लक्खीसिंह (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, यह २३ और १५ बार-बार कह रहे हैं, जिलों का नाम बतावें, क्योंकि हमें खतरा है कि मथुरा उसमें से निकल गया ।

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, वह २३ जिले, जो लिये गये हैं, इस तरह हैं अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, एटा, झांसी, जालौन, वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर, इलाहाबाद, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर बस्ती, आजमगढ़, देवरिया, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सुलतानपुर, प्रतापगढ़, और बाराबंकी ये २३ जिले हैं, जिनके १६९ ब्लाकों में ग्रामीण जनशक्ति योजना का कार्यक्रम चल रहा है और श्रीमन्, ह्वीट प्रोग्राम के १५ जिले इस प्रकार हैं :—

वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर इलाहाबाद, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, देवरिया, फैजाबाज, गोंडा, बहराइच, सुलतानपुर, और प्रतापगढ़ ।

[श्री बंशीधर पांडेय]

श्रीमन्, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इन जिलों और इन ब्लाकों के अतिरिक्त चतुर्थ सीरीज या पंचवीं सीरीज जो भी भारत सरकार सूचित करे, वह जब सूचित करेंगे, तो हमारा प्रयास है कि हम और भी जिलों के कुछ ब्लाकों को इन योजनाओं में शामिल करने की बात करें। लेकिन श्रीमन्, इसमें भारत सरकार की अन्तिम स्वीकृति की आवश्यकता होगी, जब उनकी स्वीकृति आ जायगी तब समझ में आ जायगा कि वे हमें कितना रुपया देने वाले हैं। उसके अनुसार ही हम पिछड़े इलाकों को ले सकेंगे।

इसके अलावा प्रशिक्षण की योजना, जनतंत्र की सबसे बड़ी देन है। प्लानिंग शब्द में ही यह चीज निहित है कि हम किसी योजनाबद्ध कार्यक्रम को अपनाना चाहते हैं। इस प्रोग्राम को पूरा करने वाली दो चीजें हैं—एक तो उसको करने वाले और दूसरे साधन। इसमें जो कार्य करने वाली सरकारी और गैर सरकारी मेशीनरी होती है, उसकी ट्रेनिंग की बड़ी भारी आवश्यकता होती है। ब्लाक में ग्राम सेवक सबसे अधिक आवश्यक कार्य करता है। उसके ऊपर कृषि उत्पादन और ग्राम विकास का दारोमदार होता है। हमारे यहां २० वी० यल० डब्लू० के सेन्टर्स और ३५ पंचायत राज्य के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। ग्राम सेवक और पंचायत राज सेक्रेटरियों के अलावा, सरकारी और गैर सरकारी लोगों को ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की ट्रेनिंग न लेने से हममें बड़ी कमी आ जाती है। गांधी जी ने इतनी बढ़ी हुई अवस्था में भी उर्दू सीखने की बात की थी। इसलिये किसी भी नयी चीज को सीखने के लिये हमें सदैव तैयार रहना चाहिये। नान-आफीशियल्स में ब्लाकप्रमुख, प्रधान, जिला परिषद् के सदस्य, एम० एल० एज० तथा एम० एल० सीज० आ जाते हैं। इनको ट्रेनिंग देने के लिये एक इन्स्टीट्यूशन हैदराबाद में है। हम उसमें नियोजन समिति के सदस्यों को भेजते हैं। स्व० तमेश्वर प्रसाद जी उसकी ट्रेनिंग के लिये गये थे, अभी बेचन राम जी गये थे। वे वहां से बहुत-सी बातों को सीख कर आये हैं। माननीय विधायकों के साथ एक कठिनाई भी रहती है कि कुछ तो अपने कामों में अधिक व्यस्त रहते हैं, कभी सैशन के दिनों में ही ट्रेनिंग आ पड़ती है। अब भी अप्रैल से सेशन चलने वाला है। उसमें जो विधायक नियोजन समिति के मेम्बर जाना चाहेंगे, उनको हैदराबाद ट्रेनिंग के लिये हम भेज देंगे।

श्री अधिष्ठाता—

कुछ लोगों को मंत्री जी से यह कहना है कि आप तो नियोजन समिति के सदस्यों को ही भेजते हैं, बाहर से भेजते नहीं और वे जाते नहीं, तो क्या इसका मतलब यह नहीं हुआ कि सब एम० एल० एज० को आप ट्रेनिंग देना नहीं चाहते हैं।

श्री बंशीधर पांडेय—

यह प्रश्न विचारणीय है। इस पर हम विचार कर लेंगे।

पौष्टिक आहार के बारे में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। इस संबंध में साग सब्जी, मुर्गी, मछली, अंडे आदि के बारे में हमारे प्रयत्नों से माननीय सदस्य अवगत हैं। सही बात यह है कि विकास क्षेत्रों में इस संबंध में बहुत काम हुआ है। तालाबों में मछलियां डाली गयीं हैं, मुर्गे दिये गये हैं। इसके अलावा स्थानीय विकास कार्य को करने के लिये जो ग्रांट्स दी गयी हैं और खेलकूद कार्यक्रम के अन्तर्गत जो कुछ हमारे यहां हो रहा है तथा हमारे यहां युवक मंगल दल की योजना बनायी गयी है उससे भी हमें लाभ उठाना चाहिये। सरकार की तरफ से उसके लिये बहुत से साधन और प्रोत्साहन हैं। यूनिवर्सिटी के लड़कों को, जो कि स्पोर्टस् की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, उनको हम २०—२५ रु० महीना वजीफा भी देते हैं।

इसके अलावा हमारे यहां जो प्लानिंग रिसर्च ऐंड ऐक्शन इंस्टीट्यूट है, वह सचमुच हमारे प्रदेश के लिये एक गौरव की बात है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट हमारे यहां है जो कि रिचर्स के रूप में हमारी जितनी विभिन्न योजनायें हैं, उनकी रूपरेखा और पृष्ठभूमि तैयार करके बत-

लाता है कि क्या क्या योजनायें हैं और उसकी क्या सफलता है या क्या असफलता है। इस प्रकार का दूसरा इंस्टीट्यूट भारत में केवल गांधी ग्राम, मद्रास में है। यूनाइटेड नेशन्स का जो संस्थान है उसने हमारे इस संगठन की बड़ी तारीफ की है। इसके डाइरेक्टर को इवैलुएशन डाइरेक्टर भी हमने बनाया है। यहां परीक्षण के रूप में और शोध के रूप में कार्य होता है और हमारा यह कार्यक्रम आगे भी चलने वाला है।

श्री अधिष्ठाता——

मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपके विभाग द्वारा कुछ मछलियों को सूई भी लगायी गयी है ?

श्री बंशीधर पांडेय——

अधिष्ठाता जी, मछलियों को सूई लगाने पर तो वे फंस कर जाल मे आ जाती हैं।

श्रीमन्, ग्राम सभायें और पंचायतों के कार्यक्रम का जहां तक संबंध है, पिछली बार भी बतलाया गया था, जैसाकि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, इस प्रदेश में लगभग ७२ हजार ग्राम सभाएं हैं तथा ग्राम पंचायतों की सदस्य संख्या भी बड़ी भारी है। इस संबंध में संथानम कमेटी की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है। ग्राम पंचायतों का सबसे महत्वपूर्ण काम है पंचायत टैक्स को वसूल करना। बावजूद सारी कठिनाइयों के सन् १९४९ से लेकर इसी बीच तक ग्राम पंचायतों ने करीब ११ करोड़ रुपया टैक्स का वसूल किया और करीब १५ करोड़ का असेस किया। ग्राम पंचायतों के साधन बढ़ाये जांय, इसके लिये सरकार की तरफ से रिसोर्सेज कमेटी की स्थापना की गयी थी। उस समिति की रिपोर्ट आने के बाद माननीय सदस्यों को उसकी सिफारिशों से अवगत कराया जायगा।

एक सदस्य——

ग्राम पंचायतों ने जो टैक्स वसूल किया उसमें उनको उसका कितना हिस्सा मिला ?

श्री बंशीधर पांडेय——

उसमें से ग्राम पंचायतों को कोई हिस्सा देने का सवाल ही नहीं है। वह तो ग्राम पंचायतों का टैक्स ही है जिसे वे वसूल करती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह उत्तर प्रदेश लेजिस्लेचर के माननीय सदस्यों का सौभाग्य है कि सारे भारत में केवल यहीं का लेजिस्लेचर है जिसके माननीय सदस्य क्षेत्र समितियों तथा जिला परिषदों में भी यहां की तरह ही पूरे सदस्य हैं। अगर माननीय सदस्य विकास क्षेत्र समितियों तथा जिला परिषदों में पूरी तरह से दिलचस्पी लें, जैसा कि यहां दिलचस्पी लेते हैं तो बहुत से प्रश्न जो आप यहां पर करते हैं, उनका निवारण वहीं पर हो सकता है। प्रश्न पूछने का जहां तक सम्बन्ध है, मैं किसी माननीय सदस्य की इच्छा पर आघात नहीं करता, लेकिन एक बात है कि जिला परिषदों में भी प्रश्न पूछने का अधिकार सरकार ने आपको दिया है। कभी कभी बहुत से माननीय सदस्य पूछते हैं कि किस ब्लाक में सीमेंट का वितरण कहां कहां हुआ या क्या क्या योजनायें चल रही हैं ? मैं समझता हूं कि इसका मतलब यह है कि माननीय सदस्य विकास क्षेत्र समितियों के कार्य में या जिला परिषदों के कार्य में पूरी दिलचस्पी नहीं लेते हैं। मैं बधाई देता हूं कि इधर और उधर के बहुत से माननीय सदस्यों ने ब्लाकों के कार्यक्रम में अपनी बड़ी रुचि दिखलाई है और उन्होंने सदन के बाहर भी जो सुझाव दिये हैं और क्षेत्र समिति और जिला परिषदों के स्तर पर इस प्रोग्राम में जो त्रुटियां बताई थीं और जो सुझाव और कार्यक्रम प्रस्तुत किये हैं और अगर सभी माननीय सदस्य इसमें लगें तो पंचायत राज का कार्यक्रम और सामुदायिक विकास योजनाओं का कार्यक्रम हम आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत सी और बातें हैं जिनको मैं समयाभाव के कारण इस समय नहीं कहना चाहता, वह मैं बाद में कहूंगा। आशा है माननीय

[श्री बंशीधर पाण्डेय]

सदस्य इन मांगों के विषय में विचार करेंगे। यह तो ऐसे अनुदान हैं जिनका किसी को विरोध नहीं होना चाहिये क्योंकि यह तो साधू प्राणी की तरह हैं जो किसी को हानि नहीं पहुंचाते "इतते ये पाहन हनत उतते वे फल देत" वाली बात है। अगर आप रुष्टता और विरोध भी दिखाते हैं तो वह लाभ की धारा ही बहाते हैं। मुझे आशा है कि सदन इन मांगों पर विचार करेगा और इनको स्वीकार करेगा।

*श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २५—नियोजन तथा समन्वय के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने के उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

अभी माननीय पांडेय जी ने इस विभाग का उल्लेख करते हुये बहुत सुन्दर ढंग से विभाग के आंकड़े प्रस्तुत किये। उनमें उन्होंने.....

श्री अधिष्ठाता—

अभी जरा आप बैठें। मेरा विचार है कि दूसरे अनुदान पर भी जो कटमोशन है वह भी श्री रघुनाथ सिंह जी पेश कर दें तो दोनों पर साथ साथ विचार हो जायगा।

श्री रघुनाथसिंह—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ११—गांव सभायें और पंचायतों के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

श्री अधिष्ठाता—

अब दोनों विषयों पर माननीय सदस्य बोल सकेंगे।

श्री रक्षपालसिंह—

हमें तो विशेष समय दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

यह तो मैं आप की अक्ल पर छोड़ता हूं।

श्री रक्षपालसिंह—

जैसा कि माननीय पांडेय जी ने कहा कि यह विकास सम्बन्धी कार्यों का अनुदान है और इस पर कटमोशन नहीं आने चाहिये, सिद्धांततः उनकी बात सही है लेकिन पांडेय जी जिन बातों के लिये और जिन बातों को कहकर पैसा लेते हैं क्या वह पैसा उन सब बातों पर और उसी ढंग से व्यय होता है? और अगर नहीं होता तो विरोधी पक्ष के लोगों को कर्त्तव्य के रूप में ऐसा प्रस्ताव लाना पड़ता है और विभागीय खराबियों और सुझावों की ओर संकेत करना पड़ता है।

माननीय पांडेय जी ने आंकड़ों से सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि हमारे प्रदेश की जो योजनायें और जो कार्यक्रम बनाये गये हैं उन में निरन्तर प्रगति हो रही है। मैं यह निवेदन करूंगा कि केवल किताब छापने से या भाषण मात्र से ही बाहर की स्थिति सुधर जाती तो हम चुपचाप बैठ जाते और कुछ न कहते लेकिन वस्तुस्थिति बिलकुल उल्टी है। हमें विचार इस बात पर करना है कि जो योजनायें सूबे में चलाई गई हैं उनका परिणाम क्या हुआ है। उत्तर प्रदेश में ७५

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रतिशत आदमी खेतों पर काम करते हैं। यहां पर खेती योग्य भूमि सम्भवतः कई राज्यों से अधिक मात्रा में है। क्या यह सही नहीं है कि तीन योजनाओं के बाद भी रोज हमको सेंटर की तरफ गल्ले के लिये देखना पड़ता है और विदेशी गेहूं पर आश्रित रहना पड़ता है। विदेश का सड़ा गला गल्ला जो वहां सुअरों को खाने के लिये दिया जाता है वह हमारे यहां सरकार बांट रही है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस १७ साल की नियोजन का इतना भी परिणाम नहीं निकल सकता था कि अपने भर के खाने को पैदा कर सकते? और यदि नहीं कर पाये हैं तो कहना पड़ेगा कि योजना में निश्चित रूप से कमियां हैं, वह अव्यावहारिक हैं और उनके परिवर्तन के लिये मंत्री जी को हमेशा तयार रहना चाहिये। सरकारी आंकड़ों भी बताते हैं कि कृषि उत्पादन के लक्ष्य पूरे नहीं कर पाये हैं। औद्योगिक लक्ष्यों में भी हमारा प्रदेश सब से पीछे है। इसके अलावा मुझे यह भी कहना है कि सरकारी आंकड़े भी विश्वसनीय नहीं हैं और जो हमारी सारी योजनायें फेल हो जाती हैं यह गलत आंकड़ों के कारण ही होता है। मैं दो उदाहरण देना चाहता हूं। पहला यह कि जो हमारे यहां क्राप कटिंग की योजना चलती है विकास खंडों के द्वारा तो जो सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जिला स्तर पर अपना सम्बन्ध स्थापित रखते हैं और अनुभव रखते हैं वह जानते हैं कि किस प्रकार से किस खेत के अन्दर कितना अन्न उत्पादन हुआ है। केवल प्रतियोगिता के कारण, बी० डी० ओ० ब्लाक प्रमुख या ए० डी० ओ० की तरक्की हो जायगी, किस प्रकार से गड़बड़ होती है यह विचारणीय प्रश्न है और यहां तक होता है कि लोग खेत के अन्दर १ दिन पहले बाहर से आलू ला कर के दबा देते हैं, उनकी सिंचाई कर दी जाती है और दिखाने के लिये दिखा दिया जाता है कि इतने मन आलू हुआ। एक जगह गेहूं की प्रदर्शनी हो रही थी जिसमें गेहूं के २००, २५० पेड़ रखे थे प्रदर्शन हेतु। लेकिन जब एक दूसरे व्यक्ति ने उसको उलटा किया तो सारे पेड़ झड़ गये। इस तरह की धांधली होती है, केवल इनाम पाने के लिये। मेरे जिले फतेहपुर में एक विकास खंड और दूसरे विकास खंड के अन्दर यह तय हो गया कि इनाम हममें से एक को मिलें। तो उन्होंने उसके लिये एक षडयंत्र किया। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि विकास खंड से आने वाले आंकड़े बिल्कुल गलत हैं और उनके आधार पर जो प्रगति दिखाई जाती है इसी के कारण सारा भ्रम पैदा होता है। केन्द्र ने कहा कि एक कमेटी देखे कि प्लान में कितनी सफलता मिली है। मंत्री जी से मेरी मांग है कि वह भी अपने यहां एक मूल्यांकन समिति बनायें जो देखे कि प्रदेश में कौन सी योजना चलायी गई और उसमें क्या सफलता हुई। उसकी रिपोर्ट के आधार पर आप योजनाओं में परिवर्तन करें।

माननीय मंत्री जी ने नियोजन और एकीकरण की बात कही। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि प्रदेशीय स्तर पर भी अभी तक तो पंचायत और सामुदायिक विकास विभाग एक मंत्री के पास रहते थे, लेकिन इस बार बंटे हुए हैं।

श्री बंशीधर पांडेय—

एक ही मंत्री के पास है।

श्री रक्षपालसिंह—

खैर ऐसा है तो ठीक है। दोनों विभाग एक ही मंत्री के पास होने चाहिये।

श्री बंशीधर पांडेय—

एक ही मंत्री के पास हैं।

श्री रक्षपालसिंह—

अगर ऐसा है तो ठीक है। क्षेत्र में या जिला स्तर पर जाकर देखें तो आप देखेंगे कि जैसे आंकड़े होने चाहियें वे उस ढंग के नहीं हैं। अभी विकास मंत्री जी ने कहा कि यह बहुत बड़ा कदम है तो वास्तव में यह बहुत बड़ा कदम है। ग्राम सभा, विकास क्षेत्र और जिला परिषद्

[श्री रक्षपाल सिंह]

में जो इस समय व्यवस्था है यदि आप देखें तो पायेंगे कि विकास क्षेत्र और जिला परिषदों में भी चल रही है। एक तरफ डी० पी० ओ० बजट से खर्च करता है और दूसरी तरफ जिला परिषद् के लोग हैं। इसलिये पता नहीं चलता है कि कानून के अन्दर व्यवस्था क्या है। अभी कुछ दिन पहले तय यह हुआ था कि विकास खंड अधिकारी विकास की जो समिति है उसके अन्दर कार्य करेंगे परन्तु दोनों स्थानों पर कर्मचारियों से काम लेने से कैसे काम चलेगा? विकास क्षेत्र में भी स्थानों पर कर्मचारियों से काम लेने से कैसे काम चलेगा? विकास क्षेत्र में भी वैसी ही स्थिति है। विकास के अधिकारी किसी को रखना चाहते हैं परन्तु ब्लाकप्रमुख उसको स्थान न्तरित कर देते हैं। इन सबके बारे में एक विचित्र सी स्थिति है। मैं चाहता हूं कि हमारे कर्मचारियों और चुने हुये आदमियों में दोनों स्तरों पर सही प्रकार का वितरण हो। चाहे माननीय मंत्री जी कानून में सशोधन करें या नियमों में संशोधन करें पर दोनों के अधिकार अलग अलग होने चाहियें। पिछले वर्ष मुझे माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हम विकास खंडों में प्रयोग करने जा रहे हैं। हम यह देखते हैं कि वास्तव में विकास खंड के लोग विकास समिति में अपने लोग रख लेते हैं, जिसको चाहें निर्वाचित कर लेते हैं। दूसरे यह कहा जाता है कि सारा का सारा काम सरकारी कर्मचारी जो वहां पर है कर लेते हैं। तो इस सम्बन्ध में सरकार को यह ध्यान देना चाहिए कि दोनों प्रकार की जो मशीनरी है, उनका कोआर्डिनेशन होना चाहिए। गांव सभाओं और जिला परिषदों को एक कर के इसके अन्दर जो ३ इकाइयां काम करती हैं उसमें इनका वर्गीकरण अलग अलग होना चाहिये। एक कानून का होना ज्यादा अच्छा होगा।

माननीय मंत्री जी ने अभी विभिन्न विभागों की प्रगति के बारे में कहा। उनमें कृषि के सम्बन्ध में २ बातें विशेष रूप से कहना चाहता हूं। एक है खाद और दूसरा है पानी। ये दो बातें हैं, उनके बारे में जो नीतियां रही हैं, उनके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जितने समय के अन्दर प्लान को पूरा करना चाहते हैं, वे पूरे नहीं होते हैं। पिछले ६ वर्षों से नहरें खुदी पड़ी हैं। हजारों एकड़ भूमि खुदी बेकार पड़ी हुयी है। माननीय मंत्री जी कहते थे कि अभी उसमें सन् १९७२ के बाद पानी आयेगा। यदि कृषि की उन्नति करना था तो नहरों के काम को युद्धस्तर पर लेते। प्रश्न यह है कि अगर रामगंगा नहर में पानी आयेगा तो लोअर रामगंगा में भी पानी जायेगा। उसके कारण से वह गहरी हो गयी, चौड़ी हो गयी जिसके कारण उसका लाभ नहीं हो पा रहा है। परन्तु सरकार ने जिन प्रोग्राम्स को ले लिया है उनको पूरा करना चाहिये। पानी किसान को मिलेगा तो अधिक उत्पादन होगा। जो लघु सिंचाई योजनायें हैं उन्हें लागू करने से प्रदेश का हित होगा। इन १५ सालों में लाखों करोड़ों रुपये बड़ी सिंचाई योजनाओं में खर्च किये गये लेकिन सिंचाई पूरी न मिलने से उस मात्रा में लाभ नहीं हुआ जिस मात्रा में होना चाहिये था। लेकिन लघु सिंचाई का जो क्रैश प्रोग्राम चला है यह अच्छा है और इसको चालू करना चाहिये। इसमें धन देने से और सिंचाई के छोटे छोटे साधन उपलब्ध होने से, रहट व कुवें वगैरह बनने से सिंचाई में काफी लाभ होगा।

एक बात और मैं कह देना चाहता हूं। जब यह पूछा गया कि कितने कुवें बनाये गये तो एक्चुअल जांच करने पर पता चला कि एक तिहाई कुयें खेत पर मौजूद ही नहीं हैं और थोड़े कुवें ऐसे हैं जो १०,२० साल पहले मौजूद थे। एक साइन बोर्ड लगा दिया गया "निर्मित गांव सभा द्वारा" जब पूछा गया कि यह क्या हो रहा है तो उत्तर दिया कि सम्बन्धित अधिकारियों का पता ही नहीं चलता। ग्राम सेवक ने रिपोर्ट दे दी। फिर ए० डी०ओ० ने रिपोर्ट दी और अनुदान स्वीकृत हो गया। यह प्रक्रिया बहुत स्थानों पर तेजी से चल रही है। उसे खत्म करने के लिये मंत्री महोदय को प्रभावशाली कदम उठाने चाहिये ताकि यह जो क्रैश प्रोग्राम एवं लघु सिंचाई के साधन हैं उनमें गड़बड़ी न हो।

जहां तक उद्योगों का सम्बन्ध में है उनमें जो रुपया बांटा गया है उसमें आधा रुपया बिलकुल काम में नहीं आया है। यह रुपया जहां से दिया जाता है वहां की जिम्मेदारी है यह देखना कि रुपया वहां लगाया गया या नहीं। रुपया इस्तेमाल न होने पर रिकवरी के सर्टिफिकेट्स जारी करने

पड़ते हैं। होना यह चाहिये कि एक मंडल में १० प्रोग्राम्स लिये जायंऔर ब्लाक समिति उसके लिये जिम्मेदार होनी चाहिये। ए० डी०ओ० उद्योग उसे देखेगा। इस तरह से यह जो उद्योग का रुपया है वह बरबाद होने से रुकेगा।

स्वास्थ्य वाली बात के लिये जो मंत्री जी ने मकान खड़ा करने की बात कही तो अच्छी है। मकान रहेगा तो दवा भी पहुंचेगी और डाक्टर भी होगा और फिर इलाज भी होगा। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र पर कहीं कम्पाउन्डर है, कहीं कम्पाउन्डर भी नहीं है डाक्टर का तो सवाल ही क्या है। आयुर्वेद के जो डाक्टर हैं उनको भी वहां भेजा जाय। अगर एक विकास केन्द्र के प्राथमिक अस्पताल में डाक्टर नहीं पहुंचता है तो स्वास्थ्य वहां लोगों का ठीक नहीं रह सकता है।

शिक्षा के सम्बन्ध में मुझे यह बतलाना है कि वैसे तो सारा का सारा पैसा सरकार देती है लेकिन जिला परिषद् उसे अध्यापकों को बांट नहीं पाती है। इस पर सख्त कार्यवाही होना चाहिये। एक चीज मुझे यह कहनी है कि जिला फतेहपुर में ८ महीने हुए जूनियर हाई स्कूलों के मास्टरों को वेतन नहीं मिल पाया है। साथ ही यह भी देखने की बात है कि विकास क्षेत्रों में हमारी मातायें-बहिनें जो ग्राम सेविकाओं के रूप में कार्य करती हैं, उनके साथ जो व्यवहार होता है वह सदन के सामने लाया गया है। जिस प्रकार का व्यवहार उनके साथ किया जाता है वह ठीक नहीं है। उनके मान व सम्मान का वहां खयाल रखना चाहिये। इस बारे में जरूर ऐसी कार्यवाही की जानी चाहिये जिससे स्वाभिमान के साथ ग्राम सेविकायें अपना कार्य कर सकें।

हरिजनों को जो अनुदान मिलता है वह ग्राम सभापति के माध्यम से बंटता है। ग्राम सभा के प्रधान के हाथ में वह रुपया दिया जाता है। प्रधान उसे कैसे बांटता है यह पता नहीं चल पाता है। हरिजनों को २०० रुपये देकर ६०० रुपये पर हस्ताक्षर करा लिये जाते हैं। इसके बारे में व्यवस्था की जानी चाहिये।

ब्लाक प्रमुख और जिला परिषद् के सदस्यों के चुनाव के बारे में अप्रत्यक्ष प्रणाली अपनायी गयी है। उससे भ्रष्टाचार और जातिवाद बहुत फैला है। पैसा देकर वोट खरीदा जाता है। डंडे से प्रभावित करके वोट लिया जाता है। इस सम्बन्ध में सरकार को विचार करना होगा। सरकार का कहना है कि बराबर चुनाव कराने में पैसा ज्यादा खर्च होता है तो गांव सभा, ब्लाक प्रमुख और जिला परिषद् के अध्यक्ष के चुनाव एक साथ होने चाहिये। एक चुनाव में तीनों चुनाव हो सकते हैं। मेरा सुझाव है कि अप्रत्यक्ष चुनाव को खत्म करने की व्यवस्था करनी चाहिये।

जिला परिषद् के दफ्तर के जो कर्मचारी हैं वे नियोजन विभाग के अन्तर्गत काम करते हैं उनको समान स्तर पर लाने के लिये प्रभावशाली कदम उठाने चाहिये। ग्राम सेवक, पंचायत मंत्री और लेखपाल सबकी एक सी स्थिति बन गयी है। चूंकि इन कर्मचारियों को बराबर सा काम दिया हुआ है उसे देखते हुए पंचायत मंत्री का वेतन बहुत कम है, उसमें वृद्धि करनी चाहिये।

श्री रघुनाथसिंह—

श्रीमन्, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

मैंने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है वह केवल परम्परागत नहीं है बल्कि उसके पीछे मुख्य कारण है और वह यह है कि हमारी राज्य सरकार की पंचायती राज्य व्यवस्था केवल कागज पर चल रही है और बड़ी मखौल के साथ चल रही है। यह कागजी योजना मजाक की सी बात है इसीलिये यह प्रस्ताव पेश करना पड़ा है। इसका विवेचन मैं पीछे करूंगा कि यह व्यवस्था कागज पर कैसे चल रही है। पंचायती राज्य व्यवस्था सिद्धांततः मानने के योग्य है और प्रत्येक देश के सच्चे और देशभक्त नागरिक के लिये यह आवश्यक है कि इसके विकास के लिये कामना करे। आज के इस युग में देहात का विकास होना चाहिये। इसके लिये पंचायत राज्य व्यवस्था का

[श्री रघुनाथसिंह]

होना आवश्यक है। इसमें कोई शक नहीं है कि देहाती जीवन के विकास के लिये पंचायती राज्य व्यवस्था कायम की गई है। देहात के जीवन में भारत का सच्चा जीवन है।

महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन चलाया तो हिन्दुस्तान की राजनीति में आने के साथ ही उन्होंने हिन्दुस्तान की जनता को चेता दिया था कि भारत गांवों में है। जब हमने राष्ट्रीय आंदोलन चलाया तो देहात की हरी भरी भूमि को देखकर ही "सुजलाम सुफलाम शस्य श्यामलाम्" का राष्ट्रीय गान आभिर्भूत हुआ था। जब गांधी जी ने अपना राष्ट्रीय आंदोलन चलाया तो उसके साथ ही इस उम्मीद में कि यदि हमारा आंदोलन सफल हुआ और भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ और जनतंत्रीय व्यवस्था कायम हुई तो उसके लिये यह आवश्यक है कि ग्रामों का इकाई के रूप में इस जनतांत्रिक व्यवस्था का विकेन्द्रीयकरण हो। गांधी जी ने १९१६ में मद्रास मिशनरी सम्मेलन में कहा था कि पंचायतों को फिर से जीवित करना राष्ट्रीय आन्दोलन का अभिन्न अंग होना चाहिये। इतना ही नहीं श्रीमन्, १९२० में कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने पंचायतों की महत्ता पर एक प्रस्ताव पास कराया था जिसका आशय यह था कि ग्रामवासियों को अदालतों का बहिष्कार कर अपने मामले पंचायतों द्वारा निपटाने चाहिये।

(इस समय २ बजकर ४ मिनट पर उपाध्यक्ष। श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुये।)

श्रीमन्, जब गांधी जी को संतोष नहीं हुआ कि हमारी कांग्रेस का आन्दोलन, ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं के संगठन के लिये जिसके ऊपर भविष्य में हमारे जनतंत्र का आधार विकसित होगा, ठीक ढंग से नहीं चल रहा है तो १९३१ में एक लेख में उन्होंने बताया कि इस देश में कांग्रेस अच्छा काम नहीं कर रही है, इसलिये दस सूत्री प्रोग्राम लेकर ग्राम कार्यकर्ताओं को अलग से संगठित करूंगा। इतना ही नहीं हमारे देश की सेवा करने के लिये श्रीमती एनी बीसेंट, जो विदेशी महिला थीं, इस देश के महान चरित्र पर रीझ कर अपने जीवन को अर्पण करने का प्रसंशनीय कार्य किया था उन्होंने ग्राम जीवन की समस्याओं और आवश्यकताओं को समझा था और ४८ वर्ष पहले उन्होंने यह कहा था कि "गांवों का आर्थिक और नैतिक पतन केवल पंचायतों की पुनर्स्थापना से ही रोका जा सकता है अंग्रेजी शासन द्वारा बनाई जाने वाली पंचायतें केवल नौकरशाही की सेविका के रूप में ही काम कर सकती हैं। वास्तविक सत्ता उनके पास नाममात्र को भी न होगी।"

श्रीमन्, जैसी डाक्टर एनीबेसेंट को यह आशंका सी हो गई आज से ४८ वर्ष पहले कि केंद्र और राज्यों में शासन करने वाली सरकारें ग्राम पंचायतें तो भविष्य में काम करेंगी, लेकिन उन ग्राम पंचायतों को नौकरशाही की सेविका बनाकर ही रखा जायेगा और उनको उनके वास्तविक अधिकार नहीं दिये जायेंगे। मैं अपने आदरणीय सभा सचिव का ध्यान आकर्षित करके यह कहना चाहता हूं कि डा० एनीबेसेंट ने आज से ४८ वर्ष पहले जो आशंका व्यक्त की थी वह आज १७ वर्ष की आजादी और १६ वर्ष पूर्व से ग्राम पंचायतों की व्यवस्था होने के बाद भी वह जैसी की तैसी बनी हुई है और ग्राम पंचायतें सेविका के अतिरिक्त याचिका के रूप में सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के सामने आर्थिक सहायता के लिये उपस्थित होने के लिये विवश हैं। अब यह कैसे, इसको प्रमाणित करने के लिये मैं आपके सामने बजट साहित्य के कुछ आंकड़े देना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इसे नोट करें और यदि मुझसे समझने में कुछ गलती हो गई हो तो मुझे वास्तविकता की सूचना दे देंगे मैं समझूंगा कि जो सरकार ने किया वह जनतंत्र के विकास के लिये अच्छा किया और मैं ही उसे गलत समझ रहा था। यदि मेरी तरफ से कोई गलती होगी और वह मुझे बता दी जायेगी तो मैं उसे निःसंकोच भाव से बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार करूंगा।

श्रीमन, इस संबंध में आंकड़े देने के पहले एक और दुख की बात मैं दो मिनट में कह देना चाहता हूं। हिन्दुस्तान की आजादी के बाद दुनिया में जनतंत्र कायम हो चुके थे। इसलिये

दुनिया के जनतंत्र की देखा देखी हमारी राष्ट्रीय सरकार ने भी इस जाति-पांति और साम्प्रदायिकता कटुता वाले देश में जनतंत्र तो कायम कर दिया, और जनतंत्र कायम होना चाहिये, लेकिन (मेरे यह कहने से किसी माननीय सदस्य को यह भ्रम न हो जाये कि मैं कोई दकियानूसी ढंग से जनतंत्र का विरोधी हूं और उसकी आलोचना कर रहा हूं) सरकार को यह भी ठंडे दिल से सोचना चाहिये था कि जिस देश में विभिन्न जातियों और साम्प्रदायिक भावों के लोग रहते हों, जहां जन न रहते हों, अपने को कभी भूलकर भी जन न समझते हों, हिन्दू, मुसलमान, जाट, सिख, पठान, ईसाई आदि समझते हों, ऐसे देश में जहां हम जनतंत्र कायम करने जा रहे हैं तो इस 'जन' भाव का भी नागरिकों में विकास होना चाहिये। इस पर १७ साल की आजादी में भी सरकार का ध्यान नहीं गया और इसका परिणाम यह है कि जनतंत्र के अधिकार देने के बाद ऐसी स्थिति हो गई है कि जैसे किसी अबोध बच्चे के हाथ में चाकू पकड़ा दिया गया हो और वह चाहे जब जाने अनजाने अपनी ऊंगली काट ले। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह तथ्य इस देश के जनतांत्रिक राज्य में आज सही नहीं है? क्या आज लोकसभा और विधानसभाओं के चुनावों में, पंचायतों के चुनाव में, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव में, इन चुनावों में शायद ही किसी साल का अन्तर जाता होगा नहीं तो हर साल इन चुनावों के कारण जातीयता का रिहर्सल क्या नहीं हो रहा है? मैं सभा-सचिव का ध्यान आकर्षित करके पूछना चाहता हूं, मैं कोई उनकी झूठी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मंत्री जी बड़े संवेदनशील हैं, क्या यह आपके चुनाव जातीयता का रिहर्सल करके गांवों के सामाजिक संगठन को छिन्न भिन्न नहीं बना रहे हैं?

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

आप सुझाव दीजिये।

श्री रघुनाथसिंह—

मेरी अक्ल में जितना होगा उतना ही मैं कहूंगा। आप इसको सुझाव क्यों नहीं समझ लेते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

डा० साहब आप बोलिये।

श्री रघुनाथसिंह—

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से बहुत गम्भीर भाव से अपनी राष्ट्रीय सरकार के सामने यह सुझाव रखना चाहता हूं कि यदि जनतंत्र की सफलता आप चाहते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि अगर आगे चलकर आप उचित काम करना भी चाहेंगे, पंचायतों का आर्थिक पोषण करके उनका विकास करना ही चाहेंगे तब भी यह जातीयता और साम्प्रदायिकता की भावना गांवों में पंचायत राज्य के कार्य और गांव सभाओं के निर्माण का कार्य ठीक से नहीं होने देगा इस पर आपको बहुत संयुक्त ढंग से सोचना पड़ेगा और इस जातीयता और साम्प्रदायिकता की भावना को तोड़ने के लिये कोई योजना चलानी पड़ेगी।

राज्य सरकार केवल बेमन से कागजी काम करती है। कैसे करती है इसके मैं कुछ प्रमाण देना चाहता हूं। श्रीमन, एक तो आपके बजट साहित्य में गांव सभाओं को प्रशासनिक व्यवस्था के अन्तर्गत राज्यपाल, मंत्रिमंडल, मुख्यालय के अधिष्ठान, आयुक्त और जिला प्रशासन के साथ कागजी महत्व देने के लिये रख दिया गया है। तो प्रशासनिक व्यय के अन्तर्गत इसको रखकर केवल यह दिखाया जा रहा है कि हमारा पंचखम्भा राज्य भी एक प्रशासनिक अंग है। लेकिन इसका क्या वास्तविक महत्व है, यह इससे स्पष्ट है कि इस मद में ग्राम पंचायतें फूटी कौड़ी भी नहीं पातीं।

[श्री रघुनाथसिंह]

अब दूसरी गलती आप क्या करते हैं कि एक ओर तो गांव सभा को आपने प्रशासनिक व्यय के उपशीर्षक के अन्तर्गत रख दिया है लेकिन जहां अनुदान की मांग की बात आती है वहां पर अनुदान संख्या ११ लेखा शीर्षक ७१ में प्रकीर्ण के अन्तर्गत इसको रखा गया है । प्रकीर्ण के माने हैं फुटकर और फुटकर में आपके राज्य का पांचवां खम्भा, जिसका कि इतना गान आप करते हैं, रखा गया है ।

श्री बंशीधर पांडेय---

आपने तो इसे चौखम्भा राज्य का अंग माना है ।

श्री रघुनाथसिंह--

हमारे चौखम्भा राज्य के नारे पर ही बढ़कर आपने "वचने किम् दरिद्रता" के आधार पर पंचखम्भा राज्य कायम कर दिया । लेकिन इस तरह से प्रकीर्ण में रखने से एक मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है । (कई सदस्यों के पीछे से बातें करने पर) जरा चुप तो रहिये ...

श्री उपाध्यक्ष--

कोई कुछ भी करता रहे, आप बोलते रहिये ।

श्री रघुनाथसिंह--

यह आपको करना चाहिये था, जो मैं कर रहा हूं । तो यह फुटकर की बात हुई और उस फुटकर में भी दुर्भिक्ष सहायता, पेंशनें, सेवानिवृत्ति भत्ता, भारतीय नरेशों के भत्ते आदि के बाद दूसरा फुटकर है गांव सभा और पंचायतें । माननीय सदस्य स्वयं सोचें कि यह बात कितनी अपमानजनक पंचखम्भा राज्य के लिये है । आपके साहित्य को पढ़कर जो दूसरी बात बेमन से इस पंचायती राज्य को चलाने के सिलसिले में मुझे ज्ञात हुई उसे भी मैं दिखलाता हूं ।(लाल बत्ती हो जाने पर) श्रीमन, मुझे तो ज्यादा समय मिलना चाहिये मैंने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है । दूसरों को भी २० मिनट मिला है ।

श्री उपाध्यक्ष---

ठीक है, चलिये बोलिये ।

श्री रघुनाथसिंह--

तीन साल का बजट साहित्य आप देखें, हर साल जब अनुदान का आप पुनर्वीक्षण करते है तब उसमें कटौती करते हैं । वैसे तो हर साल आपका व्यय बढ़ रहा है लेकिन तीन साल के बजट में दो साल के अनुपात से आपने बराबर कमी की है । तो यह दोहरी कमी आपके इस पंचायतराज्य के संबंध में चल रही है जो निश्चिय ही बहुत दु:खद मालूम होती है । १९६३-६४ में तीन प्रकार के आंकड़े हैं । उसमें आपके अनुमान के पुनरीक्षण में ६।। लाख के ऊपर की कमी है । फिर जो वास्तविक खर्च किया उसमें १६ लाख ५० हजार की कोताही कर दी है । इसके बाद आप १९६४-६५ को लें । १९६४-६५ का वास्तविक आंकड़ा अभी ज्ञात नहीं है किन्तु इस वर्ष आय-व्ययक अनुमान का पुनरीक्षण संशोधन करते समय ३१।। लाख के ऊपर कोताही की गई जो राज्य के सम्पूर्ण अनुमान व्यय की पुनरीक्षण में हुई कमी ३६३ लाख का लगभग १२ वां भाग है । इस प्रकार से १९६४-६५ का पुनरीक्षित अनुमान १९६३-६४ के पिछले वर्ष के पुनरीक्षित अनुमान से १७ लाख १७ हजार ६०० और वास्तविक व्यय से ६९ हजार ५१२ कम है । वास्तविक व्यय पता नहीं कि कितना कम होगा । जब कि प्रतिवर्ष राज्य का व्यय बढ़ता जा रहा है तो पंचायत राज का व्यय उतार पर है । हर वर्ष के अनुमान से पुनरीक्षित अनुमान और वास्तविक व्यय

की दृष्टि से भी और पिछले वर्ष से अगले वर्ष का व्यय निर्धारित करने की दृष्टि से भी। तो फिर किस तरह से ये पंचायती योजना चल सकती है ?

प्रस्तुत वर्ष के बजट में २७२ करोड़ ६५ लाख रुपये के व्यय के अनुमान में पंचायती राज के व्यय का अनुमान १ करोड़ ६४ लाख ८२ हजार ८०० रुपये का है। इस प्रकार इस पांचवें खम्भे के राज पर कुल राज व्यय का १८२ वां भाग खर्च होगा जब कि इस प्रकीर्ण मद से राजस्व की अतिरिक्त वृद्धि में खासा महत्वपूर्ण भाग होता है। इस प्रकीर्ण मद से राजस्व की वृद्धि में कुल अनुमान जहां ११ करोड़ ६६ लाख की वृद्धि का है ७५ लाख की वृद्धि इस मद में हुई थी जो कुल वृद्धि का १२ वां भाग है और दूसरी ओर इस मद की मूल अनुमान के व्यय से राज्य की कुल कमी का २० वां व्यय कम किया गया। राजस्व वृद्धि में इस विभाग से महत्वपूर्ण योग हो और ठीक उसके प्रतिकूल व्यय में उससे डेढ़ गुना से भी अधिक अनुपात में कमी की जाय। इस पंचायत राज के व्यय का एक और चिन्तनीय पहलू भी देखा जाय। जो आपकी मांग है उसमें आपके निदेशक और जिला पंचायत प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन भत्ते पर ४७,२८,४०० रुपये खर्च करेंगे और इस प्रकार उपरोक्त प्रशासनों के कार्यालयों के नियत और अनियत आकस्मिक व्यय और पंचायत मंत्रियों के लिये सहायक अनुदान पर १,३९,६१,७०० रुपये खर्च करेंगे। इसी प्रकार से पंचायत राज के इस फुटकर लेखा शीर्षक के मद में अन्य फुटकर खर्च के लिये १,५०,००० रुपया बचेगा। यह मैं नहीं समझ पाया हूं कि वह फुटकर खर्च भत्ते पर करेंगे या अफसरों की महंगाई भत्ते पर खर्च करेंगे या गांव पंचायत के सभापतियों के पास किस ढंग से जायगा। इसका पता हमको बहुत कोशिश करने पर भी नहीं मिल सका। अब व्यय का कुल अनुमान जहां १,६४,४२,८०० रुपये है वहां पर यह अधिकारियों, कर्मचारियों के वेतन और भत्ते पर उनके कार्यालय के नियत, अनियत और आकस्मिक खर्चे पर और जो आपके पंचायत सेक्रेटरी हैं जिनको आप वेतन नहीं देते हैं जिनको अस्थायी करके रखा गया है उनके लिये सहायक अनुदान में खर्चा करने के बाद इस साल कुल ६ लाख ७८ हजार रुपया अन्य कार्य के लिये बचेगा। आपने कहा है कि ७२,२२८ पंचायतों का हमने निर्माण कर लिया है।

(लाल बत्ती होने पर)

श्री रघुनाथसिंह—

श्रीमन् ५ मिनट का समय और दे दीजिये।

श्री मैनेजरसिंह—

बड़ा सारगर्भित भाषण हो रहा है, उपाध्यक्ष महोदय...

श्री रघुनाथसिंह—

मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पंचायत सेक्रेटरियों को अभी तक आपने स्थायी नहीं किया। उनको आप सहायक अनुदान देते हैं लेकिन उसमें से गत वर्ष आपने १ लाख ७२ हजार रुपये की कटौती की और इस साल भी आप १ लाख ३० हजार रुपया कटौती करने जा रहे हैं और इसका कारण यह है कि उनका बहुत सा पैसा जिले के वैयक्तिक खाते में जमा होता जा रहा है और उसीसे अभी काम चल रहा है और इसलिये मूल आय-व्ययक में आप दो, तीन साल से बराबर कटौती कर रहे हैं। यह कितना जालिमाना व्यवहार है। इस विकेंद्रीकरण के राज्य में दूसरे खम्भे के आप मंत्री है, पांचवें खंभे के वे मंत्री है, जब आप अपने भाई के न हो सके तो हमारे आप क्या होंगे।

[श्री रघुनाथसिंह]

इसी सिलसिले में मेरा सुझाव है कि अब बहुत दिन हो गये, १६,१७ साल की अवधि बहुत होती है । पंचायत सेक्रेटरियों को स्थायी करके उनका महंगाई भत्ता आप बढ़ाइये नहीं तो निराशा की स्थिति में आपकी पंचायती राज की कल्पना साकार नहीं हो सकेगी ।

अब गांव सभाओं की आप बात सुनिये । पारसाल मंत्री महोदय ने कहा था कि पंचायतों ने १९४६ से ६३ के वर्षों के बीच १४ करोड़ ८१ लाख ४५ हजार १०५ रुपये का टैक्सेशन असेस किया और १० करोड़ ७४ लाख ११ हजार ६६ रुपया टैक्स के रूप में वसूल किया और अपने विकास कार्यों पर खर्च किया । आपके हिसाब से पंचायतों ने बहुत बड़ा काम किया है, परन्तु मुझे दुख है कि आपके काल्पनिक आनन्द का मुझे भंडाफोड़ करना पड़ रहा है । अगर आप १४ साल के समय में जो वसूल हुआ उसे १४ से भाग दें और फिर ७२ हजार २८८ पंचायत हैं उनसे भाग दें तो एक पंचायत की कुल वसूली १०६ रुपया आती है । इसमें विकास के बीसों काम हैं । पंचायतों के न्याय विभाग का जो शुल्क अन्शदान के रूप में आप पंचायतों को देते हैं वह ७ नया पैसा प्रति पंचायत आता है । लघु सिंचाई योजना के लिये २.४ रुपया प्रति पंचायत आता है जिसमें २/३ भाग पंचायतें देंगी जब यह उनको मिलेगा । तो साल में ७.२ रुपये खर्च करके क्या लघु सिंचाई का काम हो सकता है यह आप सोचें ?

श्री उपाध्यक्ष—

आपका यह समय समाप्त हुआ ।

*श्री बृजबिहारी—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी अभी मैं बड़े ध्यान से डाक्टर साहब का भाषण सुन रहा था और निःसंदेह उन्होंने जो विचार प्रकट किये हैं वे सराहनीय हैं और मैं उनको बधाई देता हूं ।

श्री रघुनाथसिंह—

मैं आपका कृतज्ञ हूं ।

श्री बृजबिहारी

उपाध्यक्ष महोदय, सही बात यह है कि किसी देश के लिये विशेषतः जो अविकसित है योजनाबद्ध कार्य करना उसकी उन्नति के लिये परमावश्यक है । हम मानते हैं कि ग्राम पंचायतें आधारशिला हैं पंचायत राज की । हमको देखना यह है कि इन पंचायतों की स्थापना से हम कहांतक सफल हुये हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति में । पंचायतों के निर्माण से हमने चारों तरफ लोगों में जागृति पैदा कर दी है लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गये हैं । जैसा कि डाक्टर साहब ने कहा, हम जो पंचायतों का चुनाव करा रहे हैं, उसमें कुछ जातीयता और बिरादरीवाद का समावेश अवश्य हो रहा है, यह चिन्ता की बात है । हमने माननीय डाक्टर साहब से प्रश्न किया कि सुझाव दें, इस पर वह रुष्ट हो गये । उन्होंने सुझाव नहीं दिया । हम चिंतित हैं कि करें क्या ? हम तो इधर के बैठने और उधर के बैठने वाले सम्मानित सदस्यों से सुझाव की अपेक्षा रखते हैं ।

श्री रघुनाथसिंह—

आपका क्या सुझाव है, पंडित जी ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री बृजबिहारी—

ठीक है । यह प्रश्न आया था । जिस समय पंचायतों का निर्माण हुआ था उस समय जो कमेटी अप्रैल, १९५२ में बनी थी उसका मैं भी सदस्य था । प्रश्न था कि वोट की पद्धति क्या बनाई जाय ? हम सब लोगों की राय थी कि गुप्त मतदान कराया जाय । मा० पंत जी को , जो उस समय मुख्य मंत्री थे राय थी, कि हाथ उठाकर मतदान होना चाहिये । जिस तरफ डाक्टर साहब ने भी इशारा किया है, उस समय भी लोगों का कहना था कि अधिकतर अवांछित तत्व आ जायेंगे, क्योंकि डर की वजह से वोट उन्हीं को लोग दे देंगे । लेकिन पंतजी ने अंग्रेजी में कहा था "लेट देम बर्न देयर ओन फिंगर्स' । उनको अपनी उंगली जलाने दीजिये । एक दो मर्तबा अवांछित तत्व आ जायंगे । लेकिन जनता समझेगी कि हमको अच्छे लोगों को ले आना चाहिये । इस प्रकार से वर्तमान क्रम निश्चय हुआ था । न्याय पंचायतों के चुनाव में भी कुछ ऐसी बातें आती हैं . . .

श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)—

कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री बृजबिहारी—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि न्याय पंचायतों में भी जिस तरह से कार्य हो रहा है वह हमारे लिये चिन्ता का विषय हो रहा है, न्याय पंचायतों में लोगों से झूठे दावे करा दिये जाते हैं और गलत फैसले करा दिये जाते हैं, जुर्माने और सजायें करा दी जाती हैं, हमको यह देखना है कि हम इनका चुनाव कैसे करावें, इसपर हमें विचार करना है । मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी इस संबंध में है, क्योंकि मैं अपने क्षेत्र में घूमता रहता हूं । पहले पुलिस और माल विभाग में भ्रष्टाचार की बात कही जाती थी, लेकिन इस विभाग में हम ऐसी आशा नहीं करते थे लेकिन मुझे दुख है कि ऐसे बी०डी०ओ० भी हैं जो अनुदान निर्माण कार्य के लिये दिये जाते हैं उनमें से हिस्सा बंटाते हैं । (व्यवधान) मा० लक्खीसिंह जी मुझे कहने तो दीजिये । सिर्फ आलोचना कर देने से काम नहीं होता है । मा० पांडेय जी ने बतलाया है कि ग्रामीण जन शक्ति उपयोगी योजना के अन्तर्गत २३ जिलों के १६९ विकास खंडों को लिया गया है, और गेहूं वाली जो योजना है उसपर भी १५ जिलों में कार्य हो रहा है । बहुत सी योजनायें यहां से लिख कर केंद्र में स्वीकृति के लिये भेज दी जाती हैं लेकिन दुख है कि उनमें से बहुत सी सेंटर से वापस आ जाती हैं । एक तो लिखा-पढ़ी में ही बहुत ज्यादा देर हो जाती है और उनमें जो कार्यान्वित भी कराई जाती हैं उसमें भी देर काफी हो जाती है । इस प्रकार लक्ष्य की प्राप्ति होने में बहुत देर हो जाती है । मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि हम इसमें शीघ्रता कर सकें ।

एक बात सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई कि इसके संबंध में कोई सरकार अलग विभाग स्थापित करना चाहती है । हमें आशा है कि वह विभाग जागरूक होकर कार्य करेगा । यद्यपि मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि विभाग में बढोत्तरी की जाय तथा अधिकारियों के पदों में बढोत्तरी की जाय ।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं और वह यह कि कुंवों के निर्माण के लिये जो पैसा जाता है उससे नये कुएं तो बनाने के लिये प्रोत्साहन दिया जाता है, मगर पुराने कुंवों की मरम्मत की ओर बहुत कम ध्यान दिया जाता । नये कुएं बनाने के लिये फार्म भरवाये जाते हैं लेकिन मेरा आपके द्वारा सरकार से निवेदन है कि जो पुराने कुयें हैं, जिन्हें मरम्मत कराकर ठीक बनाया जा सकता है, उस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये सर्वप्रथम पुराने कुओं की मरम्मत कराने पर अधिक जोर देना चाहिये ।

[श्री बृजबिहारी]

दो तीन बातें और कहना चाहता हूं। सरकार ने प्राथमिक हेल्थ सेंटर खोलने का बचन दिया था, मगर अब तक मेरे जिले में वह नहीं खोले गये। मेरे क्षेत्र में मवेशियों का अस्पताल होना चाहिये, उसके न होने से बड़ी परेशानी है। १२-१२ सौ रुपये की जोड़ी बैलों की आती है, बीमारी लगने पर, समय पर चिकित्सा न मिलने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। मेरा अनुरोध है कि अगर हर एक विकास खंड में यह संभव न हो तो कम से कम दो में एक पशु चिकित्सा केंद्र की आप व्यवस्था तुरन्त कर देवें। दूसरी बात यह भी कहना है कि बहुत सी जगह जो आपके हेल्थ सेंटर्स खुले हैं, वहां पर कम्पाउन्डर्स नहीं हैं। कोई किसान जब अपने बीमार मवेशी को लेकर वहां जाता है तो वहां पर कोई पुरसांहाल ही नहीं होता। इसलिये जो प्राथमिक हेल्थ सेंटर्स हैं वहां पर आप ऐसी व्यवस्था करें ताकि तत्काल वहां पर दवा आदि मिल सके। आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे सुझावों पर अवश्य ध्यान देने की कृपा करेंगे।

*श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

मैं, मान्यवर, आपका आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण अनुदान पर बोलने का मुझे अवसर प्रदान किया। मान्यवर, आप यह जानते हैं कि गांव पंचायतें व गांव सभायें हमारे ग्रामीण जीवन की आधार शिला हैं और इनकी उन्नति की ओर अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो देश को समृद्धिशाली बनाने की जो हमारी कल्पना है वह अधूरी ही रह जायेगी। इस समय नियोजन की थ्योरी तैयार करके, जिस तरह से प्रदेश को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है उससे हम अपने लक्ष्य की पूर्ति की ओर नहीं जा रहे हैं। आपकी असफलता का प्रमाण यह है कि जो लक्ष्य आपका सिंचाई का क्षेत्र बढ़ाने का था इन १५ वर्षों में वह पूरा नहीं हुआ। हमारा कृषि उत्पादन भी पहले के मुकाबले घटा ही है। इसी कारण खाद्य संकट भी उत्पन्न हो गया है। अपने नियोजन को सुनियोजित ढंग से चलाने के लिये आपने विकास खण्डों में तमाम अधिकारियों की एक फौज भी तैयार की है। विकास अधिकारी और उनके नीचे सहायक विकास अधिकारी नियुक्त किये गये हैं कहने का अर्थ यह है कि निरीक्षक तो इतनी बड़ी मात्रा में हो गये लेकिन फील्ड में काम करने के लिए जितने कर्मचारियों की आवश्यकता थी, वह पर्याप्त संख्या में नहीं लगाये गये। ग्राम सेवक और सेक्रेटरी का काम केवल यही रहा कि वे आवेदन-पत्र लें, और विकास के कार्यालय में पहुंचा दें। उनको इस काम के लिये समय नहीं मिल पाता कि वह जनता के बीच में जायं, और उन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये, अधिक अन्न उत्पादन के लिये तथा दूसरे विकास कार्यों के लिए जनता को तैयार कर सकें। जैसा कि श्री रक्षापाल सिंह जी ने कहा था, ए० डी० ओ० (महिला) और ग्राम सेविकाओं की जो तैनाती की गई, उसका परिणाम सब जगह भयंकर हुआ। मेरे फतेहपुर जिले में भी ऐसी घटनाएं हुईं, जिनका उल्लेख करना कुछ अच्छा प्रतीत नहीं होता। जैसा मैं निवेदन कर रहा था, अपेक्षा बहुत की गई थी, पर कार्य कुछ नहीं हो रहा है। उसका कारण केवल यह है कि गांव पंचायतें तो इसलिए सक्रिय नहीं हो रही हैं, कि इनके हर पांच साल में चुनाव होते हैं चुनाव के पश्चात आप जानते हैं कि साल भर तक एक ऐसी पार्टी रहती है, जिसके कारण प्रधानों को वहां काम करना मुमकिन नहीं होता। उसके बाद एक दो साल काम करने का अवसर मिला और तत्पश्चात फिर चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है और जो काम होना चाहिए वह नहीं हो पाता। इस कठिनाई को दूर करने के लिए एक ही सुझाव हो सकता है, कि इन पंचायतों का कार्यकाल १० वर्ष किया जाय, बिना ऐसा किये इनका सक्रिय रूप मे चलना सम्भव नहीं हो सकता। जैसा कहा गया, चुनाव में जातीयता और तरह तरह के झगड़े इत्यादि उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे पंचायतों का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। चुनाव में जो सब से बड़ी कठिनाई होती है, मैं पाण्डेय जी से कहूंगा, कि रजिस्टर २ जो होता है, वह इतना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अनियमित और ग़लत होता है कि उससे सही मतदाता चुनाव से वंचित रह जाता है। उसके लिए यह उपयुक्त होगा कि विधान सभा की जो चुनाव सूची है, उसीसे गांव पंचायतों का चुनाव कराएं। दूसरी बात गांव पंचायतों के पास राजस्व की बड़ी कमी रहती है, जैसा कि डाक्टर साहब ने हिसाब लगा करके बताया। उनके संचालन के लिए कोई धनराशि उनके पास नहीं होती। मैं पाण्डेय जी से कहूंगा कि राजस्व का कुछ हिस्सा गांव पंचायतों को दिलाने की ओर वह कदम उठाएं, तभी वह कुछ कार्य कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा गांव पंचायतें हमारी आधार शिला हैं, अगर उन को मजबूत नहीं किया तो कोई काम आपका चलने वाला नहीं है

तीसरी बात—जो सदस्य गांव पंचायत के होते हैं, उनकी एक एक गांव में इतनी संख्या होती है कि कोरम पूरा करना कठिन हो जाता है, इससे भी काम आगे नहीं बढ़ पाता। मैं समझता हूं कि २० और २५ की संख्या जो उनकी है, वह १० से ज्यादा न रखी जाय।

प्रधानों के चुनाव में बैलट बाक्स की व्यवस्था है, यह मैं कुछ अच्छा नहीं समझता। जिस प्रकार से सदस्यों का चुनाव होता है, उसी तरह से हाथ उठाकर, प्रधानों का भी चुनाव होना चाहिये। उसका कारण यह है कि बैलटबाक्सों से गांव का वातावरण बिगड़ कुछ ऐसा जाता है कि हर आदमी सब को यह वचन देता है कि मैं आपको वोट दूंगा और एक प्रकार की उद्विग्नता बनी रहती है, जिससे सही ढंग से कार्य संचालन नहीं होता और फिर पंचों के चुनाव में जब किसी तरह की कोई कठिनाई आप को नहीं है, तो प्रधानों का चुनाव भी हाथ उठाकर होना चाहिए।

मैं आपका ध्यान इस बात की ओर भी दिलाना चाहता हूं कि पिछले वर्ष जब पंचायतों का चुनाव कराया गया, तो उन्हीं पंचों में से न्याय पंचायतों के पंच भी चुने गये और वह स्थान सारे के सारे खाली पड़े रह गये। आज तक उन को भरा नहीं गया। तो आप इस पर भी विचार करें कि जो गांव पंचायत के सदस्य कहे जाते हैं, उन्हीं के साथ साथ न्याय पंचायत के लिए भी अलग से चुनवाने की व्यवस्था करें, तो सम्भव है कि यह स्थान इस तरह से रिक्त न रह पायें।

पंचायत के मातहत एक सेक्रेटरी होता है जो वैतनिक होता है और गांव पंचायत से कुछ भत्ता भी पाता है। सेक्रेटरी के पास इतना ज्यादा काम होता है कि एक एक न्याय पंचायत में १०–१०, ११–११ गांव सभाएं होती हैं, और उनका काम करने के साथ साथ न्याय पंचायत की हर सप्ताह की बैठक में भी उसे काम करना होता है, जो उसके लिए कठिन होता है। इसलिये यह सेक्रेटरी और जो ग्रामसेवक हमारे हैं, इनको समान काम बांट देना चाहिए और कुछ गांव पंचायतें इनको भी दे देनी चाहिए जिससे कि कुछ काम हल्का हो जाय।

एक सब से बड़ी कठिनाई उनके काम में यह होती है, चाहे वे प्रधान हों, चाहे सदस्य हों, उन को अधिकारियों के समक्ष सम्मान प्राप्त नहीं हो पाता है। उनको मुकदमें चलाने होते हैं, और मुकदमों में आप जानते हैं, चाहे वह तहसील में हों, चाहें दूसरी जगह हो, बगैर पैसे के कुछ काम नहीं हो पाता। गांव पंचायतें पैसा किस मद से दें? इसका नतीजा यह होता है कि गांव पंचायतें अपने मुकदमें में असफल हो जाती हैं। इस तरह जब सही बात भी उनकी ग़लत साबित हो जाती है, तो गांव में काम करना उनके लिए कठिन हो जाता है। इसलिये इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए, कि गांव पंचायतों के जो वकील हों, वह ऐसे आदमी हों, जो सही पैरवी कर सकते हों और वह मुकदमा बिगाड़ने में सहायक न हों।

ग्राम सेवक और सेक्रेटरी दोनों एक सा काम करते हैं, लेकिन उन में एक का वेतन अधिक हो और एक का कम हो, यह कुछ अच्छा नहीं प्रतीत होता। अब तक की परम्परा के अनुसार सदैव यह देखा गया है कि सेवक का वेतन कम और सचिव का वेतन अधिक होता है, लेकिन यहां से वक का वेतन ज्यादा और सचिव का वेतन कम है। मैं चाहता हूं इस भेदभाव की नीति का परित्याग होना चाहिए और दोनों को समान वेतन मिलना चाहिए और साथ ही उनका प्रान्तीयकरण भी होना चाहिए।

[श्री रामकिशोर वर्मा]

जैसा हमारे साथी माननीय रक्षपाल जी ने आप से निवेदन किया था, जिला परिषद् के जो कर्मचारी हैं, उनकी भी एक समस्या है। आज सरकार का कुछ रवैया ऐसा हो गया है कि जो दल या यूनियन हड़ताल करें, आंदोलन की धमकी दें उनके वेतन की बढ़ोत्तरी के बारे में सरकार का ध्यान चला जाता है, लेकिन जो शांतिमय तरीके से काम करना चाहते हैं, सरकार का ध्यान उस ओर नहीं जाता है। तो मैं आप से कहूंगा, जब नियोजन और जिला परिषद् के कर्मचारी एक सा काम करते हैं, तो दोनों का वेतन समान होना चाहिए और उनका भी प्रान्तीयकरण होना चाहिये।

श्री किशोरीलाल अग्रवाल (जिला लखनऊ)—

उपाध्यक्ष जी, नियोजन मंत्री ने जो मांग पेश की है, उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। साथ ही मैं यह महसूस करता हूं कि कम्युनिटी डेवलपमेंट विभाग १०–१५ प्रतिशत से ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ है, उसके कारण के ऊपर हमारे अधिकारी गौर ही नहीं करते हैं, और खासतौर से उसकी जिम्मेदारी अपोजीशन पर है। अपोजीशन इस बात के लिए बनाया जाता है कि जनहित की चीजों को वह देखे कि उनमें क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या करना चाहिये। सिवाय डिमांस्ट्रेशन करने के और उसका कोई रोल ही इस प्रदेश में नहीं रह गया है, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। अगर अपोजीशन के लोग गवर्नमेंट की हर जगह पर टांग पकड़ें, कंस्ट्रक्टिव तरीके से, तो नियोजन और कम्युनिटी डेवलपमेंट सक्सेसफुल हो सकता है। मुझको खुद इस चीज का ज्ञान है कि आज ब्लाकों में काम नहीं हो रहा है। उसका कारण यह है कि उन को आफिसरों की हाजिरी बजाने से ही छुट्टी नहीं मिलती है। सब से पहले यह जरूरी है कि ब्लाकों में यह जो ए० डी० ओ० की फौज है, इसको कम किया जाय। बल्कि एग्रीकल्चर, सिंचाई और कोआपरेटिव विभाग एक ही मंत्री के पास हों तो काम करने में सुविधा होगी। ए० डी० ओ० कोई काम नहीं करते हैं। आज २० दिन हुए मैंने अपने ब्लाक में कृषि औजार खरीदने के लिये रुपया जमा किया। आज तक ब्लाक ने हमें इम्प्लीमेंट्स नहीं दिये। यह जिन्दा मिसाल है। मुझको तो शर्म मालूम होती है यह कहने में कि जब हेडक्वार्टर्स पर यह हालत है तो भीतर क्या होता होगा। इसकी सारी जिम्मेदारी अपोजीशन की है, वे भी हेडक्वार्टर्स पर रहते हैं। अगर वे लोग नजदीक से देखकर बतलावें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि देश में सुधार हो जाय।

रेवेन्यू विभाग के लिये तो मैं शब्दों में क्या कहूं, वह अच्छी बात तो अपनाना ही नहीं चाहता है। इसकी जिन्दा मिसाल है। मैंने एक योजना बनाई कि इस तरह से किसान का लाभ होगा। इससे किसानों में संतोष की भावना आवेगी कि जो कुछ उनका है, वे उनके स्वामी हैं। उनके साथ कोई चालाकी करने में सफल नहीं होगा। इस समय होने वाले भ्रष्टाचार, यदि वे हैं, फीस नियत हो जाने से निर्मूल हो जावेंगे। फीस से होने वाली आय के कुछ भाग को शासन व लेखपाल तथा सुपरवाइजर कानूनगो के मध्य वितरित किया जा सकता है। किसानों को तहसील के अधिकारियों द्वारा जांच आदि के लिये प्रतीक्षा करनी नहीं पड़ेगी और उन्हें शीघ्र ऋण मिल जायगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट यह चाहता है कि करप्शन की बुनियाद जमी रहे। अगर मेरी यह योजना अपनाई जाय तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो आज ब्लाक स्तर पर किसान को ऋण दिया जाता है और जिसमें से बहुत सा बीच ही में रह जाता है, वह नहीं होने पावेगा। उसका ज्यादा हिस्सा इस समय तहसील और ब्लाक के अफसरों में बंट जाता है और किसान के समय की बरबादी का तो कुछ कहना ही नहीं है। वह अपने खेत देखें या ऋण लेने जायं? इस योजना में कहीं भी कमी नहीं है और अगर पाई जाय तो उसे ठीक किया जा सकता है। मध्य प्रदेश ने इस योजना को अपना रखा है और राजस्थान गवर्नमेन्ट भी अपनाने जा रही है। अगर इस में कोई कमी है तो सरकारी अधिकारियों का काम है कि उसे ठीक करें।

जब तक माइनर इर्रीगेशन को नहीं बढ़ाया जायगा हमारी कम्युनिटी डेवलपमेंट या खेती बढ़ नहीं सकती है। इस को बढ़ाना परमावश्यक है। आज सब से बड़ी कमी सिंचाई के साधनों की है। नहर बढ़ गई लेकिन पानी नहीं है। टैक्स-पेयर का पैसा नहरों में इस प्रकार लगाने से क्या फ़ायदा? सरकारी अफ़सरों की फौज बढ़ाते जाते हैं। जरूरी है कि आप ऐसा सर्वे कराइये जिससे योजनायें सफल हों। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही रोज में सब योजनायें चालू हो जावें। आप थोड़ा थोड़ा लीजिये। गांव का सर्वे कराके आप ईंट और सीमेंट पहुंचावें। हालत तो यह है कि ईंटा मिलता है तो सीमेंट नहीं मिलता है। मेरे ब्लाक में क़रीब ३ महीने से सीमेंट नहीं है। अगर आप एग्रीकल्चर, सिंचाई और कोआपरेटिव विभागों को एक ही मिनिस्टर के अन्डर नहीं करेंगे तो आपकी योजनायें सफल नहीं होंगी। यह आप को मजबूरन करना होगा।

जिस जिस जगह पर बी० एल० डब्लू० तैनात हैं वहां, उसी सर्किल में, खाद और औजारों की दूकानें होनी चाहिये। लोन के फ़ार्म भी वहां मिलने चाहियें और वहीं पर भरे जावें। आज किसानों को इधर-उधर दौड़ना पड़ता है।

मेरे पास भी दो कुवें हैं। यहां से ६ मील पर मेरा बाग़ है। लेकिन पी० आर० ए० आई० के मार्फ़त हमने कुवें बनवाये तो वे टेढ़े बने। इसे गम्भीरता से सोचना चाहिये। डिपार्टमेंट के आई० ए० एस० और आई० सी० एस० अफ़सर अपने फ़ार्म चला रहे हैं जिनमें सरकारी कर्मचारी काम करते हैं। यह सब लखनऊ में हो रहा है।

ग्राम पंचायतों की रेग्युलर मीटिंग होनी चाहिये। जब तक उनमें ए० डी० ओ० लोग नहीं जावेंगे तब तक काम नहीं हो सकता है। जो डिसीशन्स वहां लिये जावें उन को इम्पलीमेंट करने की आवश्यकता है। तभी गांवों के लोग उनमें ज्यादा भाग लेंगे। अब तो हां कोरम ही पूरा नहीं होता है। पी० आर० ए० आई० में कई सेक्शनस ऐसे हैं जो फौरन् ख़त्म कर देने चाहिये जैसे स्वायल कनजर्वेशन और युथ क्लब हैं। अब हर ब्लाक में युथ क्लब का प्रचार हो गया है। इंडस्ट्री के लिये गांवों में बहुत जोर दिया जा रहा है कि हर ब्लाक में २, ४ रूरल इंडस्ट्री खुलें। लेकिन रा मैटीरियल के नाम पर कुछ भी नहीं है। रा मैटीरियल की कोई गारंटी होनी चाहिये। हमारी योजनायें तभी सफलता से चल सकती हैं जब कि पहले उनके लिये सब चीजें जमा कर ली जावें भले ही वह धीरे धीरे चलें, भले ही हमें १० पंच वर्षीय योजनायें चलानी पड़ें। उससे हम घबरातें नहीं हैं। सरकारी अफ़सरों की पलटनें हमने रखीं, लेकिन वे न काम करते हैं न काज सिवाय इसके कि पहली तारीख़ को तनख़्वाह ले ली। उनसे जीप फ़ौरन् विदड्रा कर लेनी चाहिये। बी० डी० ओज साइकिल पर जावें, उन को माइलेज के हिसाब से अलाऊंस दिया जाय। उससे यह फ़ायदा होगा चाहे वे थोड़ी ही जगह पहुंचें लेकिन अच्छी तरह से किसान की बात सुनेंगे और उनको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। वे वहां रात को हाल्ट भी करें। अगर अपने प्रोग्राम को कामयाब करना है तो औरतों का जो नया विभाग खोला है, महिला योजना, उसे फ़ौरन् विदड्रा कर लीजिये क्योंकि हम लोग अभी इतने योग्य नहीं हुए हैं कि उनकी रक्षा कर सकें। वहां जो होता है, मुझे तो उस को कहने में शर्म मालूम होती है। आप लोग इन बातों को जानते ही हैं। बहुत सी बातें तो ब्लाक में हश-अप कर दी जाती हैं।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, हमारी पार्टी के बारे में यद्यपि यह कहा जाता है कि वह प्लानिंग में विश्वास नहीं करती। लेकिन ऐसी बात नहीं है। वह प्लानिंग में विश्वास करती है लेकिन इस तरह की प्लानिंग में विश्वास नहीं करती जिस प्रकार की प्लानिंग इस सरकार ने अपने कर रखी है। वह प्लानिंग का नाम आप दूसरे देशों से लाये हैं। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो बाहर वाले लोगों के इशारे में पंडित पन्त जी के पास उन सज्जन को प्लानिंग के बारे

[श्री विजयसिंह]

में जानकारी प्राप्त करने के लिये भेजा और उन्होंने यहां आकर प्लानिंग को रोग लगा दिया और आज इस प्लानिंग पर करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। बाहर के देशों में किस प्रकार की प्लानिंग चल रही है, इसको मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं।

मान्यवर, अमेरिका में जो प्लानिंग का रूप है वह इस प्रकार का विस्तृत और व्यापक नहीं है। वहां उसका रूप बहुत छोटा सा है, एक विभागीय सेक्टर में उस को छोटे २ बोर्ड बना कर तथा थोड़े समय में यह कार्य करने का अख्तियार दिया जाता है तथा उसके लिये कोई अलग से विभाग भी नहीं होता। छोटे-छोटे विभागों के लिये और थोड़े-थोड़े समय के लिये प्लानिंग के सेक्टर बना दिये जाते हैं, जहां लोग अपने-अपने क्षेत्र में अपना-अपना काम करते हैं। जिस रूप की आप नकल करते हैं, वहां पर भी इस प्रकार से नहीं होता जिस प्रकार से आप यहां कर रहे हैं। अमेरिका में वर्क प्लान बोर्ड कुछ समय के लिये बनाये गये थे। इंगलैन्ड में भी जो भी प्लान का काम उनको करना होता है, वह एक प्लान बोर्ड बना कर किसी एक विभागीय दिशा में उस काम को कर लेते हैं। इसी तरह से फ्रान्स में भी मानेट बोर्ड बना कर छोटे-छोटे कामों को इस के अन्तर्गत लेते हैं, और प्रगति करते हैं। जो विभाग होते हैं वही उसका काम भी करते हैं। ऐसा नहीं होता, जैसा कि इस सरकार ने किया है कि एक विस्तत प्लान बना कर पब्लिक एक्सचेकर पर इतना बड़ा भारी बोझ डाल दिया है। फ्रान्स में १९५४ में हिश्च प्लानिंग के अन्तर्गत प्लानिंग को चलाया। इटली में भी इसी प्रकार से छोटे पैमाने पर प्लानिंग का काम किया जाता है। लेकिन भारत में साधारण शब्दों में यह सरकार पाकेट मनी प्लानिंग के नाम पर इकट्ठा करती है। इतने बड़े पैमाने पर उस को खड़ा कर के करोड़ों रुपया उस पर खर्च किया जाता है। आपने प्लानिंग के अन्दर जो हैवी इन्डस्ट्रीज खोली हैं इनसे भी आप को लाभ की जगह हानि ही हो रही है। आप समझते हैं कि लम्बे समय में इनसे लाभ होगा, लेकिन यह भी आपका भ्रम ही है। आप का प्लानिंग का जो स्वरूप है, जो रूपरेखा है, सरकार ने बनाई है उनके बारे में बहुत सी बातें माननीय सदस्यों ने कहीं। माननीय बज बिहारी जी ने कहा कि योजनाओं का कार्य बिलकुल योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिये। हम भी इस बात से सहमत हैं लेकिन उसका स्वरूप ऐसा नहीं होना चाहिये जैसा कि यह सरकार चला रही है। सारे प्रदेश को ब्लाकों की इकाई में बांट दिया गया है और वहां पर सरकारी मुलाजिमों की एक फ़ौज इकट्ठी कर ली गई है—ए० डी० ओ० (प्लानिंग) ए० डी० ओ० (इंडस्ट्रीज), ए० डी० ओ० (सोशल डेवलपमेंट) ए० डी० ओ० (कोआपरेटिव) ए० डी० ओ० (कृषि) ए० डी० ओ० (हेल्थ) आदि आदि। ये भ्रष्टाचार के साधन बने हुए हैं। आपने २०० बी० डी० ओज० भ्रष्टाचार का चार्ज लगा कर को निकाला है लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? उस से करप्शन कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ ही गया। जिनको आपने निकाला वही हाई कोर्ट का स्टेलाकर अभी काम पर हैं पर वे भी आज टेम्पोरेरी तौर पर काम कर रहे हैं। यदि आप को उन्हें निकालना ही था तो आप को चाहिये था कि पहले से उनको एक निश्चित समय देते निश्चित चार्जेज लगाते और तब उन की सर्विस को खत्म कर देते। उनको आप ने मोटर दे दी है जिस पर काफी खर्चा होता है और इस तरह से आप के पैसे का उसके द्वारा बहुत दुरुपयोग होता है। आप को विजिलेंस कमेटी की तरह से ही इनके कार्यों को एसेंस करने की एक कमेटी बनानी चाहिये थी जो जाकर देखती कि बी० डी० ओज० क्या काम करते हैं, कहीं जाते भी हैं या घर पर बैठ कर ही सारे प्लान बना देते हैं। बी० एल० डब्लू० के पोस्ट्स पर जिन लोगों की आप ने नियुक्ति की उनमें बहुत से ऐसे भी हैं जो खेती की ए० बी० सी० डी० भी नहीं जानते, फिर वे किसानों के साथ क्या सम्पर्क रख सकते हैं। और उन को क्या खेती सम्बन्धी सुझाव दे सकते हैं और क्या उनका भला कर सकते हैं? इस से साफ़ जाहिर है कि उनकी नियुक्ति राजनीतिक आधार पर की गयी है। बी० एल० डब्लू० का काम है कि वह किसानों से सम्पर्क कायम रखे। आज आपके कहीं कहीं बी० डी० ओ० तथा ए० डी० ओ० का किसानों के साथ कोई भी सम्पर्क नहीं है और वे कहीं कहीं तो गांवों में जाते तक नहीं हैं राज्य की हर स्कीमों की पूर्ति करते रहते हैं। जब वे खुद खेती की बात को नहीं समझते तो किसानों को क्या

समझा सकते हैं ? इससे तो अच्छा यही था कि आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सुपुर्द ही इस काम को कर देते क्योंकि उनके छोटे छोटे कर्मचारी किसानों के पास देहातों में तो पहुंच सकते हैं। अगर उनका ही एक सेंटर बना दिया जाता जहां उनकी ट्रेनिंग हो जाती तो वे बहुत अच्छा काम कर सकते थे लेकिन ऐसा नहीं कर के आप डेवलपमेंट के नाम पर एक खिलवाड़ कर रहे हैं।

एक नया पद इस प्लानिंग विभाग में प्रगति निरीक्षक का बनाया गया है। उसका काम यह है कि वह आप को प्रगति के सही आंकड़े की जानकारी दे कि कहां पर क्या प्रगति हुई है। अगर वाकई में आपको इस पद द्वारा सही आंकड़े लेने थे तो इस पदको स्वतंत्र होना चाहिये था और उसका सीधा सम्बन्ध आपसे होना चाहिये था। लेकिन ऐसा न कर के आपने उस पदाधिकारी को बी० डी० ओ० के अन्तर्गत रख दिया है। उसके ऊपर बी० डी० ओ० का कंट्रोल होगा। जब बी० डी० ओ० उसका कैरेक्टर रोल लिखेगा तो यह कैसे सम्भव है कि वह बी० डी० ओ० के खिलाफ आप को सही सूचना दे सकेगा।

पंचायतों का सीधा सम्बन्ध ब्लाकों से है। आज पंचायतों की आर्थिक अवस्था बहुत खराब है। आज आप उनके द्वारा २७ करोड़ रुपया मालगुजारी के रूप में किसानों से वसूल करते हैं तो कम से कम २० प्रतिशत हिस्सा उन को मिलना चाहिये तभी वे अपने यहां कुछ काम कर सकते हैं। एक एक प्रदेश के शासन और प्लानिंग के ऊपर तो आप अरबों और करोड़ों रुपये खर्च करते हैं और गांव सभाओं से चाहते हैं कि वे केवल ५०० रुपये में अपने गांवों का उत्थान कर लें। मैं समझता हूं कि यह केवल एक प्रहसन और खिलवाड़ मात्र है।

अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि प्रधान के चुनाव में गांवों के अन्दर आपसी विद्वेष फैलते हैं और वह ५ वर्ष तक चलता रहता है जब तक कि दूसरे चुनाव का वक्त आ जाता है। और वह देश पुनः जागृत हो जाता है इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि आप प्रधानों की चुनाव पद्धति को बदल कर उसे मेम्बरों द्वारा ही कर देने की बात कर दें तो उससे काफी लाभ हो जाता है। साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि उनका कार्यकाल भी कम से कम १० वर्ष का हो। हमारे यहां प्रधानों की ट्रेनिंग के लिये एक सेंटर जालौन जिले में रखा गया है लेकिन उन के ऊपर जो भी सरकार का रुपया खर्च होता है वह एक तरह से बर्बाद ही होता है। मुश्किल से वहां ४–५ प्रधान पहुंचते हैं, उनके रहने का कोई ठिकाना नहीं मिलता, जिससे वे परेशान हो कर लौट आते हैं और समय बीतने पर वहां जा कर अधिकारियों के सर्टिफिकेट लेने चले जाते हैं और इस प्रकार वहां ट्रेनिंग सम्बन्धी पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होती केवल रजिस्टर मेंटेन किया जाता है और सब रुपया वहां के लोग स्वयं अपने ले लेते हैं।

इसके अलावा मेरा एक सुझाव यह है कि पंचायतों में ५–६ सुरक्षित हरिजन सीटों की तादाद जो आबादी के हिसाब से रखी गयी है उसी प्रकार सवर्णों के लिये जातिवार आबादी के आधार पर आप यह तय कर दें कि इतनी तादाद तक प्रत्येक जातिवार इनमें से ही मेम्बर होंगे तो संरक्षण मिलने पर बगैर झगड़े के वे पंचायतों में आ सकते हैं। वरना कहने के लिये चाहे जो भी कहा जाय, लेकिन चुनाव हर जगह जातिवाद के आधार पर ही होता है। इसलिये अच्छा यही है कि उनके प्रतिनिधित्व का संरक्षण निश्चित कर दिया जाय।

एक सुझाव मेरा यह है कि ग्राम सभा में वहां जो सेक्रेटरी होते हैं उनको प्रत्येक ग्राम सभा से दो तीन रुपये भत्ता मिलता है जब कि वे उसका परमानेन्ट काम करते हैं। वहां बी० एल० डब्लू० भी रहता है और सेक्रेटरी भी रहते हैं। या तो आप तय करें कि एक ग्रामसभा पर एक आदमी सेक्रेटरी रहेगा और उसको आप दस या पन्द्रह वा बीस रुपया पर उसी ग्राम सभा को रखने दें तो काम चलेगा लेकिन एक सेक्रेटरी दस दस ग्राम सभाओं का काम कैसे देख सकता है। वह न मालूम किस तरह से कोरम पूरा किया करते हैं। हर ग्रामसभा को अधिकार दिया जाय कि वह अपना सेक्रेटरी नियुक्त करें। और आपके पंचायत सेक्रेटरी अपना-अपना नहीं काम करें तो करते हैं तो ग्राम सभा का कोई काम पिछड़ा न रहेगा। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)—

उपाध्यक्ष महोदय, आप ने जो मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया है उसके लिये मैं आप की बहुत आभारी हूं। मैं आपके द्वारा यह कहना चाहूंगी कि आज तमाम नये नये साधन सिंचाई और बीज आदि के जुटाये जाते हैं और फिर भी हमारा उत्पादन नहीं बढ़ता इसका कारण क्या है इस पर हमें विचार करना होगा। इसका एकमात्र कारण यह है कि समय पर किसान को बीज और पानी नहीं मिलता है। मैं आप के द्वारा मंत्री जी का ध्यान गरीब किसानों की तरफ दिलाना चाहती हूं। मैंने कई बार पहले भी सदन में कहा और लिखित पत्र भी दिये कि हमारे जिले में और अन्य स्थानों पर भी नलकूप लगे हैं लेकिन उनकी नालियां सही नहीं हैं। एक किसान अगर पानी लेता है तो नालियों का ढाल ठीक न होने के कारण पानी कट कर सड़क और नालियों में बह जाया करता है और उस पानी के यूनिट्स का पैसा गरीब किसान को देना होता है तथा पानी इस तरह से बरबाद हो जाता है। मेरी प्रार्थना है कि नलकूपों की जो नालियां हैं उनका संचालन ठीक तौर से किया जाय। इससे किसानों को सही समय पर ठीक मात्रा में पानी मिलेगा और उससे उपज भी बढ़ेगी। बीज का भी यही होता है, जैसे फार्म ५० गेहूं का है कि वह तारीख ३० नवम्बर तक सही आयेगा और उस के बाद नहीं आयेगा। वह बाद में मिलता है जब समय निकल जाता है। इस तरह से बीज और पानी जैसे किसान के साधन अगर वक्त पर नहीं मिलेंगे तो उपज नहीं बढ़ सकती।

दूसरी बात यह है कि हमारे विरोधी दल के भाई ने कहा कि ग्राम सेवक कुछ भी काम नहीं करते। मैं इसको नहीं मानती। वह जितना कार्य उन को करना चाहिये बराबर करते हैं। भूल हमारी जनता ही करती है कि वह मनमाने ढंग से काम करना चाहती है और बताये हुये मार्ग पर थोड़े ही लोग चलते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे भाई किशोरी लाल जी ने कहा कि महिलाओं को वहां से विदड्रा करा दिया जाय। मैं जानना चाहती हूं कि महिलाओं में कौन सी कमी है जो उन्होंने उन पर इस तरह का आक्षेप किया। पहले भाई वहां से विदड्रा कराये जायें तब वह विदड्रा करेंगी। भाइयों से वे किस काम में कम है, वह सच्चे दिल से काम करती हैं, ईमानदारी से काम करती हैं। यहां तक कि अपोजीशन तक से आवाज आई है और हर एक आदमी महसूस करता है कि जिन परिस्थितियों में माननीय मुख्य मंत्री ने महिला होते हुये यहां के शासन को चलाया है कोई और चला नहीं सकता था, जबकि खाद्य की समस्या भीषण थी और दूसरी अन्यस मस्यायें थी। फिर उन्होंने कैसे कह दिया कि महिलाओं को विदड्रा करा दिया जाय, बहुत दुख की बात है। कोई भी समाज न तो खाली पुरुषों से चल सकता है और न खाली महिलाओं से ही चल सकता है, हर जगह भाई और बहिनों को साथ साथ काम करना होता है।

मैंने सुना है कि महिला मंगल योजना के अन्तर्गत भी कुछ बजट कम करने की बात है परन्तु मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगी कि इस महिला मंगल योजना में कितनी ही विधवायें, परित्यक्तायें और दुखी बहिने काम करती हैं, यह विभाग उन को शरण देने वाला है। यह एक ही संस्था है कि जिसके द्वारा वह अपना निर्वाह करती हैं।

मैं आपके द्वारा मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि आपने जमींदारी खत्म करके पंचायत राज्य कायम किया। पहले तो गांव में एक जमींदार होता था वह अगर किसी काश्तकार से नाराज होता था तो वह काश्तकार दूसरे जमींदार के पास जा कर अपना किसानी का काम कर लेता था। लेकिन आज एक सभापति के अधीन कई गांव होते हैं और वह कई गांवों का राजा होता है। अतः वह अगर किसी से नाराज हो गया तो उसको कहीं पनाह नहीं मिल सकती। मैं अपने क्षेत्र की बात बताऊं, मैंने इस बारे में मीटिंग में भी कहा, और लिख कर भी दिया कि वहां की बंजर भूमि को उस सभापति ने अपने एक दोस्त को दे दिया, जो ४ एकड़ से अधिक है, उस पर उसके मित्र ने कब्जा कर लिया है और वह खेती कर रहा है। तहसील से जांच आती है लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकलता। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या इनक्वायरी करके जाते है मर्मचारी। अगर वह जमीन किसी भूमिहीन को दी जाती तो मुझे दुख न होता। लेकिन जिस आदमी को दी गयी है उसके पास पहले से जमीन थी। सरकार

ने इस पर ध्यान नहीं दिया इसका मुझे दुख है। मैं चाहती हूं कि मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे कि मझुआ-खजुरी की पंचायत में कितनी बार मीटिंग हुई, कितने गांधी चबूतरे किस प्रकार से बने। हरिजनों के कुयें के लिये ईटे गयी, लेकिन एक सरकस आदमी ने उनको उठा कर अपने व्यक्तिगत कार्य में लगा लिया। हरिजन बेचारे अगर कुछ कहते है तो उन्हें दबाया जाता है और डर के मारे उसे कहना पड़ता है कि काम सही हुआ है। मैं चाहती हूं कि इसकी जांच करायी जाय कि मझुआ-खजुरी ब्लाक के सभापति किस प्रकार से अपने काम को संभाल रहे हैं। जब से वह इस बार निर्विरोध चुन कर आये है उनको घमंड हो गया है। अगर इस बात की इनक्वायरी जाती है तो वह इनके रिश्तेदारों द्वारा (जो कचहरी में काम करते हैं) दबा दी जाती है और सही जांच नहीं होती है। इसलिये इसके काम की जांच होना चाहिये। लोग मुझसे जब पूछते है कि आपके गांव में जब इस तरह का अंधेर हो रहा है, जिसको आप दूर नहीं करा पा रही है, तो दूसरे गांवों के लिये आप क्या कर सकती है, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है और शर्म से सर झुक जाता है।

हमारे यहां जो नहरें है, नालियां है, मैं चाहूंगी मंत्री जी उनको ठीक कराने का प्रबन्ध करें। जिला स्तर पर कुछ काम नहीं होता। यहां से अगर कोई आदेश जाता भी है तो उसका अमल जिला स्तर पर नहीं होता। कागज की खाना पूरी करने के लिये १, २ आदमी से नाली की घास निकलवा कर लिख दिया जाता है कि नाली ठीक हो गयी। इसलिये मैं चाहूंगी कि सरकार गरीब किसानों की तरफ दया दृष्टि रखे ताकि वह अपनी पैदावार बढ़ा सकें और उनकी दिक्कतें भी दूर हों।

(श्री धूम प्रसाद का नाम पुकारे जाने पर)

श्री लखी सिंह—

श्रीमन्, आप हमको मौका नहीं देते इसलिये हम तो जा रहे है।

श्री धूमप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मौका दिया इसलिये मैं आपका आभारी हूं। मैं माननीय रक्षपाल सिंह तथा डाक्टर रघुनाथ द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

आज जो यह कहा जाता है कि पंचायतें और ग्राम सभायें कायम की गयी है इनसे सरकार को बहुत बड़ा लाभ है और जनता को भी लाभ हो रहा है। इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। हमारे प्रदेश में पहले जब जमींदारी थी और इसका उन्मूलन नहीं हुआ था, उस समय जो काश्तकार या गरीब किसान किसी जमींदार की जमींदारी में रहता था अगर उस पर किसी प्रकार की कुछ आफत आती थी तो वह उनके पास जाता था और वे मदद करते थे। अगर एक मदद नहीं कर सकता था तो दूसरा जमींदार उसकी मदद कर देता था। जमींदारी जब से खत्म हुयी तब से यह सरकार बड़की जमींदारी हो गयी और गांव के सरपंच और प्रधान बन गये गांव के लम्बरदार, जो अंग्रेजों के जमाने में मालगुजारी वसूल करने वाले होते थे। काश्तकारों के ऊपर अब अगर आफत आती है तो वे बेचारे किसके पास जायं। अगर जाते भी हैं तो उनके ऊपर पुलिस के डंडे लगवाये जाते है। यही नहीं, गांव में इस समय के जमींदार कहते हैं कि इनको ले जाओ। उनको ले जाकर फंसा दिया जाता है। तो फिर वे किस का सहारा देखें और किस के पास जायं? एक प्रधान के ऊपर एक गांव रक्षा की जिम्मेदारी दी गयी है। रक्षा करने के बजाय गरीबों को नष्ट भ्रष्ट करने वाले है।

दूसरी बात मुझे यह अर्ज करनी है कि छोटे-छोटे किसान गांव सभा क प्रधान नहीं बन पाते है। पर दुःख है कि यह सरकार नहीं सोच पा रही है कि यह क्या है? इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और विशेष कर जो हरिजन सदस्य है,

[श्री धूपप्रसाद]

उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि वे गांवों के प्रधानों के एलेक्शनों में खड़े हों तो वे जीत नहीं पावेंगे। इसका कारण यह है कि गांवों में जो बड़े तबके के लोग रहते है वे किसानों या गरीबों को वोट नहीं देंगे। अगर हमारी सरकार मदद करना चाहती है तो छोटे वर्गों के लिये भी कोई उपाय करे ताकि वे भी तरक्की कर सकें। प्रधानों और सरपंचों की समस्या ऐसी होती जा रही है कि कोई भी छोटे वर्ग का व्यक्ति नहीं पनप रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे कोई ऐसा आँकड़ा बतायें कि जिसमें प्रमुख हरिजन का भी है। जब हरिजन प्रधान ही नहीं होते है तो वह प्रमुख कैसे हो सकते है? जब नीचे की जड़ ही नहीं तो आगे कैसे बढ़ सकते हैं, जब तक प्रमुख का चुनाव जनता के बीच में छोटे छोटे वर्गों से वोट नहीं लिया जायगा तब तक हरिजन प्रमुख कभी नहीं हो सकता है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि अब सरपंच या प्रमुख हरिजन का होना असंभव है।

दूसरे नियोजन के बारे में कहा जाता है कि आज बड़ा भारी विकास हो रहा है। पर हम देखते हैं कि विकास नहीं, विनाश हो रहा है। वहां गलत आंकड़े दिखाये जाते हैं। लाखों रुपया पोस्टेज में खर्च किया जाता है लेकिन जांच के लिये कोई उच्च अधिकारी नहीं है जो यह देखे कि यह रुपया किसान के पास जा रहा है या नहीं? अगर मंत्री जी सच्चाई के ऊपर काम करते तो इन अधिकारियों और कर्मचारियों को भी देखते और तब काम ठीक होता। लेकिन जब वह सच्चाई से काम नहीं करते तो किसी से क्या कहें? आज इतना धान लाइन से लगा कर दिखाया इतना डिबलर से गेहूं बुवाया, यह सब आंकड़े लगाकर बी० डी० ओ० को दे देते हैं और बी० डी० ओ० प्लानिंग अफसर को दे देते हैं। इस तरह से फर्जी काम चलता है जैसे सरकार फर्जी कार्य चला रही है। इसी तरह से सब बातें होती हैं।

श्रीमन्, कहा यह जाता है कि सरकार बैलों के लिये ऋण देती है, घर बनाने के लिये देती है और इसके लिये एक विभाग खुला हुआ है। लेकिन यह पता नहीं लगाया जाता है कि वह रुपया किसानों तक पहुंचता भी है या नहीं। जिन लोगों के यहां हलवाहे और चरवाहे होते है उनके नाम से लिखा पढ़ी कराकर रुपया वह ले लेते हैं। आधा वह ले लेते है और आधा यह ले लेते हैं। रिपोर्ट बी० डी० ओ० के पास आ जाती है और वह समझते है कि उस रुपये का ठीक से वितरण हो गया। यह कोई नहीं पूछता कि किसान को रुपया मिलता है या नहीं।

बी० डी० ओ० और ए० डी० ओ० को जीप मिली हुई है उसका दुरुपयोग हो रहा है। ये लोग उचित काम नहीं करते है। यह किसानों के बीच में जाकर समझाते नहीं है। सदियों से किसान मनमाने तरीके से खेती करता चला आ रहा है और वह १०–१५ मन बीघे काटता था और आज ये सूट वाले लोग जाते हैं और मेड़ पर खड़े होकर किसान का काम बंद करा देते है और कहते है कि तुम लाइन से बोओ और डिबलर से बोओ तो तुम्हारे खेत की पैदावार ज्यादा होगी। उसके पास इतने आदमी नहीं है, तो कैसे वह यह सब काम कर सकता है? वह कहां से मजदूर लायेगा और कैसे काम कर सकता है। मैं इन शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री महरामसिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विकास मंत्री जी ने जो अनुदान सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह सही है कि पंचायतों के विकास के बिना जनतंत्र की पूर्ण रूप से तरक्की नहीं हो सकती है इसलिए सबसे अधिक महत्व प्रजातंत्र में पंचायतों का होता है। यहां की पंचायती राज्य में क्षेत्र समिति, जिला परिषद् और गांव पंचायत यह तीनों एक ही शरीर के हिस्से हैं जिनका एक दूसरे से घनिष्ट सम्बन्ध है। यह भी सही है कि पंचायतों के ऊपर क्षेत्र समिति और क्षेत्र समिति के ऊपर जिला परिषद् है लेकिन उनके कर्मचारियों व अधिकारियों में और काम के तरीकों में कुछ ताल मेल की कमी के कारण

ऐसी गड़बड़ियां है जिनसे आम जनता को तथा उससे सम्बन्धित लोगों को दिक्कत भी हो जाया करती है ।

जहां तक गांव पंचायतों का सवाल है गांव पंचायत के वर्तमान समय में दो मंत्री होते हैं । एक पंचायत का मंत्री गांव समाज का मंत्री लेखपाल होता है जो कि माल विभाग की सर्विस करता है, सरकार का कर्मचारी है और दूसरा पंचायत का मंत्री, पंचायत राज विभाग का कर्मचारी है । जो अपने अपने विभागों से अलग-अलग नियम के अनुसार वेतन पाते हैं, और उनके ऊपर वही विभाग कन्ट्रोल करते हैं । २ मंत्री, जिनमें एक गांव पंचायत का और एक गांव समाज का इन दोनों के बीच में गांव सभा का प्रधान काम करता है । गांव पंचायत व जिला परिषद् के बीच क्षेत्र समिति है । क्षेत्र समिति के अन्दर प्लानिंग विभाग के कर्मचारी रक्खे जाते हैं । सरकार उन्हें वेतन देती है और वे सरकार के वैतनिक कर्मचारी माने जाते हैं । लेकिन इसके ऊपर कि जो जिला परिषद् के कर्मचारी है, को पंचायती राज का कर्मचारी माना जाता है । उनकी सरकारी कर्मचारियों में कोई गिनती नहीं है । इस तरह से इन तीनों के तीन श्रेणियों में कर्मचारी बटे हुये है । इसी तरह से नीचे से लेकर ऊपर तक उनके अधिकारों और कर्त्तव्यों की भी व्यवस्था का गठन है । जैसा कि सब को विदित है और दूर से दिखाई पड़ता है जहां तक पंचायतों का सम्बन्ध है पंचायत टैक्स वसूली पंचायत राज विभाग द्वारा पंचायत मंत्री गांव पंचायत तथा ग्राम सभा की राय से प्रधान, ग्राम सभा को कराता है । और इसी प्रकार से टैक्स लगाने की भी व्यवस्था उसी को कराने की ि म्मदारी ी गयी है । उसका हिसाब किताब रखना आदि भी समय समय पर उसी को आवश्यक होता है । साथ ही गांव समाज की सम्पत्ति की व्यवस्था माल विभाग द्वारा संचालित होती है । जिसको राजस्व कर यानी लगान आदि वसूल करने का अधिकार उन्हीं अमीन और लेखपाल को होता है जो कि तहसीलदार के अन्डर में काम करते है । इस परिस्थिति में मेरा विकास मंत्री जी से अनुरोध है कि पंचायत के कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिये इस मामले में एक ही मंत्री रखना चाहिये । गांव पंचायत का एक मंत्री हो, आमदनी का जो हिस्सा है उसको इकट्ठा करने और पंचायत टैक्स वसूली लगान के साथ तहसील के अमीन द्वारा लेखपाल के के सहयोग से ही कराये जायं ।

गांव पंचायत और गांव समाज से टैक्स आदि के रूप में धन इकट्ठा करने के जितने भी स्रोत है उनका मंत्री लेखपाल हो, तो मेरी राय में ज्यादा अच्छा होगा । गांव पंचायत के मंत्रियों के पद को समाम्प्त करके उन सब को जो योग्य साबित हो, ग्राम सेवक कर दिया जाय, या आप उचित समझें तो उनके नाम को ग्राम सेवक या पंचायत मंत्री जो भी ठीक समझें, रक्खे । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ग्राम सेवक और पंचायत मंत्री के पद में एक पद होना ज्यादा मुनासिब होगा । इस समय की व्यवस्था ठीक नहीं । इसमें आप हर जगह देखें कि गांव पंचायत की ओर से कोई महत्वपूर्ण काम नहीं हो पाते हैं । केवल पंचायत टैक्स लगाने व वसूल करने का काम भी खूबसूरती से प्रदेश के गांव सभाओं ने पंचायत मंत्री की सहायता से नहीं कर पाया है । आप अपने प्रदेश में देख लें कि लाखों रुपया पंचायत टैक्स का बकाया पड़ा है । ऐसे टैक्स को लगाने से कोई लाभ नहीं है, जिसकी वसूली १० या १५ वर्ष तक न हो पाती हो । इससे लोगों की नाद हिन्दी की आदत पड़ती है और पंचायती राज से लोगों की आस्था हटती है । इसलिए ऐसी परिस्थिति में लोगों को उस व्यवस्था से पूर्ण असन्तोष हो जाता है । टैक्स का १० या १५ पैसे प्रति रुपया लगान पर लगा कर बकाया रखना सरकार के लिये तथा पंचायती राज की व्यवस्था के लिये और जिस पर प्रजातंत्र की पद्धति निर्भर है उसके लिये शर्मनाक और गैरजिम्मेदारी की बात है इसलिए पंचायत की व्यवस्था में चाहे एक पैसा प्रति रुपया टैक्स लगे जिस वर्ष लगे, उसे यदि कोई विशेष परिस्थिति नहीं है तो उसी साल वसूल हो जाना चाहिये और उनकी वसूली लेखपाल के सहयोग से अमीन द्वारा कराई जाय । जहां तक कि क्षेत्र समिति और जिला परिषद् के कर्मचारियों का सम्बन्ध है, जिला परिषद क्षेत्र समिति से बड़ी हैसियत की संस्था (बाडी) है । हमारे जिलों की सर्वाधिकार

[श्री महराम सिंह]

सम्पन्न संस्थाएं जिला परिषदें होती हैं और उनके कर्मचारी भी उसी हैसियत के कर्मचारी होते हैं। फिर भी नीचे की क्षेत्र समिति से कर्मचारी गवर्नमेंट के कर्मचारी की हैसियत से है और उसी के अनुसार उन्हें वेतन अधिक ही मिलता है और वेतन वृद्धि आदि में भी उन्हें सम्मिलित कर लिया जाता है। यह असमानता की व्यवस्था मेरी समझ से ठीक नहीं है। इस प्रकार की असमानता को बहुत पहले ही ठीक किया जाना चाहिये। पंचायती राज क्षेत्र समिति और जिला परिषद् सब की एक व्यवस्था रहे, उसकी हैसियत के अनुसार हैसियत रहे और जिला परिषद् के कर्मचारियों को भी वेतन वृद्धि आदि का उतना अवसर मिले जितना उसे सम्बन्धित संस्थाओं के कर्मचारियों को है। जब तक इस प्रकार की व्यवस्था सरकार नहीं कर पाती है तब तक के लिए सरकार को तुरन्त एक ऐसा आदेश जारी करके ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि जो जिला परिषदें इस योग्य हों और वे चाहें तो वे अपने कर्मचारियों के वेतन वृद्धि में निर्णय करके अपने कोष से दे सकती हैं। सरकार को इसमें कुछ सहायता जिला परिषद को देनी चाहिये क्योंकि इस मंहगाई में उन जिला परिषद् के गरीब कर्मचारियों को उचित सहायता दिया जाना आवश्यकता है। हमारे जिला परिषद् के कर्मचारी शान्त मय ढंग से काम करते हैं उनका भी हमें खयाल किसी से कम नहीं रखना चाहिये। आशा है कि विकास मंत्री इस सुझाव को स्वीकार करने की कृपा कर आवश्यक आदेश प्रसारित करेंगे।

अब मैं अपने फर्रुखाबाद जिले के पिछड़े इलाके की ओर विकास मंत्री जी का ध्यान ले जाना चाहता हूं। हमारे सभा सचिव पांडेय जी ने भी उस क्षेत्र को देखा है जो गंगा और रामगंगा के बीच का है। वह ऐसा क्षेत्र है जिसमें अंग्रेजी हुकूमत के स्थापित होने के समय ४० मील लम्बे क्षेत्र में सिर्फ ५ मील सड़क बनाई गयी थी। उसके बाद वह हुकूमत गयी। १७ वर्ष इस जनप्रिय सरकार का भी शासन रह चुका है, और तीसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त होने जा रही है, इन योजनाओं में अरबों और खरबों रुपया खर्च हो चुका है लेकिन वहां और आगे सड़क नहीं बन सकी और न कोई सिंचाई का साधन उस क्षेत्र में हो सका। रहट से सिंचाई की व्यवस्था की जाती है तो सीमेंट और ईंट की कमी रहती है। तकावी का रुपया भी देने में समानता बर्ती जाती है उन क्षेत्रों में जहां सिंचाई के दूसरे साधन हैं। इसलिये मैं विकास मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र में ही नहीं, प्रदेश के जितने पिछड़े क्षेत्र हैं उनका सबका सर्वे करावें और उन सबका जिले में एक नकशा हो जिसमें इस बात का उल्लेख किया जाना चाहिये कि किन किन क्षेत्रों और ग्रामों में ट्यूबवेल और नहर से सिंचाई की व्यवस्था नहीं है और उनके लिए ट्यूबवेल, रहट वाले कुएं बनाने के लिये तकावी देने की व्यवस्था करते समय ऐसे क्षेत्र और ग्रामों को प्राथमिकता देने की व्यवस्था करायें, यह मेरा आपकी मार्फत विकास मंत्री जी से विशेष अनुरोध है।

श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)—

उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत की जब कल्पना की गयी थी उस समय विकेन्द्रीकरण की चर्चा थी। शक्ति का विकेन्द्रीकरण हिन्दुस्तान के लिये और सूबे के लिये जरुरी था लेकिन ग्राम पंचायत का ढांचा तो खड़ा कर दिया गया किन्तु शक्ति का विकेन्द्रीकरण नहीं हुआ। पंचायतें बिलकुल निष्प्राण हो रही हैं। उसके कई कारण हैं। एक तो यह है कि गांवों में इनके लिये जो चुनाव कराये जाते हैं उससे जाति भावना का विकास हुआ है। अगर उसमें प्राण डालना है तो आवश्यक है कि गुप्त मतदान के द्वारा गांव पंचायतों का चुनाव होना चाहिये। दूसरी बात यह है कि वहां के चुनाव दलीय सिद्धांतों के आधार पर हों तो अच्छा होगा और उससे पंचायतें ज्यादा मजबूत होगीं। तीसरी बात यह है कि इन पंचायतों का आर्थिक ढांचा बहुत खराब है, बहुत शोचनीय है और उसके कारण पंचायतें रचनात्मक कार्य करने में असमर्थ हैं। उनकी रचनात्मक प्रवृत्ति नष्ट हो गयी है। अगर उनको प्राण देना है तो हमको यह सोचना

पड़ेगा कि उनके आर्थिक निर्माण के लिये राज्यकोष से आर्थिक सहायता दी जाय। राज्यकोष का एक अंग उनको नियमत-मिलना चाहिये, इस पर विचार जरूर हो। साथ ही साथ सामुदायिक विकास के नाम पर केन्द्रीय सरकार से जो पैसा हमें मिलता है वह सरकारी अफसरों और कर्मचारियों की तनख्वाहों और भत्तों पर खर्च होता है। इनको कम करें बल्कि खत्म करें। अगर यह भी पैसा पंचायतों को दे दें तो फिर पंचायतों में रचनात्मक प्रवृत्ति बढ़ेगी और ठोस काम होगा और उनमें निर्माण होगा। अगर पंचायतों के द्वारा हम यह पैसा खर्च करें, चाहें कुएं बनवायें, चाहे बांध बनावें, चाहे सड़क बनवायें और चाहे साफ जल पीने की योजना लागू करें और उसको पंचायत के द्वारा करायें तो ये काम सुचारुरूप से होंगे। जो यह काम सरकारी कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है उसमें पैसा व्यर्थ में नष्ट हो जाता है और उसमें भ्रष्टाचार भी होता है। इसलिये अगर हम पंचायतों को पैसा देंगे तो उनसे हम ठोस काम लेंगे। ये सामुदायिक विकास के काम उनको देना चाहिये और उन्हीं के द्वारा खर्च किया जाना चाहिये। जो पंचायतों को टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया है यह खत्म होना चाहिये क्योंकि इससे आपस में वैमनस्य बढ़ता है और कड़ुवाहट पैदा होती है और जो निर्माण को मनोवृत्ति है वह उससे नष्ट होती है। गांवों में दलबन्दी पैदा होती है। इसलिये टैक्स लगाने का काम भी पंचायतों से ले लेना चाहिये। इसके अलावा खर्च के लिये राज्य सरकार उनको सहायता दे।

एक बात और है कि यह जो नियोजन का कार्य चल रहा है इसमें तमाम क्षेत्र समिति और जिला परिषदों के लिये हम यह चाहते थे कि ये ठीक रूप से काम करें और जनशक्ति का निर्माण करें लेकिन ये जो सरकारी अफसर हैं वे इनको चौपट किये जा रहे हैं। हमने अपने जिले में देखा है कि विकास खंड, रामनगर में बी० डी० ओ० और तमाम सरकारी कर्मचारियों ने गबन किया। झूठे ऋण दिये और इस तरह से रुपया गबन करके तमाम नुकसान किया और फर्जी काम दिखाये। यह सारा काम पंचायतों के जरिये से कराया जाय तो ये गबन कम होंगे और भ्रष्टाचार भी कम होगा। इस बात को भी सरकार को सोचना चाहिये। हमारा जितना भी रचनात्मक काम है वह सब पंचायतों के जरिये से हो और साथ ही साथ हमको यह भी देखना चाहिये कि पंचायतों के ऊपर जो ये अधिकारी, अफसर हैं इनका ज्यादा अंकुश नहीं रहना चाहिये क्योंकि अंकुश होने से पंचायतें अच्छे रूप से काम नहीं कर पाती हैं। खासतौर से ग्राम सेवक और सेक्रेटरी यह प्रधान और पंचों को उनके अधिकारों की तरफ जागरूक करने के बजाय उनके अधिकार को स्वयं इस्तेमाल करते हैं, जिससे वह काम सही रूप में नहीं हो पाता है। सरकारी अंकुश पंचायतों पर लगा है, यह नहीं होना चाहिये बल्कि जहां तक हो सके पंचों का कार्य करने में उनकी मदद की जाय और रोक कम लगाई जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। इसके साथ साथ अगर हम चाहते हैं कि पंचायतों का काम अच्छे ढंग से चले तो फिर हमको उन्हें ठोस आधार देने चाहिये। जब इन दोनों बातों का ठोस आधार मिलेगा तब यह आर्थिक दृष्टिकोण से अपने पैरों पर खड़ी होगीं। उनका चुनाव भी गुप्त मतदान द्वारा होगा और साथ साथ उनके चुनाव जो दलीय आधार पर और सैद्धान्तिक आधार पर होंगे, वह भी ठोस होंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री काशीप्रसाद द्विवेदी (जिला झांसी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने की आज्ञा प्रदान की। जहां तक इस अनुदान का संबंध है, मैं इसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक विकास योजनाओं का संबंध है, इसमें कोई शक नहीं कि प्रदेश में बहुत बड़ा काम इनके द्वारा हुआ है, परन्तु जैसा भारतवर्ष में पिछड़ा यह हमारा उत्तर प्रदेश है वैसे ही इस प्रदेश में पिछड़ा हुआ हमारा बुन्देलखंड है। वहां योजनाओं की वही हालत हुई है जैसे गर्म तवे पर एक पानी की बूंद छन्न से हो जाय। श्रीमन्, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बार अभी पिछले महीनों में जब

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री काशीप्रसाद द्विवेदी]

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, माननीय द्वारिकाप्रसाद मिश्र ललितपुर पधारे तो वहां पर जो जनता एकत्र हुई, उसने इस बात की मांग की कि हमारे क्षेत्र को मध्य प्रदेश में मिला दिया जाय। यह मांग उन्होंने इसलिये की कि उत्तर प्रदेश में रहते हुये इस बुन्देलखंड की उन्नति होना असंभव है। ऐसा वहां की जनता महसूस करने लगी है। मैं आपको वहां की हालत बताता हूं। हमारे क्षेत्र में गरोठा तहसील में चार गांव ऐसे हैं कि जहां पानी पीने के कुवें नहीं हैं। उनके नाम हैं पठरैड़ी, खरो, गोखल और बेहतर। दो वर्ष पहले इस सदन में आश्वासन दिया गया था कि एक वर्ष में वहां कुंवें बनवा दिये जायेंगे लेकिन अभी तक वे नहीं बन पाये। वहां जानवर और आदमी एक साथ बेतवा में पानी पीते हैं। आजकल इस विकास के युग में जब हम दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, तो देखते हैं कि वहां रेलवे लाइनें हैं, सड़कें हैं, बिजली हैं, लेकिन गरोठा तहसील में न रेलवे लाइन है, न कोई पक्की सड़क। सड़कों की हालत यह है कि ८ मील फी घंटे की रफ्तार से लारियां उन पर चलती हैं। एक विकास क्षेत्र है ग्रामों, वहां एक ससोर नाला है। उसके लिये २३,००० रुपया सरकार ने मंजूर किया था और ७००० रुपया जनता ने उसके लिये दिया था। लेकिन पता नहीं कि वह योजना कौन सी फाइल में डाल दी गयी है कि कुछ पता नहीं चलता। मैं हैरान रहा तलाश करते करते, लेकिन कुछ मिला नहीं। वहां गांव वालों ने तीन मील कच्ची सड़क, श्रमदान से बना डाली है, पता नहीं वह कब तक पक्की की जायगी। निरीक्षण का यह हाल है कि एक डी० पी० ओ० वहां गये तो उनको कमर में रस्सी बांध कर पार निकाला गया। अब वहां कोई जाने के लिये तैयार नहीं होता। एक बार मैंने एक सज्जन से कहा कि बामौर चलना है तो उन्होंने कहा कि हमारा बीमा नहीं है। तो वहां कोई बिना बीमा कराये जाने के लिये तैयार नहीं होता।

बंधियों की यह हालत है कि वहां हजारों एकड़ जमीन बेकार पड़ी है। न वहां पेड़ हैं, न घास। अगर सरकार चाहे तो वहां हजारों बंधियां बन सकती हैं और लाखों मन गल्ला वहां पैदा हो सकता है। दूसरे, चंदेली जमाने के सैकड़ों तालाब वहां टूटे-फूटे पड़े हैं। उनको मरम्मत करके काम में लाया जा सकता है। सदन के सभी सदस्यों ने आल्हा ऊदल का नाम सुना होगा। वह एक हजार वर्ष पहले की बात है। उनकी किताबों में लिखा है "रंडिया दुखिया के द्वारे पर दुई दुई कलस सोबरन क्यार" आज उनके घरों में दो मिट्टी के घड़े भी नहीं हैं। मकान भी टूटे पड़े हैं। योजनाओं में हरिजनों के लिये कुछ मकान बनाये गये, शहरों में कुछ मकान बनाये गये। इस सिलसिले में मैं धनौरा गांव की बात बतलाऊं। वहां कोई अधिकारी जाकर देखे तो पता चलेगा कि १२ फुट के मकान में १५ आदमी रहते हैं। नीचे उनकी बछिया बैठी है, उसके ऊपर चौकी है। फिर चारपाई है जिस पर बच्चे पड़े हैं, स्त्री पुरुष बाहर पड़े हुये हैं। यह हालत आजकल वहां की है, लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई श्रीमन्, यह है कि कोई अधिकारी वहां पहुंचता नहीं। वहां कोई मंत्री जा नहीं सकता। यहां तक कि जीप गाड़ी भी नहीं जा सकती। अधिकारियों को वहां जाने में परेशानी होती है। अगर उनसे काम करने के लिये प्रार्थना की जाय तो उसे वे शिकायत समझते हैं। इसलिये मेरा विश्वास है कि बुन्देलखंड की उन्नति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि वहां के लिये एक आयोग की स्थापना न की जाय। वह सबसे पिछड़ा क्षेत्र है और अगर वहां के लिये एक आयोग की स्थापना न हुई तो मैं नहीं कह सकता कि वहां की जनता के हृदय में कैसे विचार उठें और वह कैसी मांग आपसे करने लगे। इसलिये मैं विनम्र शब्दों में मंत्रीजी के अनुदान का समर्थन करते हुये निवेदन करता हूं कि जहां तक इस मांग का प्रश्न है, उसमें यह सहयोग प्रदान करें। वहां की तीन मुख्य समस्यायें हैं—सिंचाई, उद्योग धंधे और सड़कें। बरसात के दिनों में वहां के चार जिले टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं। वहां पुल भी नहीं हैं, उनका अभाव है। बरसात के दिनों में जिले टापू बन जाते हैं और लोग एक जिले से दूसरे जिले में जा नहीं पाते। इसलिये इस बात की आवश्यकता है कि बुन्देलखंड की उन्नति के लिये वहां की समस्याओं के निराकरण के लिये, एक आयोग की स्थापना की जाय। इन शब्दों के साथ मैं अनुदान का समर्थन करता हूं।

(अनेक सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

अब माननीय रघुनाथसिंह जी बोलेंगे, आप सब कृपया बैठिये । माननीय डाक्टर साहब, आप कृपया बोलिये ।

श्री रघुनाथसिंह—

मान्यवर, जैसा कि मैंने आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के सामने यह निवेदन किया था, यह सही है कि पंचायत राज ऐक्ट के आधार और माध्यम से इनको कुछ नहीं मिलता, जो छोटे मोटे, अनुदान मिलते ह, उससे भी वहां की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होता, जो उनकी आमदनी के साधन हैं वे भी बहुत दयनीय है । अतः इस सम्बन्ध में मेरा आप से निवेदन है, जैसा कि गत वर्ष भी इस अनुदान के समय एक माननीय सदस्य ने यह कहा था कि पंचायतों को मालगुजारी का १/४ हिस्सा मिलना चाहिये, मैं भी उस मांग को दोहराता हूं । उस पर माननीय मंत्री जो ने आश्वासन भी दिया था जो आश्वासन समिति के २६ वें प्रतिवेदन में भी मौजूद है । अतः मैं चाहूंगा कि आज जब माननीय मंत्री जी जवाब दें तो वे अपने पिछले आश्वासन पर भी प्रकाश डालने की कृपा करें । यह बतायें कि यह आश्वासन कहां तक पूरा हुआ है ।

सौभाग्य से मैं विकास समिति का सदस्य रहा हूं और मुझे एक बात की प्रसन्नता है कि समिति का कार्य संचालन विकास विभाग के अधिकारीगण बड़ी तत्परता से करते हैं, वहां जो हम त्रुटियां बताते हैं, उनको वे लिखते रहते हैं और उस पर उनकी ओर से विवेचन किया जाता ह । मैं आज भी चाहूंगा कि आप विकास समिति वाली क्षमता और तत्परता को इस सदन में दिखायें । उस समिति में श्रीमन्, एक वादविवाद के बीच में एक अधिकारी के मुंह से एक ऐसी बात निकल गई थी, जिसका कि स्पष्टीकरण यद्यपि अधिकारियों की तरफ से हुआ, मंत्री जी की तरफ से भी हुआ, लेकिन मुझे वह बात बराबर खटकती रही है । उन्होंने यह कहा कि सिंचाई विभाग की थोड़ी उदासीनता की वजह से हमारा कार्य सफर कर रहा है। मैंने उसी समय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित किया था । यह बात बहुत ही वांछनीय है कि विकास से जितने भी सम्बन्धित विभाग हैं, उनके सबके कार्यक्रम एक नियोजित ढंग से और विकास मंत्री के आदेश पर चलना चाहिए। जैसे कि कृषि और विकास का एक समायोजन और समाहार कर-एक आयुक्त के जिम्मे यह काम किया गया है, वैसे ही और भी जितने विकास से सम्बन्धित विभाग हैं, उनका समायोजन किया जाना चाहिए । आप जानते हैं कि ग्राम पंचायत को सभी विभागों के विकास सम्बन्धी कार्य आपने सौंप रखे हैं, बड़ी लम्बीचौड़ी लिस्ट इस पुस्तिका में भी दी गयी है, तो सारे विभाग जितने हैं, चाहे वह सिंचाई विभाग हो, सहकारिता विभाग हो, समाज-कल्याण विभाग हो या और भी दूसरे विभाग हों, उनका सबका कुछ न कुछ कार्य गांव पंचायतों को करना होत है । तो इन सब का समायोजन करके २–३ आयुक्तों के अधीन इसे कर दिया जाय, जिससे एक समानान्तर रूप से और संयुक्त रूप से कार्य चले । इससे विकास का कार्य अच्छा हो सकता है ।

विकास समिति में जब चर्चा चल रही थी, तो एक बात मैंने और कही थी कि रासायनिक खाद खेती की वर्तमान शक्ति को उत्तेजना देकर पौधों को कुछ लाभ अवश्य पहुंचाती है, लेकिन खेत के लिए वह हानिकारक होती है । ऐसा मैंने कुछ पुस्तकों में भी पढ़ा है । तो इसके लिए गोबर और कम्पोस्ट की खाद ज्यादा तैयार की जानी चाहिए । मुझे बड़ी ईमानदारी से अधिकारियों ने उत्तर दिया कि सीमेंट की कमी की वजह से देहातों में पक्की खाद के गड्ढे बनाने का कार्य इस अवसर पर स्थगित है । तो मेरा कहना है कि इतने अत्यधिक जरूरी कार्य के लिए आप सीमेंट की व्यवस्था कर दें । इसमें आपको कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा । गोबर की खाद और कम्पोस्ट की खाद किसान खुद बनाएगा, केवल सीमेंट की व्यवस्था आपको करनी है ।

अपने क्षेत्र के दौरे में मैं एक बार एक गांव सभा में गया । संयोग से उस गांव के सभापति बड़े ही अच्छे और मिलनसार व्यक्ति थे, जो कि हरिजन थे । उसके बाद ही उस गांव का एक

[श्री रघुनाथसिंह]

बड़ी जाति का सभासद वहां आया, तो उस सभापति को उठकर जमीन पर बैठना पड़ा। उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़े खेद की बात है। आप कल्पना करें, कि इस सभा के आप सभापति हैं और आपके घर कोई सदस्य जाय और आपको उठकर जमीन पर बैठना पड़े, यह कहां तक जनतंत्र की मर्यादा के अनुरूप है। ३ ऐसी बातें गांवसभाओं के अन्दर नहीं होनी चाहिए। मैं आपके सामने इसको इसलिए कह रहा हूं कि आप इस प्रकार की जितनी त्रुटिया हैं उनके ऊपर चिन्तन मनन कीजिए, ताकि इन तमाम बुराइयों में से कुछ बुराई बराबर कम होती जायं, वह बुराई पनपे नहीं।

एक बात और कहना चाहता हूं। सराय मुहाना गांव में एक न्यु फाउन्डेशन फार न्यु एजुकेशन संस्था की जमीदारी आज भी बनी हुई है, १६ साल से वह जमीदारी हटाई नहीं जा सकी। मैंने जब इस प्रश्न को उठाया, तो सभासचिव जी ने मुझे बधाई दी थी कि तुम्हारे द्वारा एक बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया गया है और इसको वह तत्परता से देखेंगे। उसके बाद तीन बार मैंने प्रश्न पूछा, मगर उसका उत्तर टालमटोल और छिपाने वाली प्रवृतियों के साथ दिया गया और आज दो साल हो गये, आपके विभाग से ठीक उत्तर नहीं मिल सका, क्या कारण है? यहां तो एक गांव का मैंने उदाहरण दिया था, हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में और बहुत से ऐसे गांव हों, जहां किसी तथा कथित नेता की आड़ में पुरानी जमींदारी आज भी चल रही हो। वह गांव मल्लाहों और हरिजनों का है। अगर किसी बड़ी जाति का होता, तो कदाचित इतना लिखने पढ़ने की जरूरत न पड़ती। अध्यक्ष महोदय, ने हमारे प्रश्नों के ऊपर झंझलाहट में आकर राजस्व मंत्री से कहा था कि आप पता लगाकर इसका जबाब दें कि क्या बात है, कि इस पर इतना प्रश्न होते हैं और जबाब नहीं दिया जाता। आज तक राजस्व मंत्री ने भी जबाब नहीं दिया कि क्यों इसकी जमीदारी नहीं टूटी। तो मैं इस अवसर पर विशेष रूप से प्रार्थना करूंगा कि इसमें अब और दो साल न लगाया जाय, उन मल्लाहों और हरिजनों को जनतांत्रिक भावनाओं की भूंख की में फिर आपके सामने दुहाई देता हूं। इन शब्दों के साथ हमारे समर्थन में जिन माननीय सदस्यों ने बातचीत की है, उनको धन्यवाद देकर मैं चाहूंगा कि यहां अनुदान में १ रुपया इनको दिया जाय और जब यह अच्छा काम करेंगे, तब देखा जायगा।

*श्री रक्षपालसिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय। मैं बड़ा आभारी हूं माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस विवाद में भाग लिया और जिन्होंने अपने सुझाव चाहे वह कमियों के बारे में हों। चाहे सुधार के संबंध में हो दिये। श्रीमन् जो सुझाव आये हैं, उनमें मैं केवल २ बातों पर जोर दूंगा और वह कांग्रेस सदस्यों की ओर से आये हैं, यह और भी अच्छी बात है। एक तो यह कि जो ग्रामों के उद्योग संबंधी बातें हैं, उसमें कच्चा माल देने की कार्यवाही सरकार द्वारा होनी चाहिए। कच्चा माल वहां उपलब्ध कराया जाना चाहिए। वह नहीं हो रहा है इसकी ओर सरकार के विशेष ध्यान देना चाहिये। नहीं तो, यह चाहे बालटी बनाने का उद्योग हो, चाहे पीतल के बर्तन बनाने का उद्योग हो। जितने भी उद्योग हों, वह चल नहीं सकते।

दूसरा प्रश्न जीपों के सम्बन्ध में आया। इसके बारे में मुझे यह कहना है कि इसमें खर्च तो अनावश्यक होता ही है। इनकी आवश्यकता भी नहीं है। १०० मील में एक विकास खंड आता है, और अगर वह केन्द्र में हो, तो ३–३, ४–४ गांव चारों तरफ उसके होते हैं, मैं यह कहूंगा कि इनको बिलकुल खत्म तो नहीं कर देना चाहिये, ३–४ जीपें जिला कार्यालय में रखनी चाहिये और जब आवश्यकता हो, तो उनका प्रयोग किया जाना चाहिये, परन्तु अगर हर विकास खंड पर यह बनी रहें, तो इनका दुरुपयोग होता है। ८ मील भी अगर कार्यालय से दूसरा स्थान हैं, वह जिला केन्द्र है, तो दही लाने के लिये और पिक्चर देखने के लिये बी० डी० ओ० द्वारा दुरुपयोग किया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाता है। उसे वापस लेना चाहिये और जिला केन्द्र पर थोड़ी सी जीपें रखकर उनके द्वारा काम चलाया जाना चाहिये।

श्रीमन्, कई जिलों में जो जिला परिषदें कायम हुई हैं, उनमें सभा की बैठकें करने के लिये भवन नहीं है, उसके लिये विशेष अनुदान देना चाहिये।

पंचायतों के चुनाव होने जा रहें हैं, उसके बारे में मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इनका फिर से परिसीमन होना बड़ा आवश्यक है। कई स्थानों पर बहुत बड़ी बड़ी गांव सभायें हैं। कई जगह तो ऐसे ऐसे गांव हैं कि जहां पुराने जमींदार फिर चुनकर आ जाते हैं, और उनकी बड़ी जमींदारी बनती चली जा रही है। तो ऐसे बड़े बड़े गांवों में जहां बहुत बड़ी संख्या रहने वालों की है, उनको विभक्त करके तीन चार गांव सभायें बनायें जिस से कि जो छोटे छोटे पुरवे वाले हैं। वे भी अलग से अपने प्रतिनिधि चुन सकें और उसका लाभ उठायें।

एक बात उत्पादन के संबंध में कही गई। इसमें सब तरफ से शिकायत आती है कि रसायनिक खाद थोपी जा रही है, वह कई स्थानों पर ठीक है, लेकिन कई स्थानों पर थोपी जाने वाली बात नहीं है। इस रासायनिक खाद में जहां ऊपर से जबरदस्ती थोपे जाने वाली बात हो जाती है वहां इसका उपयोग अच्छा न होकर दुरुपयोग हो जाता है। नहरी क्षेत्र में खेतों में खाद डाल दी गयी, लेकिन पानी नहीं मिला, सारे के सारे खेत सूख जाते हैं। इस बात विशेष रूप से सरकार को ध्यान रखना चाहिये। जहां पर अधिक खाद की आवश्यकता हो। वहां पर अधिक दी जाय और जहां कम आवश्यकता हो वहां कम दी जाय। लेकिन आपके यहां से तो आदेश जाते हैं कि सब को एक खोदी दिया जाय। इस तरह से उसका दुरुपयोग हो जाता है। इसलिये खाद और पानी के अनुपात का आपको ध्यान रखना चाहिये।

योजनाओं में आपने थोड़ा परिवर्तन किया है। लेकिन बहुत सी योजनायें अब भी ऐसी हैं जिनमें कोई लाभ नहीं हो रहा है। उनको काट देना चाहिये और जिन योजनाओं में आपको यह मालम हो रहा है कि १०–२० साल में जाकर लाभ होगा या न होगा, उनको भी आपको बदल देना चाहिये। सरकार ने उनको बदल दिया तो ठीक होगा अन्यथा योजनाओं को कट करने के लिये और उनको बदलने के लिये जनसंघ एक आन्दोलन भी करने वाला है। मैं इसकी आपको सूचना देना चाहता हूं।

(श्री बंशीधर पांडेय के बुलाये जाने पर)

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, ये न तो मंत्री हैं और न उपमंत्री ही हैं, इसलिये ये इस अनुदान को पेश नहीं कर सकते। इनको जवाब देने का भी अधिकार नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

टम्बेश्वर प्रसाद जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, वह बहुत उचित है। यह तो केवल सभा सचिव हैं। १० रुपया मांगते तब तो इनको हम दे देते, १७ करोड़ रुपये की मांग भला इनको किस प्रकार से स्वीकृत कर सकते हैं?

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

इस सदन में यह घोषणा हो चुकी है कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी केबीनेट के श्येड्यूल में नहीं आते हैं इसलिये केवल मंत्री या उपमंत्री ही उस मांग को पेश कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

पहले तो आपने इस प्रश्न को उठाया नहीं था। इस समय वे मंत्रीजी की जगह काम कर रहे हैं।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

आपने ऐतराज देर से किया। यह मूव हो चुका, उस पर बहस भी हो चुकी, इसलिये अब यह प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। पहले आप एतराज करते तो इसमें अध्यक्ष की कोई रूलिंग हो सकती थी।

श्री उपाध्यक्ष—

मेरा खयाल है पारसाल भी ऐसा हुआ था कि बाद में एतराज किया गया था। आज भी पहले एतराज नहीं किया गया।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

उपाध्यक्ष महोदय, इनका भाषण करा दीजिये, लेकिन अनुदान किसी माननीय मंत्री जी से ही पेश करा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

देखिये मंत्री की डेफीनिशन में यह लिखा हुआ है....

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

अब तो आप अपनी रूलिंग दे चुके, उसे न बदलिये। आपने अब तो कह ही दिया कि हमने पहले आब्जेक्शन नहीं किया था और माननीय ठाकुर साहब ने भी इसको स्वीकार किया है, वैसे हमारा आब्जेक्शन ठीक था। अब आप पल्टा न खाइये।

श्री उपाध्यक्ष—

हमारे जो नियम बने हुये हैं उनमें मंत्री की जो डेफीनिशन दी हुई है, उसमें ये भी आ जाते हैं। इसलिये ये मंत्री की डेफीनिशन में भी आ जाते हैं और आपने पहले भी आब्जेक्शन नहीं उठाया था, ये दोनों बातें हैं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

अगर ये भी भी मंत्री की डेफीनिशन में आ गये। तो कमाल ही हो जायगा।

श्री बंशीधर पांडेय—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने और माननीय रक्षपाल सिंह ने जितने सुझाव दिये उनमें यह भी सुझाव आया कि हर पंचायत के अलग अलग मंत्री रहें। बहुत से राज्यों में यह प्रयोग चल रहा है। कहीं कहीं अध्यापक भी पार्ट टाइम काम करने वाले हैं। लेकिन अच्छा यही होगा जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों की राय हुई कि कभी तो ८–८– और १०–१० ग्राम पंचायतों के ऊपर एक एक मंत्री है और अगर हर पंचायत के साथ एक एक मंत्री उनकी ओर से नियुक्त किया गया। तो हर मंत्री के काम में एक दूसरे से कोआर्डिनेशन नहीं हो सकेगा और सब के कार्य में समन्वय और एकीकरण करके पंचायतों को कार्य करने में बड़ी कठिनाई होगी।

एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि खेती के एकरेज बढ़ते जाते हैं। मैं आपके सामने एक आंकड़ा देना चाहता हूं कि सारे हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा स्टेट है जहां सन् ५०–५१ से लेकर ६० –६१ तक दस वर्षों में फुड ग्रेन्स की खेती में केवल ७ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी नये खेत को अन्न के अन्तर्गत लाने में हुई है जब कि सारे भारत में १६ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। आंध्र में २५ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है, जम्मू–काश्मीर में ४१ प्रतिशत और राज्यस्थान में ९२ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है और उत्तर प्रदेश में केवल ७ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। तो दरअसल में फूडग्रेन्स की कमी का कारण यह नहीं है कि उत्तर प्रदेश में खेती का एरिया अधिक हो गया है। और फिर भी औरों के अनुपात में यह बढ़ा नहीं है।

पंचायत राज ऐक्ट और क्षेत्र समितियों की चर्चा कुछ माननीय सदस्यों ने की। माननीय रक्षपालसिंह ने कहा कि पंचायत, क्षेत्र समिति और जिला परिषदों का एक ऐक्ट हो जाय तो अच्छा हो। सही बात है, इस सम्बन्ध में कई बार इस हाउस में कहा जा चुका है कि सरकार इस पर विचार कर रही है कि ग्राम पंचायत अधिनियम को लाना होगा, क्षेत्र समितियों के सम्बन्ध में भी कुछ परिवर्तन करना होगा लेकिन कालान्तर में सरकार का इस प्रकार का भी विचार है कि कभी भी समय मिले तो अच्छा होगा कि इसमें एक समानता और एकरूपता लाने के लिये गांव सभाओं, क्षेत्र समितियों और जिला परिषदों के लिये एक ऐक्ट लाना होगा जिसे पंचायती राज ऐक्ट, उत्तर प्रदेश की संज्ञा दी जायगी। यह एक अच्छी बात होगी और सरकार इस पर जरूर विचार करेगी।

इसमें आया है कि जातीयता के आधार पर चुनाव को रोका जाय। इस सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है। इस पर इस देश की जनता को और सदन के माननीय सदस्यों को विचार करना चाहिये कि अगर डेमोक्रेसी को कायम रखना है तो चुनाव लड़ने के लिये हर पार्टी को अपनी एक आचार संहिता बनानी होगी कि किस हद तक चुनाव लड़ने वाले चुनावों में जातीयता का प्रचार न करें। पंचायतों के पूरे आंकड़े मेरे सामने नहीं हैं लेकिन श्रीमन्, आपको भी मालूम है और माननीय सदस्य भी जानते हैं कि आज भी पंचायतों के चुनाव जातीयता के आधार पर नहीं होते हैं। कुछ स्थानों पर जातीयता की बात भले ही चल चला गयी हो लेकिन अधिकतर चुनावों में जो सन् ४९,५५ तथा ६० में हुए और अब चौथा चुनाव ग्राम पंचायतों का होने वाला है, जिस गांव में बहुल आबादी जिस जाति की थी उस जाति के सभापति वहां न चुने जाकर दूसरी जाति के ही चुने गये। जहां चुनाव की लड़ाई हुई वहां अधिकतर यही हुआ। आज हम लोग जो राजनीति में काम करने वाले हैं, एक ऐसी आचार संहिता कायम करें कि जातीयता के नाम पर हम इस कार्यक्रम को न करें। पार्लियामेंट से लेकर गांव सभाओं के चुनाव तक की आज यह स्थिति है कि जो कार्यक्रम लेकर हम चलते हैं, प्रेसर पड़ने पर कोई भी बात हो, पैसे की या किसी ग्रान्ट की बात हो, रीजन भाषा और जाति के आधार पर ही उसे मांगने की बात करते हैं हमें उसे भी धीरे-धीरे बन्द करना चाहिये। तीनों चुनावों की बात कही गई कि वह एक साथ करा दिये जायं, गांव पंचायतों के, क्षेत्र समितियों के और जिला परिषदों के। यह बहुत अच्छा सुझाव है। पहले तो गांव पंचायतें ही थीं और अब सन् ६२ से क्षेत्रसमितियां और जिला परिषदें भी आ गई। सरकार भविष्य में इस सुझाव पर विचार कर सकती है कि किस तरह से कार्यक्रम बनाया जाय कि तीनों संस्थाओं के चुनाव एक साथ हो जायं। डा० रघुनाथसिंह ने कहा कि यह पंचायतें तो सरकार की चेरी हैं। डाक्टर साहब मुझसे ज्यादा जानते हैं और मैं कम अनुभव का आदमी हूं और जैसा उन्होंने कहा कि हमारे यहां मान्टेगू चेम्सफोर्ड रिफार्म्स से लेकर आदि काल से भारत में इन पंचायतों की चर्चा होती है लेकिन हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारा जो यह पंचायत राज का यहां नक्शा है वह बहुत सुन्दर है, कैसा कंट्रोल इस में है और कितने बड़े अधिकार हमने इन पंचायतों को दिये हैं। प्रदेशीय सरकार के नीचे जब आप चलें तो जिन को कि कहा गया है कि यह जिला परिषदें हैं वह "दि प्रोजेक्शन आफ स्टेट गवर्नमेंट" जिले के स्तर पर वह एक संगठित जनशक्ति हैं। सन् २२ के ऐक्ट के अनुसार, नार्दर्न इंडिया फेरीज ऐक्ट, जनरल क्लाजेज ऐक्ट और कई अधिनियमों को जोड़कर एक खिचड़ी बनी है और अब जिला परिषद् अधिनियम का दर्जा उस को दिया गया है। वहां पर एक स्थानीय सचिवालय की सी रचना हो गई है, ए० डी० एम० प्लानिंग वहां पर चीफ सेक्रेटरी की तरह सारे कामों का संचालन करता है और वह कलेक्टर को छोड़कर सारे सम्बन्धित जो वहां के अधिकारी हैं उन को कंट्रोल करता है उसका ही मुख्य वहां फंक्शन है और बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है जैसे कि यहां मुख्य मंत्री का है और संसद में प्रधान मंत्री का है। उनका तीसरी सरकार का सा दर्जा है। विभिन्न मिनिस्ट्री की तरह जिला परिषद् समितियां काम करती हैं। जैसे-जैसे लिटरेसी बढ़ेगी वह दिन आयेगा कि जब समिति के अध्यक्ष वहां के के लोग बनेंगे। विभिन्न समितियां वहां पर हैं सिंचाई समिति, शिक्षा समिति, कृषि समिति,

[श्री बंशीधर पांडेय]

सार्वजनिक निर्माण समिति आदि और वे विभिन्न मदों के लिये बाकायदा ग्रान्ट पेश करती हैं और सब कुछ वहां होता है। यह जिला परिषदें भी प्रदेशीय सरकार का जिला स्तर पर एक छोटा रूप हैं। यू० पी० को छोड़कर भारत की किसी स्टेट में यह नहीं है कि संसद के सदस्य और हमारे इन दोनों सदनों के सदस्य जिला परिषद् और क्षेत्र समितियों के भी सदस्य हों। यहां पर भी वह कार्य करते हैं और इतने ही अधिकार उन को वहां पर भी हैं। इसलिये यह कहना कि वह सरकार की चेरी हैं उचित नहीं है। सरकार जनता की है। सब अधिकार जो आपने दिये हैं वह डेलीगेटेड हैं और जिला परिषद् का जो अधिनियम है उसके अन्तर्गत वहां सब कार्य होता है।

श्री रघुनाथसिंह--

मेरा मतलब आर्थिक स्थिति से था।

श्री बंशीधर पांडेय--

पहले मैं उसके पोलिटिकल ढांचे की बात समाप्त कर दूं। बार-बार कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी हावी है और प्रधान, अध्यक्ष कुछ नहीं जानते। मेरी प्रार्थना है कि दुनिया में जितने भी जनतंत्र हैं अभी यूनाइटेडनेशंस में तंत्र पर बात हुई थी और यह निष्कर्ष निकला था कि सबसे अच्छा तंत्र लोकतंत्र है और भारत में पंचायती राज का इंट्रोडक्शन तो अति मानववादी है। सब से अधिक मानवीय व्यवस्था यह है जो भारत में लागू की है। तानाशाही लानी हो या दूसरी व्यवस्था लानी हो तो हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन अगर लोकतंत्र को कायम करना है तो आप यही कह सकते हैं कि जो कुछ कार्य किये गये हैं उनमें और प्रगति लाने की आवश्यकता है। लेकिन यह कहना कि ब्यूरोक्रेसी हावी है अपरोक्ष में आप अपने करेक्टर को, एसेसिनेट करते हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र--

माननीय मंत्री जी एक सर्कुलर क्यों नहीं निकालते कि देहातों में कम्युनिटी डेवलपमेंट तथा ब्लाक्स के आफिसर टाई लगा कर न जायं और १८ करोड़ के अनुदान में १० करोड़ रुपया केवल अफसरों के विकास में ही खर्च न हो जाय।

श्री बंशीधर पांडेय--

जैसा आपने कहा मैं भी उससे सहमत हूं। फिर आप क्यों गोलमोल बात कहते हैं? आप कहें कि हमको और पावर की जरूरत है तो आप सैंक्शन करने को तैयार हैं लेकिन हम इस कार्यक्रम को बढ़ाने में क्यों पीछे हैं लेकिन ब्यूरोक्रेसी की बात जो कही जाती है वह आखिर है क्या? किसी पराधीन देश के सरकारी कर्मचारियों की ब्यूरोक्रेसी की संज्ञा दी जाती है न कि किसी स्वाधीन देश के कर्मचारियों को। आज नौकरशाही कौन है? आज हमारा भाई कोई कमिश्नर होगा, कोई कलेक्टर होगा कोई पंचायत मंत्री होगा और कोई लेजिस्लेटर होगा। जब चर्चा की जाती है कि फलां ने अपने रिश्तेदार को नियुक्त कर दिया तो मैं श्री राधेश्याम से कहना चाहता हूं कि यह तरीका जो होता है अच्छा नहीं होता।

अभी पंचायती राज के आर्थिक ढांचे का प्रश्न उठाया गया। हमको देखना होगा कि १५ सालों में किन-किन क्षेत्रों में योजनायें आगे बढ़ी हैं। लेकिन योजना के साथ साधन जुटाने होते हैं। आलोचना के साथ समालोचना भी होनी चाहिये। नेहरू जी की जो प्लानिंग कमेटी बनी थी और कराची का जो रिजोल्यूशन था उसमें क्या था? तमाम देश में कोई भूखा नहीं रहेगा, बेकार नहीं रहेगा, निरक्षर नहीं रहेगा, चिकित्सा से महरूम नहीं रहेगा। सबको रहने को घर मिलेगा। इस सबके लिये धन चाहिये। यानी राष्ट्रीय आय हमारी क्या है? साढ़े १४ हजार करोड़ से हमने शुरू किया। फिर १९ हजार करोड़, २५ हजार करोड़, ३५ हजार करोड़ पर पहुंचे और शायद भविष्य में ५० हजार करोड़ तक योजना पहुंच जायं। राष्ट्रीय आय में क्रमिक विकास कैसे होता है। पूंजी पहले ५ परसेंट लगाते थे आज वह १३,१४ परसेंट

पर पहुंच गया है। मैं विरोधी दल के सदस्यों से सहमत हूं कि इन संस्थाओं के लिये रिसोर्सेज चाहिये। वह कमेटी शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में बनी है जो शीघ्र ही अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत करेगी और वह माननीय सदस्यों के सामने आयेगी। इन संस्थाओं के रिसोर्सेज क्या हों इस पर वह कमेटी विचार कर रही है। महाराष्ट्र, आन्ध्र, राजस्थान और गुजरात चार स्टेट आप ले लें और मुकाबिला कर लें। रिसोर्सेज के मामले में क्षेत्र समिति, जिला परिषद् के लिये अतिरिक्त साधनों की व्यवस्था होनी चाहिये और जो हमारे बजट का प्राविजन है उसमें से किन साधनों को हम इन संस्थाओं को हस्तान्तरित कर दें कैबिनेट उस पर विचार कर रही है। अगर पंचायती राज की इकाइयां अपने साधन इकट्ठा नहीं कर सकतीं और भारत सरकार तथा प्रान्तीय सरकार के अनुदानों के जरिये ही इन पंचायतों को चलाना है तो मैं पहला आदमी हूंगा जो निवेदन करूंगा कि इन सारी संस्थाओं के कार्यक्रम को खत्म करना होगा। यह चुनाव कराओ, ए० डी० ओ०, बी० डी० ओ० की व्यवस्था कायम करो और फिर ग्रान्ट तथा रिसोर्सेज उनको मुहइया करो तो फिर इस बात का कोई औचित्य नहीं है कि इन संस्थाओं को कायम रखा जाय।

श्री रघुनाथसिंह—

राजस्व नीचे से आता है।

श्री बंशीधर पांडेय—

१६ करोड़ के बजट में पहले ७५ फीसदी राजस्व से आता था लेकिन आज २६२ करोड़ के बजट से २१ करोड़ का राजस्व से आता है जरा परसेंटेज निकाल लिया जाय और जिला परिषदों, क्षेत्र समिति पर एजूकेशन में, चिकित्सा में तथा अन्य विकास के कार्यक्रमों पर जो रुपया भारत सरकार तथा प्रदेशीय सरकार खर्च कर देती हैं वह २१ करोड़ से कहीं ज्यादा है। बहुत से कार्यक्रमों में वह रुपया खर्च होता है जैसे सिंचाई, सड़कों का निर्माण, स्ट्रीट लाइट, खरंजा लगाना, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल और उसके लिये साधन जुटाने होंगे। एक माननीय सदस्य ने कहा कि पंचायतों का कार्यकाल १० साल कर दिया जाय तो फिर असेम्बलीज, पार्लियामेंट सारी संस्थाओं का कार्यकाल १० साल कर दिया जाय। आप यहां तथा संसद् में ही इसे तय करके हमें निर्देश कर दें तो हमें लागू करने में क्या कठिनाई हो सकती है।

प्रधानों के चुनाव के बारे में कहा गया। सन् ४९ में पहली बार चुनाव हाथ उठा कर हुआ तो सही बात है कि किसी ने ९६ वोट पाये तो १९६ हो गये, ऐसी शिकायतें थीं। सरकार को जब यह खामी बतलाई गयी तो गुप्त मत से चुनाव कराना शुरू किया। फिर कहा गया कि सदस्यों की संख्या इतनी बढ़ा दी गयी कि कोरम पूरा नहीं होता। सरकार इस पर विचार कर रही है कि सदस्यों की संख्या और प्रदेशों की पंचायतों में जो सदस्यों की संख्या है उसके बराबर लाई जाय और उनका चुनाव गुप्त मत से कराया जाय। संस्थानम कमेटी की राय है। पंचायत राज ऐक्ट में हम लाने वाले हैं कि हमारी पंचायतें भारत में सबसे छोटी हैं जिससे उनकी रेवेन्यू भी बहुत कम है। औसत एक पंचायत की आबादी ७५० पड़ती है जब कि केरल में ११ हजार, और अन्य प्रान्तों में दो हजार, तीन हजार पड़ती है। तो अपनी पंचायतों को हमको दो हजार, तीन हजार के बराबर बनाने का भी सुझाव सरकार के विचाराधीन है। ताकि बड़ी पंचायतों के स्तर पर जो मनी स्केटर्ड है उसको इकट्ठा करके कार्यक्रम किया जाय। एक मंत्री २, ३ पर पंचायत मंत्री हो जाय। सरकार इस पर विचार करेगी।

न्याय पंचायतों के चुनाव के सम्बन्ध में कहा गया कि पंचों का चुनाव सदस्यों के साथ करा दिया जाय। यह चीज पंचायत राज ऐक्ट बनाते समय सरकार के विचाराधीन है कि किस तरह से चुनाव कराया जाय। बहरहाल, यह सुझाव अच्छा है सरकार इस पर विचार करेगी। जैसा १९४९ में था कि सदस्यों के साथ न्याय पंचायतों के पंच चुन लिये जाते थे, वही अब मांग है।

[श्री बंशीधर पाण्डेय]

माननीय सदस्यों ने कहा कि प्लानिंग में बड़ी भारी फौज है, उसमें काम करने वाले गुलछर्रे उड़ाते हैं। अब मैं क्या कहूं, मैं दूसरे विभाग के अधिकारियों की निन्दा तो नहीं करना चाहता क्योंकि सब कर्मचारी एक ही सरकार के हैं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि प्लानिंग के कर्मचारियों ने बड़ी मेहनत से काम किया है और कर रहे हैं। हमने पी० सी० एस० और आई० ए० एस० अधिकारी को जिला नियोजन अधिकारी बनाया है। यह लोग मैजिस्ट्रेट का काम छोड़ कर प्लानिंग का काम करते हैं। १९५०–५१ से लेकर आज तक इतना बड़ा काम इन्होंने किया और काफी मेहनत से अपने काम को करते हैं इसके बावजूद भी उनको ऐप्रीसियेशन नहीं मिलता है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)––

मंत्री जी, प्लानिंग अफसर जो आप बनाते हैं तो उनको प्लानिंग की कोई ट्रेनिंग दिये रहते हैं, क्या ऐसी व्यवस्था की गयी कि उनको प्लानिंग की ट्रेनिंग हो ?

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)––

हमारे मथुरा में सी० ओ० को, जिसने चकबंदी में लाखों रुपया कमाया, डी० पी० ओ० बना दिया। इसलिये जैसा माननीय राम सुन्दर पाण्डेय जी ने कहा वह ठीक है कि इन अधिकारियों की ट्रेनिंग जरूर होना चाहिये।

श्री बंशीधर पाण्डेय––

जैसा माननीय रामसुन्दर पाण्डेय जी ने कहा यह सुझाव सरकार के सामने है कि प्लानिंग में काम करने वालों की पृष्ठभूमिका नियोजन की हो। मैं आपको बताऊं कि १९५४–५५ में श्रमदान का कार्यक्रम यहां का बहुत अच्छा रहा और बहुत से निर्माण के कार्यक्रम हुए। उस बीच में बहुत से हमारे अधिकारियों ने भी, नेताओं ने भी कहा कि तुम इस कार्यक्रम को करते चलो, बाद को सैंक्शन्स होंगी। उस समय काम बड़ा अच्छा हुआ इस पर भी प्लानिंग और निर्माण का कार्यक्रम करने वाले अधिकारियों की प्रशंसा तो हुई नहीं, उलटे उनसे जवाब तलब है कि तुमने जल्दबाजी कर दी, पहले खर्च नहीं किया, आदि-आदि। मैं आपकी राय से सहमत हूं। यह चीज होने वाली है क्योंकि पंचायत राज ऐक्ट में सारे जनप्रतिनिधि शासन के अधिकारी हो रहे हैं, सारी ग्रान्ट को देखेंगे। वह तो मशीनरी इम्प्लीमेंट करने वाली है।

अब मैं जनरल प्लान पर कुछ कहना चाहता हूं। हमारे दोस्तों ने कहा कि प्लानिंग का कार्यक्रम बहुत पीछे चला गया।

श्री राधेश्याम शर्मा––

पंचायतों को मालगुजारी का कुछ हिस्सा देने के बारे में हमने कटमोशन रखा था उसके बारे में भी, जरा मंत्री जी बता दें।

श्री बंशीधर पाण्डेय––

यह बात एक कमेटी के सामने विचाराधीन है जिसके अध्यक्ष हमारे शिक्षा मंत्री हैं। उसकी रिपोर्ट अभी नहीं प्राप्त हुई है इसलिये पहले से उस बारे में कुछ कहना अच्छा नहीं लगता। वह रिपोर्ट जल्दी ही आ जायगी और जब वह आ जायगी तो जो रिसोर्सेज से सम्बन्धित मामले होंगे, वे सदन के सामने हम लायेंगे।

श्रीमन्, मेरे साथियों ने कहा कि कृषि में कोई उन्नति नहीं हुयी। कृषि के सम्बन्ध में मैंने आरम्भ में निवेदन किया था कि कृषि उत्पादन के कार्यक्रम में गत २–३ वर्षों में कमी हुयी। इस साल खरीफ और रबी की फसल को लेकर हम १४३ टन की सोचते हैं और तीसरी प्लान के संशोधित कार्यक्रम में १८४ के बजाय १६९ है। तो हम १५२ या १५३ तो अवश्य ही पहुंचा

देंगे। आप देखेंगे हमारा सबसे बड़ा खर्चा, खेती, सिंचाई आदि में ही हो रहा है। जितने भी हमारे उत्पादन के कार्यक्रम हैं हम उसी पर अपने रुपये खर्च करने जा रहे हैं। उत्पादन के कार्य क्रमों में और खासकर कृषि के उत्पादन में बिजली का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। १९५०–५१ में १३९ मेगावाट बिजली हमारे प्रदेश में प्रोसड्यूस की जाती थी आज थर्ड फाइव ईयर प्लान में आशा करते हैं कि यह १०२४ मैगावाट तब बिजली बढ़ जायगी। कितनी तेजी से बिजली का विकास हो रहा है। एक इन्टैंसिव प्रोग्राम चालू किया गया कि ग्रामों का विद्युतीकरण हो और इस ग्रामों के विद्युतीकरण के कार्यक्रम में जितने प्राइवेट ट्यूबवेल्स उनके बीच में पड़ते हैं अगर उनकी कैपेसिटी २० हार्स पावर तक है तो १ मील लम्बी लाइन फ्री दी जायगी। इसी प्रकार अगर मोटर ५ हार्स पावर का है तो लाइन का खर्चा ४ फर्लांग तक नहीं लिया जायगा।

कृषि उत्पादन और औद्योगिक उन्नति में बिजली का महत्वपूर्ण स्थान है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस पर काफी खर्चा किया गया है और चौथी पंचवर्षीय योजना में सबसे बड़ा खर्चे का लक्ष्य जो है वह बिजली उत्पादन का है। अब हमें गर्व है कि हमारा प्रदेश देश के ५ या ६, प्रदेशों में से एक है जो देहाती विद्युतीकरण के कार्यक्रम को आगे तेजी से चला रहा है।

जहां तक दरों का प्रश्न है, मेरी इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के बिजली मंत्री से बात हुयी थी, जो मिर्जापुर में आये थे, और मुझे आशा है कि हमारा एक कौमन ग्रेड हो जायगा तो सब जगह के रेटों को मिलाकर एक फ्लैट रेट हो जायगा और कम भी होंगे।

जहां तक सिंचित भूमि का सम्बन्ध है, इन १५ सालों में २४ लाख एकड़ जमीन इर्रीगेशन के अन्तर्गत एडिशनल लायी गयी है। १२ लाख एकड़ भूमि बाढ़ योजना के अन्तर्गत बाढ़ से बचाया गया है। एजूकेशन के सम्बन्ध में यह प्रदेश देश के सब प्रदेशों में पिछड़ा हुआ प्रदेश कहा गया है। माननीय सदस्य योजना के कार्यक्रम को जब आंकड़ों के आधार पर आंकते हैं तो कहते हैं कि हमारे प्रदेश को परकैपिटा इन्वैस्टमेंट भारत की आबादी का पर कैपिटा आउटले नहीं मिला, इन्वैस्टमेंट नहीं हुआ और सेंट्रल एसिस्टेन्स नहीं मिली। पर इसको इस दृष्टि से देखें कि एक प्रदेश की इकोनामी का सारे प्रदेशों पर और जनता पर असर पड़ता है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

बड़े-बड़े उद्योग धंधे भी दूसरे प्रदेश में लग रहे हैं क्या उसका असर बेकारी को दूर करने में नहीं होता है।

श्री बंशीधर पाण्डेय—

आप तो श्री अशोक मेहता जी के साथ भी रहे हैं जो हमारे देश के एक बहुत बड़े इकोनामिस्ट हैं उनसे पूछिये कि बड़े नगर, बड़ी इंडस्ट्री जितनी क्लोयस्टर करेंगी उस स्थान की वर्तमान स्थिति उसका सोशियो एकौनोमिक ढांचा आगे बढ़ने के बजाय पीछे जायगा। जब तक कि उद्योगों के पीछे क्षेत्र के लोग वह कच्चा सामान पैदा नहीं करते जो सम्बन्धित उद्योगों के लिये चाहिये। आप कानपुर के किसी भी देहात को देख लीजिये। इस संबंध में जो माननीय रामसुन्दर पाण्डेय ने कहा कि उसका असर पड़ता है। लेकिन यह बात नहीं है कि हम बहुत ज्यादा उसके अन्दर जायं। आज अमरीका की चर्चा मैं करना नहीं चाहता हूं। आज वहां पर भौतिकवाद की प्रवृत्ति दूसरी ओर ले जाना चाहती है। प्लानिंग की बात नहीं बल्कि यह सोशल साइंस की बात है। इसलिये मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता हूं। लेकिन आज आप देखेंगे कि भौतिक शास्त्र में अमरीका सबसे आगे है और आज अमरीका का यह विकास लगभग ५० वर्ष का है। १०० वर्ष तक अमरीका उसी स्थान पर रहा यानी उसकी इकोनामी उसी जगह पर रही जिस हद तक हमारे यहां की इकोनामी है। अमरीका १७७४ से लेकर १८९० तक उसी जगह पर

[श्री बंशीधर पाण्डेय]

रहा। १९०० के बाद से उसकी इकोनामी बढ़ी है। उत्तर प्रदेश और भारत की जो अर्थ व्यवस्था है, जैसा मैंने कहा कि पंचम पंचवर्षीय योजना तक ३५ हजार करोड़ हमारी राष्ट्रीय आय हो जायगी।

श्रीमन्, भारत की आबादी सचमुच में बड़ी बाधक है। इसकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता हूं क्योंकि आप शहरी आबादी की गणना करके पर कैपिटा इनकम का उदाहरण दे सकते हैं। श्रीमन्, एजूकेशन में यह है कि पहले तीन लाख लड़कियां थी अब १३ लाख पढ़ती हैं। इसी तरह से ६ साल से ११ साल के ग्रुप के लड़कों में ७३ परसेंट एजूकेशन हो गई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में १५ वर्षों में ५०-५१ को बेसिक लाइन मान कर ७० परसेंट की बढ़ोतरी हुई है। इसी प्रकार से टैक्नीकल एजूकेशन में दस गुना बढ़ोतरी हो गई है। दस गुना बढ़ी ही नहीं है बल्कि टैक्नीकल एजूकेशन में एफीशियेंसी भी काफी आई है। श्रीमन्, हमारी सड़कें १० हजार मील से लेकर १६ हजार मील बन जायंगी और ३४ लाख टन एडीशनल प्रोडक्शन इस बीच में हम अन्नोत्पादन कर ले जायंगे।

श्रीमन्, समय बहुत कम है लेकिन मैं बहुत थोड़े में ही जवाब दे देना चाहता हूं। पंचायती राज्य जो है उसके संबंध में आपकी भावनाओं से मैं भी अपनी भावना को सम्बद्ध करता हूं और समझता हूं कि इसमें सहयोग की बड़ी आवश्यकता है और वह सहयोग दोनों तरफ के लोगों के मिलने से प्राप्त होगा। पंचायत की योजना में तथा अन्य योजनाओं में बड़ा अन्तर है। रूस की योजनायें डायरेक्टेड प्लानिंग पर है और हमारी योजनायें वर्टीकिल प्लानिंग पर हैं। हमारी योजनाएं नीचे से ऊपर को चलती हैं। इसके अलावा यह भारत है। अन्य जगहों पर योजनाएं हमारी योजनायें उस तरफ के लोग चलाते हैं लेकिन हमारे यहां उनका काम केवल एक रुपये कटौती का प्रस्ताव रख कर सुझाव देना है। ठीक से जैसे भी हमारे यहां नियम हैं। उनके परिवर्तन की बात सोची जा सकती है। योजनाओं में यह है कि उनके बनाने के स्तर पर तो हम मतभेद रख सकते हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन दोनों को मिलाकर करना होगा। दूसरे प्रकार की प्लानिंग में और पंचायती राज्य की प्लानिंग में अन्तर है।

आज हमारा देश सारे संसार के सामने एक टेस्ट की शक्ल में है हमारे भारत वर्ष में २२ करोड़ मतदाता हैं और हमारे यहां तीन-तीन निर्वाचन हो चुके हैं और अब दिन चुनाव होते रहते हैं और फिर भी सफलता के साथ हुये हैं। यही नहीं, श्रीमन्, पंचायती राज्य की सफलता उस समय रही जब भारत के ऊपर चीन का आक्रमण हुआ। जब हमारी बेस-लाइन, मस्तक प्रदेश को तोड़ने की बात आई, उस समय भी उनका मनोबल और आत्मविश्वास बहुत ऊंचा रहा और उसने लोकशाही में अपना विश्वास पूरी तरह से प्रकट किया। इतना ही नहीं, श्रीमन्, यदि आप देखेंगे कि जो सबसे बड़ी धनराशि सुरक्षा कोष में आयी है वह पंचायतों, विकास खण्डों और जिला परिषदों के द्वारा जोड़कर आयी है। तो यह कौन सी बुद्धिमानी है कि हम कर्ण के रथ पर बैठ कर शल्य की नीति चला करते हैं। काशीनाथ जी को आप जरा, श्रीमन्, समझा दें शल्य की नीति कभी सफल नहीं होने की। प्लानिंग और पंचायत का काम बड़े जोरों से चल रहा है और जो लक्ष्य हमने निर्धारित किये है वे पूरे हुए हैं और पूरे हो रहे हैं, हालांकि लक्ष्य एक आदर्श रूप में तय किये जाते है और लक्ष्य तक पहुंचना हमारी अधिकतम सफलता की सीमा होती है। फिर भी हम प्रयत्न करेंगे कि हम यथेष्ट लक्ष्य तक पहुंचे। इन शब्दों के साथ मैं यह प्रार्थना करूंगा कि इस ग्रान्ट को सदन मंजूर करेगा।

श्री रामआधार कनौजिया (जिला बहराइच)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज सभा सचिव महोदय से जानना चाहता हूं, कि चूंकि अब पंचायत मंत्रियों की सेवायें भी जिला परिषदों के अन्तर्गत आ गई हैं तो जिस तरह से जिला परिषद् के अन्य कर्मचारियों को वेतन वृद्धि की सुविधायें दी जाती है, क्या वही सुविधायें पंचायत मंत्रियों को देने की व्यवस्था की जा रही है या नहीं ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

विषय बहुत था। उसमें नहीं कह पाया। पंचायत सेक्रेटरी के लिये अप्वाइंटिंग अथारिटी तो अब जिला परिषद् हो गया है और जो आप कहते हैं वह अब जिला परिषद् के अधिकार में है, तो सरकार उनके वेतन आदि पर पूरा विचार कर रही है और संशोधन ऐक्ट जो आ रहा है उसमें देख कर यह व्यवस्था करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि गांव में लेखपाल है, पंचायत सेक्रेटरी हैं तो आप कोई ऐसी योजनायें बनायें कि एक ही व्यक्ति इन सारे कामों को कर सके। यदि आप यह कर सके तो आपके राजस्व की बचत होगी और चारों तरफ से जो लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है वह भी कम हो जायगी।

श्री बंशीधर पाण्डेय—

श्रीमन्, एक प्रयोग तो मल्टी परपज का किया गया, लेकिन वह सफल नहीं रहा और भी बहुत से प्रयोग किये गये और किये जाते हैं हर व्यवस्था में आप लोगों की तरफ से आपत्ति होती है। यही जो आप कहते हैं वह कर दिया जाये तो कल हो आप लोगों की तरफ से कहा जायगा कि वे स्पेशलाइज्ड नहीं है, वे तो एक दूकान रखते है जिसमें हर सामान रहता है। तो यह तो सम्भव नहीं है।

श्री राधेश्याम शर्मा —

श्रीमन्, मंत्री महोदय ने ग्रामीण जनशक्ति योजना का कोई जिक्र नहीं किया। ग्रामीण जनशक्ति योजना में जो २३ जिले आपने उत्तर प्रदेश में लिये हैं। किसी जिले में आप एक ब्लाक में यह योजना योजना चलाते है। तो इसके लिए आप किस प्रकार से जानकारी प्राप्त करते है। उसमें जनप्रतिनिधियों, हम लोगों से भी कोई राय ले ली जाया करे तो अच्छा हो। इस बारे में आप किससे राय ले लेते हैं ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

इनके लिये ब्लाकों में ए० डी० ओ० (एम० आई०) हैं। अच्छा है यदि आप इनकी जानकारी चाहते है तो डी० पी० ओ० से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसके पास सारी एसोशियेटेड सूचना रहती है, वह आपको बतायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या २५—नियोजन और समन्वय के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २५—नियोजन और समन्वय के अन्तर्गत १६,४६,८५,७०० रुपये की मांग सन् १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ११—गांव सभायें और पंचायतें के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपये कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ११—गांव सभायें और पंचायतें के अन्तर्गत १,६४,४०,८०० रुपये की मांग सन् १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

प्रदेश के अध्यापकों द्वारा परीक्षाओं का बहिष्कार करने के निश्चय के सम्बन्ध में नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय....

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह देखिये मालूम होता है कि जैसे पुलिस कप्तान साहब के यहां रिजर्व लाइन्स में फोर्स होती है । जब घंटी बजती है सब ड्यूटी पर आ जाते हैं, हाजिर हो जाते हैं और बाद में उठ कर चल देते हैं । (हंसी)

श्री उपाध्यक्ष—

अब घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । (हंसी)

*श्री चन्द्रजीत यादव—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस प्रस्ताव के द्वारा मैं इस माननीय सदन का ध्यान एक अत्यन्त गम्भीर समस्या की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । यह आज सर्वविदित है कि इस सूबे में, उसके शिक्षा संसार में एक अभूतपूर्व संकट पैदा हो गया है और यह संकट इसलिये पैदा हुआ है कि अपनी कुछ मांगों के पूरा न होने के कारण मजबूर होकर हमारे सूबे के लगभग ४५ हजार अध्यापकों ने इस बात का निर्णय किया है कि वे होने वाली बोर्ड की परीक्षाओं से असहयोग करेंगे और उनके इस निर्णय का असर हमारे सूबे में लगभग ५ १/२ लाख परीक्षार्थियों के ऊपर पड़ने जा रहा है जिनकी, कि आगामी ११ तारीख से परीक्षायें शुरू होने वाली हैं । यह प्रश्न केवल प्रदेश के ४५ हजार अध्यापकों या ५ १/२ लाख परीक्षार्थियों का नहीं है बल्कि यह प्रश्न आज पूरे सूबे की ८ करोड़ जनता का है और यह संकट ऐसा है कि अगर इस संकट को हमने सही ढंग से हल नहीं किया तो प्रदेश को हानि हो सकती है । आज सरकार का जो रुख है वह एक हठ का रवइया है और एक जिद्द का रवइया है । अगर यह रवइया बना रहा तो मैं समझता हूं कि शिक्षा संसार के अन्दर इससे एक अराजकता पैदा हो जायगी और इसका नतीजा प्रदेश के लिये बुरा होगा ।

श्रीमन्, आज प्रश्न यह उठता है कि इस स्थिति को किसने पैदा किया और कौन इसके लिये जिम्मेदार है ? हमारे अध्यापकों ने इस प्रकार निर्णय क्यों लिया ? सवाल इससे हल नहीं होता कि शिक्षा मन्त्री जी यहां पर यह कह दें कि वे धमकी देते हैं, पढ़े-लिखे लोगों जैसा आचरण नहीं करते हैं और शिष्ट समाज में उनका मानवोचित तरीका नहीं है । सवाल यह है कि आप ठंडे दिल से यह सोचें कि यह गम्भीर परिस्थिति क्यों पैदा हुई और आज अध्यापकों ने यह निर्णय क्यों लिया ? आज प्रदेश के अन्दर जिस तरह से कीमतें बढ़ी हैं और जिस प्रकार की हालत ने आज इन्सान की कमर तोड़ दी है, गल्ले की कमी ने जिस तरह से इन्सान के सामने जिन्दगी और मौत का सवाल पैदा कर दिया है उसमें अध्यापक आज मजबूर हैं । वे कहते हैं कि २ रुपया सेर दाल कहां से खरीदें, रुपये का सेर भर गेहूं किस प्रकार लायें, १–१/२ रुपये, २ रुपये में सेर भर चावल कैसे लायें ? यह उनके सामने जटिल प्रश्न है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आज सीधा-सा सवाल रोटी और दाल का उनके सामने, उनके परिवार के सामने खड़ा हो गया है। इसलिये यह संकट आया है। उनकी सीधी तरह से ५ मांगे हैं।

पहली अध्यापकों की मांग यह है कि सरकार उनको १०० रुपये वेतन दें जो प्राइमरी टीचर्स ५०–६० के वेतन क्रम में हैं। दूसरी उनकी मांग इस महंगाई को देखते हुये यह है कि उनको कम से कम ५० रुपया मंहगाई के रूप में दिया जाय हालांकि मंहगाई १००, २०० प्रतिशत तक बढ़ी है। उनकी तीसरी मांग यह है कि एक समान वेतन क्रम उनके लिये लागू किया जाय। सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में जो भेदभाव की नीति है इसको बन्द किया जाय और एक समान नीति लागू की जाय। इसी प्रकार से एक दो उनकी मांग और हैं लेकिन मोटी-सी मांग यही है। आज जिस सवाल को लेकर यह हालत पैदा हो गई है वह यह है कि कम से कम ५० रुपया महंगाई भत्ता सरकार उनको दे। अगर सरकार इस बात को पूरा नहीं करती, अगर आज सरकार अपने हठ के रवैये को अपनाती है, हमारे अध्यापक अनुनय-विनय के साथ यह कहते हैं कि आप हमारी हालत पर तरस खाइये पर सरकार हठ पकड़े हुये है। आज आप देखिये कि होता यह है कि कानपुर में एक मिल का मजदूर भी १२६ रुपया मंहगाई भत्ता पाता है। ये कौन हैं? ये जयपुरिया और रामरतन गुप्ता मिलों के मजदूरों को महंगाई मजदूरी बढ़ा कर देते हैं लेकिन आप हमारे शिक्षकों को,

(इस समय ५ बजकर १ मिनट पर अधिष्ठाता, श्रीमती प्रकाशवती सूद पीठासीन हुईं।)

जिनके ऊपर इस देश के भविष्य को बनाने की जिम्मेदारी है उनको ५ रुपया भी देने में इन्कार करते हैं। मैं समझता हूं यह नौकरशाही का रवइया है। यह रवइया पूंजीवादों के रवइये से भी बदतर है। आपकी जिद ने यह संकट पैदा किया है। इसकी जिम्मेदारी आज अध्यापकों पर नहीं है। इसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। आप कहते हैं कि वे असहयोग करके सरकार को धमकी देते हैं? अगर वे सहयोग की बात करें तो क्या यह असहयोग हो गया? पूरे राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास बताता है कि गांधी जी ने कहा था कि अगर न्यायोचित मांगों को ठुकराया जाय और हमारे दुखों को न सुना जाय तो हमारे लिये एक मार्ग है कि शांतिपूर्ण तरीके से असहयोग करें। वही असहयोग का तरीका अगर हमारे अध्यापक अख्तयार करते हैं तो आप अंग्रेजों की भाषा में बोलते हैं और कहते हैं कि ये राष्ट्र-द्रोह कर रहे हैं और देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इस अंग्रेजों की भाषा का इस्तेमाल आप बन्द कीजिये हमदर्दी के साथ सोचिये। इस देश के प्रधान मंत्री, शिक्षा मंत्री हमदर्दी से बातें कर सकते हैं, सुन सकते हैं, वह प्रयास कर सकते हैं कि हमारी उचित मांगों को पूरा किया जाय, लेकिन आपका रवैया यह है कि हम बात करने के लिये भी नहीं हैं। आपकी मांगें अनुचित हैं, न्याय संगत नहीं है, आपका रवैया गलत है। आप को इसे बदलना चाहिये।

श्रीमन्, आज हालत क्या है। अधिष्ठात्री महोदया, आज हमारा एक अध्यापक २० रुपया महंगाई भत्ता पाता है और दूसरा साढ़े ५७ रुपया पाता है। यह असमानता क्यों है? क्या सरकारी और गैर सरकारी अध्यापकों के लिये महंगाई में भी कोई भेद है?

अधिष्ठात्री महोदया, मैं बतलाऊं कि आज हमारे शिक्षा मंत्री कहते हैं कि इस समस्या का हल कैसे हो। मेरा सुझाव है कि आप अपना बजट बढ़ाइये। मुदालियर कमीशन ने कहा था कि पूरे बजट का २० फीसदी शिक्षा पर खर्च होना चाहिये। इस प्रदेश में केवल १४ फीसदी आप खर्च कर रहे हैं। जबकि दूसरे प्रदेशों में २५ से ३१ फीसदी तक शिक्षा पर खर्च होता है। इसमें केवल ५, ६ करोड़ सालाना का खर्च बढ़ने वाला है इसके लिये आप क्यों एक असतोष की लहर पैदा कर रहे हैं। यह केवल ४५ हजार अध्यापकों तक ही समस्या सीमित नहीं है। प्राइमरी स्कूल के अध्यापक, उच्चतर माध्यमिक के अध्यापक, डिग्री और यूनिवर्सिटी के अध्यापक, सबकी सहानुभूति उनके साथ है। ३, साढ़े तीन लाख अध्यापकों की शक्ति

[श्री चन्द्रजीत यादव]

आज इस मांग के पीछे खड़ी हुई है और इसके पीछे हर ईमानदार आदमी, न्याय पसंद आदमी, समाज का हर वर्ग है। आप चाहे उसे जितनी ही बेरुखी से देखें, लेकिन उनकी हमदर्दी आज अध्यापकों के साथ है और वे समझते है कि उनकी मांगें वाजिब हैं, उचित हैं। इसलिये मैं कहता हूं कि इसको हल्के-फुल्के ढंग से आप देखने की, टालने की कोशिश न करिये।

अधिष्ठात्री महोदया, यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन ने सिफारिशें की थीं। वे सिफारिशें अन्य प्रदेशों में लागू हो रही हैं, आप के प्रदेश में शिक्षा की हालत इतनी बदतर है कि आप उनको यहां लागू करने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। मुदालियर कमीशन की सिफारिश को भी आप यहां लागू नहीं कर पाये। अध्यापकों में आपस में भेदभाव की नीति बरती जाती है, इसलिये मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर सरकार की नीति क्या है। १९६२ तक आप उनको दस रुपया मासिक मंहगायी भत्ता देते थे। अब जो महंगाई दे रहे है वह आप विद्यार्थियों से फीस बढ़ा कर, उन्हीं से वसूल करके दे रहे हैं। आपने ३९,००० रुपया भी बचा लिया और आप कहते हैं कि आप कुछ देने में समर्थ नहीं हैं। आप के पास साधन नहीं है। जो सरकार चौथी योजना के लिये १,४०० करोड़ रुपये की व्यवस्था करने की बात सोचती है वह सरकार ५ करोड़ रुपया सालाना का इंतजाम क्यों नहीं कर सकती? उसके लिये हमदर्दी चाहिये, उसके लिये दिल चाहिये उसके लिये सहानुभूति चाहिये। उसके लिये न्याय संगत मांगों के साथ अपने को जोड़ने की भावना होनी चाहिये और यही आप में कमी है। इसके लिये जो आपका रवैया है वह मैं समझता हूं कि गलत है।

अधिष्ठात्री महोदया, मैं शिक्षा मंत्री जी को एक नेक सलाह देना चाहता हूं। पता नहीं उसका उन पर कोई असर पड़ेगा भी या नहीं। (व्यवधान) और वह मैं इसलिये कह रहा हूं कि मैं ज्यादा समय उनका लेना नहीं चाहता। दूसरे साथी भी बोलेंगे और मैं चाहता हूं कि वे भी अपने विचार प्रकट करने का अवसर पायें। मैं एक सलाह आप के जरिये उनको यह देना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में शिक्षा की हालत यह है कि हम सबसे पिछड़े हैं। निरक्षरता इस प्रदेश में सबसे अधिक है। हमारे विद्यार्थियों के फेल होने की संख्या इस देश में सबसे अधिक यहां है। शिक्षा के बजट पर रुपया सबसे कम यहां खर्च होता है। अध्यापकों में सबसे अधिक असंतोष की भावना यहां है और इन सब से आज जो स्थिति पैदा हो गयी है उससे शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। सभी में एक असंतोष पैदा हो गया है और-और आप इस बात में समर्थ नहीं है कि आप साधन जुटा सकें और उन की मांगों को पूरा कर सकें। आप से करबद्ध निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार के शिक्षा मंत्री ने लिखा है कि राज्य सरकारें शिक्षा का कार्य भार केन्द्र को सौंप दें। आप पैसा दे नहीं सकते, साधन जुटा नहीं सकते, वाजिब बात को भी नहीं मान सकते, इसलिये मेरी नेक सलाह है कि आप इस भार को केन्द्रीय सरकार को सौंप दें। मगर आप मानेंगे नहीं, क्योंकि आप लड़ने के मूड में हैं, जब आदमी गुस्से में होता है तो हर चीज को ठुकरा देता है। किन्तु, मैं आपके माध्यम से यह प्रार्थना करूंगा कि अध्यापकों की वाजिब मांग को आप स्वीकार कीजिये, ५ लाख बच्चों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिये, अध्यापक आज न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी बातों को मानिये, वरना अन्त में विजय न्याय की ही होगी। कल माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि हम उनके बीच कोई राजनीति ला रहे हैं, हमारा कतई ऐसा इरादा नहीं है, अध्यापकों के बीच राजनीति लाना एक नापाक इरादा होगा, इसलिये आप उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करिये, यही मेरा निवेदन है।

(शिक्षा मंत्री के पुकारे जाने पर)

वित्त मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

माननीय अधिष्ठाता महोदया, आपने मुझे बोलने के लिये पुकारा, पर मैं चाहूंगा कि जितने और माननीय सदस्य बोलना चाहें, पहले वे अपनी बातें कह लें, फिर मुझे अवसर दें तो अच्छा रहेगा।

श्री अधिष्ठाता—

नियमों के अनुसार तो यही था, मगर आप चाहते हैं तो बाद में बोलियेगा ।

*श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

माननीया अधिष्ठाता महोदया, शिक्षकों ने अपना आन्दोलन छेड़ा है । मैं समझता हूं कि इसमें किसी की प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है । शुरू में यह गर्म आन्दोलन नहीं था, मगर सरकार की अदूरदर्शिता के कारण वह गर्म होता गया । मैं समझता हूं कि इस विषय पर माननीय सदस्यों को और माननीय मंत्री जी को बड़े ठंडे दिल से विचार करना चाहिये । शिक्षकों ने जो अपनी मांगें रखी हैं वे कोई ऐसी नहीं हैं जो बहुत बढ़ा-चढ़ा कर रखी हों । जहां तक मैं जानता हूं, शायद आप २० रुपये इस समय उनको देते हैं, वे कुछ और मांग रहे हैं जिसमें कुछ हिस्सा केन्द्रीय सरकार भी आपको देती है और आगे भी देगी । तो मुख्य बात तो यह हुई कि जो उनकी मांग है उसके पीछे किसी का कोई राजनैतिक दृष्टिकोण नहीं है । उन्होंने अपने जीवनयापन के लिये जबकि वेतन की मांग वह कर सकते थे, उन्होंने केवल महंगाई बढ़ाने की मांग की है । इस सिद्धांत को मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी ने भी और सबने स्वीकार किया है कि समान काम के लिए समान वेतन होना चाहिये । कांग्रेस दल ही नहीं सभी राजनैतिक दल एक स्वर से उसका समर्थन करते आये हैं, कि सभी क्षेत्रों में समान काम के लिये समान वेतन-होना चाहिये । हमारी प्रांतीय सरकार ने जब कभी यहां सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने का प्रश्न उठाया था, और मैंने स्वयं भी यह प्रश्न उठाया था तो उन्होंने यही कहा कि यद्यपि हम इस बात को मानते हैं कि समान काम के लिये समान वेतन होना चाहिये, लेकिन केंद्र की आमदनी के साधन अधिक हैं, और हमारी आय सीमित हैं, इसलिये हम इस मांग को पूरी नहीं कर सकते । अब यह प्रश्न उठता है कि किस हद तक वह इस मांग को दबायें और किस हद तक न दबायें माननीय नेता विरोधी दल ने मांग करते हुए कल इस मामले के जो निश्चित परिणाम होने वाले हैं, उनकी ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया था और मैं यह समझता हूं कि यह पर्याप्त है । इसलिए मैं उस पर और अधिक नहीं कहूंगा । मैं समझता हूं कि मंत्री जी भी काफी चिंतित हैं उस ओर जहां एक बात मैं कहना चाहता हूं, संभवतः उनके दिमाग में एक बात है कि यदि एक क्षेत्र में हमने शिक्षकों के वेतन की दरों को बढ़ाया तो शायद समान स्तर की आर्थिक आय रखने वाले तमाम क्षेत्रों में से यह मांग आ जायगी । यह मुझे तमाम बातचीत से आभास हुआ कि हमारी सरकार के दिमाग में ऐसी बात है कि यदि हमने इस बार शिक्षकों की इस मांग को स्वीकार कर लिया तो हमारे ऊपर तमाम ओर से मांगें आ जायंगी और इसका उनके ऊपर आन्दोलनात्मक असर पड़ सकता है । सरकारी कर्मचारियों ने भी बजट के पहले यहां महीनों आन्दोलन किया है । विश्वविद्यालय के अध्यापकों ने ही नहीं, विश्वविद्यालय के निम्नस्तर के कर्मचारियों ने भी जिनका कि वेतनक्रम २२ रुपये, २३ रुपये है उन्होंने भी मांग की है और उसी के साथ-साथ जो और छोटे-छोटे विद्यालय हैं उनके कर्मचारियों ने भी, जिनका वेतन २० रुपये से भी बाज-बाज जगह कम है, उन्होंने भी शिक्षा मंत्री से मांग की है और वह भी अपना आन्दोलन चला रहे हैं । तो यह सब पूरी परिस्थिति उनके सामने है और वह समझते हैं कि अगर हमने अध्यापकों की मांग मान लिया तो हमें और मांगे माननी पड़ेगी ।

मैं एक बात शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आज तक जब कभी भी उन्होंने किसी की मांग पर विचार किया है, तो उन्होंने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि सब स्तरों की समान रूप से वृद्धि हो । सरकारी कर्मचारियों का जो बढ़ाना था, वह बढ़ा दिया, अध्यापकों के ऊपर विचार करना था, वह विचार कर लिया तो मैं यह समझता हूं कि इस मांग का प्रेसर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री टम्बेश्वर प्रसाद]

जो शिक्षकों की मांग के समय अनुभव किया जा रहा है, उसके साथ साथ सबकी मांगों का एक साथ उसी स्तर के जो लोग हैं, उनका मैं समर्थन करता हूं । साथ ही साथ शिक्षकों का जो मुख्य रूप से प्रश्न सामने है, मैं समझता हूं उसको तत्काल मान लेना चाहिये, और उसकी आवश्यकता है । क्योंकि उससे विद्यार्थियों पर और प्रदेश की तमाम जनता पर असर पड़ने वाला है ।

एक बात और इस संदर्भ में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षकों का यह आन्दोलन मैं गलत कहता, इसे बेजा कहता, अगर इस सरकार ने बिना दबाव डाले बिना प्रदर्शन किये किसी मूक कर्मचारी की मांग को भी कभी स्वीकार किया होता ।

श्री रामलखन शुक्ल (जिला गोरखपुर)—

अभी अध्यापकों का ही बढ़ाया है, बिना किसी आन्दोलन के ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

अब मैं जानता नहीं किसी शिक्षा संस्था से आप संबंधित हैं या नहीं, वरना स्थिति यह है कि प्राइवेट इंटीट्यूशन में बहुत से ऐसे अध्यापक आपको मिल जायंगे, जिनका २०० रुपया वेतन लिखा है, मगर वे डेढ़ सौ रुपया भी नहीं पाते (व्यवधान) मेरा आप से कहना है कि समान रूप से सब पर आप विचार करें, तो भी अध्यापकों का सबसे पहले बढ़ना चाहिये । शिक्षा को भी जब तक एक उत्पादन की समस्या के रूप में नहीं लेंगे, क्योंकि उस पर देश का भविष्य निर्भर करता है । तब तक यह समस्या हल नहीं होगी । मैं समझता हूं कि शिक्षा मंत्री जी भी स्थिति नहीं आने देंगे । जिसका कि कुछ लोग इन्तजार कर रहे हैं ।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

श्रीमन्, समय आप निश्चय कर दें ।

श्री अधिष्ठाता—

ऐसा है कि ५ मिनट से ज्यादा किसी को नहीं दिया जायगा ।

*श्री कृष्णचन्द (जिला झांसी)—

माननीय अधिष्ठाता जी, यह अत्यन्त खेद और दुख की बात है कि यह प्रश्न इतनी चरम सीमा पर पहुंच गया कि उस पर सदन में विवाद करने की आवश्यकता हुई । मैं पूरी तरह से अध्यापकों की निर्धनता और उनकी आवश्यकताओं से परिचित हूं और पूरे तौर से इस बात का समर्थन करता हूं कि अध्यापकों का ही नहीं इस प्रदेश और देश में जितने भूखे, कंगाल और निर्धन हैं, उनका स्तर ऊंचा होना चाहिये, यही समाजवाद है, और यही हमारी योजना का उद्देश्य है । यदि अध्यापकों का स्तर सबसे निम्न होता, तो श्रीमन् मुझे इसमें कोई हिचक नहीं थी, झिझक नहीं थी, जो प्रस्ताव उधर से माननीय सदस्यों ने रखा है, मैं उसका समर्थन निश्चित रूप से करता । लेकिन मैं एक ऐसे क्षेत्र से आया हूं, जहां तक ९५ प्रतिशत पढ़े-लिखे और बेपढ़े लोगों का स्तर इन अध्यापकों से कम है, इसलिये मैं चन्द्रजीत यादव की इस बात को कदापि नहीं मानता हूं कि जब अध्यापकों ने अपनी मांगें रखी हैं तो उनके पीछे साढ़े आठ करोड़ जनता का समर्थन प्राप्त है । श्रीमन्, प्रदेश की जनता का समर्थन उस हर बात के लिये प्राप्त है, कि जो सबसे निम्न स्तर का व्यक्ति है, उसका स्तर उठाने से सम्बन्ध रखती है ।

मैं बुन्देलखंड की बात आप से करता हूं, और प्रदेश की बात करता हूं, आज अध्यापक सबसे निम्न स्तर का आदमी नहीं है और भी पड़े हैं जिनका वेतन-स्तर बढ़ना चाहिए . . . (व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आप उन्हें बेन्चेज से यह बात भी कहते रहे हैं कि इस प्रदेश के इतने करोड़ व्यक्तियों की आमदनी आठ आने, १२ आने, १५ आने हैं। आपने जो प्रश्न रखा, उससे मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन यादव जी ने जो इस प्रश्न को रखा, उससे आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह नियोजन में और सोशलिस्ट प्लानिंग में विश्वास रखते हैं। सोशलिस्ट प्लानिंग का आधार ही यही है कि जो सबसे नीचे है, उनको ऊंचा उठाने की कोशिश की जाय, और जो ऊंचे हों, उनको नीचे लाने की कोशिश की जाय। आप कहां बीच से चल पड़े? आपको तो टाप से चलना चाहिए था, और बाटम से चलन चाहिए था, ... (व्यवधान). . . मैं बिलकुल बाटम से चल ही रहा हूं . . (व्यवधान) . . ..आप न तो "ही" को जानते हैं, न तो "शो" को जानते हैं, दो के बीच में हैं, यह स्थिति है। मैं कहना चाहता हूं कि ऐडेड इंस्टीट्यूशन के अध्यापक जो हैं, मुझसे ज्यादा विरोधीपक्ष के भाई उनकी स्थिति कतई नहीं जानते। उनके प्रति पूर्ण सहानुभूति रखते हुए भी मैं सदन में कहना चाहता हूं कि प्राइवेट ट्यूशन से वे दो-दो सौ और ढ़ाई-ढाई सौ रुपया कमाते हैं।

एक सदस्य—

यह बिलकुल गलत है।

श्री कृष्णचन्द—

यह सही है, आप नहीं जानते, मैं जानता हूं (शोर) आज गवर्नमेंट स्कूलों के अध्यापकों पर तरह-तरह के प्रतिबन्ध हैं। वे ट्यूशन्स नहीं कर सकते। ऐडेड संस्थानों के अध्यापकों को जो सुविधायें हैं वे गवर्नमेंट स्कूलों के अध्यापकों को नहीं हैं। अगर अध्यापक ल ग ट्यूशन करना छोड़ दें, सारे नियमों और प्रतिबन्धों से अपने को बांध लें, अपने शहरों में और बाहर वे बिजीनेस न करें, राजनीति में हिस्स न लें, (शोर), लेकिन मैं समझता हूं कि इसके लिये वे हर्गिज तैयार नहीं होंगे, इसलिये आप अध्यापकों को (शोर)

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, कांग्रेस पक्ष के माननीय कृष्णचन्द शर्मा जी का भाषण सुनकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ। यदि वह कल माननीय मुख्य मंत्री का भाषण सुन लेते या सरकारी पक्ष के माननीय सदस्यों के भाषण सुन लेते तो जो उन्होंने आज यहां कहा है उसे कहने का साहस न करते। कल माननीय मुख्य मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया था कि अध्यापकों की मांग उचित है, न्यायसंगत है। कैलाशप्रकाश जी शिक्षा मंत्री, ने कहा कि उनकी मांग सही है, हम उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहते हैं लेकिन धन नहीं है। कांग्रेस पक्ष के सदस्यों ने कहा कि अध्यापकों की मांग सही है। आज कृष्णचन्द जी शर्मा कहते है कि उनकी मांग अनुचित है। इतना ही नहीं, उन्होंने तुलना की कि यहां के अध्यापकों को किसी से कम नहीं मिल रहा है। क्या प्राइमरी अध्यापक को आज आप केवल ५०, ६० रुपये नहीं दे रहे है जबकि केन्द्रीय सरकार के चपरासी को १२५ और १३० रुपये मिल रहे हैं? जब माननी मुख्य मंत्री जी ने मान लिया कि उनकी मांग सही है तो अब प्रश्न यह है कि धन कहां से आवे। माननीय कैलाशप्रकाश जी वित्त मंत्री हैं। वह यह कहते हैं कि (इस समय ५ बजकर २५ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।) धन उपलब्ध हो तो उनकी मांग मानने के लिये तैयार हैं। वे रिसोर्से चाहते हैं। आज अध्यापकों की मांग का विरोध कौन करता है? विरोध वही करते हैं जो इन शिक्षा संस्थाओं को बिजीनेस सेंटर बनाये हुए हैं। जो स्कूलों के मैनेजर इत्यादि हैं। इन संस्थाओं से उन्हें व्यक्तिगत लाभ पहुंच रहे हैं।

[श्री नेकराम शर्मा]

यदि आप बजट के आंकड़े को देखें तो इस सरकार ने पुलिस पर सन् १९५९–६० में ९ करोड़ से ६५–६६ में १६ करोड़ कर दिया है, दुगुना कर दिया है । मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि जितनी अच्छी शांति व्यवस्था इस प्रदेश में है वह कहीं नहीं है । तो आप पुलिस पर खर्चा क्यों बढ़ाते हैं । इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन पर, अनप्रोडक्टिव खर्चा बढ़ रहा है । जो १९५५–५६ के २ करोड़ से बढ़कर ११ करोड़ हो गयी है, ५ गुना । अध्यापकों की कुल ६ करोड़ की मांग है । वेतन समिति में आपने सरकारी कर्मचारियों के लिये इस बजट में ११ करोड़ रुपया रखा है । जब १४ करोड़ ९१ लाख का डेफिसिट बजट पेश करते हैं तो क्या यह १९ करोड़ का नहीं हो सकता था ? अध्यापकों के देने के लिये ? माननीय नवलकिशोर जी बैठे हैं । उनकी प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट मौजूद हैं कि प्रशासन में हम कई करोड़ बचत कर सकते हैं । तो ६ करोड़ का प्रबन्ध होना कोई कठिन नहीं है अध्यापकों का वेतन बढ़ाने के लिये हम टैक्स का विरोध नहीं करते । लेकिन टैक्स लगना चाहिये उन पर जो दे सकते हैं । टैक्स लगना चाहिये बड़े-बड़े पूंजीपतियों पर, बड़े-बड़े फरमों पर । इससे काफी पैसा मिल सकता है । पूंजीपतियों पर जो बकाया है उसे आप वसूल नहीं कर सकते, न कीजिये, भले ही आपको उनसे हमदर्दी है । लेकिन अगर आपने अध्यापकों की बात को नहीं माना और पुलिस के द्वारा या सरकारी कर्मचारियों से आज आप भले ही परीक्षा करा लें, लेकिन अगर मिल का स्ट्राइक होता तो क्या आप इनसे काम करा सकते थे ? क्या आप इन सरकारी कर्मचारियों से मिल चलवा सकते थे ? अध्यापक सीधा है । माननीय कैलाश-प्रकाश जी ने आजादी की लड़ाई लड़ी है । वह जानते हैं कि कई बार सत्याग्रह विफल हुये और अन्त में जो आज वे शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री बने बैठे हैं यह उसी सत्याग्रह का फल है । आप शिक्षा को नेशनेलाइज कीजिये । अध्यापकों को आपने ट्रिपिल बेनीफिट दिया है । पेंशन ३० साल की उम्र तक अनिवार्य होगा लेकिन टीचर ही तो उसका प्रीमियम देगा । सरकार कुछ न देगी । क्या लाभ पहुंचाया सरकार ने ? पेंशन दी है । वह भी क्या मिलेगा ? प्राइमरी अध्यापकों के १८ से २० रुपये । ७५ से १५० रुपये अन्य अध्यापकों को आपने बैनीफिट कम अध्यापकों को दिया । आपने कहा कि हम इंश्योरेंश देंगे लेकिन वह भी तो टीचर ही देगा । माननीय शिक्षा मंत्री जी अध्यापक रह चुके हैं, उनके दिल में उनसे प्रेम है, वह जो भी फैसला करना चाहें करें, लेकिन अगर आपने नगाड़ा बजा दिया या लड़ाई जारी रही तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपकी निश्चित रूप से हार होगी ।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, आज बहुत ही दुखद और गंभीर परिस्थिति प्रदेश में उपस्थित है और आश्चर्य इस बात का है कि हमारे मुख्य मंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों पूरी तरह शिक्षकों से सहानुभूति रखते हैं, दोनों ही इस बात की कोशिश में हैं कि कोई ऐसा रास्ता निकल आये, जिससे परिस्थिति सुलझ सके, लेकिन इसके बावजूद आज यह गंभीर परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है । मैं समझती हूं कि जब अध्यापकों की मांगें न्यायोचित हैं तो उनको किसी न किसी प्रकार से पूरा करने का रास्ता निकाल लेना चाहिये । आज की परिस्थिति के लिये मैं किसी को दोष न देते हुए, स्पष्ट शब्दों में यह बात कह देना चाहती हूं कि इसी वर्ष आपने प्राइस इन्डेक्स के बहुत ऊंचे चले जाने की वजह से अपने राज कार्मचारियों का महंगाई भत्ता ५,१० और साढ़े बारह रुपया बढ़ाया है और पे रेशनेलाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट आने पर उसको फाइनल किया जायगा और इन माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों को छोड़ दिया गया इससे उनको बड़ी मनोवैज्ञानिक ठेस पहुंची है और जो अध्यापक वर्षों से डी० ए० और वेतन क्रमों में पैरिटी की मांग कर रहे थे। उनको यह लगा कि उनकी मांगों को जानबूझकर ठुकराया जा रहा है । अतः इस मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि में अध्यापकों ने अपनी इस मांग को उठाया है । मैं समझती हूं कि अध्यापकों की इस मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिये और अध्यापकों से अनुरोध करना चाहिये

कि वह स्ट्राइक वापस ले लें। अगर स्टेट गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज से उनकी मांग को पूरा नहीं कर सकती है तो केंद्रीय सरकार से राज्य सरकार को कहना चाहिये। अगर ऐसा होगा तो मैं समझती हूं कि अध्यापक इस पर विचार करके अपने आन्दोलन को कल से वापस ले लेंगे। माननीय मंत्री जी से मैं आशा करती हूं कि आज ही वे इस बात की घोषणा करेंगे। धमकी के रूप में कोई बात न कहकर मंत्री जी सहानुभूति उनके साथ प्रदर्शित करें और अध्यापकों की सही मांगों को स्वीकार कर लें और कहीं से उनकी सही मांगों के लिये साधन जुटायें। चूंकि समय कम है इसलिये मैं विस्तार में नहीं जा सकती लेकिन आज समाचार-पत्रों में पढ़ा है कि अध्यापकों का डेलीगेशन जो प्रधान मंत्री जी से मिला था, उन्होंने जिस तरह से उनसे बातें की हैं, उससे अध्यापक लोग अपने आन्दोलन को वापस करने की बात सोच रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी प्रधान मंत्री जी के बीच में पड़ जाने से इस प्रश्न को सुलझा सकते हैं और प्रदेश को इस विषम परिस्थिति से बचा सकती हैं।

*श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल भी सुबह १० बजे से ८ बजे तक वाक्‌युद्ध हुआ और आज भी हो रहा है। नतीजा कल भी नहीं निकला और आज भी क्या निकलेगा? मैं समझता हूं कि आज की डिबेट को गंभीरता से लेना चाहिये क्योंकि आज इस पर न तो वोटिंग होगी और न किसी के हार-जीत का ही प्रश्न है। कल माननीया मुख्य मंत्री ने यह बात साफ तौर पर कही थी कि वे इन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही हैं और यह कि अध्यापकों की मांगें सही हैं। तो मैं सरकारी पार्टी के प्रवक्ताओं से पहली बात तो यह कह दूं कि जब उनके नेता सदन ने कह दिया कि अध्यापकों की मांग सही है तो कम से कम वे उनकी मांगों के ऊपर प्रहार न करें। यह बात कही जाती है कि हमारे पास रुपया नहीं है तो अध्यापकों को कहां से दें। हम देना चाहते हैं लेकिन हमारे पास उसके साधन ही नहीं है। मैं आपको उसके साधन बतलाता हूं लेकिन उसे पकड़ना आपके लिये बहुत मुश्किल है। आपने इतना लम्बा-चौड़ा बजट बनाया है। माननीय नेकराम शर्मा ने ठीक ही कहा कि १४ करोड़ के बजाय १९ करोड़ का डेफिसिट बजट आप बना सकते थे लेकिन वह आपने नहीं किया। मैंने सारे बजट को पढ़ा, उसमें तमाम पुलिस और नायब तहसीलदार ही भरे पड़े हैं। कहीं दोहरीघाट का थाना बनवाना है, तो कहीं मथुरा की कोई चौकी बनवानी है, कहीं गोवर्द्धन का थाना बनवाना है। इस तरह से तमाम नायब तहसीलदार पुलिस हेड क्वार्टर की बातें और थाने चौकी बनाने की बातें भरी पड़ी हैं। अगर आप इनमें कुछ काट-छांट करके चाहते तो ५ करोड़ रुपया सालाना बचा सकते थे। जितनी ग्रांट्स पेश की गयी हैं उनमें काट छांट करके अगर ५ करोड़ नहीं तो कम से कम ३ साढ़े तीन करोड़ रु० तो जरूर ही बचा सकते थे।

श्रीमन, जब यह कहा जाता है कि शिक्षक असहयोग करते हैं, तो उसे सुन कर मुझे बड़ी तकलीफ होती है। जो काम आप करें वह तो अच्छा और जब दूसरे उसी काम को करें तो वह बुरा? अंग्रेजी राज्य को मिटाने के लिये आपने सबको असहयोग करना सिखलाया, सत्याग्रह करना सिखलाया और उसे सुचारु रूप से चलाने की बात कही लेकिन आज उसी रास्ते पर जब दूसरे लोग यानी अध्यापक चल रहे है तो आप कहते हैं कि यह ट्रेड यूनियन की मनोवृत्ति है। मैं पूछता हूं कि जब अंग्रेजी राज्य के जमाने में उसी काम को किया तो क्या वह राजपूतों की मनोवृत्ति थी? इस तरह की जो बात आपने कही वह मेरी समझ में नहीं आयी। जैसे आचार्य कृपालानी जी सत्संग में कह रहे थे कि बकरे को मैं मारूंगा तो नहीं लेकिन अगर उसका गोश्त मिल गया तो उसे खालूंगा। माननीया मुख्य मंत्री ने कल अपने भाषण में कहा कि अध्यापकों ने धमकी दी है। मैं कहता हूं कि बेचारे अध्यापक क्या धमकी दे सकते हैं, जिसके हाथ में कानून है, जिसके हाथ में प्रशासन है वही धमकी दे सकता है। धमकी तो आज आपको

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राधेश्याम शर्मा]

चीन और पाकिस्तान दे रहा है । धमकी बलवान ही देता है, कमजोर किसी को क्या धमकी देगा ?

माननीया चन्द्रजीत यादव की इस बात से मैं सहमत नहीं हूं जो उन्होंने कहा कि इस प्रश्न को राजनीतिक स्तर पर न देखना चाहिये । राजनीतिक कोई हलुआ पूड़ी तो है नहीं कि जो उसको चाहे खाले । अगर कोई गलत बात होती है, और किसी कमजोर को दबाने की कोशिश की जाती है तो राजनीतिक पार्टीज को उस प्रश्न को उठाना चाहिये । यह दूसरी बात है कि वह मांग कहां तक सही है । मैं तो बिलकुल इस राय का हूं कि शिक्षकों की मांग सही है और राजनीतिक पार्टियों को उनके इस आन्दोलन का साथ देना चाहिये । उनके इस आन्दोलन के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है । लेकिन एक बात मैं जरूर कहता हूं वह सरकार से भी कहता हूं, शिक्षकों से भी कहता हूं और अपने से भी कहता हूं कि इस स्वतंत्र भारत में और उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा कार्य न किया जाय जिससे जनहित के किसी कार्य को ठेस पहुंचे या किसी रचनात्मक कार्य में किसी तरह की गड़बड़ी हो ।

मैं निश्चित रूप से इस राय का हूं कि आप ट्रेड यूनियन की बात करना छोड़ दीजिये । सारी मनोवृत्ति आपने सिखलायी और शिक्षक जब वही बात कहते हैं तो आप कहते हैं कि वे धमकी देते हैं । कमजोर किसी को धमकी नहीं देता है, बलवान ही हमेशा धमकी देता है । अगर आप यह समझते हों कि विरोधी पक्ष के लोग जो बातें कहते हैं वे व्यर्थ हैं तो ठीक है । आप विरोधी पार्टी की बात छोड़ दीजिये, सरकारी पार्टी में भी ४–५ विद्वान हैं, वे ही एक साथ बैठ जायं और सारे बजट को देख कर उसी में से काट-छांट कर तीन, साढे तीन करोड़ रुपये निकाल लें । आखिर बजट बनाता कौन है, आप तो उसे बनाते नहीं, बजट तो भिड़े बनाते हैं, उसी की नकल करके आपको दे दिया जाता है जिसे आप पढ़ देते हैं । इन शब्दों के साथ मैं सरकार से कहता हूं कि मास्टरों की मांग सही है, और सरकार को उसे मान लेना चाहिये । बात को बढ़ाना नहीं चाहिये और इस आन्दोलन को खत्म करके परीक्षा को वक्त पर होने दें ।

श्री रामलखन शुक्ल—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक शिक्षक हूं और मुझे शिक्षक होने का अभिमान है और जैसा कि माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी ने कहा कि मैं एक मैनेजर हूं तो मैं उनसे कह सकता हूं कि मैं भी एक सच्चा शिक्षक हूं, ईमानदार शिक्षक हूं, जिम्मेदार शिक्षक हूं और आज जो भी इस समय मैं यहां निवेदन करूंगा एक ईमानदार शिक्षक की हैसियत से ही निवेदन करूंगा । कल भी यहां इस विषय को लेकर वार्ता हुई और आज भी यह चर्चा हो रही है और मैं इसको एक खुशी का विषय मानता हूं । मैं आज सदन के सामने एक प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं जो दुर्भाग्य से कल भी स्पष्ट नहीं हुआ और आज भी अभी तक नहीं हुआ, और वह प्रश्न यह है कि जो अध्यापक आज बड़े गर्व से स्ट्राइक की बात करते हैं, क्या स्ट्राइक करने के बाद भविष्य में कभी उनको उन विद्यार्थियों की स्ट्राइक को रोकने का कोई अधिकार बाकी रह जायगा ? अगर आज उनके पास इसका उत्तर नहीं है तो निःसंदेह उन अध्यापकों ने अध्यापक की हैसियत से अपनी आत्म-हत्या कर ली ऐसा मैं अनुभव ईमानदारी से करता हूं । जिनकी हिमायत की जाती है और जिन ५ लाख विद्यार्थियों का प्रश्न बताया जाता है क्या उनमें डेढ़ २ बीघा और ४ बीघा वाले किसानों के लड़के नहीं है ? माननीय राधेश्याम जी और चन्द्रजीत जी जरा इस बात की कल्पना करें कि उन गरीब बच्चों के जो अभिभावक हैं उनके दिल पर आज क्या बीतती होगी अगर उन के लड़कों से अध्यापक वर्ग कहता है कि साल भर की मेहनत और व्यय के बाद परीक्षा नहीं लेते । सब जानते हैं कि अध्यापकों के वेतन में विद्यार्थियों की फीस का हिस्सा रहता है, तो जिन विद्यार्थियों की फीस से साल भर तक अध्यापकों ने वेतन लिया उसके बाद उनको कौन-सा कानूनी अधिकार है, कौन-सा सामाजिक अधिकार है, कौन-सा नैतिक अधिकार है और किस आत्मप्रतिष्ठा को रखने वाले व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह साल भर

के बाद कह दे कि हम परीक्षा नहीं लेंगे। कहा जाता है कि उनकी मांगें अपनी जगह पर सही हैं, वह बात अपनी जगह पर ठीक है लेकिन शिक्षक की हैसियत से मैं साफ कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का गलत कदम उठाना शिक्षक समाज के लिये नितांत अनुचित है। शिक्षक, समाज का प्राण है, वह बड़े-बड़े त्याग कर सकता है लेकिन वह बालक के हित का त्याग नहीं कर सकता, अपने शिशुओं के भविष्य को अन्धकारमय नहीं देख सकता। जिस शिक्षक ने उनको जीवन देकर पढ़ाया है, जिसने उन के उज्जवल भविष्य का स्वप्न देखा है वह उसकी सफलता के अंतिम बिन्दु पर विचलित हो जाय तो वह दयनीय स्थिति है, हेय है अगर मैं उस की निन्दा करता हूं। अंग्रेजों के जमाने में नानकोआपरेशन किया गया, असहयोग होता था, लाठी, गोली, डंडे और सब कुछ चलता था लेकिन आज असहयोग का क्या सवाल है जबकि माननीया मुख्य मंत्री ने कहा कि आप की मांगें सही हैं, हम उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिये तैयार हैं। लेकिन फिर भी हमारे माननीय राधेश्याम जी, माननीय चन्द्रजीत जी के दिल में वही जोश उमड़ रहा है जो कि अंग्रेजी के जमाने में उमड़ता था। आज उस जोश का स्थान क्या है, क्या उसकी जरूरत है जो हड़ताल की घोषणा की जाती है। आज जो अध्यापक ऐसा करता है वह मेरी दृष्टि में एक मृतक अध्यापक है, वह बड़े एजीटेटर हो सकते हैं, बड़े स्ट्राइकर हो सकते हैं, बड़े जोशीले हो सकते हैं लेकिन वह अध्यापक नहीं हो सकते। माननीय राधेश्याम जी ने बड़ी ईमानदारी से कहा कि हम ऐसे विषयों को लेकर राजनीति करते हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह राजनीति करें लेकिन अध्यापकों की लाशों पर इस तरह की राजनीति करने का साहस न करें। मैं माननीय चन्द्रजीत यादव और राधेश्याम जी से कहना चाहता हूं कि यदि परीक्षाओं को विनष्ट किया जाता है और विद्यार्थियों को बहकाया जाता है तो उस की जिम्मेदारी आपकी होगी और आपने अभी तक जिस प्रवृत्ति से किसानों में और मजदूरों में काम करना आरम्भ किया है उस प्रवृत्ति का परिचय आप अबोध विद्यार्थियों में और इन अध्यापकों में हड़ताल और स्ट्राइक की बात को बढ़ावा देकर न दें जिससे विवश हो कर सरकार को उन विद्यामंदिरों में पुलिस को भेजना पड़े और वहां एस० डी० ओ० और जिलाधीश को जाना पड़े। वह बहुत ही दुख की बात होगी। मैं चन्द्रजीत जी से कहूंगा कि वह एक कम्युनिस्ट पार्टी के जिम्मेदार सदस्य की हैसियत से समाज के एक जिम्मेदार व्यक्ति की हैसियत से सोंचें कि जिन विद्यार्थियों पर हमारे भविष्य निर्भर हैं, जिन पर हमारे आने वाले कल का दारोमार है, जिनमें हमें चन्द्रजीत यादव और कैलाश-प्रकाश उत्पन्न करने हैं तो वह उनकी साल भर की मेहनत को विफल न होने दें और परीक्षायें शांतिपूर्ण ढंग से होने दें, यही सलाह वह अध्यापक वर्ग को दें। कहा जाता है कि सरकारी लोगों को परीक्षाओं के लिये न भेजा जाय, अगर वहां पुलिस नहीं पहुंचेगी तो आप वहां कंट्रोल करेंगे? कौन कंट्रोल करेगा? अगर कोई विद्यार्थी प्रश्न-पत्र लेकर वापस चला आता है तो कौन कंट्रोल करेगा? जब भी अव्यवस्था होती है तो सरकार का कर्तव्य हो जाता है कि वह कंट्रोल करे और पुलिस की आवश्यकता हो तो भेजे। कहा जाता है कि पुलिस का बजट बहुत बढ़ गया, तहसीलदारों का बजट बढ़ गया। अगर हिसाब लगा कर देखा जाय तो हर साल शिक्षा का बजट बढ़ रहा है। उसके उपाय की व्यवस्था है। मैं अध्यापकों से कहना चाहता हूं कि शिक्षकों की हैसियत से, समाज के सर्वोत्तम प्राणी के हिसाब से वह अपने दूषित कदम को वापस लें, उनके साथ हम सब की सहानुभूति है।

श्री लखपतराम शर्मा—

श्रीमन्, ५, ५ मिनट का समय निर्धारित किया है तो जरा इस घड़ी की तरफ देखें।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि अपने दूषित कदम को वापस लें और यों सहानुभूति है तो कांग्रेस की सहानुभूति कैसे साथ रहेगी?

श्री उपाध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। इस तरह की बात नहीं होना चाहिये।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)--

श्रीमन्, जब सरकार स्वीकार करती है कि मांग सही है तो इसको मान लेना चाहिये और जो हमारी तनख्वाह बढ़ायी गयी है उसको कम किया जाय तथा उधर वाले सदस्य भी कुछ त्याग करें तथा जिन्होंने हमको पढ़ा कर यहां आने की ताकत दी है तो हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि उनके प्रति कुछ त्याग और बलिदान करें।

श्री शुगनचन्द शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

उपाध्यक्ष महोदय, आज जो अध्यापकों का मसला है यह बड़ा गम्भीर है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह देश के निर्माता हैं तथा मनुष्य बनाते हैं। मैं उनसे अपील करूंगा कि इस समय सरकार की दिलचस्पी है उनकी मांगों से तथा उनसे हमदर्दी भी रखती है। अतः इस समय जो संघर्ष चला हुआ है उसको छोड़ करके विद्यार्थियों की परीक्षा में सहयोग दें। एक बात और वित्त मंत्री से कहना चाहता हूं कि इस समय जो संकट आया हुआ है वह केवल केन्द्र के शिक्षा मंत्री के वक्तव्य से आया है। मैं समझता हूं हमारे शिक्षा मंत्री भी परेशान हैं कि केन्द्र के मंत्री कह देते हैं लेकिन हिस्सा नहीं दे रहे हैं। मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह दिल्ली ज कर के उनसे बातें करें और उनका जो व्याख्यान निकलता है, जिससे अध्यापकगण परेशान हैं उसमें वह अगर सहयोग देते हैं तो अध्यापकों को सहयोग दें और उनके वेतन में वृद्धि होना चाहिये। हम मानते हैं कि तनख्वाहें कम हैं लेकिन यह तभी बढ़ सकती हैं जब केन्द्र उसमें पूरा सहयोग दे। इसलिये मैं अध्यापकों से कहूंगा कि परीक्षा में सहयोग दें और अपने संघर्ष को समाप्त कर दें। बस मुझे इतना ही निवेदन करना है।

*श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)--

उपाध्यक्ष महोदय, आज जो अध्यापकों ने परीक्षाओं के बहिष्कार का निर्णय किया है, उसके लिये मैं सरकार पर आरोप लगाता हूं कि सरकार ने उनको मजबूर किया कि वह ऐसा निर्णय लें। सरकार की हठधर्मी तथा असहानुभूतिपूर्ण रवैये के कारण यह निर्णय उनको लेना पड़ा है। इस निर्णय से पहले अध्यापक लखनऊ आये, प्रदर्शन किये, मंत्रियों से मिले, प्रार्थना की कि हमारी मांग पर विचार कर उसको स्वीकार करें। लेकिन सरकार ने ठुकरा दिया। अभी जो निर्णय मोतीमहल में लिया गया तथा प्रदर्शन हुआ उसमें शिक्षा मंत्री आये लेकिन उन्होंने उनकी मांग को नहीं सुना और इसको प्रेस्टीज का सवाल बना लिया तथा उनकी मांगों को ठुकरा दिया। शिक्षा मंत्री उनके लिये कोई कमेटी बना सकते थे, आश्वासन दे सकते थे कि हम विचार करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारी कोई बात नहीं मानेंगे, हम परीक्षायें करा के रहेंगे, परीक्षायें करा लेंगे। आज जब अध्यापकों ने यह निर्णय लिया था तब से आज की परिस्थिति में कुछ फर्क हो गया है क्योंकि सरकार नहीं सोचती थी कि ऐसी परिस्थिति पैदा होगी। एक बार हो सकता है कि आप परीक्षा करा लें। माननीया मुख्य मंत्री ने कहा कि माननीय सदस्य परीक्षायें कराने के लिये जा सकते हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि परीक्षायें करा लेने से यह समस्या सुलझ जायगी? मैं सरकार को आगाह किये देता हूं कि जो चिनगारी लग चुकी है यदि उसको सहानुभूतिपूर्वक समाप्त करने की चेष्टा नहीं करेंगे तो यह चिनगारी ज्वाला का रूप धारण कर लेगी और सरकार को भस्म कर देगी। इसलिये सरकार विचार करे गम्भीरता से। आप कहते हैं कि वह ट्रेड यूनियनिज्म न करें। मैं कहता हूं कि इस निर्णय को लेने से अध्यापकों को प्रसन्नता नहीं है, उन्हें दुख है, लेकिन सरकार का जो रवैया है उसके कारण वे मजबूर हैं ऐसा कदम उठाने के लिये। आप कहते हैं कि वह आन्दोलन न करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अपनी मांगें मनवाने के लिये वह कौन-सा तरीका अख्तियार करें ? क्या भूखे मर जांय ? अब दो ही तरीके हैं, या तो भूखे मर जांय या चुप रहें। जब कौरव और पांडव मे युद्ध हुआ उस समय अर्जुन ने तीर मार कर भीष्म को प्रणाम किया था तथा कौरवों के पास गये आज्ञा लेने के लिये, तब युद्ध प्रारम्भ हुआ। तो आप जब उनकी बात नहीं मानते हैं, आप ही बतायें कि वह क्या कदम उठायें ? मैं पूछना चाहता हूं कि कितने एम० एल० एज० ने यहां प्रयत्न किया कि उनकी बातें मान ली जायं ? कुछ नहीं किया। इसलिये मैं शिक्षा मंत्री से कहूंगा कि वे इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनायें और शिक्षकों की मांग को जो उचित है स्वीकार कर लें। एक शेर पढ़ना चाहता हूं।

"क्या अजब अंधेर है साकी तेरे मैखाने में, कतरे कतरे दे, किसी को और किसी को भर के जाम।"

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)--

श्रीमन्, अध्यापकों की मांग जो है उसका मैं पूर्णतया समर्थन करता हूं। उनकी मांग ऐसी नहीं है जो अनुचित हो और इसी भावना के साथ सरकार भी विचार कर रही है। अगर हमारे विरोधी दल के भाई इस बीच में न पड़े होते, इस तरह से इसको राजनीतिक हथकंडा न बनाया होता तो मेरा विश्वास है कि अभी तक यह बात तय हो गयी होती.....

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

हम लोग वापस होते हैं, सरकार आश्वासन दे दे।

*श्री बैजनाथसिंह वैद्य--

इस प्रकार से प्रचार किया कि दरअस्ल किसी भी सरकार के लिये ऐसे अवसर में किसी मांग को मानना ऐडमिनिस्ट्रेशन के बिलकुल खिलाफ बात है।

यह जानते हुये कि मांग सही है, अध्यापक कष्ट में हैं, इन सबको मा ते हुए अध्यापकों को नुकसान विरोधी दल के लोगों ने पहुंचाया है। यह जिम्मेदारी आप पर है। माननीय शिक्षा मंत्री अध्यापक हैं।

अध्यापक उनका मस्तिष्क है। उनका दिल और दिमाग है। वे सारी चीजें जो किसी न्यायोचित मंत्री के मस्तिष्क में हो सकती हैं, उनमें हैं। वास्तव में आप लोगों ने अध्यापकों के केस को कमजोर कर दिया है। मैं अध्यापकों से भी यह अपील करना चाहता हूं कि वे अपने आन्दोलन को वापिस ले लें।

श्रीमन्, एक बात और मैं कहना चाहता हूं। आज प्रचार किया जा रहा है कि हमारे छागला साहब, जो केन्द्र के शिक्षा मंत्री हैं, ने कहा है कि यदि उत्तर प्रदेश की सरकार ५० प्रतिशत दे दे तो हम भी ५० प्रतिशत दे सकते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि २० रुपये तो प्रदेशीय सरकार दे रही है। अगर ५ रुपये और बढ़ा दें तो २५ रुपये हो जायंगे। २५ रु० छागला साहब देने को तैयार हैं। तो इस प्रकार से उन्हे ५० रुपये हो जायेंगें। इस प्रकार गुमराह करने वाला प्रचार किया जा रहा है। यह सब प्रचार भ्रम में डालने वाला है। मैं तो आप से यहीं प्रार्थना करूंगा कि आप सरकार और अध्यापकों के बीच से हट जाइये, अपने को अलग कर लीजिये। सरकार को गुरुजनों के सामने झुकने मे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन इसको सरकार के ऊपर छोड़िये। अगर आपने इसको पोलिटिकल अखाड़ा बनाया या कलफ दिया तो एडमिनिस्ट्रेशन के प्वांइन्ट से शासन की व्यवस्था खराब हो जायगी। इसलिये मैं आप से प्रार्थना करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा कि आप इससे बिलकुल अलग हो जाइये। अगर आज आप अध्यापकों के लिये कह रहे हैं तो कल आप लेखपालों और पुलिस के सिपाहियों के लिए भी कहेंगें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उग्रसेन--

अगर सरकार इनकी मांगों को स्वीकार कर ले तो हम विरोधी दल के लोग, बीच में नहीं पड़ेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

वे गवर्नमेंट की तरफ से थोड़े ही कह सकते हैं।

श्री उग्रसेन--

श्रीमन्, ये सरकार के पक्ष की ओर से तो बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप हल्ला मत मचाइये। आप कृपया बैठिये।

श्री उग्रसेन--

श्रीमन्, अगर हमारी ताकत होती तो आज हम हल्ला ही नहीं बल्कि तोड़-फोड़ भी मचाते।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठिये।

श्री उग्रसेन--

९ तारीख को हम जेल के सींखचों में होंगे इस मामले को लेकर और सारे प्रदेश की हुकूमत को ठप करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जाइये।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य--

आप (सदस्य की ओर इशारा करते हुये) इमानदार वकील नहीं हैं।

श्री उग्रसेन--

एक मंत्री तो ६ लाख खा गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठिए।

श्री उग्रसेन--

ये लोग तो तलुए चाट रहे हैं। दुर्जनों की हालत होगी।

श्री लोकपालसिंह (जिला एटा)--

उपाध्यक्ष महोदय, महान् शांति और क्रांति के देवता आपके सामने रोटी के लिये आज श्री गांधी जी के दिये हुए महान् शस्त्र असहयोग की शरण लिये हुए आये हैं और आप उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं देते। आप यह समझते हैं कि यह तबका बहुत कमजोर तबका है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी महात्मा गांधी की चरणों का दास रहा हूं और अब भी हूं और आप भी उनकी ही छत्रछाया में पनप रहे हैं। उसी नाते से मैं बतलाता हूं कि यदि आपने इनकी मांगों को स्वीकार न किया तो बहुत बुरी हालत होगी। "तब जनकहि मोहि रही मिताई, तेहि हित कारण आयहुं भाई।" तेरे पिता बापू में मेरी श्रद्धा थी, इसलिये मैं तुम्हारे पास

आया हूं। श्रीमन्, इस तबके को आप कमजोर न समझें। जैसे कहा है कि " हिकारत से न देखो अहले-साहिल अहले-तूफां को, कभी ऐसा भी होता है, किनारे डूब जाते हैं"। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दीन को ठुकराने से दुर्दिन सामने आते हैं। कहा गया है कि :—

"अरे दीन को ठुकराने से दीनबंधु हो रिस जाता है।
उस के भ्रू–बिलास से क्षण में भू में भूपति पिस जाता है।।"

यदि दीन को ठुकरायेंगे, उनकी मांग को स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं आपको बताये देता हूं आपके सामने बुरे दिन आने वाले हैं।

मैं आपके सामने महाभारत की एक घटना का उदाहरण प्रस्तुत करके अपना स्थान ग्रहण करूंगा। अश्वत्थामा गुरू द्रोणाचार्य का लड़का था। उसको दूध नहीं मिला। बच्चों ने उसका मखौल उड़ाया। गुरू पत्नी ने कहा कि हमारे लड़के को दूध नहीं मिलता, इससे बच्चा त्राहि त्राहि कर रहा है। गुरू जी राजा द्रुपद के समीप गये और उन्होंने राजा के सामने गाय की मांग प्रस्तुत की। लेकिन राजा ने उसकी मांग ठुकरा दी। जैसे कि आप अध्यापकों की मांग ठुकरा रहे हैं। द्रोणाचार्य जी वहां से रुष्ट हो कर चले आये और हस्तिनापुर में पहुंचे। वहां अर्जुन अपने भाइयों के साथ गेंद खेल रहा था। गेंद कुयें में गिर गई। उन्होंने एक ही बाण से गेंद कुयें से बाहर निकाल दी। यह करिश्मा अर्जुन ने भीष्म पितामह से कहा। वह समझ गये और उन्होंने द्रोणाचार्य को बुला लिया और राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा का प्रबन्ध कर दिया। अर्जुन को उन्होंने रण पंडित बनाया, धनुर्धारी बनाया। जब वे शिक्षा दे चुके तो उन्होंने अर्जुन से अपनी दक्षिणा मांगी। अर्जुन ने कहा कि महाराज मेरा शरीर सेवा में उपस्थित है। उन्होंने कहा कि अर्जुन राजा द्रुपद ने मेरा निरादर किया है इसलिये अर्जुन मेरे वैर का शोधन उससे करना है।

द्रुपद को हुआ है राज्य-पद का बड़ा ही मद, उसे चूर्ण कर दे और विषम परीक्षा दे।
किया अपमानित है तेरे सम्मानित को, गुरु के निरादर की उसे पूर्ण शिक्षा दे।।
क्षण-क्षण मुझे खलता है, तन मन सभी जलता है, शान्ति नहीं मिलती है, हृदय को तितीक्षा दे।
कामना यही है पड़े चरणों में मेरे वह,लालसा लगी है शीघ्र पूरी कर इच्छा दे।।

अर्जुन यह सुन कर तिलमिला जाता है कि मेरे गुरू को भिक्षा नहीं दी। वह एकदम आवेश में आ गया और उसने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर कहा कि शान्त हो जाइये।"

छू कर चरण कहा चाप को चढ़ाते हुये, शान्त गुरुदेव शपथ चरणों की खाता हूं।
इन्द्र, वरुण, शंकर प्रलयंकर भले ही लड़ें, काल क्यों न आवे रंच शंका नहीं पाता हूं।।
दीजिये अशीस कार्य द्रुत–गति से करना है, वैर शोध के तुरन्त सेवा में आता हूं।
पारथ की नाथ ! आज प्रथम प्रतिज्ञा है, द्रुपद औ शिखंडी को बांधे हाथ लाता हूं।।

वह गया और उसने राजा द्रुपद को और उसके लड़के को बांध कर गुरू जी के चरणों में डाल दिया। इसीलिये कहता हूं कि गुरुजनों को परेशान न करें, यह अर्जुन पैदा कर देंगे जो बांध-बांध कर गुरुओं के चरणों में डाल देंगे। मेरी आप से प्रार्थना है कि आप उनकी मांगों को स्वीकार कर लें। अन्यथा ये न जाने कितने अर्जुन बना डालेंगे। एक अर्जुन के तो राजा द्रुपद को उसके लड़के के साथ गुरु के चरणों में डाल दिया। इसलिये आप भी इनकी मांगों को स्वीकार कर लें।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोलना नहीं चाहता था। लेकिन मैंने लाबी में माननीय राधेश्याम जी के शब्द सुने तो मेरी इच्छा हुई कि मैं भी बोलूं। उन्होंने स्वतंत्रा आन्दोलन का जिक्र किया जो देश की आजादी के लिये लड़ा गया था और यह कहा कि जब आप कोई काम करते हैं तो अच्छा मालूम

[श्री जगदीशप्रसाद (मुरादाबाद)]

होता है लेकिन दूसरा जब उसी काम को करता है तो आपको बुरा मालूम होता है। श्रीमन्, हर कार्य के लिये जब कदम उठाये जाते हैं तो उसमें कुछ प्रतिबन्ध भी होते हैं। उन्होंने एक रुख सदन के समक्ष रख दिया लेकिन यह भूल गये कहना कि गांधी जी के आन्दोलन में कितने प्रतिबन्ध लगे थे। कल मैंने एक बात का जिक्र किया था। आज दूसरी बात बता दूं। गांधी जी ने किसी ऐसी नीति को लेकर चलने को कभी नहीं कहा जिसमें नैतिक बल न हो। उन्होंने नमक के विरुद्ध अनशन आन्दोलन किया, उसके पीछे नैतिक ताकत थी। उन्होंने आन्दोलन किया, पिकेटिंग की शराब के खिलाफ, जिसमें उन्होंने समझा कि यह हमारा धर्म है। इसके आगे आप जायें हम लोग जेल गये बहुत से साथी गये, शायद राधेश्याम जी भी गये हों। जेल जाने के संबंध में गांधी जी का आदेश था कि जो कोई जेल जाये अपनी मशक्कत करेगा और कोई कानून नहीं तोड़ेगा। मुझे याद है मैं भी जेल में लेबर करता था, पूरा लेबर तो नहीं करता था क्योंकि शरीर इतना स्वस्थ नहीं था, फिर भी मैं लेबर अवश्य करता था। और आज जो इतनी बड़ी संख्या में अध्यापक परीक्षाओं का बहिष्कार कर रहे हैं कि हम परीक्षाओं में भाग नहीं लेंगे, क्या इस निर्णय को कभी नैतिक कसौटी पर कसा जा सकता है? इसके लिये कोई उनका नैतिक आधार नहीं है। इसको कोई नैतिक आधार नहीं दिया जा सकता है। आज जो ४–४, ५–५ साल की मेहनत करने के बाद यह परीक्षा पास करके छात्र मेडिकल कालेज और इंजीनियरिंग कालेज में दाखिल होने को हैं, उसे देखते हुये इसे नैतिक कसौटी पर कसने में यह बिलकुल असफल होता है।

दूसरी बात आंकड़ों की यहां बहुत चलती है। माननीया मुख्य मंत्री जी ने बता दिया था कि हम पिछले साल १।। करोड़ रुपये उनके लिये निकाल चुके हैं और यह डेढ़ करोड़ रुपया इस साल भी रहेगा तथा २ करोड़ रुपया उनके लिये और बढ़ा दिया गया है। मैं नहीं समझता कि इससे अधिक उनके लिये इतने समय में साधनों को देखते हुये क्या किया जा सकता था। अध्यापकों की जो वेतन वृद्धि की मांग है, उसके संबंध में मैं आपके सामने हायर सेकेन्डरी स्कूल्स के अध्यापकों को मिलने वाले विभिन्न वेतन क्रमों को रखूंगा जो कि अन्य स्टेट्स में हैं। मैं सब जगह के ग्रेड तो नहीं दूंगा, कुछ मुख्य मुख्य स्टेटों के ग्रेड आपको बताऊंगा। प्रिंसपल का ग्रेड पंजाब में २५०–३५० रु०, महाराष्ट्र में २००–४०० रु०, वेस्ट बंगाल में २००–४०० रु०, बिहार में १००–१७५ रु० और उत्तर प्रदेश में २५०–६५० रु० है। यह मैंने ४–५ मुख्य मुख्य प्रदेशों का उदाहरण दिया। इसमें जो सबसे ज्यादा ग्रेड है वह उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद आप यदि ट्रेन्ड ग्रेजुएट का ग्रेड देखें, उसमें भी आप देखेंगे कि पंजाब में ११०–२५० रु०, राजस्थान में १००–२२५ रु०, महाराष्ट्र में १२०–३०० रु०, बिहार में १००–१७५ रु०, मध्य प्रदेश में १४०–२५० रु० और उत्तर प्रदेश में १२०–३०० रु० है, श्रीमन्। इसी प्रकार से आप श्रीमन्, नान ग्रेजुएट के ग्रेडों के बारे में भी देख लें, उसमें भी उत्तर प्रदेश के ग्रेड आगे हैं। पंजाब में ६०–१२० रु०, राजस्थान में ७०–१५० रु०, महाराष्ट्र में ७०–१५० रु०, बिहार में १००–१७५ है लेकिन उत्तर प्रदेश में ७५–२०० है। फाइनेंसेज का जहां तक सवाल है हम सब रोज चिल्लाते हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे गरीब देश है और पर कैपिटा इनकम सबसे कम है। उत्तर प्रदेश की आर्थिक अवस्था को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उसको देखकर अगर किसी की मांग में औचित्य है तो उस पर विचार होगा। हमें तो सभी का जीवन स्तर उठाना है और उस को दृष्टि में रखकर सभी की मांगों के लिये यही कहा जा सकता है कि उसमें औचित्य है। जहां तक अध्यापकवर्ग की मांग की बात है उनमें प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की जो मांग है उसको सबसे ज्यादा औचित्य-पूर्ण समझता हूं। उनकी तनख्वाह सबसे कम है। मैं शिक्षा मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि अगर कुछ बढ़ाना है तो आप प्राइमरी स्कूल के टीचर्स की बढ़ाइये। उसकी दशा आज क्या है। बिहार में उनकी अधिकतम उपलब्धि है १३१, मध्य प्रदेश में १८५, मद्रास में १५५, महाराष्ट्र में ११५, राजस्थान में १३० और उत्तर प्रदेश में ८२। कैसी खराब अवस्था है। अगर कोई सहायता का पात्र है तो वह है।

श्रीमन्, विरोधी दल का प्रजातंत्र में बहुत प्रमुख स्थान होता है। स्वस्थ विरोधी दल प्रजातंत्र के विकास में सहायता करता है। मगर विरोधी दलों के सामने भी एक चीज रहनी चाहिये कि जिस बात को भी वे इस सदन में, किसी सदन में, पार्लियामेंट में कहें तो उनको यह आपके सामने रखना चाहिये, उनके ध्यान में यह बात होनी चाहिये कि क्या जब उनकी सरकार होगी तो क्या वे उसको स्वयं चला सकेंगे ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

जी हां, हमारी हुकूमत में हम वह कर देंगे ।

श्री उग्रसेन—

समाजवादी व्यवस्था में यही होता है, सौ से कम न हजार से ज्यादा, समाजवाद का यही तकाजा ।

श्री जगदीशप्रसाद (मुरादाबाद)—

मैं कहता हूं कि चाहे अध्यापक हो या कोई भी एसेंशल सर्विसेज हों अगर वह समझती हों कि हम काम बन्द कर देंगे और सरकार को पैरेलाइज करने का प्रयत्न करेंगे .... (व्यवधान)

श्री उग्रसेन—

पैरेलाइज होगा, एस० पी० का घोड़ा वह पायेगा जो मास्टर के बच्चों के लिये मुअस्सर न हो तो होगा, पैरेलाइज किया जायगा। (व्यवधान)

श्री जगदीशप्रसाद (मुरादाबाद)—

तो मैं कह रहा था कि अगर पैरेलाइज करने का प्रयत्न होगा तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वह सरकार को चला सकेंगे ? लेकिन वह अब जो कुछ भी कहते हैं ..... (व्यवधान) उससे यही प्रतीत होता है कि शायद वह यह समझते हैं कि वे कभी भी सरकार नहीं बना पावेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त ।

श्री लखपतराम शर्मा—

तीन तीन मिनट समय कर दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह नहीं हो सकता ।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल अविश्वास के प्रस्ताव पर अध्यापकों के परीक्षा बहिष्कार विषय को लेकर पूरे दिन भर सदन में गूंज रही, आज तो उस पर भाषण हो ही रहे हैं। कल के और आज के भाषणों में सरकारी पक्ष से जो कुछ कहा गया उसमें तीन बातों ने मुझे बड़ा कष्ट दिया है। उसकी ही तरफ मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है और वह आज भी कही गयी है कि अध्यापक लोग विरोधियों के चक्कर में पड़ कर यह सब कर रहे हैं। अध्यापक अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं यह अलग प्रश्न है, लेकिन यह कहना कि अध्यापक विरोधियों के चक्कर में पड़ कर यह कर रहे हैं, उन्हें गंवार और मूर्ख बनाना है, वह कितना अपमानजनक है। आप उनकी मांगों को आज नहीं तो कल सुविधानुसार अपनी सुबुद्धि से विचार करके देंगे तो जरूर, लेकिन आज जो आप अपनी

[श्री रघुनाथसिंह]

बातों से उसको नासमझ और गंवार बनाने की भूल कर रहे हैं इसकी दवा आपके पास क्या होगी ?

श्री चन्द्रदेव (जिला देवरिया)--

अध्यापक मूर्ख तो बन ही रहे हैं आपके हाथ में ।

श्री रघुनाथसिंह--

मैं जानता हूं कि आप बड़े बहादुर हैं । आप चाहेंगे तो अध्यापकों को गोली मार देंगे, अध्यापकों को जेल में डाल देंगे, मैं आपसे बहुत डरता हूं और आपकी शूरता का कायल हूं । लेकिन मेहरबानी करके मेरी बात शान्ति से सुन लीजिये, फिर चाहे मुझे भी गोली मार दीजियेगा । दूसरी बात जो मेरे लिये कष्ट कर हुई कल और आज के भाषणों में वह यह कि यहां यह कहा गया कि विद्यार्थियों को भी परीक्षा के बहिष्कार के लिये प्रेरित किया जाता है। मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यह उसी प्रकार की राजनीतिक भूल है जिस प्रकार की सन् १९४२ में बंबई में नेताओं की गिरफ्तारी करने के बाद ब्रिटेन के भारत मंत्री ने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी इसलिये हुई कि वे तोड़-फोड़ का काम शुरू करना चाहते थे और उनका भाषण सुन कर फिर तोड़-फोड़ के काम शुरू हो गये । तो आप इतिहास से सबक नहीं ले रहे हैं । इनका बहुमत है, इस अभिमान में आप मदहोश हैं और यह सब इसलिये हो रहा है कि आप का बहुमत है । मैं फिर जोरदार ढंग से कहना चाहता हूं कि यह लड़कों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ जो शासक दल कर रहा है यह एक अक्षम्य अपराध है । मैं फिर विनम्र प्रार्थना करता हूं कि वह विद्यार्थी आप के भी बच्चे हैं, वही आप के यहां आगे चल कर अधिकारी होंगे, नेता होंगे और मंत्री बन कर यहां आयेंगे । उनकी जिन्दगी के साथ आप खिलवाड़ मत करिये । (व्यवधान) मैं तो आप का चरण सेवक हूं गुरू महाराज । मैं फिर माफी मांगता हूं । आप मुझे बोलने दीजिये ।

तीसरी दुःखजनक बात यह है कि अध्यापकों की मांग को उचित कहा जाता है, उनके साथ सहानुभूति भी प्रकट की जाती है, लेकिन कहा जाता है कि साढ़े ५ लाख लड़कों की जिन्दगी के साथ यह अध्यापक खिलवाड़ कर रहे हैं । आप कहते हैं कि उनकी मांगें उचित हैं, फिर भी आप कहते हैं कि अध्यापक विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उनकी मांगों को ठुकरा रहे हैं । आप क्यों नहीं समझदारी दिखलाते, करोड़ों का बजट आप बनाते हैं, उनके लिये गुंजायश कर सकते हैं । अभी पिछले साल दो अनुपूरक मांगों के जरिये ७० करोड़ की अनुपूरक मांगें रखीं, क्यों नहीं उनके लिये व्यवस्था की । कहा जाता है कि विरोधियों के बहकावे में अध्यापक आ गये हैं । मान लीजिये उनकी एम० ए०, बी० ए० की डिग्री का ज्ञान खत्म हो गया है, वह विरोधियों के चक्कर में बह गये हैं, पर जब बहे नहीं थे, किनारे पर ही थे, तब भी तो आप उनको नहीं पकड़ सके, अब तो बह ही गये हैं । मेरा आप से निवेदन है कि आप इन ५ लाख विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ न करें । अभी ४-५ दिन हुये, एक फर्स्ट क्लास का हाई स्कूल का विद्यार्थी था, उससे मेरी बात हुई, मैंने पूछा उससे कि उसकी पढ़ाई कैसे चल रही है, उसने कहा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, जब पेशकार ही हमारी कापी जांचेंगे तो आज उनके मन में यह भावना है । इसलिये आप से प्रार्थना है कि आप उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने की कृपा करें ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आप ने मुझे इस संकल्प पर अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह संकल्प नहीं है।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय--

मान्यवर, सभी यह समझते हैं कि अध्यापकों की मांगें उचित हैं, मगर सरकार के पास अगर धन होता, रिसोर्सेज होते, तो सरकार अवश्य उनकी मांगों को पूरा करती। आज मैंने इस प्रश्न पर काफी विचार किया कि क्या यह सरकार इस समस्या का निराकरण कर सकती है? मैंने देखा कि यह सरकार ५ करोड़ रुपया अध्यापकों के ऊपर २ साल में खर्च करने की योजना बना चुकी है और प्रथम चरण में सरकार डेढ़ करोड़ रुपया खर्च करना चाहती है और उसके बाद उसने उनके लिये त्रिलाभ की योजना भी बनायी है। आज प्राइमरी स्कूल के अनट्रेन्ड अध्यापक को ६४ रुपये और ट्रेन्ड अध्यापक को ७५ रुपये मिल रहे हैं। अगर सरकार इनके प्रश्न पर विचार करती है तो जो नीचे के अध्यापक हैं उनके प्रश्न पर भी उसको विचार करना पड़ेगा। मगर सरकार के सामने आर्थिक मजबूरी है। केन्द्रीय सरकार साढ़े ५७ लाख इस सरकार को दे रही है। जो बजट के साधन हैं वे आपके सामने हैं। तो जब और कोई साधन है नहीं तो विचार करना पड़ेगा कि किस प्रकार उन की मांगों को पूरा किया जाय। हमारे प्रदेश में एक ऐसी स्थिति है कि हम बच्चों की पढ़ाई के लिये, साल भर उनको मेहनत कराके तैयार करते हैं इक्जामिनेशन के लिए, शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए, वह चाहते हैं कि किसी तरह से इग्जामिनेशन आवे और हम अपनी छुट्टियां मौज के साथ गुजारें, श्रीमन्, ऐसे समय में मैं आप से बहुत अदब के साथ और आप के जरिये सारे अध्यापकों से चाहे वे यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हों, चाहे माध्यमिक शिक्षालयों में पढ़ाते हों, बअदब निवेदन करना चाहता हूं कि वे लोग इस समय विचार करें, सोचें और सरकार भी सोचे, विचार करे। माननीय उग्रसेन जी और चन्द्रजीत जी सरकार को इसमें सहयोग दें, और उसको सोचने समझने के लिये कुछ कांस्ट्रक्टिव सुझाव दें, कुछ ऐसे रचनात्मक सुझाव दें, जिससे समस्या का हल निकले। सरकार भी अपने कोष को देखते हुए उसके ऊपर विचार करे। मैं समझता हूं कि सरकार आज इस स्थिति में नहीं है कि कोई आश्वासन दे दे। आश्वासन दे देना आप बहुत छोटी बात समझते हैं, लेकिन अगर उसको पूरा न कर पायें तो, उससे भयावह स्थिति पैदा हो सकती है। अध्यापकों के साथ सारी सहानुभूति रखते हुए भी और उनकी मांग न्यायोचित होते हुये भी सरकार आज उसे पूरा नहीं कर सकती। इन शब्दों के साथ मैं अध्यापकों से भी निवेदन करूंगा कि वह इस पर विचार करके ऐसा कदम उठाएं. जिससे सरकार को सहयोग मिले और विरोधी पार्टी के नेताओं से भी मैं निवेदन करूंगा कि उनकी मांगें जायज होते हुए भी, सारी बातों को देखते हुये भी आप ऐसी स्थिति पैदा करें कि जिससे देश में एक अच्छा समझदारी का वातावरण तैयार हो सके और जिससे कि उनकी मांगों को भी आगे मनवाने में भी हम सरकार का हाथ मजबूत कर सकें।

श्री काशीनाथ मिश्र--

(श्री रामकिशोर त्रिपाठी का नाम पुकारे जाने पर) मेरा भी प्रस्ताव था, इसलिये मुझे भी समय मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--

इस में तो आप का नाम नहीं है।

श्री उग्रसेन--

मेरे सामने काशीनाथ जी ने दिया है, ५ मिनट उनको भी दिया जाय।

(व्यवधान)

आप अध्यक्ष महोदय जी, प्रोसीडिंग निकाल कर पढ़िये ....

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठिए, यह कोई तरीका नहीं है, सब लोग खड़े हो जायं और कहें कि ५ मिनट इनको दिया जाय और ५ मिनट इनको भी दिया जाय।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)--

उपाध्यक्ष महोदय, आज यहां पर बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बाद-विवाद हो रहा है। मैंने कांग्रेस के सदस्यों के भी विचार सुनें उनका कुछ ऐसा खयाल है कि यह जो स्थिति पैदा हो गई है, यह टीचरों ने नहीं पैदा की है, विरोधी पक्ष के लोगों ने पैदा की है, मैं सरकार को बता देना चाहता हूं आज टीचर्स की समस्या ऐसी समस्या है, कि उनके जीवन मरण का सवाल है, वह एक व्यक्ति जो भूखों मर रहा है, उसकी समस्या है। आज जो उस के साथ सहानुभूति की बात कही जा रही है, यह कोई नई बात नहीं है, वर्षों से टीचर्स की मांगें चली आ रही हैं और हर समय यह कह दिया जाता है कि हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे, मगर वह समस्या आज ज्यों कि त्यों बनी पड़ी है, उसको हल करने के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। मैं बड़े अदब के साथ शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस प्रकार का कोई आयोग बैठावें, जो टीचर्स के मांगों के ऊपर विचार करे और माननीय मन्त्री जी इस सदन में इस प्रकार की घोषणा करें। जो कुछ भी दे सकते हैं, वह इस सदन में बतावें कि मैं क्या दे सकता हूं। मैं यह बता देना चाहता हूं कि जो यह कहा जा रहा है विरोधी दल की ओर से टीचर्स बहकाए गये हैं, यह बात सही नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के दफ्तर बंद हैं। क्योंकि यह जो टीचर्स हैं, वह कांग्रेस के एक एक सदस्य के रूप में कार्य करते थे, उनकी बदौलत ही यह सरकार यहां टिकी हुई है। अगर सरकार सहानुभूतिपूर्वक उनकी मांगों के ऊपर विचार नहीं करती है, तो इसका वही हाल होगा जो केरल में हुआ है। आपको इस पर विचार करना होगा कि आखिर वह भूखे और नंगे कब तक अपना जीवन चलाते रहेंगे? इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री जी इस बात को कोई प्रैस्टिज ईशू न बनायें और वह कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे कि समस्या हल हो सके और बच्चों तथा अभिभावकों की परेशानी दूर हो।

श्री उपाध्यक्ष--

अब माननीय खेम चन्द जी दो चार मिनट बोल लें, उसके बाद यह समाप्त होगा। क्योंकि सब पार्टियों के हो गये, बड़ी पार्टियों के दो दो हो गये...

(व्यवधान)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

आपने चूंकि कह दिया कि बड़ी पार्टियों में दो दो हो गये तो छोटी पार्टियों के तीन तीन होने चाहिए.... (व्यवधान) कांग्रेस दल के लोगों को जो आप यह बराबरी वाला हिसाब बनाए हुए हैं, यह ठीक नहीं है, उनको अगर बोलना था तो वह नियम ५३ उठाते, लेकिन ३ सदस्य प्रस्ताव करते हैं नियम ५३ का एक साथ तो उन तीन सदस्यों को तो कम से कम बोलने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--

देखिये, काफी आदमियों को बोलने का मौक़ा दिया गया, जिनके नाम थे उनको ज्यादा दिया गया और जिनके नाम नहीं थे उनको कम दिया है।

श्री उग्रसेन--

श्रीमन्, उसमें आपका कोई दोष नहीं है, आपका दफ्तर जिधर आपको ले जा रहा है उधर आप जा रहे ह।

श्री उपाध्यक्ष---

नहीं, दफ्तर कुछ नहीं कर रहा है, आप कृपा करके बैठें ।

*श्री खेमचन्द (जिला आगरा)---

श्रीमन्, इस प्रस्ताव पर जो बातें इधर से और उधर से हो रही हैं, वह मैंने सुनीं। मुझे सरकारी पक्ष की इस बात से बड़ा आश्चर्य हुआ, जो वह कहते हैं कि टीचरों को उभाड़ने की सारी जिम्मेदारी विरोधी दल पर है। मैं यह बताना चाहता हूं कि इधर विरोधी दलों के जो माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, वे केवल पार्टी के नाते और राजनीति के नाते ही बात नहीं करते हैं, बल्कि इस बात का भी वे ध्यान रखते हैं कि हर एक माननीय सदस्य जिस कास्टीट्यूएंसी से आता है उस का एक तिहाई नहीं तो एक चौथाई से ज्यादा आदमी टीचर होता है और वही उनको वोट करता है, तो क्या अपने ही मतदाता की बात कहना राजनीति चलाना है ? मैं आश्चर्य करता हूं उनकी इस समझ पर और विश्वास पर । आज हर माननीय सदस्य उधर से उठता है और कह देता है कि हम बहुत सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं, और वह एक माननीय टीचर थे, जो कह रहे थे कि अध्यापक आज मृतक होने जा रहा है, इस स्ट्राइक को कर के। लेकिन इसके पीछे वह इस बात को नहीं सोचते हैं कि जो शिक्षा और निष्ठा के आधार हैं, जो राष्ट्र के नागरिकों का निर्माण करते हैं, अपने कार्य को छोड़ कर राजनीति के रास्ते पर चलने जा रहे हैं। अगर इसको नहीं रोका गया तो फिर यह सरकार कहां टिकेगी और उसका क्या होगा ! मुई खाल की सांस सों सार भसम ह्वै जाय। अध्यापकों को आप मृतक समझते हैं तो मरी हुई खाल की सांस से लोहा भी भस्म हो जाता है, तो आप तो हड्डी और मांस के पुतले हैं। अतः इस समस्या को गर्त में डालने से काम नहीं चलेगा, काम चलेगा अध्यापकों की गरिमा का ध्यान रखते हुए, नाजुक समय का ध्यान रखते हुए, साढ़े पांच लाख विद्यार्थियों के भविष्य का ध्यान रखते हुए। काम न तो टीचरों के हठ से चलेगा और न राज हठ से चलेगा। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री, श्री छागला ने कहा कि अगर प्रदेशीय सरकार असमर्थ है तो इस विभाग को हमको सौंप दे। अगर किसी कारण से वे ऐसा नहीं चाहते हैं तो उनसे कहें कि इन टीचरों के मामले में कुछ वे कम्पेन्सेट कर दें। इस प्रकार टीचरों के साथ सहानुभूति का बरताव किया जायेगा तो टीचरों के हृदय में दया विद्यमान है। ठीक बात को वे समझेंगे और फिर कोई गलत काम को नहीं करेंगे, सही बात को मानने में कभी नहीं हिचकेंगे। लेकिन इसलिये सरकार को पहल करना चाहिये। मरहमपट्टी की बात को छोड़ कर सरकार को चाहिये कि वह वास्तविक कदम उठाये।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)---

माननीय मंत्री जी एक बात का अवश्य जवाब दे दें कि अगर भारत सरकार जिसको आप कहते हैं वह शर्त पूरी कर दे तो माननीय शिक्षा मंत्री को इन माध्यमिक शिक्षकों की मांगों को स्वीकार करने में क्या दिक्कत है ? क्या उस घोषणा को करने में मंत्री जी को कोई अड़चन है ?

*श्री कैलाशप्रकाश---

उपाध्यक्ष महोदय, जो विषय आज सदन के सामने उपस्थित है, स्वाभाविक बात है कि सभी माननीय सदस्य, प्रदेश की जनता और विशेषकर छात्र उस पर नजर लगाये हुए हैं और इसीलिये इस सदन में काफी बार इस बात की चर्चा हो चुकी है। आज भी मैंने इधर और उधर के माननीय सदस्यों के विचार सुने। उनमें से कुछ से तो मुझे यह प्रतीत हुआ कि आदरणीय सदन में जो कुछ बात मैं इससे पूर्व कह चुका हूं, शायद उस की जानकारी भी उनको नहीं हुई क्योंकि आज भी सदन में उन्हीं बातों की चर्चा हुई। श्रीमन्, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैंने इस विषय में प्रतिष्ठा का कोई सवाल नहीं बनाया है। दो बार इस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कैलाशप्रकाश]

आदरणीय सदन में यह बात कही गई और मैंने तुरन्त कहा कि शासन ने कोई प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाया है। जब भी शिक्षकों ने अथवा उनसे सहानुभूति रखने वालों ने मुझसे बातचीत करनी चाही, मैं उनसे बात करने के लिये तैयार रहा। मैंने शिक्षकों के प्रतिनिधियों से २६ तारीख की प्रातःकाल को बातचीत की है। जब मैं मेरठ में था तो वहां जब उनके प्रतिनिधियों ने समय की मांग की तो २८ तारीख की रात को काफी देर तक मैंने उनसे बातचीत की है। आज प्रातः जब उन्होंने बात करने के लिये कहा तो फिर मैंने बात की और किसी समय भी बात करना हो तो मुझे उनसे बात करने में कोई एतराज नहीं है और इसमें प्रतिष्ठा का कोई सवाल नहीं है। मैं शिक्षकों से कोई लड़ाई नहीं समझता हूं और न उनसे लड़ना चाहता हूं। मैं तो उनका आदर करता हूं और आदर इसलिये नहीं करता हूं कि इसमें कोई राजनीतिक बात है, बल्कि इसलिये आदर करता हूं कि किसी भी समाज का निर्माण उसके नागरिकों पर आश्रित है और नागरिक के चरित्र का निर्माण करना शिक्षकों के ऊपर आश्रित है। मेरी यह धारणा थी और आज भी है इसलिये उसमें कोई फर्क नहीं है। मैं इस सदन में कह चुका हूं कि जहां उनकी मांगों का प्रश्न है उनके साथ जहां तक उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों की सहानुभूति है उससे कम इधर बैठने वाले माननीय सदस्यों की सहानुभूति नहीं है और उतनी ही सहानुभूति मेरी भी है। केवल फर्क यही है कि माननीय सदस्य उस सहानुभूति को प्रदर्शित कर सकते हैं लेकिन उसको व्यावहारिक रूप में लाने और उसे अमली जामा पहनाने का उत्तरदायित्व उनके ऊपर नहीं है। इधर बैठने के पश्चात् जो प्रस्ताव किया जाय, जो कहा जाय, उसको अमली जामा पहनाने का उत्तरदायित्व हो जाता है और उस उत्तरदायित्व को उसी प्रकार से देखने की आवश्यकता होती है कि आगे हमें क्या करना है।

यहां कुछ भ्रमात्मक बातें भी शिक्षकों के विषय में कही गयीं। पहली बात जो एक माननीय सदस्य ने कही, वह यह कि उनके डी० ए० की जो फीस ली जाती है, उस फीस के द्वारा जितना धन आता है उतना भी उनको नहीं दिया जाता है। श्रीमन्, मैं नहीं जानता कि किसने यह भ्रम पैदा किया है। और इससे अधिक निराधार बात और कोई नहीं हो सकती है। माननीय सदस्य इस बात को इसी से समझ सकते हैं कि प्रति वर्ष इस सदन की आज्ञा से बजट में इसी काम के लिये कुछ धनराशि रखी जाती है। हिसाब लगा लिया जाय, ये आंकड़े भ्रमात्मक हैं। इससे भी भ्रमात्मक एक चीज और है। एक पुस्तिका मुझे देखने को मिली जिसमें दिया हुआ है कि माध्यमिक कक्षाओं में कितने विद्यार्थी हैं और दूसरी तरफ है कि कितने अध्यापक हैं। उसमें दिया हुआ है कि १३ लाख विद्यार्थी हैं और ४५ हजार अध्यापक हैं। तो इस तरह से विद्यार्थियों से प्रतिमास जो आप फीस लेते हैं वह होता है २८ लाख रु० और इसी-लिये आप २० रु० उसमें से दे रहे हैं। यह एक भ्रम की बात है जो कुछ लोगों की तरफ से फैलाया गया है। पुस्तिका के हिसाब से यह सही बात है कि १३ लाख विद्यार्थी हैं और ४५ हजार शिक्षकों की संख्या दी गयी है। तो पहली बात तो यह है कि जो डी० ए० की फीस ली जाती है वह ६ठें क्लास से १२ आने यानी ७५ पैसे, और ६ठे क्लास से आगे जाकर १ रु० फीस ली जाती है। दूसरी बात यह है कि विद्यार्थियों में कई वर्ग ऐसे हैं जिनसे मंहगाई भत्ता नहीं लिया जाता है और जिनको बिलकुल छूट है। ऐसे विद्यार्थियों की संख्या करीब १० प्रतिशत है जिनसे मंहगाई भत्ता नहीं लिया जाता है। १५ प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे हैं जिनसे आधा मंहगाई भत्ता लिया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि साढ़े ७ प्रतिशत विद्यार्थी और हुए जिनसे मंहगाई भत्ता नहीं लिया जाता है। इसके अलावा ढाई प्रतिशत और लोग रहते हैं जैसे हरिजन भाई, स्वर्णकार और शिक्षकों के वार्ड वगैरह। इस तरीके से २० प्रतिशत ऐसे विद्यार्थी हो जाते हैं जिनसे मंहगाई भत्ता नहीं लिया जाता है। संस्थाओं के कुछ स्कूल्स हैं जिनके विद्यार्थियों से मंहगाई भत्ता नहीं लिया जाता है। लोकल बाडीज के स्कूलों में विद्यार्थियों से मंहगाई भत्ता नहीं लिया जाता है। जिन मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशंस को अनुदान नहीं दिया जाता है, उनके विद्यार्थियों से भी मंहगाई भत्ता नहीं लिया जाता है। इस तरह से ये भी १६ प्रतिशत हो जाते हैं। अब समस्त विद्यार्थियों में ३६ प्रतिशत ऐसे विद्यार्थी निकल

जाते हैं जिनसे मंहगाई भत्ता नहीं लिया जाता है। आप हिसाब लगा लें, एक करोड़ रुपया वसूल होता है और उधर अध्यापक ४५ हजार हैं और इनमें से करीब ९,००० अध्यापक उन ३ श्रेणियों की संस्थाओं के निकाल दीजिये जिनसे कि मंहगाई भत्ता नहीं लिया जाता, इस तरह से ३६,००० बचे और उनके आधे वह कर्मचारी हैं जो शिक्षा संस्थाओं में काम करते हैं और जिनको महंगाई भत्ता दिया जाता है। तो जोड़िये ३६ + १८ = ५४ हजार हुये। अब आप ६३–६४ के बजट के आंकड़े देखें और दूसरी तरफ यह आकड़े देखें, इस तरह से ३०–३५ लाख रुपया उनको दिया और जो अनुमान है उसके अनुसार ४५–५० लाख के बीच में मंहगाई भत्ता आपको आपने कोष से देना होगा। इसलिये यह भी एक भ्रम है कि जितनी फीस वसूल कर रहे हैं उससे कम उन को मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है।

एक भ्रम यह भी है कि केन्द्रीय सरकार इतना दे रही है और समाचार पत्रों में भी जो समाचार प्रकाशित हुये हैं उससे काफी भ्रम पैदा हुआ है कि केन्द्र आधा देने को तैयार है। मैंने केन्द्रीय शिक्षा मंत्री जी को पत्र लिखा है और उन्होंने मेरे पत्र के उत्तर में लिखा है कि..

श्री उग्रसेन—

यह सब तो आप कह चुके। कुछ अध्यापकों को देना हो तो बताइये, कोरे उपदेश सुनने को इस समय सोशलिस्ट पार्टी तैयार नहीं है और वह आपकी इस नीति के विरोध में सदन का त्याग करती है।

(संयुक्त समाजवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गए)

श्री कैलाशप्रकाश—

जहां तक केन्द्र का सम्बन्ध है जो परसों तक मुझे केन्द्रीय शिक्षा मंत्री का पत्र प्राप्त हुआ है उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि प्लान के बाहर कोई भी सहायता हमारा वित्त मंत्रालय अभी देने में समर्थ नहीं है। अब अगर प्लान के बाहर नहीं मिलता है तो आप समझ सकते हैं कि प्लान के अन्दर सहायता प्राप्त होने के माने क्या हैं। ३५२ करोड़ तो हमें केन्द्र से मिलेगा ही और उसके अन्तर्गत हमारी योजनायें बनी हुई हैं जिनके लिये वह मिला है। उस प्लान के अन्दर कुछ शिक्षकों का थ: जो दूसरी प्लान तक नियुक्त हो चुके हैं उनको शामिल कर सकते। इतना ही नहीं केन्द्रीय शिक्षा मंत्री से बातचीत की, प्लानिंग कमीशन से बात की और वी० के० आर० राव, से भी पत्र व्यवहार किया। एक समाचार, समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था कि आगरा में डा० राव ने यह बात कही कि यू० पी० के शिक्षकों का भत्ता और वेतन इसलिये नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि वहां की प्रदेशीय सरकार नानकोआपरेट करती है।

श्री नेकराम शर्मा—

आप इस सारे मामले को किसी कमेटी के सुपुर्द कर दें। वह निर्णय कर दे और उसके बाद दोनों पक्ष उसकी बात मान लें।

श्री कैलाशप्रकाश—

हम कोई लड़ाई ही नहीं मानते तो कमेटी की क्या जरूरत है? पहले तो जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसको मैं साफ करना चाहता हूं। तो जब मैंने डा० राव को पत्र लिखा कि हमारे शिक्षकों का वेतन कम है, विशेषकर प्राइमरी शिक्षकों का, इसलिये आप कोई ऐसा उपाय बतायें कि जिससे हम उनकी स्थिति सुधार सकें। उनका जो उत्तर आया है वह इसी मास में आया है। पहली को आया है या दूसरी को आया है। उसमें यह लिखा हुआ है कि प्लान के बाहर जो अध्यापक नियुक्त हुये हैं, उनको प्लान से वेतन या भत्ते के लिये कोई पैसा नहीं देना चाहिये। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनका व्यय प्लान के अन्दर

[श्री कैलाशप्रकाश]

नहीं होना चाहिये। इस साल प्लान के अदला बदली के समय भी हमने कोशिश की कि कुछ रुपया प्लान में ही रख लिया जाय पर उन्होंने कहा कि प्लान के अन्तर्गत जो शिक्षक नियुक्त हुये हैं, उनके लिये तो आप थर्ड फाइव ईयर प्लान में रख सकते हैं शेष और लोगों के लिये हम सहमत नहीं है। यह कहना कि केन्द्रीय सरकार प्लान के बाहर कुछ सहायता देगी, ऐसी कोई बात हमारे सामने नहीं नहीं आई है। जितनी बात हमारे सामने इस समय तक आई है, वह मैंने माननीय सदस्यों के सामने रखी है। एक बात यहां यह उठायी गयी है कि हम और आप मिलकर भार वहन कर लेंगे तो जो शिक्षा मंत्री ने कहा है उसे क्यों नहीं मान लेते हैं। केन्द्रीय सरकार शिक्षा को कौन्करेन्ट लिस्ट में ले आये। हमारे संविधान के अनुसार ४३ सूचियां होती हैं, एक सूची तो वह है जिसमें केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है कि कितने ही नियम, अधिनियम बना सकती है, दूसरी एक सूची होती है जिसमें प्रदेश को अधिकार होता है और तीसरी एक सूची होती है, जिसमें प्रदेश द्वारा भी अधिनियम बनाये जा सकते हैं और केन्द्र भी अधिनियम बना सकता है। परन्तु अगर केन्द्र कोई अधिनियम बना लेता है तो प्रदेश का अधिनियम निरस्त हो सकता है। केन्द्र को यह भी अधिकार है कि वह किस प्रकार से खर्चा करता है। जब ऐसी स्थिति है तो सोचने के लिये हो जाता है। माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि हमारा प्रदेश पिछड़ा तो है ही लेकिन इस देश में, प्रदेश में जो नीतियां बनायी हैं वे बाद में जाकर अच्छी साबित हुयी हैं। इस प्रदेश ने सोचा कि हम माध्यमिक शिक्षा की अवधि ११ साल रखें और डिग्री की अवधि ३ साल रखें। ४–५ साल से अन्य प्रदेशों में यह चली। ११ साल का कोर्स वहां चल रहा है। एक साल से जो शिक्षा विधिक हैं। उन्होंने और जो सबसे बड़ी शिक्षा परामर्श देने की समिति है उसने यह बात महसूस की है ....

(व्यवधान)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद––

श्रीमन्, आज एक निश्चित विषय पर चर्चा कर रहे हैं और माननीय शिक्षा मंत्री उसको बिलकुल छू ही नहीं रहे हैं।

श्री कैलाशप्रकाश––

श्रीमन्, प्रश्न यह उठाया गया कि.....

श्री टम्बेश्वरप्रसाद––

श्रीमन्, चर्चा का विषय प्रदेश के अध्यापकों द्वारा परीक्षाओं का बहिष्कार करने के निश्चय के सम्बन्ध में है पर माननीय मंत्री जी उस सूचना को बिलकुल छू नहीं रहे हैं।

श्री कैलाशप्रकाश––

श्रीमन्, मेरा कर्त्तव्य यह है कि माननीय सदस्यों ने जो बात कही है यदि उससे कोई भ्रम उत्पन्न होता है तो जो मेरी जानकारी है मैं उसे माननीय सदस्यों के सामने प्रस्तुत कर दूं।

श्री झारखण्डेराय––

एक बात जानना चाहूंगा कि संघर्ष का बिगुल बज गया है लेकिन जंग शुरू नहीं हुई है तो क्या माननीय मंत्री कोई माध्यमिक रास्ता निकाल सकते हैं जिससे यह संघर्ष टल जाय ?

श्री कैलाशप्रकाश––

रास्ता निकालने को तो रास्ता निकल सकता है और मैं हमेशा आशावादी रहा हूं लेकिन रास्ता आप भी समझ लें तो जल्दी निकल सकता है। माननीय मुख्य मंत्री ने और मैंने भी शासन की ओर से कहा कि उनकी मांगों से सहानुभूति है। यह केवल शाब्दिक बात नहीं है। चालू वित्तीय वर्ष तथा आगामी वित्तीय वर्ष में ५ करोड़ रुपये शिक्षकों की सुविधा के लिये, उनके भत्ते

में बढ़ोत्तरी करने के लिये रखे हुए हैं। फिर आप समझ सकते हैं कि जब ७ करोड़ के टैक्स की बात कही बजट के अवसर पर तब तो माननीय मुख्य मंत्री ने एक मुख से यह कहा कि टैक्स नहीं लगना चाहिये। ५ करोड़ रुपया शिक्षकों की दिक्कत को समझते हुये ही रखा गया है लेकिन सारी दिक्कत हल नहीं हो सकती। समस्या यह है एक अनार और सौ बीमार, उसमें तकसीम करना मुश्किल हो जाता है और वही उसे समझ सकता है जो सहानुभूति से देखे कि कौन-कौन बीमार है, किसकी आवश्यकता पहली है और किसकी पहली नहीं है। इस उत्तरदायी पद पर होने के नाते मेरा उत्तरदायित्व हो जाता है इस चीज को देखा जाय कि जब एक अनार है और सौ बीमार हैं तो किस तरह से उसको तकसीम किया जाय ? ज्यादा होते तो मैं सब को दे देता लेकिन एक अनार पर एक हजार बीमार आदमियों को किस-किस तरह से तकसीम किया जाय यह देखना मेरा फर्ज हो जाता है। तो जैसा मैंने कहा धन की कमी है। शिक्षकों का प्रतिनिधित्व भी केन्द्र में मिल चुका है, केन्द्रीय शिक्षा मंत्री तथा प्रधान मंत्री दोनों से मिल चुका है। उन्होंने यह बात कही और वह समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हो चुकी है कि उन्हें भी सहानुभूति है। सहानुभूति की कमी यहां नहीं और सहानुभूति की कमी हां नहीं।

श्री झारखण्डे राय--

कोरी सहानुभूति से कोई लाभ नहीं। जब सरकार कुछ भी नहीं करने वाली है तो हम उसके प्रोटेस्ट में वाक आउट करते हैं।

(कम्युनिस्ट दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)--

यह समस्या आज १५ साल के बाद सामने आई। आप विचार करें कि पहली पंचवर्षीय योजना खत्म हुई, दूसरी पंचवर्षीय योजना खत्म हुई प्लानिंग कमीशन ने स्पष्ट कर दिया था और अध्यापकों के वेतन को बढ़ाने पर जोर दिया था और दोनों पंचवर्षीय योजनाओं में अगर देखा जाय तो हर साल बचत हुई है तो १० साल में इसे क्यों इम्पलिमेंट नहीं किया गया ?

श्री कैलाशप्रकाश--

तब चेतते तो बात भी थी। हर वक्त सचेष्ट रहना चाहिये था लेकिन जब आज परीक्षा का समय आ रहा है तो अध्यापकों ने परीक्षा को बहिष्कार करने की बात कही है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

आपने बताया कि ५ करोड़ देने जा रहे हैं तो प्रति व्यक्ति क्या मिलेगा ?

श्री कैलाशप्रकाश--

वह तो है ही। आपने बजट पढ़ा है तो आपको स्वयं जानकारी होगी। यह मैं आज नहीं कह रहा हूं, पहले ही कह चुका हूं।

(श्री भगवानदास यादवेन्दु के खड़े होने पर।)

श्री कैलाशप्रकाश--

आप कृपा करके बैठिये।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)--

श्रीमन्, मंत्री जी नहीं कह सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जाइये।

श्री भगवानदास यादवेन्दु---

श्रीमन्, ५ करोड़ रुपये की ये बात कहते हैं, मैं कहता हूं कि २५ करोड़ रुपया टैक्सों का पूंजीपतियों पर बकाया है, उसको वसूल करें ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप कृपया मंत्री जी की बात सुन लीजिये ।

श्री कैलाशप्रकाश---

एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हर स्तर के अध्यापक चाहे वे प्रारम्भिक स्तर पर पढ़ाते हों चाहे माध्यमिक स्तर पर पढ़ाते हों और चाहे डिग्री स्टेज पर पढ़ाते हों . . . .

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

सब अध्यापकों ने मांग रखी ही नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप कृपया बैठ जाइये ।

श्री कैलाशप्रकाश---

क्या आप लोग मेरी बात सुनने के लिये तैयार नहीं हैं ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

आप क्या १५ मिनट को सदन का समय बढ़ा देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

जी नहीं ।

श्री कैलाशप्रकाश---

श्रीमन्, मैंने यह बात कही कि अध्यापक हर स्तर के बराबर हैं। यह बात स्पष्ट है जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे यहां जो प्राथमिक स्तर के अध्यापक हैं, उनका वेतन दूसरे प्रदेशों के मुकाबिले में कम है, माध्यमिक स्तर के अध्यापकों का वेतन कुछ प्रदेशों से कम है और अधिक प्रदेशों से ज्यादा है, जो और डिग्री के अध्यापकों का वेतन है . . . .

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

श्रीमन्, यह अभी तक इस नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं कि क्या हल निकलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष---

आप कृपया बैठ जाइये ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

श्रीमन्, हम लोग सदन से वाक आउट करते हैं।

(जनसंघ दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री कैलाशप्रकाश---

श्रीमन्, एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर केन्द्र से कोई सहायता आयेगी तो उसका इस्तेमाल शिक्षकों को सुविधा देने के लिये ही होगा और केन्द्र की ठीक तरीके से बात मालूम होने के पश्चात् कि वे किस स्तर के शिक्षकों को सुविधा देना चाहते हैं, इसको देखने के बाद यह चीज तय हो सकेगी। आज किस स्तर के शिक्षक प्रदर्शन करते हैं या नहीं करते हैं। बहिष्कार करते

हैं या नहीं हमको और आपको इस बात पर फैसला नहीं करना चाहिये कि कौन बहिष्कार कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, लेकिन इस बात पर फैसला करना चाहिये कि उनकी मांग क्या है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जो भी बजट में धनराशि रखी गई है वह शिक्षकों की सुविधा के लिए रखी गई है। जो केन्द्र से सहायता आ सकेगी वह भी शिक्षकों की सुविधा के लिये ही होगी। उसमें कोई कोताही नहीं होगी। हम प्रयास कर रहे हैं और जो कर सकते थे, वह हमने किया है। लेकिन प्रश्न यह है कि जो ५ रुपये की बात कही जाने लगी है वह उचित नहीं है। डिग्री के अध्यापकों की, माध्यमिक के अध्यापकों की और प्राइमरी के अध्यापकों की, सबकी आवश्यकतायें हैं, इसलिये हम लोगों को एक साथ बैठकर जो धनराशि है उसको किस तरह से वितरित किया जाय, यह सोचने की आवश्यकता है। श्रीमन्, मैंने सब बातों को स्पष्ट करने की कोशिश की है। जो भ्रम फैल गया था, उसको विच्छिन्न कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और सोमवार, ८ मार्च, १९६५ को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ७ बजकर १ मिनट पर सोमवार, ८ मार्च, १९६५ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
५ मार्च, १९६५।

विधान परिषद सचिवालय

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८४२ पर]

तालिका

क्रम सं०	नाम काश्तकार जिनकी भूमि राजकीय दीक्षा विद्यालय, सैदपुर, गाजीपुर के लिये ली गई है।	भूमि जो ली गई ——— बी० वि धु०	प्रतिकर जो दिया गया ——— रु० पै०	वितरण का दिनांक	भूमि जो जीवकोपार्जन के लिये बची है ——— वि० वि० धु०	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	७
१	गुरु प्रसाद, पुत्र श्री मथुरा, सा० सैदपुर, सरवाकार हनुमान जी व राम लक्ष्मण जानकी।	३-९-५	६३४.०३	६-६-६१	६-१०-०	
२	बसन्त, पुत्र रामदीन पान्डेय व रामकिसन पुत्र तुलसी व रघुनाथ, पुत्र मथुरा पान्डेय, सा० सदपुर..	३-५-१८	२७०.४२	६-९-६१	०-२-१७	प्रतिकर में से १४.९० राम किसुन व रघुनाथ के न लेने से सरकारी कोष में जमा है।
३	मु० हुसैन, पुत्र टेनी, सा० सैदपुर	१-१२-१२	४३.८२	६-६-६१	..	
४	मुसम्मात महदेई, स्त्री जद्दू, चन्दर व रामचन्द्र, पुत्र रघुनन्दन, सा० सैदपुर।	२-०-३	५८.६४	६-६-६१	०-७-१	
५	रामदयाल, मोती, पुत्रगण दुब्बर चिल्लर, रामकिशुन, पुत्रगण राजा सालिक, पुत्र, कुंवर चवन पुत्र गया, लक्ष्मन, पुत्र रग्घू व बब्बन पुत्रगण निरंजन व रामधारी व केदार व लल्लन व गनेश, रमेश पुत्र हीरा, सा० सैदपुर।	१-४-१३	२१७.१४	१९-९-६१ ६-६-६१	१२-१५-३	
६	सुखदेव व सकलदीप, पुत्रगण महावीर। ..	१-४-६	४८.१६	१८-३-६४	१-२-१५	
७	मुख्तार अ० व निसार अहमद, पुत्र रजाक, सा० सैदपुर।	१-०-६	१७१.६३	६-६-६१	..	
८	सरवन, पुत्र शिवगुलाम, सा० सैदपुर।	०-१४-३	१०९.०४	६-६-६१	३-९-३	
९	राम प्रसाद व शिवप्रसाद, पुत्र दुर्लभ कुंवर व जयनारायन, रामनारायन, जगतनारायन, प्रभुनारायन पुत्रगण जगरनाथ, रामजी, पुत्र शिवनाथ, सैदपुर। ..	०-१०-१८	८.४९	६-६-६१	६०-१५-३	
१०	धुरधारी, पुत्र बन्सी ..	१-९-१४	३१३.४९	६-६-६१	६-२-१	
	योग	१६-११-१८	१८७४.८६			

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८४३ पर।]

विलीनीकृत अध्यापक

१—५० रुपया तक वेतन पाने वाले को	.. ..	३८ रुपये भत्ता
५१ रुपया से १५० तक पाने वाले को	.. ..	४० रुपये भत्ता
१५१ से ४५० तक पाने वाले को	.. ..	४५ रुपये भत्ता

अविलीनीकृत अध्यापक

२—१ रु० से ३२ रु० तक वेतन पाने वाले को वेतन का	..	४५ प्रतिशत
३३ रु० से ६२ रु० तक वेतन पाने वाले को वेतन का	..	३७ प्रतिशत
६३ रु० से १०० रु० वेतन पाने वाले को वेतन का	..	३० प्रतिशत
१०१ रु० से २०० रु० तक वेतन पाने वाले को वेतन का	..	३० निश्चित

विधान सभा प्रदेश उ०प्र०

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८४५ पर ।)

संलग्न 'क'

निम्नलिखित मांगों को स्वीकार किया जा चुका है :—

१—लाभत्रयी योजना ।

२—३५० रु० तक मासिक वेतन पाने वाले डिग्री कालेजों के अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों को २० रु० मासिक मंहगाई भत्ता ।

३—पुस्तकालयों एवं प्रयोगशालाओं की साज सज्जा के लिये अनुदान ।

४—अध्यापकों की अवकाश प्राप्ति आयु ६० वर्ष होगी तथा कुछ विशेष परिस्थितियों में अवकाश प्राप्ति आयु दो वर्ष बढ़ाई जा सकती है ।

५—आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों के अध्यापकों को पी० एच० डी० डिग्री प्राप्त करने पर दो अग्रिम वेतन वृद्धि ।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित मांगे विचाराधीन हैं :

१—निरीक्षकों को राज्य कर्मचारी माना जाय ।

२—अनुदान के निमित बी० एड० तथा बी० टी० की कक्षाओं का मूल्यांकन किया जाय ।

३—स्थान विशेष की शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध कालेजों में स्नातकोत्तर कक्षायें खोलना ।

४—गोरखपुर विश्वविद्यालय ऐक्ट में सुधार किया जाय कि उप-कुलपति की अग्रिम अनुमति बिना किसी अध्यापक की सेवाओं को निरस्त करना गैर कानूनी समझा जाय ।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८५० पर)

सहायक अभियन्ता

(क) स्थाईकरण	आधार
(१) २५ प्रतिशत जगहें सबार्डिनेट इंजीनियरिंग सर्विस के सदस्यों तथा कम्प्यूटरों में से ।	योग्यता (Merit)
(२) २५ प्रतिशत जगहें लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगात्मक परीक्षा के द्वारा।	लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित ज्येष्ठता के आधार पर २ साल के परिवीक्षा काल का सन्तोषजनक रूप से पूर्ण करने पर।
(३) ५० प्रतिशत जगहें वर्तमान अस्थायी सहायक अभियन्ताओं में से ।	अस्थाई नियुक्ति के समय लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित ज्येष्ठता के आधार पर परन्तु अयोग्य उम्मेदवारों को छोड़ दिया जायगा ।

(ख) पदोन्नति

सभी सहायक अभियन्ता जिनकी ७ वर्षों की सेवा (Service) हो चुकी हो ।	अयोग्य उम्मेदवारों को छोड़कर, ज्येष्ठता के आधार पर (seniority subject to the Rejection of unfit)

अधिशासी अभियन्ता

(१) स्थाईकरण—

भी स्थाई सहायक अभियन्ताओं जिनको कम से कम ७ वर्ष की सेवा हो ।	अयोग्य उम्मेदवारों को छोड़कर, ज्येष्ठता के आधार पर (Seniority Subject to the Rejection of unfit)

(२) पदोन्नति—

सभी स्थाई सहायक अभियन्ता ।	योग्यता (Merit)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८५६ पर)

जिला बरेली के उन दरियाबुर्दी गांवों के नाम जिनमें कार्य किया गया

तहसील बहेड़ी

१—गुलड़िया
२—नगरिया
३—कंचनपुर
४—बिहारीपुर
५—सुल्तानपुर
६—लोधीपुर

उन गांवों के नाम जिनमें कार्य नहीं किया जा सका

तहसील	क्र० सं०	नाम ग्राम दरियाबुर्दी
१	२	३
नवाबगंज ..		१—अबदला
		२—अमीरनगर
		३—बहर जागीर
		४—बढ़ैपुरा इलाका बहिर
		५—गुलड़हाई
		६—जरपा मोहनपुर
		७—बन्दमन जैबुलनिसां
		८—मन्डनपुर
		९—मुजफ्फरपुर
		१०—नौगवां भगवन्तपुर
		११—नवदिया सालिगराम
		१२—सिलरा
		१३—परबतपुर पट्टी
आंवला ..	..	१४—आराजी मुतनाजा उर्फ मन्झा
		१५—अरवा एहतमाली
		१६—बबिया
		१७—बड़रई कुइयां
		१८—बनारा
		१९—बिहारीपुर
		२०—चन्दका
		२१—ढका
		२२—फतेहपुर सिराथू
		२३—ढकिया
		२४—जैनपुर कादराबाद
		२५—फीरोजपुर
		२६—भेलौरा
		२७—हिम्मतपुर

अविशोधित प्रतिलिपि

तहसील	क्रम सं०	नाम ग्राम दरियाबुर्दी
१	२	३
आंवला	२८	जगतपुर
	२९	कोहनी प्रतापपुर
	३०	सिकोड़ा
	३१	तिरकुनियां
	३२	अंजनी एकतमाली
	३३	धौरेरा
	३४	प्यास
	३५	शाहपुर
	३६	सिरौली
	३७	बसन्तपुर
	३८	भूड़ा
	३९	गुबरहाई
	४०	हाफिजगंज
	४१	कैनी शिवनगर
	४२	कतरोई बुजुर्ग
	४३	मुगलपुर
	४४	रौतापुर
	४५	सिखा
	४६	अजाऊ
	४७	गुरगांवा
	४८	हाजीपुर
	४९	झाऊं नगला
	५०	रूखाड़ा
	५१	आक डांडी
	५२	बलही भगवंतपुर
	५३	चुरहा नवदिया
	५४	दसीपुर
	५५	धीरपुर
	५६	किशनसिंहपुर
	५७	मुशरफपुर
	५८	रफियाबाद
	५९	रहमानपुर
बहेड़ी	६०	बैरमनगर

उत्तर प्रदेश अभिलेखागार सभा

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८५७ पर।)

तालिका

	स्वीकृत धनराशि	भुगतान की तिथि अथवा भुगतान न होने का कारण
	रु०	
१—श्री श्रीराम सिंह, बी० काम० फाइनल, कान्यकुब्ज डिग्री कालेज, लखनऊ।	७५	भुगतान ९–२–६५ को हो चुका है।
२—श्री रामदेव, बी० टी० कक्षा, के० बी० डिग्री कालेज, मेरठ।	१२५	भुगतान २०–२–६५ को हो चुका है।
३—सुश्री कमलेश माथुर, एम०ए० प्रीवियस (साइकालोजी), रघुनाथ गर्ल्स कालेज, मेरठ।	१००	भुगतान २६–११–६४ को हो चुका है।
४—श्री रमेश चन्द्र उपाध्याय, बी० एस० सी० (प्रीवियस), कान्यकुब्ज डिग्री कालेज, लखनऊ।	१२५	भुगतान १२–२–६५ को हो चुका है।
५—कुमारी गिरिजा बाजपेई, कक्षा १०–ब, भारतीय बालिका विद्यालय, लखनऊ।	५०	भुगतान २४–२–६५ को हो चुका है।
६—श्री अवध बिहारी सेठ, कक्षा १० ए, गवर्नमेन्ट इन्टर कालेज, बाराबंकी।	५०	भुगतान ८–१२–६४ को हो चुका है।
७—श्री अम्बिका प्रसाद तिवारी, पी०एच०डी०, द्वितीय वर्ष लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।	१५०	विश्वविद्यालय ने संबंधित छात्र को धनराशि का भुगतान लेने के लिये २२–२–६५ को लिखा है।
८—श्री कृष्णकुमार द्विवेदी, बी०ए० भाग १, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।	१२५	धनराशि का भुगतान महालेखाकार द्वारा जारी किये गये अधिकारपत्र के त्रुटिपूर्ण होने के कारण न हो सका। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा विश्वविद्यालय के सहायक रजिस्ट्रार को आदेश दे दिये गये हैं कि वह भुगतान शीघ्र कराने की व्यवस्था करें।

पी० एस० यू० पी०–ए० पी०–२३२ एल० ए०–१९६५–८६२।